

ग्रन्थानुक्रम

१ समर्पण	३
२ धन्यवाद	४
३ शुभ सम्मति	५
४ प्रकाशककी ओरसे	६
५ भाष्यके निर्माणकी कथा	७-१३
६ प्राकथन	१५-१८
७ Preface (भूमिका)	१६-२४
८ प्रस्तावना	१-११६
ग्रन्थ-परिचय	१-५
ग्रन्थपर सन्देह और उसका निराकरण	६-३८
ग्रन्थके पद्धों की जाँच	३६-७२
अधिक पद्धोवाली प्रतियाँ	७३-८६
ग्रन्थकी सस्कृत-टीका	८६-९३
समन्तभद्रका सक्षिप्त परिचय	९४-११६
९ समाज धर्मशास्त्रको विषय-सूची	१२०-२८
१० समीचीन-धर्मशास्त्र भाष्य-सहित	१-११७
११ समीचीनधर्मशास्त्र-कारिकानुक्रमणी	१६८-२००

कुल पृष्ठसंख्या २४ + १२८ + २०० = ३५२

समर्पण

त्वदीयं वस्तु भोः स्वामिन् !
तुभ्यमेव समर्पितम्

हे आराध्य गुरुदेव स्वामी समन्वयभद्र ! आपका यह अनुपम धर्मशास्त्र मुझे मेरे विद्यार्थि-जीवनमें ही, आजसे कोई ६५ वर्ष पहले, प्राप्त हो गया था और मैंने इसमें तत्कालीन वस्त्रै जैन परीक्षालयकी परीक्षा देकर उत्तीर्णता भी प्राप्त की थी । उस समय मात्र परीक्षा पास करनेकी दृष्टि थी और साधारण अर्थवोध ही हो पाया था, परन्तु बादको मैं इसे ज्यो-ज्यो पढ़ता तथा अपने गहरे अध्ययन-मननका विषय बनाता रहा, त्यो-त्यो इसके पठ-बाक्योंकी गहराईमें स्थित अर्थ ऊपर आकर मेरी प्रसन्नताको बढ़ाया रहा । मुझे धार्मिक दृष्टि प्रदान करने तथा सन्मार्ग दिखाने में यह ग्रन्थ बड़ा है सहायक हुआ है और मैं व्रावर इसके मर्मको अधिकाधिक रूपमें समझने की चेष्टा करता रहा हूँ । मैं उस मर्मको कहाँ तक समझ पाया हूँ यहबात ग्रन्थके प्रस्तुत भाष्य-तथा उसकी प्रस्तावना परसे जानी जा सकती है और उसे पूर्ण रूपमें तो आप ही जान सकते हैं । मैं तो इतन ही समझता हूँ कि आपका आराधन करते हुए आपके ग्रन्थोंसे, जिनका मैं बहुत ऋणी हुँ, मुझे जो कुछ दृष्टि-शक्ति प्राप्त हुई है और उस दृष्टि-शक्तिके द्वारा मैंने जो कुछ अर्थादिका अवलोकन किया है, ये दोनों कृतियों उसीका प्रतिफल हैं । इनमें आपके ही विचारोंका प्रतिविन्द्र एवं क्रीतन होनेसे वास्तवमें यह सब आपकी ही चीज है और इसलिये आपको ही सादर समर्पित है । आप लोक-हितकी मूर्ति हैं, आपके प्रसाद से इन कृतियों द्वारा यदि कुछभी लोङ्ह-हितका साधन हो सका तो मैं आपनेको आपके भारी ऋणसे कुछ मुक्त हुआ समझूँगा ।

विनम्र
जुगलकिशोर

धन्यवाद

इस ग्रन्थरत्नके प्रकाशनका श्रेय श्रीमान् वाबू नन्द-लालजी जैन सुपुत्र सेठ रामजीवनजी सरावगी कलकत्ताको प्राप्त है, जिस्होंने श्रुत-सेवाकी उदार भावनाओं से प्रेरत होकर फूछ वर्ष हुए वीरसेवामन्दिरको अनेक प्रन्थोंके अनु-वादादि-सहित प्रकाशनार्थ दस हजारकी सहायता प्रदान की थी और जिससे स्तुतिविद्या, युक्त्यनुशासन और स्वोपज्ञ टीकायुक्त आप्तपरीक्षाडि जैसे कितने ही महान् ग्रन्थ हिन्दी अनुवादादिके साथ प्रकाशित हो चुके हैं। यह ग्रन्थ भी उन्हींके सिलसिले में प्रकाशित हो रहा है। अतः प्रकाशनके इस शुभ अवसर पर आपका साभार स्मरण करते हुए आपको हार्दिक धन्यवाद समर्पित है।

जुगलकिशोर मुख्तार
अधिष्ठाता 'वीरसेवामन्दिर'

पूज्य क्षुलनक श्रीगणेशप्रसादजी वर्णीकी

शुभ सम्मति

श्रीमान् ब्र० पंडितप्रवर जुगलकिशोर जी मुख्तारकी मान्य सिद्धस्त लेखनीसे ऐतिहासिक सामग्रीके साथ-साथ मन-चन्चन-कायकी मलिन-परिणतिकी संशोधिका, रागद्वेषकी निर्वरणी समीचीन-धर्मशास्त्रकी व्याख्या हमारे सन्मुख आई है। ऐसे पदानुसारी भाष्यकी विद्वानों तथा सभाजके लिये अतीव आवश्यकता थी। इससे सब धार्मिक बन्धुओंको ध्यानाध्ययनका विशेष लाभ होगा।

यह महान् प्रन्थ गागरमे सागरवालीं कहावतको चरितार्थ करनेवाला तार्किप्रवर चतुरस्त्वधी श्रीसमन्तभद्रस्थामीका जैसा रत्नोंका पिटारा है, उसी प्रकार उसको सुसज्जित विभूषित करनेवाले हृदयग्राही ऐदंयुगीन विद्वान्‌का वर्णसुवर्णमय भाष्य है अर्थात् रत्नोंको सुवर्णमें जड़नेका कार्य जैसा है।

चैत्र वदि ६

सं० २०११

गणेश वर्णी

ईसरी

प्रकाशकंकी ओरसे

जिस प्रन्थरत्नके भाष्यकी वर्णों से तथ्यारी और उसे पूर्ण-रूपमें प्रकाशित देखनेकी उत्कण्ठा तथा प्रतीक्षा थी उसे आज पाठकोंके हाथमें देते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रन्थका प्रस्तुत भाष्य कितने परिश्रमसे और कितनी विज्ञ-बाधाओंको पार कर तथ्यार हुआ है, इसका सच्चा रोचक इतिहास ‘भाष्यके निर्माण की कथा’ से जाना जा सकता है। और वह कितना उपयोगी तथा मूलके अनुकूल बना है; यह तो भाष्यके स्वयं अध्ययनसे ही सम्बन्ध रखता है। हर एक सहदय पाठक उसे पढ़ते ही जान सकता है। पूज्य लुम्झक श्रीगणेशप्रसादजीवर्णिके शब्दोंमें ऐसे पदानुसारी भाष्यकी विद्वानों तथा समाजके लिये अतीव आवश्यकता थी और वे उसे ‘रत्नोको सुवर्णमें जड़कर उन्हें सुर्सज्जित और विभूषित करने जैसा कार्य’ बतला रहे हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ भाष्यको मूलकी सीमाके भीतर रखनेकी पूरी चेष्टा की गई है—कहीं भी शब्दछलको लेकर व्यर्थका तूल नहीं दिया गया—और पद-वाक्योंकी गहराईमें स्थित अर्थोंको ऊपर लाकर जैचे तुले शब्दोंमें व्यक्त करनेका पूर्ण प्रयत्न किया गया है। इससे यह भाष्य मूलकारकी हृष्टि एवं प्रन्थके मर्मको समझने में बहुत बड़ा सहायक है। अतः सब विद्यालयों तथा शिक्षा-संस्थाओंके पठन-क्रममें इस भाष्यके रखने जाने और परीक्षालयादिके द्वारा प्रचारमें लानेकी खास जरूरत है, जिससे मूलग्रन्थ प्रायः तो तारटन्त न रहकर प्रन्थकारमहोदयके उद्देश्यको पूरा करनेमें समर्थ हो सके।

इस ग्रन्थपर श्रीमान् डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल प्रोफेसर हिन्दू विश्व-विद्यालय बनारस ने ‘प्राक्कथन’ और डा० ए. एन. उपाध्ये एम. ए. प्रोफेसर राजाराम कालिज कोल्हापुरने Pre-face लिखनेकी जो कृपा की है उसके लिये बीरसेवामन्दिर दोनोंका हृदयसे आभारी है।

परमानन्द जैन

भाष्यके निर्माणकी कथा

स्वामी समन्तभद्रका 'समीचीन-धर्मशास्त्र', जो लोकमें रत्न-करण, रत्नकरण-उपासकाभ्ययन तथा रत्नकरणश्रावकाचार नामसे अधिक प्रसिद्ध है, समन्तभद्रभारतीमें ही नहों किन्तु समृच्छे जैनसाहित्यमें अपना खास स्थान और महत्व रखता है। जैनियोंका कोई भी मन्त्र, मठ या शास्त्रभण्डार ऐसा नहीं होगा जिसमें इस ग्रन्थरत्नकी दो-चार दस-बीस प्रतिथाँ न पाई जाती हो। पठन-पाठन भी इसका सर्वत्र बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ होता है। अनेक भाषात्मक कितने ही अनुवादों तथा टीका-टिप्पणीसे यह भूषित हो चुका है। और जबसे मुद्रण-कलाको जैनसमाजने अपनाया है तबसे न जाने कितने संस्करण इस ग्रन्थके प्रकाशित हो चुके हैं। दिग्न्वर समाजमें तो, जहाँ तक मुझे स्मरण है, यही ग्रन्थ प्रथम प्रकाशित हुआ था।

ग्रन्थके इन सब संस्करणों, टीका-टिप्पणीों और अनुवादोंको देखते हुए भी, नहीं मालूम क्यों मेरां चित्त असें से सन्तोष नहीं पा रहा था, उसे ये सब इस धर्मशास्त्रके उतने अनुरूप नहीं जान पड़े जितने कि होने चाहिये थे। और इसलिये उसमें असें तक यह उधेड़-बुन चलती रही कि ऐसा कोई अनुवाद या भाष्य प्रस्तुत होना चाहिये जो मूल-ग्रन्थके मर्मका उद्घाटन और उसके पद-वाक्योंकी दृष्टि का ठीक स्पष्टीकरण करता हुआ अधिक से अधिक उसके अनुरूप हो। इसी उधेड़-बुनके फल-स्वरूप, समन्त-भद्राश्रमके देहली से सरसावा आजाने पर, मैने अनुवाद तथा व्याख्याके रूपमें इस पर एक भाष्य लिखनेका सकल्प किया था और तदनुसार भाष्यका लिखना प्रारम्भ भी

कर दिया था; परन्तु समय समयपर दूसरे अनेक ज़रूरी कामों तथा विज्ञ-बाधाओंके आ उपस्थित होने और भाष्यके योग्य यथेष्ट निराकुलता एवं अवकाश न मिल सकनेके कारण वह कार्य आगे नहीं बढ़ सका। कई वर्ष तो वीर-सेवामन्दिर की विलिङ्गन्के निर्माण-कार्यमें ऐसे चले गये कि उनमें साहित्य सेवा का प्रायः कोई खास काम नहीं यन सका—सारा दिमाग ही इंट-चूने-मिट्टीका हो रहा था। आखिर, २४ अप्रैल सन् १९३६ (अन्ध-नृतीया) को सरसावा मे वीर-सेवा मन्दिरके उद्घाटन की रस्म हो जाने और उसमें अपनी लायब्रेरी के व्यवस्थित किये जानेपर मेरा ध्यान फिरसे उस ओर गया और मैंने अनुवाद की सुविधाके लिये इस प्रन्थके सम्पूर्ण शब्दोंका एक ऐसा कोश तैयार कराया जिससे यह मालूम होसके कि इस प्रन्थका कौनसा शब्द इसी प्रन्थमें, तथा समन्तभद्रके दूसरे प्रन्थोंमें कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, और फिर उसपरसे अर्थका यथार्थ निश्चय किया जा सके। क्योंकि मेरी यह धारणा है कि किसी भी प्रन्थ का यथार्थ अनुवाद प्रस्तुत करनेके लिये यह ज़रूरी है कि उस प्रन्थके जिस शब्दका जो अर्थ स्वयं प्रन्थकारने अन्यत्र ग्रहण किया हो उसे प्रकरणानुसार प्रथम ग्रहण करना चाहिये, वाद को अथवा उसकी अनुपस्थितिमें वह अर्थ लेना चाहिये जो उस प्रन्थकारके निकटतया पूर्ववर्ती अथवा उत्तरवर्ती आचार्यादिके द्वारा गृहीत हुआ हो। ऐसी सावधानी रखने पर ही हम अनुवादको यथार्थरूपमें अथवा यथार्थताके बहुत ही निकट रूपमें प्रस्तुत करनेके लिये समर्थ हो सकते हैं। अन्यथा (उक्त सावधानी न रखनेपर) अनुवादमें प्रन्थकारके प्रति अन्यायका होना सम्भव है, क्योंकि अनेक शब्दोंके अर्थ द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावके अथवा देश-कालादिकी परिस्थितियोंके अनुसार बदलते रहे हैं, और इसलिये 'सर्वथा यह नहीं कहा जा

सकता कि जिस शब्दका जो अर्थ आज रुढ़ है हजार दो हजार वर्ष पहले भी उसका वही अर्थ था । यदि किसी शब्दका जो अर्थ आज रुढ़ है वह हजार दो हजार वर्ष पहले रुढ़ न हो तो उस समयके बने हुए ग्रन्थका अनुवाद करते हुए यदि हम उस शब्दका आजके रुढ़ अर्थमें अनुवाद करने लगें तो वह अवश्य ही उस ग्रन्थ तथा ग्रन्थकारके प्रति अन्याय होगा ।

उठाहरणके लिये 'पाप (खं) ढी' शब्द को लीजिये, उसका रुढ़ अर्थ आजकल 'धूर्त' अथवा दम्भी-कपटी-जैसा हो रहा है; परन्तु स्वामी समन्तभद्रके समय में इस शब्दका ऐसा अर्थ नहीं था । उस समय 'पाप खंडयतीति पाखंडी' इस निरुक्तके अनुसार पापके खण्डन करनेके लिये प्रवृत्त हुए तपस्वी साधुओंके लिये यह शब्द आमतौरपर व्यवहृत होता था—चाहे वे साधु स्वमत-के हो या परमतके ३४ । और इसलिये स्वामी समन्तभद्रने अपने इस धर्मशास्त्रमें 'पापखंडमूढता' का जो लक्षण X दिया है उसका आशय इतना ही है कि, 'अमुक विशेषणोंसे विशिष्ट जो 'पाखंडी'

३४ मूलाचार (अ० ५) में "रक्तवड-चरग-तावसां-परिहत्तादीय-अप्तुपासडा" वाक्यके द्वारा रक्तपटादिक साधुओंको अन्य मतके पाखण्डी बतलाया है, जिसपर साफ घनित है कि तब स्व (जैन) मत के तपस्यी साधु भी 'पाखण्डी' कहलाते थे । और इसका समर्थन श्रीकृन्दकुन्दके समयसारकी 'पाखखिड्यतिगाणि य गिहालिगाणि य वहुप्पयाराणि' इत्यादि गाथा न० ४३८ आदि से भी होता है, जिनमें पाखण्डी लिङ्गको अनगार-साधुओं (निर्गन्धादिमुनियों) का लिङ्ग बतलाया है । साथ ही, सम्राट् खारवेलके शिलालेखसे भी होता है, जिसमें उसे 'सख्वपासंडपूजकों' लिखा है ।

X सग्यारम्भिंहसाना ससारावर्तवर्तिनाम् ।

पाखण्डनापुरस्कारो ज्ञेय पापण्ड-मोहनम् ॥

है वे वस्तुतः पाखण्डी (पापके स्वरूपमें प्रवृत्त होनेवाले तपस्वी साधु) नहीं, उन्हे पाखण्डी समझकर अथवा साधु-गुरुकी बुद्धिसे उनका जो आदर सत्कार करना है उसे 'पाखण्डिमूढ़' कहते हैं। यहाँ 'पाखण्डी' शब्दका प्रयोग यदि धूर्त्, दम्भी, कपटी अथवा भूठे (मिथ्यादृष्टि) साधु-जैसे अर्थमें लिया जाय, जैसा कि कुछ अनुवादकोने लिया है, तो अर्थका अनर्थ हो जाय और 'पाखण्ड-मोहनम्' पदमें पड़ा हुआ 'पाखण्डिम्' शब्द अनर्थक और असम्बद्ध (Nonsensical) ठहरे। क्योंकि इस पदका अर्थ है पाखण्डियोंके विषयमें मूढ़ होना अर्थात् पाखण्डीके वास्तविक * स्वरूपको न समझकर अपाखण्डियों अथवा पाखण्डियाभासोंको पाखण्डी मान लेना और वैसा मानकर उनके साथ तद्रूप आदर-सत्कारका व्यवहार करना। इस पदका विन्यास ग्रन्थमें पहलेसे प्रयुक्त 'देवता-मूढम्' पदके समान ही है, जिसका आशय है कि जो 'देवता नहीं है—राग-द्वेषसे मलीन देवताभास है—उन्हे देवता समझना और वैसा समझकर उनकी उपासना करना।' ऐसी हालतमें 'पाखण्डिन्' शब्दका अर्थ 'धूर्त्' जैसा करनेपर इस पदका ऐसा अर्थ हो जाता है कि 'धूर्तों'के विषयमें मूढ़ होना अर्थात् जो धूर्त नहीं है उन्हे धूर्त समझना और वैसा समझकर उनके साथ आदर-सत्कारका व्यवहार करना और यह अर्थ किसी तरह भी संगत नहीं कहा जा सकता। इसीसे एक विद्वान्‌को खींच-तान करके उस पदका यह अर्थ भी करना पड़ा

* पाखण्डीका वास्तविक स्वरूप वही है जिसे 'ग्रन्थकारमहोदय ने 'तपस्वी' के निम्न लक्षणमें समाविष्ट किया है। ऐसे ही तपस्वी पापों का खण्डन करनेमें समर्थ होते हैं—

विषयाशावशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः ॥
ज्ञान-ध्यान-तपोरल्लक्ष्मी स प्रशस्यते ॥१०॥

है कि—“पाखरिङ्गनामुपदेशेन संगता च मोहनं मिथ्यात्वमिर्ति पाख-
रिङ्गमोहनं गुरुमूढतेत्यर्थः” क्षेत्रार्थात्—पाखरिङ्गयोंके उपदेशसे और
उनकी संगतिसे जो मोहन-मिथ्यात्व होता है उसे ‘पाखरिङ्ग-
मोहन’ कहते हैं, जिसका आशय गुरुमूढताका है। परन्तु इस
अर्थका भी ग्रन्थ-सन्दर्भके साथ कोई मेल नहीं बैठता। अस्तु।

अपनी उक्त धारणाके अनुसार ही मैंने प्रकृत ग्रन्थका एक
अच्छा मूलानुग्रामी प्रामाणिक तथा उपयोगी भाष्य लिखनेका
संकल्प किया था और सन् १६३६ मे 'समाधि-तंत्र' को प्रकाशित
करते हुए उसके साथमे वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमालामे प्रकाशित
होनेवाले ग्रथोम उसकी भी विज्ञप्ति कर दी थी; परन्तु वीरसेवा
मन्दिरमे उत्तरोत्तर कायेका भार इतना बढ़ा कि मै बराबर अन-
वकाश से घिरा रहने लगा और इसलिये भाष्यका संकल्पित कार्य
जो बहु-परिश्रम-साध्य होनेके साथ-साथ चिन्तकी स्थिरता और
निराकुलताकी खास अपेक्षा रखता है, बराबर टलता रहा। उसे
इस तरह अनिश्चित कालके लिये टलता देखकर मुझे बड़ा खेद
होता था और इसलिये मैंने अपनी ६५ वीं वर्ष गांठ के दिन—
मँगसिर सुदी एकादशी विं संवत् १६६८ को यह दृढ़ प्रतिज्ञा
की कि मैं अगली वर्षगांठ तक स्वामी समन्वयभद्रके किसी भी
पद-वाक्यका अनुवादादि कार्य प्रतिदिन अवश्य किया करूँगा—
चाहे वह कितने ही थोड़े परिमाणमे क्यों न हो। और इस प्रतिज्ञा
के अनुसार उसी दिन (ता० २६ नवम्बर सन् १६४१ शनिवार-
को) इस धर्मशास्त्रका नये सिरेसे अनुवाद प्रारम्भ कर दिया,
जो सामान्यतः १ मई सन् १६४२ को पूरा हो गया। इसके बाद
स्वयम्भू-रत्नोत्रके अनुवादको लिया गया और वह भी कोई छह

क्षेत्रेषो, सिद्धान्तशास्त्री प० गौरीलाल-द्वारा अनुवादित और सम्पा-
दित रत्नकरणशावकाचार।

महीनोंमें पूरा हो गया। इस तरह ग्रतिजा बद्ध होकर मैं एक वर्षमें दो ग्रन्थोंके अनुवादोंको प्रस्तुत करनेमें समर्थ हो सका। साथ ही, समन्तभद्र-भारतीके सभी उपलब्ध ग्रन्थोंका एक पूरा शब्दकोष भी तैयार करा लिया गया, जिससे अनुवाद-कार्यमें बड़ी मदद मिली। इसके पश्चात् 'युक्त्यनुशासन' के अनुवादको भी हाथमें लिया गया था और वह एक तिहाईके करीब हो भी चुका था, परन्तु वह अनुवाद दिग्म्बर जैन परिपद कानपुरके अधिवेशनकी भेंट होगया—वहाँ बक्स के साथ चोरी चला गया ! इससे चिन्तको बहुत आघात पहुँचा और आगेको अनुवादकी ग्रहणिति ही रुक गई।

कुछ वर्ष बाद घटी एक घटनाके कारण मेरा ध्यान फिरसे भाष्यकी ओर गया और यह खयाल पैदा हुआ कि बड़े पैमाने पर नहीं तो छोटे पैमानेपर ही सही, जीवनके इस लक्ष्यको शीघ्र पूरा करना चाहिये—इससे बहुतोंका हित होगा। तदनुसार कितने ही पदोंके अनुवाद के साथ 'व्याख्या' को लगा दिया गया और शेष के साथ जल्दी उसे लगा देनेका विचार स्थिर किया। साथ ही, भाष्यके कुछ अंशोंको, नमूनेके तौरपर, मूलके साथ अनेकान्त पाठ्कोंके सामने रखना भी शुरू कर दिया, जिससे उन्हे इसके स्वरूपादिका ठीक परिचय प्राप्त हो सके, वे इसकी उपयोगिता एवं विशेषताका अनुभव कर सकें और अनुभवी विद्वानोंसे श्रुटियोंकी सूचना तथा व्याख्यादिके स्वरूप-सम्बन्धमें कोई सुझाव भी मिल सके, जिसके लिये उनसे निवेदन किया गया था। भाष्यके कुछ अंश उस समय अनेकान्तके ७ वे वर्षकी किरण ६ से १२ (सन् १६४५) मे प्रकाशित हुए थे, जिन्हे देखकर बहुतसे विद्वानों तथा अन्य सज्जनोंने पसन्द किया था और भाष्यके विषयमें अपनी उत्कंठा व्यक्त करते हुए उसे जल्दी पूरा करके प्रकाशित करनेकी प्रेरणाएँ भी की थीं, परन्तु उनके निर्माण और

प्रकाशनका काम फिर कुछ परिस्थितियोंके बश—खासकर पुरातन जैनवाक्यसूची तथा स्वयम्भूस्तोत्रादिकी भारी विस्तृत प्रस्तावनाओं और दूसरे महत्वके खोजपूर्ण जरूरी लेखों के लिखने एवं ग्रन्थोंके प्रकाशनमें प्रवृत्त होने के कारण—रुक गया सन् १९५२ के मार्च मासमें निर्मानियाकी बीमारीसे उठकर उस कामको फिरसे हाथमें लिया गया और अनेकान्तमें 'समन्तभद्र-वचनामृत' रूपसे उसके दूसरे अशोकों देना भी प्रारम्भ किया गया। इतनेमें ही १३ अप्रैल को वह प्रसिद्ध तांगा-दुर्घटना घटी जिसने प्राणोंको ही संकटमें डाल दिया था। इस दुर्घटनासे कान और भी खड़े हो गये और इसलिये अस्वस्थ दशामें भी भाव्यके तथ्यार अशोको प्रकाश में लाने आदिका कार्य यथाशक्य जारी रखा गया और जिन कारिकाओंकी व्याख्या नहीं लिखी जा सकी थी उनमेंसे अनेक को मात्र अनुवादके साथ ही प्रकाशित कर दिया गया—बादको यथासमय तत्सम्बन्धी व्याख्याओंकी पूर्ति होती रही। इस तरह अनेक विघ्न-बाधाओंको पार कर यह भाष्य सन् १९५३ के उत्तरार्द्धमें बनकर समाप्त हुआ है। और यों इसके निर्माणमें १२ वर्ष लग गये—संकल्प के पूरा होनेमें तो २० वर्षसे भी ऊपरका समय समझिये। मैं तो इसे स्वामी समन्तभद्रके शब्दोंमें 'अलघ्य शक्ति भवितव्यता' का एक विधान ही समझता हूँ और साथ ही यह भी समझता हूँ कि पिछली भीषण तांगा दुर्घटनासे जो मेरा संत्राण हुआ है वह ऐसे सत्संकल्पोंको पूरा करनेके लिये ही हुआ है। अतः इस ग्रन्थरत्नको वर्तमान रूपमें प्रकाशित देखकर मेरी प्रसन्नताका होना स्वाभाविक है और इसके लिये मैं गुरुदेव स्वामी समन्तभद्रका बहुत आभारी हूँ जिनके वचनों तथा आराधनसे मुझे बराबर प्रकाश, धैर्य और बल मिलता रहा है।

वीरसेवामन्दिर, दिल्ली

फाल्गुन कृष्णा द्वादशी, स० २०११

जुगलकिशोर मुख्तार

प्राक्थन

स्वामी समन्तभद्र भारतवर्ष के महान् नीतिशास्त्री और तत्त्वचिन्तक हुए हैं। जैन दर्शनिकोमें तो उनका पद अति उच्च भाना गया है। उनकी शैली सरल, संक्षिप्त और आत्मानुभवी मनीषी जैसी है। देवागम या आप्तभीमांसा और युक्त्यनुशासन उनके दर्शनिक ग्रन्थ हैं। किन्तु जीवन और आचारके सम्बन्धमें भी उन्होने अपने रत्नकाण्ड-श्रावकाचारके रूपमें अद्भुत देन दी है। इस ग्रन्थमें केवल १५० श्लोक है। मूलरूपमें इनकी संख्या यदि कम थी तो कितनी कम थी, इस विषयपर ग्रन्थके वर्तमान सम्पादक श्रीजुगुलकिशोरजी ने विरत्तत विचार किया है। उनके मतसे केवल सात कारिकाएँ संदिग्ध हैं। सम्भव है मात्रृचेतके अध्यधर्शतककी शैली पर इस ग्रन्थकी भी श्लोक संख्या रही हो। किन्तु इस प्रश्नका अन्तिम समाधान तो प्राचीन हस्तालिखित ग्रतियोंका अनुसंधान करके उनके आधार पर सम्पादित प्रामाणिक संस्करणसे ही सम्यक्तया हो सकेगा, जिसकी ओर विद्वान् सम्पादकने भी संकेत किया है (पृ० ८७)

समन्तभद्रके जीवनके विषय में विश्वसनीय तथ्य बहुत कम ज्ञात है। प्राचीन प्रशस्तियोंसे ज्ञात होता है कि चे उरगपुरके राजाके राजकुमार थे जिन्होने गृहस्थाश्रमीका जीवन भी बिताया था। यह उरगपुर पाण्ड्य देशकी प्राचीन राजधानी जान पड़ती है, जिसका उल्लेख कालिदासने भी किया है (रघुवंश, ६।५६, अथोरगार्वस्य मुरस्य नाथ)। ६७४ ई० के गङ्गावल ताम्र शासनके अनुसार उरगपुर कावेरीके दक्षिण - तटपर अवस्थित था (एपि० ३५०, १०।१०२.)। श्री गोपालनने इसकी महाचान त्रिशिरापङ्कीके

समीप उरैच्यूरसे की है जो प्राचीन चोलधंशकी राजधानी थी। कहा जाता है कि उरगपुरमे जन्म लेकर वडे होनेपर जब शान्ति वर्मा (समन्तभद्रका गृहस्थाश्रमका नाम) को ज्ञान हुआ तो उन्होने काचीपुरमे जाकर दिगम्बर नग्नाटक यतिकी दीक्षा ली ली और अपने सिद्धान्तोके प्रचारके लिये देशके कितने ही भागों की तात्रा की। आचार्य जिनसेन ने समन्तभद्र को प्रशसा करते हुए उन्हे कवि, गमक, वादी और वाग्मी कहा है। अकलक ने समन्त-भद्र के देवागम ग्रन्थ की अपनी अष्टशती विद्युति मे उन्हे भव्य अद्वितीय लोकचक्षु कहा है। सचमुच समन्तभद्र का अनुभव वढ़ा चढ़ा था। उन्होने लोकजीवन के राजान्रक उच्च-नीच, सभी रक्तोंको आँख खोलकर देखा था और अपनी परीक्षणात्मक वुद्धि और विवेचना-शक्तिसे उन सबको सम्यक् दर्शन, सम्यक् आचार और सम्यक् जानकी कसौटी पर कसकर परखा था। इसीलिये विद्यानन्दस्वामीने युवत्यनुशासनकी अपनी टीकामे उन्हे 'परीक्ष-क्षण' (परीक्षा या कसौटी पर कसना ही है आँख जिसकी) का सार्थक उपाधि प्रदान की।

स्वामी समन्तभद्रने अपनी विश्वलोकोपकारिणी वाणीसे न केवल जैन मार्गको सब औरसे कल्याणकारी बनानेका प्रयत्न किया (जैनं वर्त्मं समन्तभद्रमभवद्भद्रः समन्तान्मुहुः), किन्तु विशुद्ध मानवी दृष्टिसे भी उन्होने मनुष्यको नैतिक धरातल पर प्रतिष्ठित करनेके लिये वुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाया। उनके इस दृष्टिकोणमे मानवमात्रको रुचि हो सकती है। समन्तभद्रकी दृष्टिमे मनकी साधना, हृदयका परिवर्तन सच्ची साधना है, वाहा आचार तो आडम्बरोसे भरे हुए भी हो सकते हैं। उनकी गर्जना है कि मोही मुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है (कारिका ३३)। किसी ने चाहे चरणाल-योनिसे भी शरीर धारण किया हो, किन्तु यदि उसमे सम्यग् दर्शनका उदय होगया है, तो देवता ऐसे व्यक्ति-

प्रस्तावना

ग्रन्थ-परिचय

स्वामि-समन्तभद्राचार्य-प्रणीत इस सभीचीन-धर्मशास्त्रमें आवकोंको लद्य करके उस धर्मका उपदेश दिया गया है जो कर्मों-का नाशक है और संसारी जीवोंको संसारके दुःखोंसे निकालकर उत्तम सुखोंमें धारण करनेवाला अथवा स्थापित करनेवाला है। वह धर्म सम्यग्दर्शन, सम्यज्ञान और सम्यक्चारित्रस्वरूप है और इसी क्रमसे आराधनीय है। दर्शनादिककी जो स्थिति इसके प्रतिकूल है—सम्यक्रूप न होकर मिथ्यारूपको लिये हुए है—वही अधमे है और वही संसार-परिभ्रमणका कारण है, ऐसा आचार्य-महोदयने प्रतिपादन किया है।

इस शास्त्रमें धर्मके उक्त (सम्यग्दर्शनादि) तीनों अंगोंका—रत्नत्रयका—ही यर्लिंचित् विस्तारके साथ वर्णन है और उसे सात अध्ययनोंमें विभाजित किया है। प्रत्येक अध्ययनमें जो कुछ वर्णन है उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है—

प्रथम अध्ययनमें सत्यार्थ आप्त आगम और तपोभूत् (गुरु) के त्रिमूढतारहित तथा अष्टमदहीन और अष्टअंगसहित अद्वान-को 'सम्यग्दर्शन' बतलाया है; आप्त-आगम-तपस्त्रीके लक्षण, लोक-देव-पालंडिमूढताओंका स्वरूप, ज्ञानादि अष्टमदोंके नाम और निःशंकितादि अष्ट अंगोंके महंत्वपूर्ण लक्षण दिये हैं। साथ ही वह दिखलाया है कि रांगके विना आप्त भगवान्के हितोपदेश

कैसे बन सकता है, अंगहीन सम्यगदर्शन जन्मसंतानिको नाश करनेके लिये कैसे समर्थ नहीं होता और ज्ञानादिसे कुछ हीन दूसरे धर्मात्माओंका अनादर करनेसे धर्मका ही अनादर क्योंकर होता है। इसके सिवाय, सम्यगदर्शनकी महिमाका विस्तारके साथ वर्णन दिया है और 'उसमे निम्नलिखित विशेषताओंका भी उल्लेख किया है—

(१) सम्यगदर्शनयुक्त चांडालको भी 'देव' समझना चाहिये ।

(२) शुद्ध सम्यगदृष्टि जीव भय, आशा, स्नेह तथा लोभसे कुदेवों, कुशास्त्रों और कुलिंगियों (कुण्डलों) को प्रणाम तथा विनय नहीं करते ।

(३) ज्ञान और चारित्रकी अपेक्षा सम्यगदर्शन मुख्यतया उपासनीय है, वह मोक्षमार्गमें खेवटियाके सहशा है और उसके विना ज्ञान तथा चारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलोदय उसी तरह नहीं हो पाते जिस तरह बीजके अभावमें वृक्षकी उत्पत्ति आदि ।

(४) निर्मोही (सम्यगदृष्टि) गृहस्थ मोक्षमार्गी है परन्तु मोही (मिथ्यादृष्टि) मुनि मोक्षमार्गी नहीं; और इसलिये मोही मुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है ।

(५) सम्यगदर्शनसे शुद्ध हुए जीव, अब्रती होने पर भी, नारक, तिर्यच, नपुंसक, और स्त्री-पर्यायको धारण नहीं करते, न दुष्कुलोंमें जन्म लेते हैं, न विकृतांग तथा अल्पायु होते हैं और न वरिद्रीपनेको ही पाते हैं ।

द्वितीय ऋध्ययनमें सम्यग्ज्ञानका लक्षण देकर उसके विषयभूत प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोगका सामान्य स्वरूप दिया है ।

तीसरे ऋध्ययनमें सम्यक्चारित्रके धारण करनेकी पात्रता और आवश्यकताका वर्णन करते हुए उसे हिंसा, असत्य, चोरी, मैयुन-

सेवा और परिप्रहरूप पापप्रणालिकाओंसे विरतिरूप बतलाया है। साथ ही, चारित्रके ‘सकल’ और ‘विकल’ ऐसे दो भेद करके और यह जतलाकर कि सकलचारित्र सर्वसंगविरत मुनियोंके होता है और विकलचारित्र परिप्रहसहित गृहस्थोंके, गृहस्थोंके योग्य विकलचारित्रके बारह भेद किये हैं, जिनमें पाँच अरण्यब्रत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षाब्रत शामिल है। इसके बाद हिंसा, असत्य, चोरी, कामसेवा और परिप्रहरूप पाँच पापोंके स्थूलरूप से त्यागको ‘अरण्यब्रत’ बतलाया है और अहिंसादि पाँचों अरण्यब्रतोंका स्वरूप उनके पाँच-पाँच अतीचारों सहित दिया है। साथ ही यह प्रतिपादन किया है कि मद्य, मांस और मधुके त्याग-सहित ये पंचअरण्यब्रत गृहस्थोंके ‘अष्ट मूलगुण’ कहलाते हैं।

चौथे अध्ययनमें दिग्ब्रत, अनर्थदण्डब्रत और भोगोपभोग-परिमाण नामसे तीन गुणब्रतोंका उनके पाँच-पाँच अतिचारों-सहित कथन है; पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति और प्रमादचर्या ऐसे अनर्थदण्डके पाँच भेदोंका वर्णन है और भोगोपभोगकी व्याख्याके साथ उसमें कुछ विशेष त्यागका विधान, ब्रतका लक्षण और यमनियमका स्वरूप भी दिया है।

पाँचवे अध्ययनमें देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैद्यावृत्य नामके चार शिक्षाब्रतोंका, उनके पाँच-पाँच अतीचारोंसहित, वर्णन है। सामायिक और प्रोषधोपवासके कथनमें ‘कुछ विशेष कर्तव्योंका भी उल्लेख किया है और सामायिकके समय गृहस्थको ‘चेलोपसृष्ट मुनि’ की उपमा दी है। वैद्यावृत्यमें संयमियोंको दान देने और देवाधिदेवकी पूजा करनेका भी विधान किया है और उस दानके आहार, औषध, उपकरण, आवास ऐसे चार भेद किये हैं।

छठे अध्ययनमें अनुष्ठानावस्थाके निर्देशसहित, सल्लेखना

(समाधिमरण) का स्वरूप और उसकी आवश्यकताका प्रति-
षादन करते हुए, संक्षेपमें समाधिमरणकी विधिका उल्लेख किया
है और सख्तोत्तमाके पाँच अतीचार भी दिये हैं। अन्तमें सद्गुर्म-
के फलका कीर्तन करते और उसे निःश्रेयस तथा अभ्युदय सुख-
रूप बतलाते हुए, निःश्रेयस तथा अभ्युदय सुखके स्वरूपका कुछ
दिग्दर्शन भी कराया गया है।

सातवें अध्ययनमें श्रावकके उन म्यारह पदोका स्वरूप दिया
गया है जिन्हें 'प्रतिमा' भी कहते हैं और जिनमें उत्तरोत्तर
प्रतिमाओंके गुण पूर्वपूर्वकी प्रतिमाओंके संपूर्ण गुणोंको लिये हुए
होते हैं और इस तरह पर क्रमशः विवृद्ध होकर रहते हैं। इन
प्रतिमाओंमें छठी प्रतिमा 'रात्रिमोजनत्याग' बतलाई गई है।

इस तरह इस शास्त्रमें श्रावकोंके अनुष्ठानयोग्य धर्मका जो
वर्णन दिया है वह बड़ा ही हृदयग्राही, समीचीन, सुखमूलक
और प्रामाणिक है। और इसलिये प्रत्येक गृहस्थको, चाहे वह
पुरुष हो या स्त्री, अवश्य ही इस ग्रन्थका भले प्रकार अध्ययन
और मनन करना चाहिये। इसके अनुकूल आचरण निःसन्देह
कल्याणका कर्ता है और आत्माको बहुत कुछ उन्नत तथा स्वाधीन
बनानेमें समर्थ है। ग्रन्थकी भाषा भी बड़ी ही मधुर, प्रौढ़ और
अर्थगौरवको लिये हुए है। सचमुच ही यह ग्रन्थ धर्मग्रन्थोंका एक
छोटासा पिटारा है और इसलिये इसका 'रलकरण्ड' या 'रल-
करंडक' नाम भी बहुत ही सार्थक जान पड़ता है। समीचीन
धर्मकी देशनाको लिये हुए होनेसे इसका प्रमुख नाम 'समीचीन-
धर्मशास्त्र' है।

यद्यपि, टीकाकार और वादिराज जैसे आचार्योंने 'करण्डक'
शब्दके प्रयोगों द्वारा इस ग्रन्थको एक छोटासा पिटारा बतलाया
है तो भी श्रावकाचार-विषयका दूसरा कोई भी ग्रन्थ अभी तक

ऐसा नहीं मिला जो इससे अधिक बड़ा और साथ ही अधिक प्राचीन हो। प्रकृत-विषयका अलग और स्वतन्त्र ग्रन्थ तो शायद इससे पहलेका कोई भी उपलब्ध नहीं है। पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, चारित्रसार, सोमदेव-उपासकाध्ययन, अमितगति-उपासकाचार, वसुनन्दश्रावकाचार, सागारधर्मामृत, और लाटीसंहिता आदिक जो प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं वे सब इसके बादके ही बने हुए हैं। और इसलिये, उपलब्ध जैनसाहित्यमें, यदि इस ग्रंथको 'प्रथम श्रावकाचार' का नाम दिया जाय तो शायद कुछ भी अनुचित न होगा। छोटा होने पर भी इसमें श्रावकोंके लिये जिन सल्लक्षणान्वित धर्मरत्नोंका सम्रह किया गया है वे अवश्य ही बहुमूल्य हैं। और इसलिये यह ग्रंथ आकारमें छोटा होनेपर भी मूल्यमें बड़ा है, ऐसा कहनेमें जरा भी संकोच नहीं होता। टीकाकार प्रभाचंद्रने इसे 'अखिल सागारमार्ग (गृहस्थधर्म) को प्रकाशित करनेवाला निर्मल 'सूर्य' लिखा है और श्रीवादिराजसूरिने 'अक्षयसुखावह' विशेषणके साथ इसका स्मरण किया है।

† श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके 'चारित्रपाहुड' में श्रावकोंके संयमाचरणको प्रतिपादन करनेवाली कुल पांच गाथाएँ हैं जिनमें ११ प्रतिमाओं तथा १२ ब्रतोंके नाममात्र दिये हैं—उनका स्वरूपादिक कुछ नहीं दिया और न ब्रतोंके अतीचारोंका ही उल्लेख किया है। उपस्वाति महाराजके तत्त्वार्थ-सूत्रमें ब्रतोंके अतीचार जरूर दिये हैं परन्तु दिग्नितादिकके लक्षणोंका तथा अनर्थदंडके भेदादिका उसमें अभाव है और अहिंसाब्रतादिके जो लक्षण दिये हैं वे खास श्रावकोंको लक्ष्य करके नहीं लिखे गये। सल्लेखनाका स्वरूप और विधि-विधानादिक भी उसमें नहीं हैं। यारह प्रतिमाओंके कथन तथा और भी कितनी ही बातोंके उल्लेखसे वह रहित है, और इस तरह उसमें भी श्रावकाचारका बहुत ही सक्षिप्त बर्णन है।

ग्रन्थपर सन्देह

कुछ लोगोंका स्वयाल है कि यह ग्रन्थ उन स्वामी समन्तभद्रा-चार्यका बनाया हुआ नहीं है जो कि जैन समाजमें एक बहुत बड़े प्रसिंच विद्वान होगये हैं और जिन्होने 'देवागम' (आसमीमांसा) जैसे अद्वितीय और अपूर्व तर्क-पूर्ण तात्त्विक ग्रंथोंकी रचना की है; बल्कि 'समन्तभद्र' नामके अथवा समन्तभद्रके नामसे किसी दूसरें ही विद्वानका बनाया हुआ है, और इस लिये अधिक प्राचीन भी नहीं है। परन्तु उनके इस स्वयाल अथवा सदेहका क्या कारण है और किस आधार पर वह स्थित है, इसका कोई स्पष्ट-प्रमाण अभीतक उनकी ओरसे उपस्थित नहीं हुआ, मात्र कुछ कल्पनाएँ की गई हैं जिनका पहले यथा समय निरसन किया जा चुका है। फिर भी इस व्यर्थके संदेहको दूर करने, उसकी संभावनाको मिटा देने और भविष्यमें उनकी संततिको आगे न चलने देनेके लिये यहाँ पर कुछ प्रमाणोंका उल्लेख कर देना उचित जान पड़ता है और नीचे उसीका यत्किञ्चित् प्रयत्न किया जाता है—

(१) ऐतिहासिक पर्यालोचन करनेसे इतना जाहर मालूम होता है कि 'समन्तभद्र' नामके दो चार विद्वान् और भी हुए हैं; परन्तु उनमें ऐसा एक भी नहीं था जो 'स्वामी' पदसे विभूषित अथवा इस विशेषणसे विशेषित हो; बल्कि एक तो लघु समन्तभद्रके नामसे अभिहित है, जिन्होंने अष्टसहस्री पर 'विषम-पदतात्पर्यटीका' नामक एक वृत्ति(टिप्पणी) लिखी है। ये विद्वान् स्वयं भी अपने को 'लघुसमन्तभद्र' प्रकट करते हैं।

यथा—

देवं स्वामिनमभलं विद्यानन्दं प्रणम्य निजमक्त्वा ।
विवृणोम्यष्टसहस्रीविषमपदं लघुसमन्तभद्रोऽहम् ॥

दूसरे 'चिक्क समन्तभद्र' कहलाते हैं। आराके जैनसिद्धान्तभवनकी सूचीमें 'चिक्कसमन्तभद्रस्तोत्र' नामसे जिस पुस्तकका उल्लेख है वह इन्हींकी बनाई हुई कही जाती है और उसको निकलवाकर देखनेसे मालूम हुआ कि वह वही स्तुति है जो 'जैनसिद्धान्तभास्कर' प्रथम भागकी छठी किरणमें 'एक ऐतिहासिक स्तुति'के नाम से प्रकाशित हुई है और जिसके अन्तिम पद्यमे उसके रचयिताका नाम 'माधवनंदिब्रती' दिया है इससे चिक्कसमन्तभद्र उक्त माधवनंदीका ही नामान्तर जान पड़ता है। कर्णाटक देशके एक कनड़ी विद्वान से भी मुझे ऐसा ही मालूम हुआ है। वर्ण नेमिसागरजीने भी अपने एक पत्रमें सूचित किया है कि "इन माधवनंदीके लिये 'चिक्क समन्तभद्र' या 'लघु समन्तभद्र' यह नाम इधर (दक्षिणमें) रुढ़ है। 'चिक्क' शब्द का अर्थ भी लघु या छोटेका है।" आश्चर्य नहीं, जो उक्त लघु समन्तभद्र और यह चिक्क समन्तभद्र दोनों एक ही व्यक्ति हों, और माधवनंदि-ब्रती भी कहलाते हों। माधवनंदि-ब्रती नामके एक विद्वान् 'अमरकीर्ति' आचार्यके शिष्य हुए हैं, और उक्त ऐतिहासिक स्तुतिके आदि-अन्तके दोनों पद्योंमें 'अमर' शब्द का खास नौरसे प्रयोग पाया जाता है। इससे ऐसा मालूम होता है कि समवतः ये ही माधवनंदि-ब्रती अमरकीर्ति आचार्यके शिष्य थे और उन्होंने 'अमर' शब्दके प्रयोग-द्वारा, उक्त स्तुतिमें, अपने गुरुका नाम-स्मरण भी किया है। यदि यह ठीक हो तो इन माधवनंदि-ब्रती अथवा चिक्क समन्तभद्रको विक्रमकी चौदहवीं शताब्दीका विद्वान् समकाला चाहिये; क्योंकि माधवनंदि-ब्रतीके शिष्य और अमरकीर्तिके प्रशिष्य भोगराजने शक संवत् १२७७ (विंसं १४०२) में शांतिनाथ जिनेश्वरकी एक मूर्तिको—जो आजकल रायदुर्ग तालुके के दफ्तरमें मौजूद है—प्रतिष्ठित कराया था, जैसा कि उक्त मूर्तिके लेख परसे प्रकट है : ।

* देखो, 'साउथ इंडियन जैनिज्म' भाग दूसरा, पृष्ठ ५७।

तीसरे गेल्सोप्पे[×] के समन्तभद्र थे, जिनका उल्लेख ताल्लुका कोप्प जि० कहूरके एडेहल्लि जैनवस्तिसे मिले हुए चार ताम्र शासनोंमें पाया जाता है [#]। इन ताम्रशासनोंमें आपको 'गेल सोप्पे' + -समन्तभद्र-देव' लिखा है। पहला ताम्रशासन आपके ही समयका—शक सं० १३५५ का—लिखा हुआ है और शेष आपके प्रशिष्य, अथवा आपके शिष्य गुणभद्रके शिष्य, वीरसेनके समयादिकसे सम्बन्ध रखते हैं ।

चौथे 'अभिनव समन्तभद्र' के नामसे नामांकित थे। इन अभिनव समन्तभद्र मुनिके उपदेशसे योजन-श्रेष्ठिके बनवाये हुए नेमीश्वर चैत्यालयके सामने कांसीका एक मानस्तंभ स्थापित हुआथा, जिसका उल्लेख शिमोगा जिलान्तर्गत सागर ताल्लुके शिलालेख नं० ५५ में मिलता है [†]। यह शिलालेख तुलु, कोकण आदि देशोंके राजा देवरायके समयका है और इसलिए मिठ्लेविस राडस साहबने इसे ई० सन् १५६० के करीबका बतलाया है। इससे अभिनव समन्त-भद्र किस समयके विद्वान् थे यह सहजहीमें मालूम हो जाता है ।

पाँचवें एक समन्तभद्र भट्टारक थे, जिन्हे जैनसिद्धान्तभास्कर-द्वारा प्रकाशित सेनगणकी पट्टावलीमें, 'अभिनव सोमसेन'

[×] दक्षिण भारतका यह एक खास स्थान है जिसे क्षेमपुर भी कहते हैं और जिसका विशेष वर्णन सागर ताल्लुके के ५५ वें शिला लेखमें पाया जाता है। प्रसिद्ध 'गेल्सोप्पे-प्रपात' (Water fall) भी इसी स्थान-के नामसे नामांकित हैं। देखो E C, VIII की भूमिका ।

* देखो, सन् १६०१ में मुद्रित हुई, 'एपिग्रेफिया कर्णाटिका' (Epigraphia Carnatica) की जिल्द छठीमें, कोप्प ताल्लुके लेख नं० २१ २२, २३, २४ ।

† पहले २१ नवरके ताम्रशासनमें 'गेल्सोप्पे' ऐसा पाठ दिया है ।

‡ देखो, 'एपिग्रेफिया कर्णाटिका', जिल्द आठवीं ।

भट्टारकके पट्टशिष्य 'जिनसेन' भट्टारकके पट्ट पर प्रतिष्ठित होने-वाले लिखा है। साथ ही, यह भी सूचित किया है कि ये अभिनव सोमसेन गुणभद्रभट्टारकके पट्टशिष्य थे। गुणभद्र भट्टारकके पट्टशिष्य सोमसेनभट्टारकका बनाया हुआ 'धर्मरसिक' नामका एक त्रैवर्णिकाचार (त्रिवर्णाचार) ग्रन्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है—वह सुनित भी हो चुका है—और इसलिये ये समन्तभद्र भट्टारक उन्हीं सोमसेन भट्टारकके प्रपट्टशिष्य थे जिन्होंने उक्त त्रिवर्णाचारकी रचना की है, ऐसा कहनेमें कुछ भी संकोच नहीं होता। सोमसेनका यह त्रिवर्णाचार विक्रम संवत् १६६७ में बनकर समाप्त हुआ है। अतः इन समन्तभद्र भट्टारकको विक्रमकी सतरहवीं शताब्दीके अन्तिम भागका विद्वान् समझना चाहिये।

छठे 'गृहस्थ समन्तभद्र' थे जिनका समय विक्रमी प्रायः १७वीं शताब्दी पाया जाता है। वे उन गृहस्थाचार्य नेमिचन्द्रके भतीजे थे जिन्होंने 'प्रतिष्ठातिलक' नामके एक ग्रन्थकी रचना की है और जिसे 'नेमिचद्रसंहिता' अथवा 'नेमिचद्र-प्रतिष्ठापाठ' भी कहते हैं और जिसका परिचय अप्रेल सन् १६१६ के जैनहितैषीमें दिया जा चुका है। इस ग्रन्थमें समन्तभद्रको साहित्यरसका प्रेमी सूचित किया है और यह बतलाया है कि ये भी उन लोगोंमें शामिल थे जिन्होंने उक्त ग्रन्थके रचनेकी नेमिचन्द्रसे प्रार्थना की थी। समव. है कि 'पूजाविधि' नामका ग्रन्थ जो 'दिग्म्बरजैन-ग्रन्थकर्ता और उनके ग्रन्थ' नामकी सूचीमें दर्ज है वह इन्हींका बनाया हुआ हो।

(२) रत्नकरंडके प्रणेता आचार्य समन्तभद्रके नामके साथ 'लघु,' 'चिक्क,' 'गोरुसाप्पे,' 'अभिनव' या 'भट्टारक' शब्द लगा हुआ नहीं है और न ग्रन्थमें उनका दूसरा नाम कहीं 'माधनदी' ही सूचित किया गया है; वल्कि ग्रन्थकी संपूर्ण संधियोंमें—टीकामें भी—उनके नामके साथ 'स्वामी' शब्द लगा हुआ है और

यह वह पद है जिससे 'देवागम' के कर्ता महोदय स्वास तौरसे विभूषित थे और जो उनकी महती प्रतिष्ठा तथा असाधारण महत्त्वका द्योतक है। बड़े-बड़े आचार्यों तथा विद्वानोंने उन्हें प्रायः इसी (स्वामी) विशेषणके साथ स्मरण किया है और यह विशेषण भगवान् समन्तभट्टके साथ इतना रुढ़ जान पड़ता है कि उनके नामका प्रायः एक अंग हो गया है। इसीसे कितने ही बड़े-बड़े विद्वानों तथा आचार्योंने, अनेक स्थानोंपर नाम न देकर, केवल 'स्वामी' पदके प्रयोग-द्वारा ही उनका नामोल्लेख किया है और इससे यह बात सहज ही समझमे आ सकती है कि 'स्वामी' रूपसे आचार्यमहोदयकी कितनी अधिक प्रसिद्धि थी।

ऐसी हालतमे यह प्रथ लघुसमन्तभट्टादिका बनाया हुआ न होकर उन्हीं समन्तभट्ट स्वामीका बनाया हुआ प्रतीत होता है जो 'देवागम' नामक आपमीमांसाग्रन्थके कर्ता थे।

(३) 'राजावलिकथे' नामक कनड़ी प्रथमे भी, स्वामी समन्त-भट्टकी कथा देते हुए, उन्हे 'रत्नकरण्ड' आदि ग्रन्थोंका कर्ता लिखा है। यथा—

"आ भावितीर्थकरन् अप्य समन्तभट्टस्वामिगलु पुनहीक्षेगोण्डु
तपस्तामर्थ्यदि चतुरङ्गलचारणात्मं पडेहु रत्नकरण्डकादिजिनागम-
पुराणमं पेल्लि स्याद्वादवादिगल् आगि समाधिय् ओडेदरु ॥"

† देखो—वादिराजकृत पार्श्वनाथचरितका 'स्वामिनश्चरित तस्य'
इत्यादि पद्य न० १७, प० आशाधरकृत सागारधर्मसूत्र और अनगार-
धर्मसूत्रकी टीकाओंके 'स्वाम्युक्ताष्टमूलगुणपक्षे, इतिस्वामिमतेन दर्श-
निको भवेत्, स्वामिमतेनत्वमे (अतिचाराः), अत्राह स्वामी यथा, तथा
च स्वामिसूत्तानि' इत्यादि पद, न्यायदीपिकाका 'तदुक्त' स्वामिभिरेव
इस वाक्यके साथ देवागमकी दो कारिकाओंका अवतरण और श्रीविद्या-
नदाचार्यकृत अष्टसहस्री आदि ग्रन्थोंके कितने ही पद्य तथा वाक्य ।

(.४) विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके विद्वान पं० आशाधरजी-ने अनगारधर्माभृत और सागरधर्माभृतकी स्वोपज्ञटीका (भव्य-कुमुदचंद्रिका) में स्वामी समन्तभद्रके पूरे अथवा सक्षिप्त (स्वामी) नामके साथ रत्नकरंडके कितने ही पद्योंका—अर्थात् उन पद्योंका जो इस ग्रन्थके प्रथम अध्ययनमें नं० ५, २२, २३, २४, ३० पर; चृतीय अध्ययनमें नं० १६, २०, ४४ पर; छठे अध्ययनमें नं० ७ पर और ७ वे अध्ययनमें नं० २, ६ पर दर्ज है—उल्लेख किया है। और कुछ पद्योंको—जो प्रथम अध्ययनमें नं० १४, २१, ३२, ४१ पर पाये जाते हैं—बिना नामके भी उद्धृत किया है। इन सब पद्योंका उल्लेख उन्हाने प्रमाणरूपसे—अपने विषयको पुष्ट करनेके अर्थ अथवा स्वामी समन्तभद्रका मृतविशेष प्रदर्शित करनेके लिये ही किया है। अनगारधर्माभृतके १६ वे पद्यकी टीका में, आपका निर्णय करते हुए, आपने ‘आत्मोनोत्सन्दोषेण’ इत्यादि पद्य नं० ५ को आगमका वचन लिखा है और उस आगमका कर्ता स्वामिसमन्तभद्रको बतलाया है। यथा—

‘वेदते निश्चीयते । कोसौ ? स आसोत्तमः । .. कस्मात् ? आग-
मात्—“आप्नेनोत्सन्दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना । भवितव्य नियोगेन
नान्यथा ह्यासता भवेत् ॥” इत्यादिकात् । कि विशिष्टात् ? शिष्टानु-
शिष्टात् । शिष्टा आप्नेपदेशसंपादितशिक्षाविशेषः स्वामिसमन्तभद्रा-
दयः तैरुशिष्टाद्गुरुपवक्त्रमेणोपदिप्तात् ।’

इस उल्लेखसे यह बात भी स्पष्ट है कि विद्वद्वर आशाधरजी ने रत्नकरंडक नामके उपासकाध्ययनको ‘आगमग्रंथ’ प्रतिपादन किया है।

एक स्थान पर आपने मूढताओंका निर्णय करते हुए, ‘कथ-
मन्यथेऽस्मामिसूक्ष्मपद्येत्’ इस वाक्यके साथ रत्नकरंडका ‘भयाशास्नेहलोभाच्च’ इत्यादि पद्य नं० ३० उद्धृत किया है और उसके बाद यह नतीजा निकाला है कि इस स्वामिसूक्तके अनुसार

ही ठक्कुर (असृतचंद्राचार्य) ने भी 'लोके शास्त्राभासे' इत्यादि पद्यकी (जो कि पुरुषार्थसिद्ध्युपायका २६ वें नंवरका पद्य है) घोपणा की है । यथा—-

“ एतदनुसारेणैव ठक्कुरोऽपीदमपाठीत्—
लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासं ।
नित्यमपि तत्त्वरुचिना कर्तव्यममूढदृष्टित्वम् ॥ ”

इस उल्लेखसे यह पाया जाता है कि पुरुषार्थसिद्ध्युपाय जैसे माननीय ग्रन्थमे भी रत्नकरंडका आधार लिया गया है और इसलिये यह ग्रन्थ उससे भी अधिक प्राचीन तथा माननीय है ।

(५) श्रीपद्मप्रभमलधारिदेवने, नियमसारकी टीकामे, 'तथा चोक्तं श्रीसमंतमद्रस्वामिमिः' 'उक्तं चोपासकाभ्ययने' इन वाक्योंके साथ रत्नकरंडके 'ऋन्यूनमनतिरिक्तं' और 'आलोच्यसर्वमेनं' नाम के दो पद्य उद्धृत किये हैं, जो क्रमशः द्वितीय अध्ययनमे न० १ और छठे अध्ययनमें न० ४ पर दर्ज हैं । पद्मप्रभमलधारिदेवका अस्तित्व-समय विक्रमकी १२ वीं शताब्दीके लगभग पाया जाता है । इससे यह ग्रन्थ आजसे आठसौ वर्ष पहले भी स्वामिसमन्त-भट्टका बनाया हुआ माना जाता था, यह बात स्पष्ट है ।

(६) विक्रमकी ११ वीं शताब्दी (पूर्वार्द्ध) के विद्वान् श्रीचामुण्डरायने 'चारित्रचार' में रत्नकरंडका 'सम्यग्दर्शनशुद्धाः' इत्यादि पद्य न० ३५ उद्धृत किया है । इतना ही नहीं वल्कि कितने ही स्थानोंपर इस ग्रन्थके लक्षणादिकोको उत्तम समझकर उन्हें शब्दानुसरणसहित अपने ग्रन्थका एक अग भी बनाया है, जिसके दो नमूने इस प्रकार है—

सम्यग्दर्शनशुद्धः संसारशरीरभोगनिविष्णुः ।
पञ्चगुरुचरणशरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथगृह्यः ॥ —रत्नकर

‘दर्शनिकः संसारशरीरमोगनिर्विष्णुः पञ्चगुरुचरणभक्तः
सम्यग्दर्शनशुद्धश्च मवति ।’ —चारित्रसार

उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे ।

धर्माय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्याः ॥ —रत्नकरड

‘उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि निःप्रतीकाररुजाया

धर्मार्थं तनुत्यजनं सल्लेखना ।’ —चारित्रसार

यह ‘चारित्रसार’ ग्रन्थ उन पाँच-सात खास माननीयों ग्रन्थोंमें से है जिनके आधारपर य० आशाधरजीने सागरथर्माभूत-की रचना की है, और इसलिये उसमें रत्नकरड़के इस प्रकारके शब्दानुसरणसे रत्नकरड़की महत्ता, प्राचीनता और मान्यता और भी अधिकतरके साथ ख्यापित होती है। और भी कितने ही प्राचीन ग्रन्थोंमें अनेक प्रकारसे इस ग्रन्थका अनुसरण पाया जाता है, जिनके उल्लेखको विस्तारमयसे यहाँ छोड़नेके लिये मैं मजबूर हूँ—मात्र विद्या की छठी शताव्दीके विद्वान् आचार्य-श्रीपूज्यपादकी ‘सर्वार्थसिद्धि’ का नामोल्लेख कर देना चाहता हूँ, जिसपर समन्तभद्रके इस ग्रन्थ-प्रभावको भी स्वतन्त्र लेख-ढारा स्पष्ट किया जा चुका है। साथ ही सिद्धसेनके ‘न्यायावतार’ का भी नाम ले देना चाहता हूँ, जिसमें इस ग्रन्थका ‘आप्तोपज्ञ’ पद्म (न० ६) उद्घृत पाया जाता है और जिसके इस उद्घरणको भी स्पष्ट किया जा चुका है* ।

* वे ग्रन्थ इस प्रकार हैं—१ रत्नकरड, २ सोमदेवकृत-यशस्ति-लकान्तर्गत उपासकाध्ययन, ३ चारित्रसार, ४ वसुनदि-श्रावकाचार, ५ श्रीजिनसेनकृत आदिपुराण, ६ तत्त्वार्थसूत्र आदि ।

१ देखो, ‘सर्वार्थसिद्धिपर समन्तभद्रका प्रभाव’ नामक लेख ‘अनेकान्त’ वर्ष ५ किरण १०-११ पृष्ठ ३४६-३५२

* देखो, अनेकान्त वर्ष ६, किं० ३ पृ० १०२-१०४

(७) श्रीवादिराजसूरि नामके सुप्रसिद्ध विद्वान् आचार्यने अपना 'पार्श्वनाथचरित' शक संवत् ६४७ में बनाकर समाप्त किया है। इस ग्रन्थमे साफ तौरसे 'देवागम' और 'रत्नकरण्डक' दोनोंके कर्ता स्वामी समन्तभद्रको ही सूचित किया है। यथा—

'स्वामिनश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहं ।

देवागमेन सर्वज्ञो येनाद्यापि प्रदर्शयते ॥

X X X

' त्यागी स एव योगीन्द्रो येनाक्षयसुखावहः ।

अर्थात् भव्यसर्थीय दिष्टो रत्नकरण्डकः ॥

अर्थात्—उन स्वामी (समन्तभद्र) का चरित्र किसके लिये विस्मयकारक नहीं है जिन्होंने 'देवागम' नामके अपने प्रबचन-द्वारा आज भी सर्वज्ञको प्रदर्शित कर रखा है। × × × वे ही योगीन्द्र (समन्तभद्र) त्यागी (दानी) हुए हैं जिन्होंने सुखार्थी भव्यसमूहके लिये अक्षयसुखका कारणभूत धर्मरत्नोंका पिटारा—'रत्नकरण्ड' नामका धर्मशास्त्र-दान किया है।

इन सब प्रमाणोंकी मौजूदगिमें इस प्रकारके संदेहको कोई अवसर नहीं रहता कि, यह ग्रन्थ 'देवागम' के कर्ता स्वामी समन्तभद्रको छोड़कर दूसरे किसी समन्तभद्रका बनाया हुआ है, अथवा आधुनिक है। खुद ग्रन्थका साहित्य भी इस संदेहमें हमें कोई सहायता नहीं देता। वह विषयकी सरलता आदिकी हृषिसे प्रायः इतना प्रौढ़, गंभीर, उच्च और क्रमबद्ध है कि उसे स्वामी समन्तभद्रका साहित्य स्वीकार करनेमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होता। ग्रन्थभरमें ऐसा कोई कथन भी नहीं है जो आचार्य-महोदयके दूसरे किसी ग्रन्थके विरुद्ध पड़ता हो, अथवा जो जैन-सिद्धान्तोंके ही प्रतिकूल हो और जिसको प्रचलित करनेके लिये किसीको भगवान् समन्तभद्रका सहारा लेना पड़ा हो। ऐसी हालतमें और उपर्युक्त प्रमाणोंकी रोशनीमें इस बातकी तो कल्पना

भी नहीं हो सकती कि इतने सुदूरभूत कालमें—डेढ हजारवर्षसे भी पहले—किसीने दिना वजह ही स्वामी समन्तभद्रके नामसे इस ग्रन्थकी रचना की हो, और तबसे अवतक, ग्रन्थके इतना अधिक नित्यके परिचयमें आते और अच्छे-अच्छे अनुभवी विद्वानों तथा आचार्योंके हाथोंमेंसे गुजरनेपर भी, किसीने उसको लक्षित न किया हो। इसलिये ग्रन्थके कर्ताविषयका यह संपूर्ण संदेह निर्मूल जान पड़ता है।

जहाँतक मै समझता हूँ और मुझे मालूम भी हुआ है, लोगों के इस संदेहका प्रायः एक ही प्रधान कारण है और वह यह है कि, ग्रन्थमें उस 'तर्कपद्धति' का दर्शन नहीं होता जो समन्तभद्रके दूसरे तर्कप्रधान ग्रन्थोंमें पाई जाती है और जिनमें अनेक विद्वान्‌प्रस्त विषयोंका विवेचन किया गया है—सशयालु लोग समन्तभद्र-द्वारा निर्मित होनेके कारण इस ग्रन्थको भी उसी रंगमें रंगा हुआ देखना चाहते थे जिसमें वे देवगमादिको देख रहे हैं। परन्तु यह उनकी भारी भूल तथा गहरा भ्रम है। मालूम होता है उन्होंने श्रावकाचारविषयक जैन साहित्यका कालक्रमसे अथवा ऐतिहासिक दृष्टिसे अवलोकन नहीं किया और न देश तथा समाजकी तात्कालिक स्थिति पर ही कुछ विचार किया है। यदि ऐसा होता तो उन्हे मालूम हो जाता कि उस वक्त—स्वामी समन्तभद्रके समयमें—और उससे भी पहिले श्रावक लोग प्रायः साधुसुखापेक्षी हुआ करते थे—उन्हें स्वतन्त्ररूपसे ग्रन्थोंको अध्ययन करके अपने मार्गका निश्चय करनेकी जरूरत नहीं होती थी; बल्कि साधु तथा मुनिजन ही उस वक्त, धर्म विषयमें, उनके एक भात्र पथप्रदर्शक होते थे। देशमें उस समय मुनिजनों-की-स्वासी-बहुलता थी और उनका प्रायः हरवक्तका सत्समागम बना रहता था। इससे गृहस्थ लोग धर्मश्रवणके लिये उन्हींके पास जाया करते थे और धर्मकी व्याख्याको सुनकर उन्हींसे अपने

लिये कभी कोई ब्रत, किसी खास ब्रत अथवा ब्रतसमूहकी याचना किया करते थे। साधुजन भी श्रावकोंको उनके यथेष्ट कर्तव्यकर्म-का उपदेश देते थे, उनके याचित ब्रतको यदि उचित समझते थे तो उसकी गुरुमंत्रपूर्वक उन्हें दीक्षा देते थे और यदि उनकी शक्ति तथा स्थितिके योग्य उसे नहीं पाते थे तो उसका निषेध कर देते थे; साथ ही जिस ब्रतादिकका उनके लिये निर्देश करते थे उसके विधिविधानको भी उनकी योग्यताके अनुकूल ही नियंत्रित कर देते थे। इस तरह पर गुरुजनोंके द्वारा धर्मोपदेशको सुनकर धर्मानुष्ठानकी जो कुछ शिक्षा श्रावकोंको मिलती थी उसीके अनुसार चलना वे अपना धर्म—अपना कर्तव्यकर्म—समझते थे, उसमें ‘चूँचरा’ (किं, कथं इत्यादि) करना उन्हें नहीं आता था, अथवा यों कहिये कि उनकी श्रद्धा और भक्ति उन्हें उस और (संशयमार्गकी तरफ) जाने ही न देती थी। श्रावकोंमें सर्वत्र आज्ञाप्रधानताका साम्राज्य स्थापित था और अपनी इस प्रवृत्ति तथा परिणतिके कारण ही वे लोग श्रावक † तथा श्राद्ध ‡ कहलाते

† (१) ‘शृणोति गुर्वादिभ्यो धर्मस्मिति श्रावकः’ —सागर घ० टी०
‘जो गुरु श्रादिके मुखमें धर्म श्रवण करता है उसे श्रावक (सुननेवाला) कहते हैं।’

(२) सप्ततदसणाई परदियह जइजणा सुरेह य ।

सामायारि परमं जो खलु त सावगं विन्ति ॥ —श्रावकप्रज्ञप्ति

‘जो सम्यग्दर्शनादियुक्त गृहस्थ प्रतिदिन मुनिजनोंके पास जाकर परम सामाचारीको (साधु तथा गृहस्थोंके आचारविशेषको) श्रवण करता है उसे ‘श्रावक’ कहते हैं।’

श्रद्धासमन्वित अथवा श्रद्धा-गुण-युक्तको ‘श्राद्ध’ कहते हैं ऐसा हेमचन्द्र तथा श्रीधरादि आचार्योंने प्रतिपादन किया है। मुनिजनोंके आचार-विचारमें श्रद्धा रखनेके कारण ही उनके उपासक ‘श्राद्ध’ कहलाते थे।

थे। उस वक्त तक श्रावक वर्गमें अथवा स्वाचार-विषय पर श्रावकों में तर्कका प्रायः प्रवेश ही नहीं हुआ था और न नाना आचार्यों का परस्पर इतना मतभेद ही हो पाया था जिसकी व्याख्या करने अथवा जिसका सामजिक स्थापित करने आदिके लिये किसीको तर्क-पद्धतिका आश्रय लेनेकी जरूरत पड़ती। उस वक्त तर्कका प्रयोग प्रायः स्वपरमतके सिद्धान्तों तथा आपादि विवादप्रस्ता विषयोंपर ही होता था। वे ही तर्ककी कसौटीपर चढ़े हुए थे, उन्हींकी परीक्षा तथा निर्णयादिके लिये उसका सारा प्रयास था। और इसलिये उस वक्तके जो तर्कप्रधान ग्रन्थ पाये जाते हैं वे प्रायः उन्हीं विषयोंको लिये हुए हैं। जहाँ विवाद नहीं होता वहाँ तर्कका काम भी नहीं होता। इसीसे छन्द, अलंकार, काव्य, कोश, व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिषादि दूसरे कितने ही विषयोंके ग्रन्थ तर्कपद्धतिसे प्रायः शून्य पाये जाते हैं। खुद स्वामी समन्तभद्र का सुतिविद्या (जिनशतक) नामक ग्रन्थ भी इसी कोटिमें स्थित है—स्वामीके द्वारा निर्मित होनेपर भी उसमे 'देवागम'—जैसी तर्कप्रधानता नहीं पाई जाती—वह एक कठिन शब्दालंकारप्रधान ग्रन्थ है और आचार्यमहोदयके अपूर्व काव्यकौशल, अद्भुत व्याकरणपाण्डित्य और अद्वितीय शब्दाधिपत्यको सूचित करता है। 'रत्नकरण' भी उन्हीं तर्कप्रधानतारहित ग्रन्थोंमेंसे एक ग्रन्थ है और इसलिये उसकी यह तर्कहीनता सदेहका कोई कारण नहीं हो सकती; और फिर ऐसा भी नहीं कि रत्नकरणमें तर्कसे विल्कुल काम ही न लिया गया हो। आवश्यक तर्कको यथावसर बराबर स्थान दिया गया है जिसका, जरूरत होने पर, अच्छा स्पष्टीकरण किया जा सकता है। यहाँ सूचनारूपमें ऐसे कुछ पद्धोंके नम्बरोंको नोट किया जाता है जिनमें तर्कसे कुछ काम किया गया है अथवा जो तर्कदृष्टिको लक्ष्यसे लेकर लिखे गये हैं—५, ८, ६, २१, २६, २७, २८, ३३, ४७, ४८, ५३, ५६.

६७, ७०, ८१, ८२, ८४ से ८६, ९५, १०२, १२३। येसा कोई नियम भी नहीं है जिससे एक प्रन्थकार अपने संपूर्ण प्रथोंमें एक ही पद्धतिको जारी रखनेके लिये वाध्य हो सके। नाना विषयोंके प्रन्थ नाना प्रकारके शिष्योंको लाभ्य करके लिखे जाते हैं और उनमें विषय तथा शिष्यसचिकी विभिन्नताके कारण लेखनपद्धतिमें भी अक्सर विभिन्नता हुआ करती है। यह दूसरी बात है कि उनके साहित्यमें प्रौढ़ता, प्रतिपादनकुशलता और शब्दविन्यासादि कितनी ही बातोंकी परस्पर समानता पाई जाती हो और इस समानतासे 'रत्नकरण्ड' भी खाली नहीं है।

यहाँ पर प्रन्थकर्त्त्व-सम्बन्धमें इतना और भी प्रकट कर देना चाचित मालूम होता है कि मिस्टर बी० लेविस राइस साहब ने, अपनी 'इन्स्क्रिप्शन्स ऐट् अवणेबेल्गोल' नामक पुस्तककी भूमिकामें रत्नकरण्डके सल्लेखनाधिकार-सम्बन्धी 'उपसर्गे दुर्भिक्षे . . ?' इत्यादि सात पद्धोंको उद्घृत करते हुए, लिखा है कि यह 'रत्नकरण्ड' 'आयितवर्मा' का बनाया हुआ एक प्रन्थ है। यथा—

The vow in performance of which they thus starved themselves to death is called Sallekhana and the following is the description of it in the Ratnakarandaka, a work by Ayit-varmma

परन्तु आयितवर्मा कौन थे, कब हुए हैं और कहाँसे अथवा किस जगहकी प्रन्थप्रतिपरसे उन्हें इस नामकी उपलब्धि हुई इत्यादि बातोंका भूमिकामें कोई उल्लेख नहीं है। हाँ आगे चलकर स्वामी समन्तभद्रको भी 'रत्नकरण्ड' का कर्ता लिखा है और यद्य बतलाया है कि उन्होंने पुनर्दृक्षा लेनेके पश्चात् इस प्रन्थकी रचना की है—

Samantabhadra having again taken diksha, composed the Ratnakarandaka & other Jinagam, Purans & become a professor of Syadvada.

यद्यपि 'आयितवस्मर्मा' यह नाम बहुत ही अश्रुतपूर्व जान पड़ता है और जहाँ तक मैंने जैन साहित्यका अवगाहन किया है मुझे किसी भी दूसरी जगहसे इस नामकी उपलब्धि नहीं हुई। तो भी इतना संभव है कि 'शान्तिवर्मा' की तरह 'आयितवर्मा' भी समन्तभद्रके गृहस्थजीवनका एक नामान्तर हो अथवा शान्तिवस्मर्माकी जगह गलतीसे ही यह लिख गया हो। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो उपर्युक्त प्रमाण-समुच्चयके आधार पर मुझे इस कहने में जरा भी संकोच नहीं हो सकता कि राइस साहबका इस ग्रन्थ को आयितवस्मर्माका बतलाना बिलकुल गलत और भ्रममूलक है, उन्हें अवश्य ही इस उल्लेखके करनेमें कोई गलतफैलमी अथवा विप्रतिपत्ति हुई है। अन्यथा यह ग्रन्थ स्वामी समन्तभद्रका ही बनाया हुआ है और उन्हींके नामसे प्रसिद्ध है।

प्रसन्नताका विषय है कि उक्त पुस्तकके द्वितीय संस्करणमें, जो सन् १६२३ में प्रकाशित हुआ है, राइस साहबकी उक्त गलती का सुधार कर दिया गया है और साफ तौर पर 'रत्नकरण्डक आकृ समन्तभद्र' (Ratnakarandaka of Samantabhadra) शब्दोंके द्वारा 'रत्नकरण्डक' को समन्तभद्रका ही ग्रन्थ स्वीकार किया है।

नया सन्देह

कुछ वर्ष हुए प्रोफेसर हीरालालजी जैन एम० ए० ने 'जैन इतिहासका एक विलुप्त अध्याय' नामक निबन्ध लिखा था, जो जनवरी सन् १६४४ को होने वाले अखिल भारतवर्षीय प्राच्य सम्मेलनके १२ वें अधिवेशन पर बनारसमें पढ़ा गया था। इस

निवृत्तमें प्रो० सा० ने यह प्रतिपादन किया है कि 'रलकरण्ड' उन्हीं ग्रन्थकार (स्वामी समन्तभद्र) की रचना कदापि नहीं हो सकती जिन्होंने आपसमीमांसा लिखी थी; क्योंकि रत्नकरण्डके 'ज्ञुतिपासा' नामक पद्ममें दोषका जो स्वरूप समझाया गया है वह आपसमीमांसाकारके अभिप्रायानुसार हो ही नहीं सकता । और इस तरह प्रस्तुत ग्रन्थ पर एक नये सन्देहको जन्म दिया है; क्योंकि दोनों ग्रन्थ एक ही आचार्यकी कृति माने जाते हैं । अस्तु, यह सन्देह भी ठीक नहीं है । इस विषय पर मैंने गहरी जाँच-पड़तालके बाद जो कुछ विचार तथा निर्णय स्थिर किया है † उसे नीचे दिया जाता है:—

रत्नकरण्डको आपसमीमांसाकार स्वामी समन्तभद्रकी कृति न बतलानेमें प्रोफेसर साहबकी जो सबसे बड़ी दलील (युक्ति) है वह यह है कि रत्नकरण्डके 'ज्ञुतिपासा' नामक पद्ममें दोषका जो स्वरूप समझाया गया है वह आपसमीमांसाकारके अभिप्रायानुसार हो ही नहीं सकता—अर्थात् आपसमीमांसाकारका दोषके स्वरूप-विषयमें जो अभिमत है वह रत्नकरण्डके उक्त पद्ममें वर्णित दोष-स्वरूपके साथ मेल नहीं खाता—विरुद्ध पड़ता है, और इसलिये दोनों ग्रन्थ एक ही आचार्यकी कृति नहीं हो सकते । इस दलीलको चरितार्थ करनेके लिये सबसे पहले यह मालूम होनेकी ज़रूरत है कि आपसमीमांसाकारका दोषके स्वरूप-

† यह विचार और निर्णय उस चर्चकि बाद स्थिर किया गया है जो ग्रन्थके कर्तृत्वविषयमें प्रोफेसर साहब तथा न्यायाचार्य पं० दरबारी-लालजी कोठियाके दरम्यान लेखो-प्रतिलेखो-द्वारा 'अनेकान्त' मासिकमें चार वर्ष तक चलती रही है और मेरे उस लेखका एक अश है जो 'रत्नकरण्डके कर्तृत्वविषयमें मेरा विचार और निर्णय' नामसे 'अनेकान्त' के वर्ष १ में किरण १ से ४ तक प्रकट हआ है ।

विषयमें क्या अभिमत अथवा अभिग्राय है और उसे प्रोफेसर साहबने कहाँसे अवगत किया है?—मूल आप्तमीमांसापरसे? आप्तमीमांसाकी टीकाओंपरसे? अथवा आप्तमीमांसाकारके दूसरे प्रन्थापरसे? और उसके बाद यह देखना होगा कि रत्न-करण्डके 'कुतिपृष्ठ' नामक पद्मके साथ वह मेल खाता अथवा सङ्गत बैठता है या कि नहीं।

प्रोफेसर साहबने आप्तमीमांसाकारके द्वारा अभिमत दोषके स्वरूपका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया—अपने अभिग्रायानुसार उसका केवल कुछ संकेत ही किया है। उसका प्रधान कारण यह मालूम होता है कि मूल आप्तमीमांसमें कहीं भी दोषका कोई स्वरूप दिया हुआ नहीं है। 'दोष'शब्दका प्रयोग कुल पाँच कारि-काओं नं० ४, ६, ५६, ६२, ८० में हुआ है, जिनमेंसे पिछली तीन कारिकाओंमें बुद्ध्यसंचरदोष, वृत्तिदोष और प्रतिज्ञादोष तथा हेतुदोषका क्रमशः उल्लेख है, आपदोपसे सम्बन्ध रखनेवाली केवल ४थी तथा ६ठी कारिका ही है। और वे दोनों ही 'दोष' के स्वरूप-कथनसे रिक्त है। और इसलिये दोषका अभिमत स्वरूप जाननेके लिये आप्तमीमांसाकी टीकाओं तथा आप्तमीमांसा-कारकी दूसरी कृतिओंका आश्रय लेना होगा। साथ ही, ग्रन्थके सदर्भ अथवा पूर्वापि-कथन-सम्बन्धको भी देखना होगा।

टीकाओंका विचार—

प्रोफेसर साहबने ग्रन्थसन्दर्भके साथ टीकाओंका आश्रय लेते हुए, अष्टसहस्रीटीकाके आधार पर, जिसमें अकलज्ञेवकी अष्टशती टीका भी शामिल है, यह प्रतिपादित किया है कि 'दोषावरणयोहीनि:' इस चतुर्थ कारिका-नाम वाक्य और 'त त्वमेवासि निदोषः' इस छठी कारिकागत वाक्यमें प्रयुक्त 'दोष'

शब्दका अभिप्राय उन अज्ञान तथा राग-द्वेषादिकक्षे वृत्तियोसे है जो ज्ञानावरणादि धातिया कर्मोसे उत्पन्न होती हैं और केवलीमे उनका अभाव होने पर नष्ट हो जाती हैं । इस दृष्टिसे रत्न-करणडके उक्त छठे पदमे उल्लेखित भय, स्मय, राग, द्वेष और मोह ये पाँच दोष तो आपको असङ्गत अथवा विरुद्ध मालूम नहीं पढ़ने; शेष जुधा, पिपासा, जरा, आतङ्क (रोग), जन्म और अन्तक (मरण)इन छह दोषोंको आप असंगत समझते हैं— उन्हे सर्वथा असातावेदनीयादि अधातिया कर्मजन्य मानते हैं और उनका आप्त केवलीमे अभाव बतलाने पर अधातिया कर्मों का सत्त्व तथा उदय वर्तमान रहनेके कारण सैद्धान्तिक कठिनाई महसूस करते हैं ॥ । परन्तु अष्टसहस्रीमे ही द्वितीय कारिकाके अन्तर्गत 'वियहादिमहोदयः' पदका जो अर्थ 'शश्वचिस्वेदत्तादिः' किया है और उसे 'धातिक्षयजः' बतलाया है उस पर प्रो० सहव-ने पूरी तौर पर ध्यान दिया मालूम नहीं होता । 'शश्वचिस्वेद-त्तादिः' पदमें उन ३४ अतिशयों तथा द प्रातिहार्योंका समावेश है जो श्रीपूज्यपादके 'नित्यं निःस्वेदत्वं' इस भक्तिपाठगत अर्हत्तत्त्वोत्र में वर्णित हैं । इन अतिशयोंमे अर्हत्स्वयम्भूकी देह-सम्बन्धी जो १० अतिशय हैं उन्हे देखते हुए जरा और रोगके लिये कोई स्थान नहीं रहता और मोजन तथा उपसर्गके अभावरूप (भुक्त्युपंभर्ग-भावः) जो हो अतिशय हैं उनकी उपस्थितिमे जुधा और पिपासा के लिये कोई अवकाश नहीं मिलता । शेष 'जन्म' का अभिप्राय पुनर्जन्मसे और 'मरण' का अभिप्राय अपमृत्यु अथवा उस मरणसे है जिसके अनन्तर दूसरा भव (संसारपर्याय) धारण

ঢ় “‘দোষাস্তা঵দজ্ঞান-রাগ-দ্বেষাদয উক্তা:’” ।

(अष्टसहस्री का० ६, पृ० ६२)

† अनेकान्त वर्षे ७, कि० ७-८, पृ० ६२

॥ अनेकान्त वर्ष ६, कि० ३-४, पृ० ३१

किया जाता है। धातिया कर्मके क्षय हो जाने पर इन दोनोंकी सम्भावना भी नष्ट हो जाती है। इस तरह धातिया कर्मके क्षय होने पर ज्ञुतिपासादि शेष छहों दोषोंका अभाव होना भी अष्ट-सहस्री-सम्मत है, ऐसा समझना चाहिये। वसुनन्दि-वृत्तिमे तो दूसरी कारिकाका अर्थ देते हुए, “ज्ञुतिपासाजरारुजाऽपमृत्यादभावः इत्यर्थः” इस वाक्यके द्वारा ज्ञधा-पिपासादिके अभावको साफ तौर पर विग्रहादिमहोदयके अन्तर्गत किया है, विग्रहादि-महोदय को अमानुषातिशय लिखा है तथा अतिशयको पूर्वावस्थाका अतिरेक बतलाया है। और छठी कारिकामे प्रयुक्त हुए ‘निर्देष’ शब्दके अर्थमें आ वृद्या-राणादिके साथ ज्ञधादिके अभावको भी सूचित किया है। यथा:—

“निर्देष अविद्यारागादिविरहितः ज्ञुदादिविरहितो वा अनन्त-ज्ञानादिसम्बन्धेन इत्यर्थः।”

इस वाक्यमें ‘अनन्तज्ञानादि-सम्बन्धेन’ पद ‘ज्ञुदादिविरहितः’ पदके साथ अपनी खास विशेषता एवं महत्व रखता है और इस बातको सूचित करता है कि जब आत्मामें अनन्तज्ञान, अनन्त-दर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्यकी आविर्भूति होती है तब उसके सम्बन्धसे ज्ञधादि दोषोंका स्वतः अभाव होजाता है अर्थात् उनका अभाव हो जाना उसका आनुषङ्गिक फल है— उसके लिये वेदनीय कर्मका अभाव—जैसे किसी दूसरे साधनके जुटने-जुटानेकी जरूरत नहीं रहती। और यह ठीक ही है; क्योंकि मोहनीयकर्मके साहचर्य अथवा सहायके बिना वेदनीयकर्म अपना कार्य करनेमें उसी तरह असमर्थ होता है जिस तरह ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ ज्ञान वीर्यान्तरायकर्म-का अनुकूल क्षयोपशम साथमें न होनेसे अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता; अथवा चारों धातिया कर्मोंका अभाव हो जाने

पर वेदनीयकर्म अपना दुःखोत्पादनादि कार्य करनेमें उसी प्रकार असमर्थ होता है जिस प्रकार कि मिट्टी और पानी आदिके बिना बीज अपना अंकुरोत्पादन कार्य करनेमें असमर्थ होता है। मोहादिके अभावमें वेदनीयकी स्थिति जीवित-शरीर-जैसी न रहकर मृत-शरीर-जैसी हो जाती है, उसमें प्राण नहीं रहता अथवा जली रस्तीके समान अपना कार्य करनेकी शक्ति नहीं रहती। इस विषयके समर्थनमें कितने ही शाखीय प्रमाण आप-स्वरूप, सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थवार्तिक, श्लोकवार्तिक, आदिपुराण और जयघवला-जैसे ग्रन्थोंपरसे परिष्ठित दरबारीलालजीके लेखोंमें उद्धृत किये गये हैं^{३४} जिन्हे यहाँ फिरसे उपस्थित करनेकी ज़रूरत मालूम नहीं होती। ऐसी स्थितिमें जुतिपासा-जैसे दोषोंको सर्वथा वेदनीय-जन्य नहीं कहा जा सकता—वेदनीयकर्म उन्हें उत्पन्न करनेमें सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है। और कोई भी कार्य किसी एक ही कारणसे उत्पन्न नहीं हुआ करता, उपादान कारण के साथ अनेक सहकारी कारणोंकी भी उसके लिये ज़रूरत हुआ करती है, उन सबका संयोग यदि नहीं मिलता तो कार्य भी नहीं हुआ करता। और इसलिये केवलीमें जुधादिका अभाव मानने पर कोई भी सैद्धान्तिक कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। वेदनीयका सत्त्व और उदय वर्तमान रहते हुए भी, आत्मामें अनन्तज्ञान-मुख-वीर्यादिका सम्बन्ध स्थापित होनेसे वेदनीय कर्मका पुद्गल-परमाणुपुङ्क जुधादि-दोषोंको उत्पन्न करनेमें उसी तरह असमर्थ होता है जिस तरह कि कोई विषद्रव्य, जिसकी मारण शक्तिको मन्त्र तथा औषधादिके बल पर प्रक्षीण कर दिया गया हो, मारनेका कार्य करनेमें असमर्थ होता है। निःसत्त्व हुए विषद्रव्यके परमाणुओंको जिस प्रकार विषद्रव्यके हीं परमाणु कहा

जाता है उसी प्रकार निःसत्त्व हुए वेदनीयकर्मके परमाणुओंको भी वेदनीयकर्मके ही परमाणु कहा जाता है, और इस दृष्टिसे ही आगममें उनके उद्यादिककी व्यवस्था की गई है। उसमें कोई प्रकारकी बाधा अथवा सैद्धान्तिक कठिनाई नहीं होती—और इसलिये प्रोफेसर साहबका यह कहना कि ‘जुधादि दोपोंका अभाव मानने पर केवलीमें अधातियाकर्मोंके भी नाशका प्रसङ्ग आता है’* उसी प्रकार युक्तिसगत नहीं है जिस प्रकार कि धूमके अभावमें अग्निका भी अभाव बतलाना अथवा किसी औषध-प्रयोगमें विषद्रव्यकी मारणशक्तिके प्रभावहीन हो जाने पर विष-द्रव्यके परमाणुओंका ही अभाव प्रतिपादन करना। प्रत्युत इसके, धातिया कर्मोंका अभाव होने पर भी यदि वेदनीयकर्मके उद्यादि-वश केवलीमें जुधादिकी वेदनाओंको और उनके निरसनार्थ भोजनादिके ग्रहणकी प्रवृत्तियोंको माना जाता है तो उससे कितनी ही दुर्निवार सैद्धान्तिक कठिनाइयाँ एवं बाधाएँ उपस्थित होती हैं, जिनमेंसे दो तीन नमूनेके तौर पर इस प्रकार हैं:—

(क) यदि असात्तवेदनीयके उद्य वश केवलीको भूख-प्यास-की वेदनाएँ सताती है, जो कि संक्लेश परिणामकी अविनाभाविनी है †, तो केवलीमें अनन्त सुखका होना बाधित ठहरता है। और उस दुःखको न सह सकनेके कारण जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो अनन्तवीर्य भी बाधित हो जाता है—उसका कोई मूल्य नहीं रहता—अथवा वीर्यान्तरायकर्मका अभाव उसके विरुद्ध पड़ता है।

(ख) यदि जुधादि वेदनाओंके उद्य-वश केवलीमें भोजनादि की इच्छा उत्पन्न होती है तो केवलीके मोहकर्मका अभाव हुआ

* अनेकान्त वर्ष ७ किरण ७-८ पृ० ६२

† संक्लेशाविणाभावणीए भुक्खाए दञ्चमाणस्स (घबला)

नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इच्छा, मोहका परिणाम है। और मोहके सद्भावमें केवलित्व भी नहीं बनता। दोनों परस्पर विरुद्ध हैं।

(ग) भोजनादिकी इच्छा उत्पन्न होने पर केवलीमें नित्य ज्ञानोपयोग नहीं बनता, और नित्य ज्ञानोपयोगके न बन सकने पर उसका ज्ञान छव्वास्थों (असर्वज्ञों) के समान ज्ञायोपशामिक ठहरता है—ज्ञायिक नहीं। और तब ज्ञानावरण तथा उसके साथी दर्शनावरण नामके घातियाकर्मोंका अभाव भी नहीं बनता।

(घ) वेदनीयकर्मके उदयजन्य जो सुख-दुःख होता है वह सब इन्द्रियजन्य होता है और केवलीके इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति रहती नहीं। यदि केवलीमें जुधा-तुषादिकी वेदनाएँ मानी जाएँगी तो इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति होकर केवलज्ञानका विरोध उपस्थित होगा; क्योंकि केवलज्ञान और मतिज्ञानादिक युगपत् नहीं होते।

(इ) जुधादिकी पीड़ाके वंश भोजनादिकी प्रवृत्ति यथाख्यात-चारित्रिकी विरोधिनी है। भोजनके समय मुनिको प्रमत्त (छठा) गुणस्थान होता है और केवली भगवान् १३ वे गुणस्थानवर्ती होते हैं जिससे फिर छठेमे लौटना नहीं बनता। इससे यथाख्यातचारित्रिको प्राप्त केवलीभगवानके भोजनका होना उनकी चर्या और पदस्थके विरुद्ध पड़ता है।

इस तरह जुधादिकी वेदनाएँ और उनकी प्रतिक्रिया मानने पर केवलीमें घातियाकर्मोंका अभाव ही बटित नहीं हो सकेगा, जो कि एक बहुत बड़ी सैद्धान्तिक बाधा होगी। इसीसे जुधादिके अभावको ‘घातिकर्मक्षयज़’ तथा ‘अनन्तज्ञानादिसम्बन्धजन्य’ बतलाया गया है, जिसके मानने पर कोई भी सैद्धान्तिक बाधा नहीं रहती। और इसलिये टीकाओंपरसे जुधादिका उन दोषोंके

रूपमें निर्दिष्ट तथा फलित होना सिद्ध है जिनका केवलीं भगवान्-में अभाव होता है। ऐसी स्थितिमें रत्नकरण्डके उक्त छठे पदको ज्ञातिपासादि दोषोंकी दृष्टिसे भी आममीमासाके साथ असंगत अथवा विरुद्ध नहीं कहा जा सकता।

ग्रन्थके सन्दर्भकी जाँच—

अब देखना यह है कि क्या ग्रन्थका सन्दर्भ स्वयं इसके कुछ विरुद्ध पड़ता है? जहाँ तक मैंने ग्रन्थके सन्दर्भकी जाँच की है और उसके पूर्वाऽपर कथन सम्बन्धको मिलाया है मुझे उसमें कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं मिली जिसके आधार पर केवलीमें ज्ञातिपासादिके सद्भावको स्वामी समन्तभद्रकी मान्यता कहा जा सके। प्रत्युत इसके, ग्रन्थकी प्रारम्भिक दो कारिकाओंमें जिन अतिशयोंका देवागम-नमोनायन-चामरादि विभूतियोंके तथा अन्तर्वाहा-विग्रहादि-महोदयोंके रूपमें उल्लेख एव सकेत किया गया है और जिनमें धातिक्षय-जन्य होनेसे ज्ञातिपासादिके अभाव का भी समावेश है उनके विषयमें एक भी शब्द ग्रन्थमें ऐसा नहीं पाया जाता जिससे ग्रन्थकारकी दृष्टिमें उन अतिशयोंका केवली भगवान्में होना अमान्य समझा जाय। ग्रन्थकारमहोदयने 'मायाविज्ञपि दृश्यन्ते' तथा 'दिव्यः सत्यः दिवौकस्त्वप्यस्ति' इन वाक्योंमें प्रयुक्त हुए 'आपि' शब्दके द्वारा इस बातको स्पष्ट घोषित कर दिया है कि वे अर्हत्केवलीमें उन विभूतियों तथा विग्रहादि-महोदयरूप अतिशयोंका सद्भाव मानते हैं परन्तु इतनेसे ही वे उन्हे महान् (पूज्य) नहीं समझते; क्योंकि ये अतिशय अन्यत्र मायाविज्ञों (इन्द्रजालियों) तथा रागादि-युक्त देवोंमें भी पाये जाते हैं—भले ही उनमें वे वास्तविक अथवा उस सत्यरूपमें न हों जिसमें कि वे क्षीणकषाय अर्हत्केवलीमें पाये जाते हैं। और इसलिये उनकी मान्यताका आधार केवल आगमाश्रित अस्त्र ही नहीं है बल्कि एक दूसरा प्रबल आधार वह गुणक्षता अथवा

परीक्षाकी कसौटी भी है जिसे लेकर उन्होंने कितने ही आपोंकी जाँच की है और फिर उस परीक्षाके फलस्वरूप वे वीरजिनेन्द्रके प्रति यह कहनेमें समर्थ हुए है कि 'वद् निर्देषं आप आप ही हैं'। (स त्वमेवासि निर्देषः) साथ ही 'युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्' इस पद-के द्वारा उस कसौटीको भी व्यक्त कर दिया जिसके द्वारा उन्होंने आपोंके वीतरागता और सर्वज्ञता जैसे असाधारण गुणोंकी परीक्षा की है, जिनके कारण उनके वचन युक्ति और शास्त्रसे अविरोधरूप यथार्थ होते हैं, और आगे सचेषमें परीक्षाकी तफ-सील भी दे दी है। इस परीक्षामें जिनके आगम-वचन युक्ति-शास्त्रसे अविरोधरूप नहीं पाये गये उन सर्वथा एकान्तवादियों-को आप न मानकर 'आपाभिभानदग्ध' घोषित किया है। इस तरह निर्देष वचन-प्रणयनके साथ, सर्वज्ञता और वीतरागता-जैसे गुणोंको आपका लक्षण प्रतिपादित किया है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि आपमें दूसरे गुण नहीं होते, गुण तो बहुत होते हैं किन्तु वे लक्षणात्मक अथवा इन तीन गुणोंको तरह खास तारसे व्यावर्तात्मक नहीं, और इसलिये आपके लक्षणमें वे भलेही प्राण न हों परन्तु आपके स्वरूप-चिन्तनमें उन्हें अप्राण नहीं कहा जा सकता। लक्षण और स्वरूपमें बड़ा अन्तर है—लक्षण-निर्देश में जहाँ कुछ असाधारण गुणोंको ही प्रहण किया जाता है वहाँ स्वरूपके निर्देश अथवा चिन्तनमें अशेष गुणोंके लिये गुजाइश (अवकाश) रहती है। अतः अष्टसहस्रीकारने 'विधादिमहोदयः' का जो अर्थ 'शश्वन्त्वेदत्तादिः' किया है ओर जिसका विवेचन ऊपर किया जा चुका है उस पर टिप्पणी करते हुए प्रो० साहचने जो यह लिखा है कि "शरीर सम्बन्धी गुण-धर्मोंका प्रकट होना न होना आपके स्वरूप-चिन्तनमें कोई महत्व नहीं रखते" * वह

* अनेकान्त वर्ष ७ किरण ७-८ पृ० ६२

ठीक नहीं है। क्योंकि स्वयं स्वामी समन्तभद्रने अपने स्वयम्भू-स्तोत्रमें ऐसे दूसरे कितने ही गुणोंका चिन्तन किया है जिनमें शरीर-सम्बन्धी गुण-धर्मोंके साथ अन्य अतिशय भी आगये हैं। और इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी समन्तभद्र अतिशयोंको मानते थे और उनके स्मरण-चिन्तनको महत्व भी देते थे।

ऐसी हालतमें ‘आपमीमांसा’ प्रन्थके सन्दर्भकी हृष्टिसे भी आपमें द्विष्णियासादिके अभावको विरुद्ध नहीं कहा जा सकता और तब रत्नकरण्डका उक्त छठा पद्म भी विरुद्ध नहीं ठहरता। हाँ, प्रो० साहबने आपमीमांसाकी दृश्यी गाथाको विरोधमें

† इस विषयके सूचक कुछ वाक्य इस प्रकार है—

(क) गरीररश्मिप्रत्तरः प्रभोस्ते बालाकरश्मच्छविरालिलेप २८। यस्याङ्गलक्ष्मीपरिवेषभिन्न तमस्तमोरेरिव रश्मभिन्न, ननाश वाह्यं ॥
... ३७। समन्ततोऽङ्गभासा ते परिवेषेण भूयसा, तमो वाह्यमपा-
कीर्णं मध्यात्म ध्यानतेजसा ६५। यस्य च मूर्तिः कनकमयीव स्वस्फुरदा-
भाकृतपरिवेषा १०७। शंगिरचिशुचिशुकललोहित सुरभितर विरजो
निज वपुः। तत्र शिवमतिविस्तय यते यदपि च वाङ्मनसीयमीहितम्
११३।

(ख) नभत्तल पल्लवयन्निव त्व सहस्रपत्राम्बुजगर्भचारै, पादाम्बुजैः
प्रातितमारदर्पो भूमी प्रजाना विजहर्थं भूत्यै २६। प्रातिहार्यविभवै, परि-
ष्कृतो देहतोऽपि विरतो भवानभूत् ७३। मानुपी प्रकृतिमम्यतीतवान्
देवतास्वपि न देवता यतः ७५। पूज्ये मुद्दुः प्राञ्जलिदेवचक्रम् ७६।
सर्वज्ञयोनियोद्भूतस्नावको महिमोदयः क न कुर्यात्प्रणश्च ते सत्त्व नाथ
सचेतनम् १६। तत्र वाग्मृत थीमत्सर्वभायास्वभावक प्रीणयत्यमृत, यद्य-
त्याणिनो व्यापि संसदि ६७। भूरपि रम्या प्रतिपदमासीज्जातविको-
शाम्बुजमुद्दुहासा १०८।

चपस्थित किया है, जो निम्न प्रकार हैः—

पुण्यं ब्रुवं स्वतो दुःखात्पापं च सुखतो यदि ।

वीतरागो मुनिर्विद्वांस्ताम्यां चुञ्ज्याच्चिमित्ततः ॥६३॥

‘इस कारिकाके सम्बन्धमें प्रो० साहबका कहना है कि ‘इसमें वीतराग सर्वज्ञके दुःखकी वेदना स्वीकार कीर्गई है जो कि कर्म-सिद्धान्तकी व्यवस्थाके अनुकूल है; जब कि रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्ममें लुत्पिपासादिका आभाव बतलाकर दुःखकी वेदना अस्वीकार की गई है जिसकी संगति कर्मसिद्धान्तकी उन व्यवस्थाओंके साथ नहीं वैठती जिनके उन्नुसार केवलीके भी वेदनीयकर्म-जन्य वेदनाएँ होती हैं और इसलिये रत्नकरण्डका उक्त पद्म इस कारिकाके सर्वथा विरुद्ध पढ़ता है—दोनों ग्रन्थोंका एक कर्तृत्व स्वीकार करनेमें यह विरोध वाधक है’ *। जहाँ तक मैंने इस कारिकाके अर्थ पर उसके पूर्वापर सम्बन्धकी दृष्टिसे और दोनों विद्वानोंके उद्घापोहको ध्यानमें लेकर विचार किया है, मुझे इसमें सर्वज्ञका कहीं कोई उल्लेख मालूम नहीं होता। प्रो० साहबका जो यह कहना है कि ‘कारिकागत ‘वीतरागः’ और ‘विद्वान्’ पद् दोनों एक ही मुनि-व्यक्तिके वाचक हैं और वह व्यक्ति ‘सर्वज्ञ’ है, जिसका योतक विद्वान् पद् साथमें लगा है’ † वह ठीक नहीं है। क्योंकि पूर्वकारिकामेंकि जिस प्रकार अचेतन और अकपाय (वीतराग) ऐसे दो अवन्धक व्यक्तियोंमें वन्धका प्रसङ्ग उपस्थित करके परमें दुःख-सुखके उत्पादनका निमित्तभाव होनेसे पाप-पुण्यके वन्धको एकान्त मान्यताको सदोप सूचित किया है उसी

* अनेकान्त वर्ष ८, कि०३, पृ० १३२ तथा वर्ष ६, कि०१, पृ० ६

† अनेकान्त वर्ष ७, कि० ३-४, पृ० ३४

क्षे पापं ब्रुवं परे दुःखात् पुण्यं च सुखतो यदि ।

अचेतनाऽकपायौ च वन्धेयतां निमित्ततः ॥६२॥

प्रकार इस कारिकामे भी वीतराग मुनि और विद्वान् ऐसे दो अवन्धक व्यक्तियोंमें बन्धका प्रसङ्ग उपस्थित करके स्व (निज) में दुःख-मुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनेसे पुण्य-पापके बन्धकी एकान्त मान्यताको सदोष बतलाया है; जैसा कि आष्टसहस्रीकार श्रीविद्यानन्दाचार्यके निम्न टीका-वाक्यसे भी प्रकट है—

“स्वस्मिन् दुःखोत्पादनात् पुण्यं सुखोत्पादनात् पापमिति यदीप्यते तदा वीतरागो विद्वाश्च मुनिस्ताम्या पुण्यपापाम्यामात्मानं युज्ज्यान्नि-मित्तसङ्घात, वीतरागस्य कायक्लेशादिरूपदुःखोत्पत्तिंदुष्टत्वंज्ञान-सन्तोषलक्षणसुखोत्पत्तेस्तत्त्विमित्तत्वात् ।”

इसमें वीतरागके कायक्लेशादिरूप 'दुःखकी उत्पत्तिको और विद्वान्के तत्त्वज्ञान-सन्तोष लक्षण सुखकी उत्पत्तिको अलग २ बतलाकर ढोनो (वीतराग और विद्वान्) के व्यक्तित्वको साफ दौर पर अलग घोषित कर दिया है। और इसलिए वीतरागका अभिप्राय यहाँ उस छविस्थ वीतरागी मुनिसे है जो राग-द्वेषकी निवृत्तिरूप सम्यक्चारित्रिके अनुष्ठानमें तत्पर होता है—केवलीसे नहीं—और अपनी उस चारित्र-परिणतिके द्वारा बन्धको प्राप्त नहीं होता। और विद्वान्का अभिप्राय उस सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा * से है जो तत्त्वज्ञानके अभ्यास-द्वारा सन्तोष-सुखका अनुभव करता है और अपनी उस सम्यग्ज्ञान-परिणतिके निमित्तसे बन्ध-को प्राप्त नहीं होता। वह अन्तरात्मा मुनि भी हो सकता है और

* अन्तरात्माके लिये 'विद्वान्' अब्दका प्रयोग आचार्य पूज्यपादने अपने भगवान्निके 'त्यक्त्वारोम् पुनर्विद्वान् प्राप्नोति परमं पदम्' इस वाक्यमें किया है और स्वामी समन्तभद्रने 'स्तुत्यान्न त्वा विद्वान् सतत-मभिपूज्य नमिजिनम्' तथा 'त्वमसि विदुषाँ मोक्षपदवी' इन स्वयम्भूतोत्र के वाक्योद्वारा जिन विद्वानोंका उल्लेख किया है वे भी अन्तरात्मा ही हो सकते हैं।

गृहस्थ भी; परन्तु परमाल्पास्वरूप सर्वज्ञ अथवा आप नहीं ।

अतः इस कारिकामें जब केवली आप या सर्वज्ञका कोई उल्लेख न होकर दूसरे दो सचेतन प्रणियोंका उल्लेख है तब रत्नबृहदंडके उक्त छठे पद्मके साथ इस कारिकामा सर्वधा विरोध कैसे घटित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता—स्त्रास-कर उस हालतमें जब कि मोहनादिकका अभाव और अनन्त-ज्ञानादिकका सदूभाव होनेसे केवलीमें दुःखादिककी वेदनाएँ बस्तुतः बनती ही नहीं और जिसका ऊपर कितना ही स्पष्टीकरण किया जा चुका है। मोहनीयादि वर्मोंके अभावमें साता-असाता वेदनीय-जन्म सुख-दुःखकी स्थिति उस छान्याके समान औपचारिक होती है—वास्तविक नहीं—जो दूसरे प्रकाशके सामने आवे ही विलुप्त हो जाती है और अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं होती। और इसलिए प्रोफेसर साहबका यह लिखना कि “यथार्थतः वेदनीयकर्म अपनी फलदायिनी शक्तिमें अन्य अधातिया कर्मोंके समान सर्वधा स्वतन्त्र है” समुचित नहीं है। बन्तुतः अधातिया क्य, औइ भी कर्म अप्रतिहतरूपसे अपनी स्थिति तथा अनुभागादिके अनुरूप फलदानका कार्य करनेमें सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है। किसी भी कर्मके लिये अनेक कारणोंकी ज्ञात्वरत पड़ती है और अनेक निमित्तोंको पाकर कर्मोंमें संक्रमण-व्यतिक्रमणादि कार्य हुआ करता है, समयसे पहिले उनकी निर्जीव भी हो जाती है और तपस्चरणादिके बलपर उनकी शक्तिको बदला नी जा सकता है। अतः कर्मोंको सर्वधा स्वतन्त्र कहना एकान्त है निष्पात्य है और उक्तिका भी निरोधक है।

यहाँ ‘घवला’ परसे एक उदयोगी शङ्का-समाधान उद्धृत किया जाता है, जिससे केवलीमें जुड़ा-घृषाके अभावका सक्षरण

प्रदर्शन होनेके साथ-साथ प्रोफेसर साहबकी इस शङ्खाका भी समाधान हो जाता है कि 'यदि' केवलीके सुख-दुखकी बेदना माननेपर उनके अनन्तसुख नहीं बन सकता तो फिर कर्मसिद्धान्त-में केवलीके साता और असाता-बेदनीयकर्मका उदय माना ही क्यों जाता, † और वह इस प्रकार है—

“संगसहाय-धार्दिक्षाभावेण गित्सत्तिभावण्ण-असादावेदणीय-
उदयादो भुक्त्वा-तिसाणमण्णुप्त्तीए शिष्फलस्त परमाणुपुंजस्त समयं
पृष्ठि परिसद(डं)तस्त कथमुदय-वदरसो ? ए, जीव-कर्म-विवेग-
मेत्त-फल दद्धूण उदयस्त फलत्तमचुवगमादो !”

—वीरसेवाभन्द्र-प्रति पृ० ३७५, आरा-प्रति पृ० ७४१

शङ्खा—अपने सहायक घातिया कर्मोंका अभाव होनेके कारण निःशक्तिको प्राप्त हुए असातावेदनीयकर्मके उदयसे जब (केवली में) ज्ञाधा-नृपाकी उत्पत्ति नहीं होती तब प्रतिसमय नाशको प्राप्त होनेवाले (असातावेदनीयकर्मके) निष्फल परमाणु-पुञ्जका कैसे उदय कहा जाता है ?

समाधान—यह शङ्खा ठीक नहीं; क्योंकि जीव और कर्मका विवेक-मात्र फल देखकर उदयके फलपना माना गया है।

ऐसी हालतमें प्रोफेसर साहबका वीतराग-सर्वज्ञके दुःखकी बेदनाके स्वीकारको कर्मसिद्धान्तके अनुकूल और अस्वीकारको प्रतिकूल अथवा असङ्गत बतलाना किसी तरह भी युक्ति-सङ्गत नहीं ठहर सकता और इस तरह अन्यसन्दर्भके अन्तर्गत उक्त दृढ़ी कारिकाकी दृष्टिसे भी रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्मको विरुद्ध नहीं कहा जा सकता ।

समन्तभद्रके दूसरे ग्रन्थोंकी छानबीन—

अब देखना यह है कि क्या समन्तभद्रके दूसरे किसी ग्रन्थमें ऐसी कोई बात पाई जाती है जिससे रत्नकरण्डके उक्त

† अनेकान्त वर्ष ८, किरण २, पृष्ठ ८१ ।

‘जुषिपासा’ पद्यका विरोध घटित होता हो अथवा जो आप-केवली या अहंपरमेष्ठीमें जुधादि-दोषोंके सद्भावको सूचित करती हो। जहाँ तक मैंने स्वयम्भूत्सोत्रादि दूसरे मान्य ग्रन्थोंकी छान-बीन की है, मुझे उनमें कोई भी ऐसी बात उपलब्ध नहीं हुई जो रत्नकरणडके उक्त छठे पद्यके विरुद्ध जाती हो अथवा किसी भी विषयमें उसका विरोध उपस्थित करती हो। प्रत्युत इसके, ऐसी कितनी ही बातें देखनेसे आती हैं जिनसे अहंकेवली में जुधादिवेदनाओं अथवा दोषोंके अभावकी सूचना मिलती है। यहाँ उनमेसे दो चार नमूनेके तौरपर नीचे व्यक्त की जाती हैं—

(क) ‘स्वदोष-शान्त्या विहितात्मशान्तिः’ इत्यादि शान्ति-जिनके स्तोत्रमें यह बतलाया है कि शान्तिजिनेन्द्रने अपने दोषोंकी शान्ति करके आत्मामें शान्ति स्थापित की है और इसीसे वे शरणागतोंके लिये शान्तिके विधाता हैं। चूंकि जुधादिक भी दोष हैं और वे आत्मामें अशान्तिके कारण होते हैं—कहा भी है कि “जुधासमा नास्ति शरीरवेदना”। अतः आत्मामें शान्तिकी पूर्ण प्रतिष्ठाके लिये उनको भी शान्त किया गया है, तभी शान्तिजिन शान्तिके विधाता बने हैं और तभी संसार-सम्बन्धी क्लेशों तथा भयोंसे शान्ति प्राप्त करनेके लिये उनसे प्रार्थना की गई है। और यह ठीक ही है जो स्वयं रागादिक दोषों अथवा जुधादि-वेदनाओंसे पीडित है—अशान्त है—वह दूसरोंके लिये शान्तिकाः विधाता कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता।

(ख) ‘त्वं शुद्धि-शक्त्योरुदयस्य काष्ठा तुलाव्यतीता जिन शान्ति-रूपामवापिथ’ इस युक्त्यनुशासनके वाक्यमें वीरजिनेन्द्रको शुद्धि, शक्ति और शान्तिकी पराकाष्ठाको पहुँचा हुआ बतलाया है। जो शान्तिकी पराकाष्ठा (चरमसीमा) को पहुँचा हुआ हो उसमें जुधादि-वेदनोंओंकी सम्भावना नहीं बनती।

(ग) 'शर्म शाश्वतमवाप शङ्खरः' इस धर्मजिनके स्तवनमें यह बतलाया है कि धर्मनामके अहेत्परमेष्ठीने शाश्वत सुखकी प्राप्ति की है और इसीसे वे शंकर-सुखके करनेवाले हैं। शाश्वतसुखकी अवस्थामें एक ज्ञानके लिये भी जुधादि दुःखोंका उद्घव सम्भव नहीं। इसीसे श्रीविद्यानन्दाचार्यने श्लोकवार्तिकमें लिखा है कि 'जुधादिवंदनोद्भूतौ नाहृतोऽनन्तशर्मता' अर्थात् जुधादि-वेदनाकी उद्भूति होनेपर अहन्तके अनन्तसुख नहीं बनता।

(घ) 'तं शम्भवः सम्भवतर्षरोगैः सन्तप्यमानस्य जनस्य लोके' इत्यादि स्तवनमें शम्भवजिनको सांसारिक रूपा-रोगोंसे प्रीडित प्राणियोंके लिये उन रोगोंकी शान्तिके अर्थ आकस्मिक वैद्य बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि अर्हजिन स्वयं रूपा-रोगोंसे पीडित नहीं होते, तभी वे दूसरोंके तृष्णा-रोगोंको दूर करनेमें समर्थ होते हैं। इसी तरह 'इदं जगज्जन्म-जरान्तकार्त निरञ्जना शान्तिमजीगमस्त्वं' इस वाक्यके द्वारा उन्हें जन्म-जरा-मरणसे पीडित जगत्को निरञ्जना-शान्तिकी प्राप्ति करानेवाला लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि वे स्वयं जन्म-जरा-मरणसे पीडित न होकर निरञ्जना-शान्तिको प्राप्त थे। निरञ्जना-शान्तिमें जुधादि-वेद-नाओंके लिये अवकाश नहीं रहता।

(ङ) 'अनन्तदोषाशय-विप्रहो-यहो विषज्ज्वान्मांहमयश्चिरं हृदि' इत्यादि अनन्तजित्के स्तोत्रमें जिस मोहपिशाचको पराजित करनेका उल्लेख है उसके शरीरको अनन्तदोषोंका आधारभूत बताया है, इससे स्पष्ट है कि दोषोंकी संख्या कुछ इनीगिनी ही नहीं है बल्कि बहुत बढ़ी-चढ़ी है, अनन्तदोष तो मोहनीयकर्मके ही आश्रित रहते हैं। अधिकाश दोषोंमें मोहकी पुट ही काम किया करती है। जिन्होंने माहकमंका नाश कर दिया है उन्होंने अनन्तदोषोंका नाश कर दिया है। उन दोषोंमें मोहके सहकार से होनेवाली जुधादिकी वेदनाएँ भी शामिल हैं, इसीसे मोहनीय-

का अभाव हो जाने पर वेदनीयकर्मको ज्ञाधादि-वेदनाओंके उत्पन्न करनेमें असमर्थ बतलाया है।

इस तरह मूल 'आप्समीमांसा' ग्रन्थ, उसके ६३वीं कारिका-सहित ग्रन्थसन्दर्भ, अष्टसहस्री आदि टीकाओं और ग्रन्थकारके दूसरे ग्रन्थोंके उपयुक्त विवेचन परसे यह भले प्रकार स्पष्ट है कि रत्नकरण्डका उक्त 'ज्ञात्पिपासा' पद्य स्वामी समन्तभद्रके किसी भी ग्रन्थ तथा उसके आशयके साथ कोई विरोध नहीं रखता—अर्थात् उसमें दोषका ज्ञात्पिपासादिके अभावरूप जो स्वरूप समझाया गया है वह आप्समीमांसाके ही नहीं, किन्तु आप्समीमां-साकारकी दूसरी भी किसी कृतिके विरुद्ध नहीं है; बल्कि उन सबके साथ सङ्गत है। और इसलिये उक्त पद्यको लेकर आप्समीमांसा और रत्नकरण्डका भिन्नकर्तृत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः उस विषयमें प्रोफेसर साहबकी उक्त आपत्ति एवं संदिग्धताएं लिये कोई स्थान नहीं रहता—वह किसी तरह भी समुचित प्रतीत नहीं होती।

यह सब 'विचार और निर्णय' आजसे कोई १३ वर्ष पहले फरवरी सन १९४८ की अनेकान्त-किरण नं० २ में प्रकाशित किया जा चुका है, जिस पर प्रो० साहबने आज तक कोई आपत्ति नहीं की अथवा करना उचित नहीं समझा और इससे यह मालूम होता है कि उनका प्रकृत-विषयमें निश्चयकी हृद तक पहुँचा हुआ मन्त्रेह समाप्त हो चुका है—उसके लिये कोई आधार अवशिष्ट नहीं रहा; अन्यथा वे चुप बैठनेवाले नहीं थे।

यहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि प्रो० साहबने अपने उस विलुप्त-अध्याय-विषयक 'निवन्धमें यह भी प्रतिपादन किया था कि 'रत्नकरण्डश्रावकाचार झुन्द-कुन्दाचार्यके उपदेशोंके पश्चात् 'उन्हींके समर्थनमें लिखा गया है, और इसलिये इसके कर्ता वे 'समन्तभद्र' हो सकते हैं जिनका

उल्लेख शिलालेख व पट्टावलियोंमें कुन्दकुन्दके पश्चात् पाया जाता है। कुन्दकुन्दाचार्य और उमास्वामीका समय वीरनिर्वाण से लगभग ६५० वर्ष पश्चात् (वि० स० १८०) सिद्ध होता है— अतः रत्नकरण्डश्रावकाचार और उसके कर्ता समन्तभद्रका समय वि० की दूसरी शताब्दीका अन्तिम भाग अथवा तीसरी शताब्दी का पूर्वीध होना चाहिये (यही समय जैन समाजमें आम तौर पर माना भी जाता है)। साथ ही, यह भी वतलाया था कि 'रत्नकरण्डके कर्ता ये समन्तभद्र उन शिवकोटिके गुरु भी हो सकते हैं जो रत्नमालाके कर्ता हैं।' इस पिछली बात पर आपत्ति करते हुए प० दरवारीलालजीने अनेक युक्तियोंके आधार पर जब यह प्रदर्शित किया कि 'रत्नमाला' एक आधुनिक ग्रन्थ है, रत्नकरण्ड-श्रावकाचारसे शताब्दियों बादकी रचना है, वि० की ११वीं शताब्दीके पूर्वीकी तो वह हो ही नहीं सकती और न रत्नकरण्ड-श्रावकाचारके कर्ता समन्तभद्रके साक्षात् शिष्यकी ही कृति हो सकती है क्षै तब प्रो० साहबने उत्तरकी धुनमें कुछ कल्पित युक्तियोंके आधार पर यह तो लिख दिया कि 'रत्नकरण्डकी रचना का समय विद्यानन्दके समय (ई० सन् ८१६ के लगभग) के पश्चात् और वादिराजके समय अर्थात् शक संवत् ६४७ (ई० सन् १०२५) से पूर्व सिद्ध होता है।' इस समयावधिके प्रकाशमें रत्न-करण्डश्रावकाचार और रत्नमालाका रचनाकाल समीप आजाते हैं और उनके बीच शताब्दियोंका अन्तराल नहीं रहता है।"^५ साथ ही आगे चलकर उसे तीन आपत्तियोंका रूप भी दे दिया X; परन्तु इस बातको भुला दिया कि उनका यह सब

^५ ग्रनेकान्त वर्ष ६ किरण १२ पृ० ३८०-३८२।

६ अनेकान्त वर्ष ७ किरण ५-६ पृ० ५४

X जिनमेंसे एकका रूप है शक स० ६४७ से 'पूर्वके साहित्यमें

प्रयत्न और कथन उनके पूर्व कथन एवं प्रतिपादनके विरुद्ध जाता है। उन्हें या तो अपने पूर्व कथनको वापिस ले लेना चाहिये था और या उसके विरुद्ध इस नये कथनका प्रयत्न तथा नई आपत्तियोंका आयोजन नहीं करना चाहिये था—दोनों परस्पर विरुद्ध बाते एक साथ नहीं चल सकतीं। इन सब तथा इसी प्रकारकी दूसरी असंगत बातोंको भी प्रदर्शित करते हुए, मेरे उक्त लेखमें, जिसके एक अंशको ऊपर उद्धृत किया गया है, उन तीनों नई खड़ी की गई आपत्तियों पर भी विस्तारके साथ युक्तिपुरस्तर गहरा विचार करके उन्हें निःसार प्रतिपादित किया गया है ४। लेखके इस उत्तरार्द्धका भी, जो अनेकान्तके उस वर्ष (सन् १९४८) की अगली मार्च तथा अप्रैलकी किरणोंमें प्रकाशित हुआ है, प्रोफेसर साहबने कोई विरोध या प्रतिवाद करना उचित नहीं समझा। और इस तरह प्रोफेसर साहबने जिस नये सन्देशको जन्म दिया था वह अन्तको स्थिर नहीं रहा। साथ ही यह स्पष्ट होगया कि रत्नकरण्ड उन्हीं स्वामी समन्तभद्राचार्यकी कृति है जो आप्तमीमांसा (देवागम) के रचयिता है।

रत्नकरण्डश्रावकाचारका तथा रत्नकरण्ड और आप्तमीमांसाके एक कर्तृत्वका उल्लेख न पाया जाना, दूसरीका रूप है वादिराजके पाश्वनाथ-चरितमें रत्नकरण्डको समन्तभद्र-कृत न बतलाकर योगीन्द्र-कृत बतलाया जाना, और तीसरीका रूप है रत्नकरण्डके उपान्त्य पद्म न० १४६ में प्रयुक्त हुए 'बीतकलक' 'विद्या' और 'सर्वार्थसिद्धि' पदोंका आशय अंकलक और विद्यानन्द नामके आचार्यों तथा पूज्यपादके 'सर्वार्थसिद्धि' ग्रन्थके उल्लेखसे लगाना (अनेकान्त वर्ष ८ कि० ३ पृ० १३२ तथा वर्ष ६ कि० १ पृ० ६, १०)।

४ देखो, अनेकान्त वर्ष ६ किरण ३-४ में 'रत्नकरण्डके कर्तृत्व-विषयमें मेरा विचार और निर्णय' नामक लेख।

ग्रन्थके पद्योंकी जाँच

समाजमें कुछ ऐसे भी विद्वान् हैं जो इस ग्रंथको स्वामी समन्तभद्रका बनाया हुआ तो जहर स्वीकार करते हैं, परंतु उन्हें इस ग्रंथके कुछ पद्यों पर संदेह है। उनके विचारसे ग्रंथमें कुछ ऐसे पद्य भी पाये जाते हैं जो मूल ग्रन्थ-का अंग न होकर किसी दूसरे ग्रंथ अथवा ग्रंथोंके पद्य हैं और बादको किसी तरह पर ग्रंथमें शामिल हो गये हैं। ऐसे पद्योंको वे लोग 'क्षेपक' अथवा 'प्रक्षिप्त' कहते हैं और इस लिये ग्रन्थपर संदेहका यह एक दूसरा प्रकार है जिसका यहाँ पर विचार होनेकी ज़रूरत है—

ग्रंथपर इस प्रकारके संदेहको सबसे पहले ५० पश्चालालजी वाकलीवालने, सन् १८८८ ईसवीमें, लिपिबद्ध किया। इस सालमें आपने रत्नकरंडश्रावकाचारको अन्वय और अन्वयानुगत हिन्दी, अनुवाद-सहित तथ्यार करके उसे 'दिग्भवर जैनपुस्तकालय-वर्धा'के द्वारा प्रकाशित कराया है। ग्रंथके इस सस्करणमें २१ (इक्कीस) पद्योंको 'क्षेपक' प्रकट किया गया अथवा उनपर 'क्षेपक' होनेका संदेह किया गया है। जिनकी क्रमिकसूची, कुछ आचारोंको लिये हुआ, निम्न प्रकार है—

तावदजनः ततोजिनेन्द्रः यदि पापः श्वापि देवोः भयाशास्तेहः
मातंगोः धनश्रीः मध्यमासः प्रत्यास्व्यानः यदनिष्टः व्यापारः श्रीषेणः
देवाधिदेवः अर्हचरणः निःश्रेयसः जन्मजरा; विद्यादर्शनः कालेकल्पः
निःश्रेयसमधिपचा; पूजार्था; सुखयतु ।

इन पद्योंमेंसे कुछके 'क्षेपक' होनेके हेतुओंका भी फुट-नोटों-द्वारा उल्लेख किया गया है जो यथाक्रम इस प्रकार है—

'तावदंजन' और 'ततोजिनेन्द्र' ये दोनों पद्य समन्तभद्रकृत नहीं हैं; परन्तु दूसरे किस आचार्य अथवा ग्रन्थके ये पद्य हैं ऐसा

कुछ वरलाया नहीं। तीसरे 'यदि पाप' पद्यका ग्रन्थके विषयसे सम्बन्ध नहीं मिलता। 'स्वापि देवो' 'भयाशा' और 'यदनिष्ट' नामके पद्योंका सम्बन्ध, अन्वय तथा अर्थ ठीक नहीं बैठता। 'श्रीषेण', 'देवाधिदेव' और 'अर्हचरण' ये पद्य ग्रन्थके स्थलसे सम्बन्ध नहीं रखते। पंद्रहवें 'निःश्रेयस' से बीसवें 'पूजायां' तकके ६ पद्योंका अन्वयार्थ तथा विषय-सम्बन्ध ठीक-ठीक प्रतिभासित नहीं होता और ११वाँ 'व्यापर' नामका पद्य 'अनभिज्ञ त्वेपक' है—अर्थात् यह पद्य मूर्खता अथवा नासमझीसे ग्रन्थमें प्रविष्ट किया गया है। क्योंकि 'प्रथम तो इसका अन्वय ही ठीक नहीं बैठता; दूसरे अगले श्लोकमें अन्यान्य ग्रन्थोंकी तरह, प्रतिदिन सामायिकका उपदेश है और इस श्लोकमें केवल उपवास अथवा एकासनेके दिन ही सामायिक करनेका उपदेश है, इससे पूर्वापर-विरोध आता है।' इस पद्यके सम्बन्धमें जोरके साथ यह बाबन्य भी कहा गया है कि "श्रीमत्समतभद्रस्वामीके ऐसे वचन कदापि नहीं हो सकते," और इस पद्यका अन्वय तथा अर्थ भी नहीं दिया गया। अन्तिम पद्यको भी शायद ऐसा ही भारी त्वेपक समझा है और इसीसे उसका भी अन्वयार्थ नहीं दिया गया। शेष पद्योंके सम्बन्धमें सिर्फ इतना ही प्रकट किया है कि वे 'त्वेपक' मालूम होते अथवा बांध होते हैं। उनके त्वेपकत्वका कोई हेतु नहीं दिया। हाँ, भूमिकामें इतना जासूर सूचित किया है कि "शेष के श्लोकोंका हेतु विस्तृत होनेके कारण प्रकाशित नहीं किया गया सों पत्रद्वारा या साक्षात् होने पर प्रकट हो सकता है।"

इस तरह पर बाकलीवालजीके तात्कालिक सन्देहका यह रूप है। उनकी इस कृतिसे कुछ लोगोंके सन्देहको पुष्टि मिली और कितने ही हृदयोंमें नवीन सन्देहका संचार हुआ।

यद्यपि, इस ग्रन्थके सम्बन्धमें अभोतक कोई प्राचीन उल्लेख अथवा पुष्ट प्रमाण ऐसा देखनेमें नहीं आया जिससे यह-

निश्चित हो सके कि स्वामी समन्तभद्रने इसें इतने श्लांक-परिमाण निर्माण किया था, न ग्रन्थकी सभी प्रतियोंमें एक ही श्लोकसंख्या पाई जाती है—बल्कि कुछ प्रतियों ऐसी भी उपलब्ध होती है जिनमें श्लोकसंख्या डेढसौ (१५०) से भी बढ़ी हुई है—और इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि टीका-टिप्पणीवाली प्रतियों परसे किसी मूल ग्रन्थकी नकल उतारते समय, लेखकोंकी असावधानी अथवा नासमझीके कारण, कभी-कभी उन प्रतियोंमें ‘उक्तं च’ रूपसे दिये हुए अथवा समर्थनादिके लिये टिप्पणी किये हुए—हाशिये (Margin) पर नोट किये हुए—दूसरे ग्रन्थोंके पद्य भी मूल ग्रन्थमें शामिल हो जाते हैं; और इसीसे कितने ही ग्रन्थोंमें ‘क्षेपक’ पाये जाते हैं*। इसके सिवाय प्रकृत ग्रन्थमें कुछ पद्य ऐसी अवस्थामें भी अवश्य है कि यदि उन्हें ग्रन्थसे पृथक् कर दिया जाय तो उससे शेष पद्योंके क्रम तथा विपर्यसम्बन्धमें परस्पर कोई वाधा नहीं आती और न कुछ अन्तर ही पड़ता है। ऐसी हालतमें ग्रन्थके कुछ पद्यों पर सन्देहका होना अस्वाभाविक नहीं है। परन्तु ये सब वार्तें किसी ग्रन्थप्रतिमें ‘क्षेपक’ होनेका कोई प्रमाण नहीं हो सकती।

और इसलिये इतने परसे ही, विना किसी गहरी खोज और जाँचके, सहसा यह नहीं कहा जा सकता कि इस ग्रन्थकी वर्तमान

* इस विपर्यके एक उदाहरणके लिये देखो ‘पूज्यपाद-उपासकाचार-की जाँच’ वाला मेरा लेख, जो जैनहित्यी भाग १५ के अक १२ वें में प्रकाशित हुआ है। ‘दशभक्ति’ नामका एक ग्रन्थ शोलापुरसे, सस्कृतटीका और मराठी अनुवाद सहित, प्रकाशित हुआ है। उससे मालूम होता है कि दशभक्तियोंके मूलपाठोंमें भी कितने ही क्षेपक शामिल हो रहे हैं। यह सब नासमझ और असावधान लेखकोंकी कृपाका ही फल है।

+ जैसे कि कथाओंका उल्लेख करने वाले ‘तावदजनचौरोड़ज्ञ’ आदि पद्य।

(१५० पद्मो वाली) प्रतिमे भी कोई ज्ञेपक जरूर शामिल है। ग्रन्थके किसी भी पद्यको 'ज्ञेपक' बतलानेसे पहले इस वारकी जाँचकी बड़ी जरूरत है कि उक्त पद्यकी अनुपस्थितिसे ग्रन्थके प्रतिपाद्य विषय-सम्बन्धादिकमें किसी प्रकारकी वाधा न आते हुए भी, नीचे लिखे कारणोमेसे कोई कारण उपलब्ध है या कि नहीं—

१. दूसरे अमुक विद्वान्, आचार्य अथवा ग्रन्थका वह पद्य है और ग्रन्थमें 'उक्तं च' आदि रूपसे नहीं पाया जाता।

२. ग्रन्थकर्ताके दूसरे ग्रन्थ या उसी ग्रन्थके अमुक पद्य अथवा वाक्यके साथ वह विरुद्ध पड़ता है।

३. ग्रन्थके विषय, संदर्भ, कथनक्रम अथवा प्रकरणके साथ वह असम्बद्ध है।

४. ग्रन्थकी दूसरी अमुक प्राचीन, शुद्ध और असंदिग्ध प्रति-मे वह नहीं पाया जाता।

५. ग्रन्थके साहित्यसे उसके साहित्यका कोई मेल नहीं खाता, ग्रन्थकी कथनशैली उसके अस्तित्वको नहीं चाहती अथवा ग्रन्थ-कर्ताके द्वारा ऐसे कथनकी सम्भावना ही नहीं है।

जब तक इन कारणोमेसे कोई भी कारण उपलब्ध न हो और जब तक यह न बतलाया जाय कि उस पद्यकी अनुपस्थिति से ग्रन्थके प्रतिपाद्य विषयसम्बन्धादिकमें कोई प्रकारकी वाधा नहीं आती तब तक किसी पद्यको ज्ञेपक कहनेका साहस करना दुःसाहस मात्र होगा।

पं० पन्नालालजी वाकलीबालने जिन पद्योंको ज्ञेपक बतलाया है अथवा जिन पर ज्ञेपक होनेका सदेह किया है उनमेसे किसी भी पद्यके सम्बन्धमें उन्होंने यह प्रकट नहीं किया कि वह दूसरे अमुक आचार्य, विद्वान् अथवा ग्रन्थका पद्य है, या उसका कथन स्वामि समन्तभद्रप्रणीत उसी या दूसरे ग्रन्थके अमुक पद्य अथवा वाक्यके विरुद्ध है, न यही सूचित किया कि रत्नकरण्डकी दूसरी

अमुक प्राचीन, शुद्ध तथा असंदिग्ध प्रतिमे वह नहीं पाया जाता, या उसका साहित्य ग्रन्थके दूसरे साहित्यसे मेल नहीं खाता, और न एक पद्यको छोड़कर दूसरे किसी पद्यके सम्बन्धमें इस ग्राकारका कोई विवेचन ही उपस्थित किया कि, वैसा कथन स्वामी समन्त-भद्रका क्योंकर नहीं हो सकता। और इसलिये आपका संपूर्ण हेतुप्रयोग उपर्युक्त कारणकलापके प्रायः तीसरे नम्बरमें ही आ जाता है। दूसरे शब्दोमें यों कहना चाहिये कि वाकलीवालजीने उन पद्योंको मूल ग्रंथके साथ असम्बद्ध समझा है। उनकी समझ में कुछ पद्योंका अन्वयार्थ ठीक न बैठने या विपयसम्बन्ध ठीक प्रतिभासित न होने आदिका भी यही प्रयोजन है। अन्यथा, ‘चतुरार्वत्रितय’ नामके पद्यको भी वे ‘क्षेपक’ बतलाते जिसका अन्वयार्थ उन्हें ठीक नहीं भासा।

परन्तु वास्तवमें वे सभी पद्य वैसे नहीं हैं जैसा कि वाकली-वालजीने उन्हें समझा है। विचार करने पर उनके अन्वयार्थ तथा विपयसम्बन्धमें कोई खास खराबी मालूम नहीं होती और इसका निर्णय ग्रन्थकी संस्कृतटीकापरसे भी सहजमें ही हो सकता है। उदाहरणके तौर पर ऐसी यहाँ उसी एक पद्यको लेता हूँ जिसे वाकलीवालजीने ‘अनभिज्ञक्षेपक’ लिखा है और जिसके विपयमें आपका विचार संदेहकी कोटिसे निकलकर निश्चयकी हड़को पहुँचा हुआ मालूम होता है। साथ ही, जिसके सम्बन्धमें आपने यहाँ तक भी कहनेका साहस किया है कि “स्वामी समन्तभद्रके ऐसेचर्चन कदापि नहीं हो सकते।” वह पद्य इस प्रकार है—

व्यापारवैमनस्याद्विनिवृत्त्यामन्तरात्मविनिवृत्त्या ।

सामग्रिकं वज्ञायादुपवासे चैक्षुक्ते वा ॥१००॥

इस पद्यमें, प्रधानतासे और तद्वत्तानुयायी सर्वसाधारणकी दृष्टिसे, उपवास तथा एकसुक्तके दिन सामायिक करनेका विधान

किया गया है—यह नहीं कहा गया कि केवल उपवास तथा एक-भुक्तके दिन ही सामायिक करना चाहिये । फिर भी इससे कभी कोई यह न समझ ले कि दूसरे दिन अथवा नित्य सामायिक करनेका निपेघ है अतः आचार्यमहोदयने अगले पद्यमें इस बात को स्पष्ट कर दिया है और लिख दिया है कि नित्य भी (प्रतिदिव-समयि) निरालसी होकर सामायिक करना चाहिये । वह अगला पद्य इस प्रकार है—

सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यं ।

त्रितपचकपरिपूरणकारणमवधानयुक्तेन ॥१०॥

इस पद्यमें ‘प्रतिदिवस’ के साथ ‘अपि’ ‘शब्द खास तौरसे ध्यान देने योग्य है और वह इस पद्यसे पहले ‘प्रतिदिवससामायिक’ से भिन्न किसी दूसरे विधानको माँगता है । यहि पहला पद्य अन्यसे निकाल दिया जाय तो यह ‘अपि’ शब्द बहुत कुछ खटकने लगता है । अतः इक्त पद्य चेपक नहीं है और न अगले पद्यके साथ उसका कोई विरोध जान पड़ता है । उसे ‘अनभिज्ञ-चेपक’ बतलाना अपनी ही अनभिज्ञता प्रकट करना है । मालूम होता है कि बाकलीबालजीका ध्यान इस ‘अपि’ शब्द पर नहीं राय और इसीसे उन्होंने इसका अनुवाद भी नहीं दिया । साथ ‘ही, उस अनभिज्ञचेपकका अर्थ भी उन्हें ठीक प्रतिभासित नहीं हुआ । यही वजह है कि उन्होंने उसमे व्यर्थ ही ‘केवल’ और ‘ही’ शब्दोंकी कल्पना की और उन्हें चेपकत्वके हेतुस्वरूप यह भी लिखना पड़ा कि इस पद्यका अन्वय ही ठीक नहीं वैठता । अन्यथा, इस पद्यका अन्वय कुछ भी कठिन नहीं है—‘सामयिक चञ्चीयात्’ को पद्यके अन्तमें कर देनेसे सहजमें ही अन्वय हो जाता है । दूसरे पद्योंके अन्वयार्थ तथा विषय-सम्बन्धकी भी ग्रायः ऐसी ही हालत है । उन्हें भी आपने उस बक्त ठीक तौरसे समझा मालूम नहीं होता और इसलिये उनका वह सब उल्लेख

प्रायः भूलसे भरा हुआ जान पड़ता है । बाढ़को मेरे दर्याफत करने पर, बालकीबालजीने, अपने १८ जून सन् १९२३ के पत्रमें, इस भूलको स्वीकार भी किया है, जिसे मैं उन्हींके शब्दोंमें नीचे प्रकट करता हूँ ।

“रत्नकरण्डके प्रथम संस्करणमें जिन पद्योंको मैंने क्षेपक ठहराया था उसमें कोई प्रमाण नहीं, उस वक्तकी अपनी तुच्छ वुद्धिसे ही ऐसा अनुमान हो गया था । संस्कृतटीकामें सबकी खुक्खियुक्त टीका देखनेसे मेरा मन आव नहीं है कि वे क्षेपक हैं । वह प्रथम ही प्रथम मेरा काम था संस्कृत-टीका देखनेमें आई नहीं थी इसीलिये विचारार्थ प्रश्नात्मक (?) नोट कर दिये गये थे । सो मेरी भूल थी ।”

यद्यपि यह बाकलीबालजीकी उस वक्तकी भूल थी परंतु इसने कितने ही लोगोंको भूलके चक्करमें डाला है, जिसका एक उदाहरण पं० नाना रामचंद्रजी नाम हैं । आपने बाकलीबालजीकी उक्त कृति परसे उन्हीं २१ पद्यों पर क्षेपक होनेका सदेह किया हो सो नहीं, बल्कि उनमेंसे पंद्रह X पद्योंको विलक्षण ही श्रंथसे बाहरकी चीज समझ लिया । साथ ही तेरह पद्योंकों और भी उन्हीं—जैसे मानकर उन्हे उसी कोटिमें शामिल कर दिया और इस तरह पर डक्कीसकी जगह अड्डाईस पद्योंको ‘क्षेपक’ करार देकर उन्हें ‘उपा-

X उक्त २१ पद्योंमेंसे निम्न नामके छह पद्योंको छोड़कर जो शेष रहते हैं उनको—

मद्यमाम, यदनिष्ट. निःश्रेयस, जन्मजरा, विद्यादर्शन, काले करुप ।

१ उन तेरह पद्योंकी नामसूची इस प्रकार है—

ओजस्तेजो, मष्टगुण, नवनिधि, अमरासुर, शिवमजर, रामद्वेष, मकराकार, पचानां पांपाना, शृहहारि, सवत्सर, सामयिक, शृहकर्मणा, उचैर्गोत्र ।

सकाव्ययन'की उस प्रथमावृत्ति से विल्कुल ही निकाल डाला—छापा तक भी नहीं—जिसको उन्होंने शक सं० १८२६ (वि० सं० १६६१) मेरठी अनुवाद-सहित प्रकाशित किया था । इसके बाद नाग साहबने अपनी बुद्धिको और भी उसी मार्गमे दौड़ाया और तब आपको अन्यकारसे ही—विना किसी आधार या प्रमाण-के—यह सूफ़ पड़ा कि इस ग्रन्थमे और भी कुछ क्षेपक है जिन्हे ग्रन्थसे बाहर निकाल देना चाहिये । साथ ही, यह भी मालूम पड़ा कि निकाले हुए पद्योंमेंसे कुछका फिरसे ग्रन्थमे ग्रवेश कराना चाहिये । और इसलिये शक सं० १८४४ (वि० सं० १६७६) मेरठ आपने इस ग्रन्थकी द्वितीयावृत्ति प्रकाशित कराई तब आपने अपनी उस सूफ़-बूझको कांर्यमे परिणत कर डाला—अर्थात्, प्रथमावृत्ति-वाले २८ पद्योंमेंसे २३ * और २६ † नये इस प्रकार ४६ I पद्योंको उक्त आवृत्तिमें स्थान नहीं दिया । उन्हे क्षेपक

* पाँच पद्य जिन्हे प्रथमावृत्तिमें, ग्रन्थसे बाहरकी चौंक समझकर, निकाल दिया गया था और द्वितीयावृत्तिमें जिनको पुनः प्रविष्ट किया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं—

मकराकर, गृहहारि, सवत्मर, मामयिक, देवाधिदेव ।

† इन २६ पद्योंमें छह तो वे वाकलीवालजीवाले पंच हैं जिन्हे आपने प्रथमावृत्ति के अवसर पर क्षेपक नहीं समझा था और जिनके नाम पहले दिये जा चुके हैं । शेष २० पद्योंकी नामसूची इस प्रकार है—

देवयामि, क्षुत्पिपासा, परमेष्ठी, अनात्मायं, सम्यग्दर्शनसम्पन्न, दर्शन, गृहस्थो, न सम्यक्त्व, भोहितिभिरा, हिंसानृत, सकल, अल्पफल, सामयिके, शीतोष्ण, अशरण, चतुराहार, नवपुष्यः, क्षितिगत, श्रावक-पदानि, येन स्वयं ।

इन पद्योंकी संख्या ५८ (अष्टावन) दी है और निकाले हुए पद्योंके

अथवा ग्रन्थसे जाहरकी चीज समझकर प्रकदम निर्वासित कर दिया है—और अपने ऐसा करनेका कोई भी युक्तियुक्त कारण नहीं दिया। हाँ, टाइटिल और प्रस्तावना-डारा इतना ज़खर सूचित किया है कि, ग्रन्थकी यह छित्रीयावृत्ति पं० पन्नालाल बाकलीयाल-कृत 'जैनधर्माभृतसार' भाग २ रा नामक पुस्तककी उस प्रथमा-वृत्तिके अनुकूल है जो नागपुरमे जून सन् १८६६ ई० को छपी थी। साथ ही यह भी बतलाया है कि उस पुस्तकमें सिर्फ उन्हीं श्लोकोंको यहाँ छोड़ा गया है जो दूसरं आचार्यके थे, वाकी भगवत्समंतभद्रके १०० श्लोक इस आवृत्तिमें ज्योंके त्यों ग्रहण किये गये हैं। परन्तु उस पुस्तकका नाम न तो 'उपासकाध्ययन' है और न 'रत्नकरण्ड', न नाग साहबकी इस छित्रीयावृत्तिकी तरह उसके ७ माग है और न उसमें समन्तभद्रके १०० श्लोक ही पाये जाते है; बल्कि वह एक संग्रहपुस्तक है जिसमें प्रधानतः रत्नकरण्ड-श्रावकाचार और पुरुषार्थसिद्ध्यचुपाय नामक ग्रन्थोंसे श्रावकाचार-विषयका कुछ कथन प्रश्नोत्तररूपसे संग्रह किया गया है और उसे 'प्रश्नोत्तरश्रावकाचार' ऐसा नाम भी दिया है। उसमे यथा-

जो क्रमिक नम्बर, समूचे ग्रन्थकी हृषिसे, दिये हैं उनसे वह सत्या ५६ हो जाती है। साथ ही २१, २६, ३२, ४१, ६३, ६७, ६६, ७०, ७६, ७७, ७८, ७६, ८०, ८३, ८७, ८८, ८६, ९१, ९३, ९४, ९५, ९६, १०१, ११२, और १४८ नम्बरवाले २५ पद्योंको भी निकाले हुए सूचित किया है, जिन्हें वास्तवमें निकाला नहीं गया! और निकाले हुए २, २८, ३१, ३३, ३४, ३६, ३६, ४०, ४७, ४८, ६६, ८५, ८६, १०४ और १४६ नम्बर वाले १५ पद्योंका उस सूचीमें उल्लेख ही नहीं किया। इस प्रकारके गलत और भ्रामक उल्लेख, निःसन्देह बड़े ही खेदजनक और अनर्थमूलक होते हैं। वस्तु ही प्रान्तिक समाने भी ज्ञायद इसी पर विश्वास करके अपने २१ में अधिवेशनके तृतीय प्रस्तावमें ५८ सत्याका गलत उल्लेख किया है। (देखो जनवरी सन् १६२२ का 'जैनबोधक' पत्र)

वश्यकता 'रत्नकरण्डश्रावकाचार' से कुल ८६ श्लोक उद्धृत किये गये हैं। अतः नाग साहबकी यह द्वितीयावृत्ति उसीके अनुकूल है अथवा उसीके आधार पर प्रकाशित की गई है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मालूम होता है कि उन्होंने इस प्रकारकी वातों-डारा १५ पद्धिकके सामने असल वात पर कुछ पर्दा ढालना चाहा है। और वह असल वात यह है कि, आपकी समझमें यह ग्रन्थ एक 'शतक' ग्रन्थ मालूम होता है और इसलिये आप इसमें १०० श्लोक मूलके और वाकी सब क्षेपक समझते हैं। इसी वातको आपने अपने अन्वेत्र शुक्ल ४ शक संवत् १८४४ के पत्रमें सुन्धर इस प्रकार प्रकट भी किया था—

"यह शतक है, और ५० + श्लोक क्षेपक है, १०० श्लोक लक्षण के हैं।"

परंतु यह सब आपकी केवल कल्पना ही कल्पना थी। आपके पास इसके समर्थनमें कोई भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया, जिसका यहाँ पर ऊहापोह किया जाता। हाँ, एक बार प्रथमावृत्ति के अवसर पर, उसकी प्रस्तावनामें, आपने ग्रन्थसे निकाले हुए २८ पद्धोंके सम्बन्धमें यह प्रकट किया था कि, वे पद्ध ग्रन्थकी कर्णाटक वगैरह प्रतिमे 'उक्तंच' रूपसे दिये हुए हैं अतः, समंतभद्राचार्यके न होकर दूसरे आचार्यके होनेसे, हमने उन्हें इस पुस्तक में ग्रहण नहीं किया। प्रस्तावनाके वे शब्द इस प्रकार हैं—

"एक दो वातें और भी ऐसी ही हैं जिन्हे लेख बढ़ जानेके भयादि-से यहा छोड़ा गया है।

१ यद्यपि उक्त द्वितीयावृत्तिमें ५० की जगह ४६ श्लोक ही निकाले मये हैं और १०१ छापे गये हैं परन्तु प्रस्तावनामें १०० श्लोकोंके छापने की ही जूचना की गई है। इससे संभव है कि अन्तका 'पापमराति' वाला पद्ध उल्लीभे कम्पोज होकर छप गया हो और, सब पद्धों पर एक क्रमसे नम्बर न होनेके कारण, उसका कुछ सायाल न रहा हो।

“हा पुस्तकाच्या प्रती कर्नाटकांत वगैरे आहेत त्यांत कांही उक्तं च म्हणून श्लोक घातलेले आहेत ते श्लोक समंतभद्र आचार्यांचे रचलेले नसून दुसरथा आचार्यांचे, असल्यामुळे ते आम्ही हा पुस्तकांत घेतले नाहीते।”

परंतु कर्णाटक वगैरहकी वह दूसरी प्रति कौनसी है जिसमें उन २८ पद्योंको ‘उक्तं च’ रूपसे दिया है, इस बातका कोई पता आप, कुछ विद्वानोके दर्याफत करने पर भी, नहीं बतला सके। और इसलिये आपका उक्त उल्लेख मिथ्या पाया गया। इस प्रकारके मिथ्या उल्लेखोंको करके व्यर्थकी गड़वड़ पैदा करनेमें आपका क्या उद्देश्य अथवा हेतु था, इसे आप ही समझ सकते हैं। परंतु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं और न इस कहनेमें मुझे ज़रा भी संकोच हो सकता है कि, “आपकी यह सब कार्रवाई विलकुल ही अविचारित हुई है और बहुत ही आपत्तिके योग्य है। कुछ पद्योंका क्रम भी आपने बदला है और वह भी आपत्तिके योग्य है। एक माननीय ग्रंथमेंसे, यिना किसी प्रबल प्रमाणकी उपलब्धिके और यिना इस बातका अच्छी तरहसे निर्णय हुए कि उनमें कोई क्षेपक शामिल है या नहीं, अपनी ही कोरी कल्पनाके आधारपर अथवा स्वरुचिमात्रसे कुछ पद्योंको (चाहे उनमें कोई क्षेपक भी भले ही हों) इस तरहपर निकाल डालना एक बहुत ही बड़े दुःसाहस तथा भारी धृष्टिकाका कार्य है। और इस लिये नागसाहबकी यह सब अनुचित कार्रवाई कदापि अभिनन्दनके योग्य नहीं हो सकती। आपने उन पद्योंको निकालते समय यह भी नहीं सोचा कि उनमेंसे कितने ही पद्य ऐसे हैं जो आजसे कई शताब्दियों पहलेके बने हुए ग्रंथोंमें स्वामी समंतभद्रके नामसे उल्लेखित पाये जाते हैं, कितने ही ‘आवकपदानि देवैः’ जैसे पद्योंके निकाल डालनेसे दूसरे पद्योंका महत्व तथा विषय कम हुआ जाता है; अथवा रत्नकरंडपर सस्कृत तथा कनडी आदिकी कितनी ही टीकाएं ऐसी मिलती हैं जिनमें

वे सब पद्य मूलरूपसे दिये हुए हैं, और इस लिये मुझे अधिक सावधानीसे काम लेना चाहिये। सचमुच ही नागसाहबने ऐसा करते हुए बड़ी भारी भूलसे काम लिया है। परंतु यह अच्छा हुआ कि अन्तमे आपको भी अपनी भूल मालूम पड़ गई और आपने, अपनी इस नासमझीपर खेद प्रकट करते हुए, यह प्रण किया है कि, मैं भविष्यमें ऐसी कमती श्लोकवाली कोई प्रति इस ग्रन्थकी प्रकाशित नहीं करूँगा * ।

यह सब कुछ होते हुए भी, ग्रन्थके कितने ही पद्योंपर अर्थे तक आपका संदेह बना रहा है। एक पत्रमें तो आपने मुझे यहाँ तक सूचित किया है कि—“क्षेपककी शंका बहुत लोगोंको है परंतु उनका पक्का आधार नहीं मिलता।” इस वाक्यसे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि नाग साहबने जिन पद्योंको ‘क्षेपक’ करार दिया है उन्हें क्षेपक करार देनेके लिये आपके अथवा आपके मित्रों-के पास कोई पक्का आधार (प्रमाण) नहीं था और इसलिये आपका यह सब कोरा संदेह ही संदेह रहा है।

रत्नकरडश्रावकाचारकी एक आवृत्ति दक्षिण महाराष्ट्र-जैनसभाके जनरत्न सेक्रेटरी (X प्रोफेसर अरणा साहब बाबाजी लट्ठे) ने भी मराठी अनुवाद-सहित ग्रन्थाशित कराई है। ग्रन्थके हैं ‘भाऊ बाबाजी लट्ठे, कुरुद्वाढ़ ।’ इस आवृत्तिमें यद्यपि भूल श्लोक वे ही १५० दिये हैं जो सटीक प्रतिमें पाये जाते हैं परन्तु प्रस्तावनामें इतना ज्ञाल सूचित किया है कि इन श्लोकों-में कुछ ‘असम्बद्ध’ श्लोक भी हैं। साथ ही, यह भी बतलाया है कि, कनडी लिपिकी एक प्रतिमें, जो उन्हें रा० देवाप्पा उपाध्याय

* देखो ‘जैनबोधक’ वर्ष ३२ का छठा अंक।

X यह नाम मुझे पं० नाना रामचन्द्रजी वागके पत्रसे मालूम हुआ है। साथ ही, यह भी ज्ञात हुआ है कि इस आवृत्तिका अनुवादादि कार्य भी प्रोफेसर साहबका ही किया हुआ है।

से प्राप्त हुई थी, ५० श्लोक अधिक हैं जिनमें से उन श्लोकों को छोड़कर जो स्पष्ट रूप से 'क्षेपक' मालूम होते थे शेष ७ पद्यों को परिशिष्ट के तौर पर दिया गया है। इस सूचना से दो बातें पार्द्दे जाती हैं—एक तो यह कि, कनडी लिपि में इस अन्यथकी ऐसी भी प्रति है जिसमें २०० श्लोक पाये जाते हैं; दूसरी यह कि, लट्ठे साहब को भी इन ढेढ़सौ श्लोकों में से कुछ पर क्षेपक होनेका सदैह है जिन्हें वे असम्बद्ध कहते हैं। यद्यपि आपने ऐसे पद्यों की कोई सूची नहीं दी और न क्षेपक-असम्बद्धी कोई विशेष विचार ही उपस्थित किया—वल्कि उस प्रकार के विचारको वहाँ पर 'अप्रस्तुत' कहकर छोड़ दिया है X—तो भी उदाहरण के लिये आपने २७ वें पद्यकी ओर संकेत किया है और उसे असम्बद्ध बतलाया है। वह पद्य इस प्रकार है—

यदि पापनिरोधोऽन्यसंपदा कि प्रयोजनं ।

अथ पापस्त्वांस्त्यन्यसंपदा कि प्रयोजनं ॥

यह पद्य स्थूल दृष्टिसे भले ही कुछ असम्बद्ध सा मालूम होता हो परन्तु जब इसके गम्भीर अर्थ पर गहराई के साथ विचार किया जाता है और पूर्वापर-पद्यों के अर्थ के साथ उसकी शृङ्खला, मिलाई जाती है तो यह असम्बद्ध नहीं रहता। इसके पहले २५ वें पद्यमें मदका अष्टमेदात्मक स्वरूप बतलाकर २६ वें पद्यमें उस मदके करनेका दोष दिखलाया गया है और यह जतलाया गया है कि किसी कुल जाति या ऐश्वर्यादिके मदमे आकर धर्मात्माओं का—सम्यग्दर्शनादिक युक्त व्यक्तियों का—तिरस्कार नहीं करना चाहिये। इसके बाद विवादस्थ पद्यमें इस बातकी शिक्षा की गई है कि जो लोग कुलैश्वर्यादि सम्पत्तिसे युक्त हैं वे अपनी

X यथा—“भूल पुत्तकात म्हणून दिलेल्या १५० श्लोकात देखील काही असंबद्ध दिसतात उदाहरणार्थ २७ वाँ श्लोक पहा परन्तु हा विचार या ठिकाणी अप्रस्तुत आहे.”

तत्त्वद्विषयक मदपरिणामिको दूर करनेके लिये कैसे और किस प्रकारके विचारों-द्वारा समर्थ हो सकते हैं। धर्मात्मा वही होता है जिसके पापका निरोध है—पापास्तव नहीं होता। विपरीत इसके, जो पापास्तवसे युक्त है उसे पापी अथवा अधर्मात्मा समझना चाहिये। इस पद्यमें यह बतलाया गया है कि जिसके पास पापके निरोधरूप धर्मसंपत्ति अथवा पुण्यचिभूति मौजूद है उसके लिये कुलैश्वर्यादिकी सम्पत्ति कोई चीज़ नहीं—अप्रयोजनीय है—उसके अन्तरंगमें उससे भी अधिक तथा विशिष्टतर सम्पत्तिका सञ्चाव है, जो कालांतरमें प्रकट होगी और इसलिये वह तिरस्कारका पात्र नहीं। इसी तरह जिसकी आत्मामें पापास्तव बना हुआ है उसके कुलैश्वर्यादि सम्पत्ति किसी कामकी नहीं। वह उस पापास्तवके कारण शीघ्र नष्ट हो जायगी और उसके दुर्गतिगमनादिको रोक नहीं सकेगी। ऐसी सम्पत्तिको पाकर मद करना मूर्खता है। जो लोग इस सम्पूर्ण तत्त्वको समझते हैं वे कुलैश्वर्यादिविहीन धर्मात्माओंका कदापि तिरस्कार नहीं करते। अगले दो पद्यमें भी इसी भावको पुष्ट किया गया है—यह समझाया गया है कि, एक मनुष्य जो सम्यग्दर्शनरूपी धर्मसम्पत्तिसे युक्त है वह चाण्डालका पुत्र होने पर भी—कुलादि-सम्पत्तिसे अत्यन्त गिरा हुआ होने पर भी—तिरस्कारका पात्र नहीं होता। उसे गणधराद्विक देवोंने 'देव' कहा है—आराध्य बतलाया है। उसकी दशा उस अंगारके सद्दश होती है जो वाह्यमें भस्मसे आच्छादित होने पर भी अन्तरंगमें तेज तथा प्रकाशको लिये हुए है और इसलिये कदापि उपेत्त्वाणीय नहीं होता। मनुष्य तो मनुष्य, एक कुत्ता भी धर्मके प्रतापसे सम्यग्दर्शनादिके माहात्म्यसे—देव बन जाता है और पापके प्रभावसे—मिथ्यात्मादिके कारण—एक देव भी कुत्तेका जन्म प्रहण करता है। ऐसी हालतमें दूसरी ऐसी कौनसी मम्पत्ति है जो मनष्योंको व्यंग्यां मंमागी जीवोंने मम्-

के प्रसादसे प्राप्त न हो सकती हो ? कोई भी नहीं ! और इसलिये कुलैश्वर्यादि-विहीन धर्मात्मा लोग कदापि तिरस्कारके योग्य नहीं होते । यहाँ २६ वें पद्ममें ‘अन्य सम्पत्’ और २७वें पद्ममें ‘अन्य सम्पदा’ पद् खास तौरसे ध्यान देने योग्य है । इनमें ‘अन्या’ और ‘अन्य’ विशेषणोंका प्रयोग । उस कुलैश्वर्यादि-सम्पत्तिको लक्ष्य करके किया गया है जिसे पाकर मूढ़ लोग मद करते हैं और जिनके उस मदका उल्लेख २५, २६ नम्बरके पद्मोंमें किया गया है और इससे इन सब पद्मोंका भले प्रकार एक सम्बन्ध स्थापित होता है । अतः उक्त २७ वाँ पद्म असम्बद्ध नहीं है ।

कुछ विद्वानोंका ख्याल है कि सम्यग्दर्शनकी महिमावाले पद्मोंमें कितने ही पद्म क्षेपक हैं, उनकी रायमें या तो वे सभी पद्म क्षेपक हैं जो छाद-परिवर्तनको लिये हुए—३४वें पद्मके बाद अध्ययन (परिच्छेद)के अन्त तक—पाये जाते हैं और नहीं तो वे पद्म क्षेपक ज्ञात होने चाहियें जिनमें उन्हें पुनरुक्तियाँ मालूम देती हैं ।

इसमें सन्देह नहीं कि ग्रन्थमें ३४वें पद्मके बाद अनुष्टुप्की जगह आर्या छन्द बदला है । परन्तु छन्दका परिवर्तन किसी पद्म-को क्षेपक करार देनेके लिये कोई गारंटी नहीं होता । बहुधा ग्रन्थोंमें इस प्रकारका परिवर्तन पाया जाता है—खुद स्वामी समन्तभद्र के ‘जिनशतक’ और ‘स्वयम्भूस्तोत्र’ ही इसके खासे उदाहरण हैं जिनमें किसी-किसी तीर्थकरकी स्तुति भिन्न छन्दमें ही नहीं किन्तु एकसे अधिक छन्दोंमें भी की गई है । इसके सिवाय, यहाँ पर जो छन्द बदला है वह दो एक अपवादोंको छोड़कर वरावर ग्रन्थके अन्त तक चला गया है—ग्रन्थके बाकी सभी अध्ययनोंकी रचना प्रायः उसी छन्दमें हुई है—और इसलिये छन्दाधारपर उठी हुई इस शंकामें कुछ भी बल मालूम नहीं होता । हाँ, पुनरुक्तियोंकी बात ज्ञात विचारणीय है, यद्यपि केवल पुनरुक्ति भी किसी पद्मको क्षेपक नहीं बनाती तो भी इस कहनेमें मुझे जरा भी

संकोच नहीं होता कि स्वामी समन्तभद्रके प्रबन्धोंमें व्यर्थकी पुनरुक्तियाँ नहीं हो सकतीं। इसी बातकी जाँचके लिये मैंने इन पद्योंको कई बार बहुत शौकके साथ पढ़ा है; परन्तु मुझे उनमें जरा भी पुनरुक्तिका दर्शन नहीं हुआ। प्रत्येक पद्य नये-नये भाव और नये-नये शब्द-विन्यासको लिये हुए हैं। प्रत्येकमें विशेषता पाई जाती है—हर एकका प्रतिपाद्यविषय, सम्यग्दर्शनका माहात्म्य अथवा फल होते हुए भी अलग-अलग है—और सभी पद्य एक टक्कसालके—एक ही विद्वान्के द्वारा रचे हुए—मालूम होते हैं। उनमेंसे किसी एकको अथवा किसीको भी ‘ज्ञेपक’ कहनेका साहस नहीं होता। मालूम नहीं उन लोगोंने कहोंसे इनमें पुनरुक्तियोंका अनुभव किया है। शायद उन्होंने यह समझा हो और वे इसी बातको कहते भी हों कि ‘जब ३५वें पद्यमें यह वतलाया जा चुका है कि शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव नारक, तिर्यक, नपुंसक और स्त्रीकी पर्यायोंमें जन्म नहीं लेता, न दुष्कुलोंमें जाता है और न विकलांग, अल्पायु तथा दरिद्री ही होता है तो इससे यह नतीजा सहज ही निकल जाता है कि वह मनुष्य तथा देवपर्यायोंमें जन्म लेता है, पुरुष होता है, अच्छे कुलोंमें जाता है; साथ ही धनादिक की अच्छी अवस्थाको भी पाता है। और इसलिये मनुष्य तथा देव-पर्यायकी अवस्थाओंके सूचक अगले दो पद्योंके देनेकी ज़रूरत नहीं रहती। यदि उन्हें दिया भी था तो फिर उनसे अगले दो पद्योंके देनेकी ज़रूरत न थी। और अन्तका ४१ वाँ पद्य तो विलक्षण ही अनावश्यक जान पड़ता है, वह साफ तौरसे पुनरुक्तियोंको लिये हुए है—उसमें पहले चार पद्योंके ही आशयका संग्रह किया गया है—या तो उन चार पद्योंको ही देना था और या उन्हे न देकर इस एक पद्यको ही देना काफ़ी था।’

इस सम्बन्धमें ‘मैं सिर्फ इतना ही कहना उचित समझता हूँ कि प्रथम तो ‘ज़रूरत नहीं रहती’ या ‘ज़रूरत नहीं थी’ और

‘पुनरुक्ति’ ये दोनों एक चीज़ नहीं हैं, दोनोंमें बहुत बड़ा अन्तर है और इसलिये ज़रूरत न होनेको पुनरुक्ति समझ लेना और उसके आधार पर पद्धोंको क्षेपक मान लेना भूलसे खाली नहीं है। दूसरे, ३५ वें पद्धसे मनुष्य और देवपर्यायसम्बन्धी जो नतीजा निकलता है वह बहुत कुछ सामान्य है और उससे उन विशेष अवस्थाओंका लाजिमी तौर पर बोध नहीं होता जिनका उल्लेख अगले पद्धोंमें किया गया है—एक जीव देव-पर्यायिको प्राप्त हुआ भी भवनत्रिकमे (भवनवासी-व्यन्तर-ज्योतिषियोंमे) जन्म ले सकता है और स्वर्गमे साधारण देव हो सकता है। उसके लिये यह लाजिमी नहीं होता कि वह स्वर्गमें देवोंका इन्द्र भी हो। इसी तरह मनुष्यपर्यायिको प्राप्त होता हुआ कोई जीव मनुष्यों-की दुष्कृति और दरिद्रतादि दोषोंसे रहित कितनी ही जघन्य तथा मध्यम श्रेणियोंमे जन्म ले सकता है। उसके लिये मनुष्य पर्यायमें जाना ही इस बातका कोई नियामक नहीं है कि वह महाकुल और महाधनादिककी उन संपूर्ण विभूतियोंसे युक्त होता हुआ ‘मानवतिलक’ भी हो जिनका उल्लेख ३६ वें पद्धमें किया गया है। और यह तो स्पष्ट ही है कि एक मनुष्य महाकुलादि-सम्पन्न मानवतिलक होता हुआ भी—नारायण, वलभद्रादि पदों-विभूषित होता हुआ भी—चक्रवर्ती अथवा तीर्थकर नहीं होता। अतः सम्यग्दर्शनके माहात्म्य तथा फलको अच्छी तरहसे प्रख्यापित करनेके लिये उन विशेष अवस्थाओंको दिखलानेकी खास ज़रूरत थी जिनका उल्लेख बादके चार पद्धोंमें किया गया है और इसलिये वे पद्ध क्षेपक नहीं हैं। हाँ, अन्तका ४१ वाँ पद्ध यदि वह सचमुच ही ‘संप्रहवृत्त’ है—जैसा कि टीकाकारने भी प्रकट[#] किया है—कुछ खटकता ज़रूर है। परन्तु मेरी रायमें वह

* यथा—“यत्प्राक् प्रत्येक इलोकैः सम्यग्दर्शनस्य फलमुक्तं तद्दर्शनाधिकारस्य समाप्तो सग्रहवृत्तेनोपसंहृत्य प्रतिपादयन्नाह—”

कोरा संग्रहवृत्त नहीं है। उसमें ग्रन्थकारमहोदयने एक दूसरा ही भाव रखता है जो पहले पद्योंसे उपलब्ध नहीं होता। पहले पद्य अपनी-अपनी बातका खंडशः उल्लेख करते हैं। वे इस बात-को नहीं बतलाते कि एक ही जीव, सम्यग्दर्शनके माहात्म्यसे, उन सभी अवस्थाओंको भी क्रमशः प्राप्त कर सकता है—अर्थात् देवेन्द्र, चक्रवर्ति और तीर्थकर पदोंको पाता हुआ मोक्षमें जा सकता है। इसी खास बातको बतलानेके लिये इस पद्यका अवतार हुआ मालूम होता है। और इसलिये यह भी 'क्षेपक' नहीं है।

सल्लेखना अथवा सद्गुर्मका फल प्रदर्शित करने वाले जाँ 'निःश्रेयस' आदि छह पद्य हैं उनका भी हाल प्रायः ऐसा ही है। वे भी सब एक ही टाइपके पद्य हैं और पुनरुक्तियोंसे रहित पाये जाते हैं। वहाँ पहले पद्यमें जिन 'निःश्रेयस' और 'अभ्युदय' नामके फलोंका उल्लेख है अगले पद्योंमें उन्हीं दोनोंके स्वरूपादि-का स्पष्टीकरण किया गया है। अर्थात् दूसरेमें निःश्रेयसका और छठेमे अभ्युदयका स्वरूप दिया है और शेष पद्योंमें निःश्रेयसको प्राप्त होनेवाले पुरुषोंकी दशाका उल्लेख किया है, इसलिये उनमें भी कोई क्षेपक नहीं और न उनमें परस्पर कोई असम्बद्धता ही पाई जाती है।

इसी तरह पर 'ज्ञुत्पिण्ठा' 'परमेष्ठी परञ्ज्योति' और 'अनात्मार्थ विजारणैः' नामके दीनों पद्योंमें भी कोई क्षेपक मालूम नहीं होता। वे आपके स्वरूपको विशद करनेके लिये यथावश्यकता और यथा-स्थान दिये गये हैं। पहले पद्यमें ज्ञधा-तृष्णादि दोषोंके अभावकी प्रधानतासे आपका स्वरूप बतलाया है और उसके बतलानेकी ज़रूरत थी; क्योंकि दिग्म्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंके अष्टादशदोष-सम्बन्धी कथनमें परस्पर बहुत बड़ा अन्तर* पाया

* श्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा माने हुए अठारह दोषोंके नाम इस प्रकार हैं—१ वीर्यन्तराय, २ भोगान्तराय, ३ उपभोगान्तराय, ४ दाना-

the first time I have seen it. It is a
very large tree, with a trunk about
12 inches in diameter, and a height
of about 15 feet. The leaves are
large and broad, with a pointed tip.
The flowers are small and white,
and the fruit is a small, round, yellow
berry. The tree is growing in a
clearing in the forest, and there
are other trees and bushes around
it. The bark of the tree is smooth
and grey, and the trunk is straight.
The leaves are arranged in whorls
along the branches, and the flowers
are clustered in whorls along the
branches. The fruit is hanging
from the branches in whorls.
The tree is very tall and straight,
and the leaves are very large and
broad. The flowers are very small
and white, and the fruit is very
small and yellow. The tree is
growing in a clearing in the
forest, and there are other trees
and bushes around it. The bark
of the tree is smooth and grey,
and the trunk is straight. The
leaves are arranged in whorls
along the branches, and the flowers
are clustered in whorls along the
branches. The fruit is hanging
from the branches in whorls.

उत्तरगुणोंमें, बिना किसी विशेषताका उल्लेख किये, उसको फिर से दुहरानेकी क्या ज़रूरत थी ? इसलिये यह पद्य पुनरुक्त-दोषसे युक्त होनेके साथ-साथ अनावश्यक भी जान पड़ता है। यदि मांसादिके त्यागका हेतु बतलानेके लिये इस पद्यको देनेकी ज़रूरत ही थी तो इसे उक्त 'मद्यमांसमधुत्यागैः' नामक पद्यके साथ ही—उससे ठीक पहले या पीछे देना चाहिये था। वही स्थान इसके लिये उपयुक्त था और तब इसमें पुनरुक्त आदि दोषोंकी कल्पना भी नहीं हो सकती थी।'

उपरके इस कथनसे यह तो स्पष्ट है कि यह पद्य मद्यादिके त्याग-विषयक हेतुओंका अथवा उनके त्यागकी दृष्टिका उल्लेख करनेकी वजहसे कथनकी कुछ विशेषताको लिये हुए ज़रूर है और इसलिये इसे पुनरुक्त या अनावश्यक नहीं कह सकते। अब देखना सिर्फ इतना ही है कि इस पद्यको अष्टमूलगुणवाले पद्य-के साथ न देकर यहाँ क्यों दिया गया है। मेरी रायमें इसे यहाँ पर देनेका मुख्य हेतु यह मालूम होता है कि ग्रन्थमें इससे पहले, जो 'भोगोपमोगपरिमाणवत्' का तथा 'भोग' का स्वरूप दिया गया है उससे यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि क्या मद्यादिक भोग पदार्थोंका भी इस ब्रतवालेको परिमाण करना चाहिये ? उत्तरमें आचार्यमहोदयने, इस पद्यके द्वारा, यही सूचित किया है कि 'नहीं, इन चीजोंका उसके परिमाण नहीं होता, ये तो उसके लिये बिल्कुल वर्जनीय हैं।' साथ ही, यह भी बतला दिया है कि क्यों वर्जनीय अथवा त्याज्य हैं। यदि यह पद्य यहाँ न दिया जाकर अष्टमूलगुणवाले पद्यके साथ ही दिया जाता तो यहाँ पर तो इससे मिलते-जुलते आशयके किसी दूसरे पद्यको देना पड़ता और इस तरह पर ग्रन्थमें एक बातकी पुनरुक्ति अथवा एक पद्यकी व्यर्थकी वृद्धि होती। यहाँ इस पद्यके देनेसे दोनों काम निकल जाते हैं—पूर्वोद्दिष्ट मद्यादिके त्यागका हेतु भी

मालूम हो जाता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस ब्रत-वाले के मध्यादिकका परिमाण नहीं होता, बल्कि उनका सर्वथा त्याग होता है। ऐसी हालतमें यह पद्य खड़गुप्तसे ब्रतोंके अनुष्ठान-की एक दृष्टिको लिये हुए होनेसे संदेहकी दृष्टिसे देखे जानेके योग्य मालूम नहीं होता।

कुछ लोग उक्त अष्टमूलगुणवाले पद्यको ही 'क्षेपक' समझते हैं परन्तु इसके समर्थनमें उनके पास कोई हेतु या प्रमाण नहीं है। शायद उनका यह खयाल हो कि इस पद्यमें पंचागुणतांत्रोंको जो मूलगुणोंमें शामिल किया है वह दूसरे ग्रन्थोंके विरुद्ध है, जिनमें अगुणतांत्रीकी जगह पञ्च उदुम्बरफलोंके त्यागका विधान-पाया जाता है, और इतने परसे हो वे लोग इस पद्यको संदेहकी दृष्टिसे देखने लगे हों। यदि ऐसा है तो यह उनकी निरी भूल है। देशकालकी परिस्थितिके अनुसार आचार्योंका मतभेद परस्पर होता आया है #। उसकी वजहसे कोई पद्य क्षेपक करार नहीं दिया जा सकता। भगवज्जिनसेन आदि और भी कई आचार्योंने अगुणतांत्रोंको मूलगुणोंमें शामिल किया है। पं० आशाधरजीने अपने सागारधर्मसूत्र और उसकी टीकामें समन्तभद्रादिके इस मतभेदका उल्लेख भी किया है। वास्तवमें सकलब्रती मुनियोंके मूलगुणोंमें जिस प्रकार पञ्च महाब्रतोंका होना जरूरी है उसी प्रकार देशब्रती आवकोंके मूलगुणोंमें पंचागुणतांत्रोंका होना भी जरूरी मालूम होता है। देशब्रती आवकोंको लक्ष्य करके ही आचार्यमहोदयने इन मूल गुणोंकी सूष्टि की है। पञ्च उदुम्बर-वाले मूलगुण प्रायः बालकोंको—अब्रतियों अथवा अनभ्यस्त देशसंयमियोंको—लक्ष्य करके लिखे गये हैं; जैसा कि शिवकोटि आचार्यके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

इसके लिये देखो 'जैनाचार्योंका शासन भ्रेद' नामका भेरा वह निवन्ध जो जैनग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय बन्दइसे प्रकाशित हुआ है।

मद्यमासमभुत्यागसंयुक्ताणुतानि नुः ।

ऋषौ मूलगुणाः पंचोदुम्बरैश्चार्मकेष्वपि ॥ —रत्नमाला

ऐसी हालतमे यह पद्य भी संदेहकी दृष्टिसे देखे जानेके योग्य नहीं । यह अगुव्रतोंके बाद अपने उचित स्थान पर दिया गया है । इसके न रहनेसे, अथवा यों कहिये कि श्रावकाचारविषयक अन्थमे श्रावकोंके मूलगुणोंका उल्लेख न होनेसे, अन्थमें एक प्रकारकी भारी त्रुटि रह जाती, जिसकी स्वामी समन्तभद्र-जैसे अनुभवी प्रन्थकारोंसे कभी आशा नहीं की जा सकती थी । इसलिये यह पद्य भी क्षेपक नहीं हो सकता ।

संदिग्ध पद्य

अन्थमें प्रोषधोपवास नामके शिक्षाब्रतका कथन करनेवाले दो पद्य इम प्रकारसे पाये जाते हैं—

(१) पर्वण्यष्ट्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु ।

चतुरम्बवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदिच्छामिः ॥१०५॥

(२) चतुराहारविसर्जनमुपवासः प्रोषधः सङ्कुक्षिः ।

स प्रोषधोपवासो यदुपोष्यारंभमाचरति ॥१०६॥

इनमे पहले पद्यसे प्रोषधोपवास ब्रतका कथन प्रारम्भ होता है और उसमे यह बतलाया गया है कि 'पर्वणी' (चतुर्दशी) तथा अष्टमीके दिनोंमे सदिच्छासे जो चार प्रकारके आहारका त्याग किया जाता है उसे 'प्रोषधोपवास' समझना चाहिये । यह प्रोषधोपवास ब्रतका लक्षण हुआ । टीकामें भी निम्न वाक्यके द्वारा इसे लक्षण ही सूचित किया है—

'अथेदानीं प्रोषधोपवासलक्षणं शिक्षाब्रतं व्याचक्षाणः प्राह'—

इस पद्यके बाद दो पद्योंमे उपवास-दिनके विशेष कर्तव्योंका निर्देश करके ब्रतातीचारोंसे पहले, वह दूसरा पूर्ण पद्य दिया है जो

ऊपर नम्बर (२) पर उद्भूत है। इसे पद्ममें भी प्रोपधोपवासका लक्षण बतलाया गया है। और उसमें भी वही चार प्रकारके आहार-त्यागकी पुनरावृत्ति की गई है। मालूम नहीं; यहाँ पर यह पद्म किस उद्देशसे रक्खा गया है। कथनक्रमको देखते हुए, इस पद्मकी स्थिति कुछ संदिग्ध ज़रूर मालूम होती है। टीकाकार भी उसकी इस स्थितिको स्पष्ट नहीं कर सके। उन्होंने इस पद्म-को देते हुए सिर्फ इतना ही लिखा है कि—

‘अबुना प्रोषधोपवासस्तल्लक्षणं कुर्वन्नाह—’

अर्थात्—अब प्रोषधोपवासका लक्षण करने हुए कहते हैं। परन्तु प्रोषधोपवासका लक्षण तो दो ही पद्म पहले किया और कहा जा चुका है, अब फिरसे उसका लक्षण करने तथा कहनेकी क्या जरूरत पैदा हुई, इसका कुछ भी स्पष्टीकरण अथवा समाधान टीकामें नहीं है। अस्तु; यदि यह कहा जाय कि इस पद्ममें ‘प्रोषध’ और ‘उपवास’ का अलग-अलग स्वरूप दिया है—चार प्रकारके आहारत्यागको उपवास और एक बार भोजन करनेको ‘प्रोषध’ ठहराया है—और इस तरह पर यह सूचित किया है कि प्रोषधपूर्वक—पहले दिन एक बार भोजन करके—जो अगले दिन उपवास किया जाता है—चार प्रकारके आहारका त्याग किया जाता है—उसे प्रोपधोपवास कहते हैं, तो इसके सम्बन्धमें सिर्फ इतना ही निवेदन है कि प्रथम तो पद्मके पूर्वार्धमें भले ही उपवास और प्रोषधका अलग-अलग स्वरूप दिया हो परन्तु उसके उत्तरार्धसे यह ध्वनि नहीं निकलती कि उसमें प्रोषधपूर्वक उपवासका नाम ‘प्रोपधोपवास’ बतलाया गया है। उसके शब्दोंसे सिर्फ इतना ही अर्थ निकलता है कि उपोषण (उपवास) पूर्वक जो आरंभाचरण किया जाता है उसे ‘प्रोपधोपवास’ कहते हैं— वाकी धारणक और पारणके दिनोंमें एकमुक्तिकी जो कल्पना टीकाकारने की है वह सब उसकी अतिरिक्त कल्पना मालूम

होती है। इस लक्षणसे साधारण उपवास भी प्रोषधोपवास हो जाते हैं; और ऐसी हालतमें इस पद्यकी स्थिति और भी ज्यादा गङ्गवडमें पढ़ जाती है। दूसरे, यदि यह मान भी लिया जाय कि, प्रोषधपूर्वक उपवासका नाम ही प्रोषधोपवास है और वही इस पद्यके द्वारा अभिहित है तो वह स्वामी समन्तभद्रके उस पूर्व-कथनके विरुद्ध पढ़ता है जिसके द्वारा पर्वदिनोंमें उपवासका नाम प्रोषधोपवास सूचित किया गया है और इस तरह, पर प्रोषधोपवासकी 'प्रोषधे पर्वदने उपवासः प्रोषधोपवासः' यह निश्चिकी की गई है। प्रोषध शब्द 'पर्वपर्यायवाची' है और प्रोषधोपवास-का अर्थ 'प्रोषधे उपवासः' है, यह बात श्रीपूज्यपाद, अकलंकदेव, विद्यानन्द, सोमदेव आदि सभी प्रसिद्ध विद्वानोंके प्रन्थोंसे पाई जाती है, जिसके द्वे एक उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

“प्रोषधशब्दः पर्वपर्यायवाची । शब्दादिग्रहणे प्रतिनिवृत्तौत्सु-
क्यानि पंचापीन्द्रियाण्युपेत्य तस्मिन्वसंतीत्युपवासः । चतुर्विंधाहारपरि-
त्याग इत्यर्थः । प्रोषधे उपवासः प्रोषधोपवासः ।” —सर्वार्थसिद्धिः
“प्रोषधशब्दः पर्वपर्यायवाची, प्रोषधे उपवासः प्रोषधोपवासः ।” इत्यादि—
तत्त्वार्थराजवार्तिक

“प्रोषधे पर्वण्युपवासः प्रोषधोपवासः ।” —श्लोकवार्तिक
“पर्वाणि प्रोषधान्याहुर्मीसे चत्वारि तानि च” इत्यादि —यशस्तिलक
“प्रोषधः पर्वपर्यायवाची । पर्वाणि चतुर्विंधाहारनिवृत्तिः प्रोषधोपवासः”
—चारित्रसार

“इहूं प्रोषधशब्दः रूद्धा पर्वसु वर्तते । पर्वाणि चाएम्यादितिथंयः
पूरणात्पवधमोपचयहेतुत्वादिति”— —श्राव प्र० टीकाया, हरिभद्रः

बहुत कुछ छानबीन करने पर भी दूसरा ऐसा कोई भी ग्रन्थ
मेरे देखनेमें नहीं आया जिसमें प्रोषधका अर्थ 'सकृहुक्ति' और

प्रोषधोपवासका अर्थ 'सुकृद्धुक्तिपूर्वक उपवास' किया गया हो। प्रोपधका अर्थ 'सुकृद्धुक्ति' नहीं है, यह बात खुद स्वामी समन्त-भद्रके निम्न वाक्यसे भी प्रकट होती है जो इसी ग्रन्थमें बादको 'प्रोषधोपवास' प्रतिमाका स्वरूप प्रतिपादन करनेके लिये दिया गया है—

पर्वदिनेषु चतुर्ब्जपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगृह्ण ।

प्रोषधनियमविधायी प्रणाधिपरः प्रोषधानशनः ॥

इससे 'चतुराहारविसर्जन' नामका उक्त पद्य स्वामी समन्त-भद्रके उत्तर कथनके भी विरुद्ध है, यह स्पष्ट हो जाता है। ऐसी हालतमे—ग्रन्थके पूर्वोत्तर कथनोंसे भी विरुद्ध पढ़नेके कारण—इस पद्यको स्वामी समन्तभद्रका स्वीकार करनेमे बहुत अधिक संकोच होता है। आश्चर्य नहीं जो यह पद्य प्रमाचन्द्रीय टीकासे पहले ही, किसी तरह पर, ग्रन्थमें प्रक्षिप्त हो गया हो और टीकाकारको उसका खयाल भी न हो सका हो।

अब मैं उन पद्यों पर विचार करता हूँ जो अधिकाश लोगों-की शंकाका विषय बने हुए हैं। वे पद्य दृष्टान्तोंके पद्य हैं और उनकी संख्या ग्रन्थमे छह पाई जाती है। इनमेंसे 'तावदंजन' और 'ततो जिनेन्द्रभक्त' नामके पहले दो पद्योंमें सम्यगदर्शनके निःशंकितादि अष्ट अंगोंमें प्रसिद्ध होनेवाले आठ व्यक्तियोंके नाम दिये हैं। 'मातंगो धनदेवश्च' नामके तीसरे पद्यमें पाँच व्यक्तियोंके नाम देकर यह सूचित किया है कि इन्होंने उत्तम पूजातिशयको प्राप्त किया है। परन्तु किस विषयमें? इसका उत्तर पूर्व पद्यसे सम्बन्ध मिलाकर यह दिया जा सकता है कि अहिं-सादि पंचाणुब्रतोंके पालन-विषयमें। इसके बाद ही 'धनश्री' नामक पद्यमें पाँच नाम और देकर लिखा है कि उन्हे भी क्रमशः उसी प्रकार उपाख्यानका विषय बनाना चाहिये। परन्तु इनके उपाख्यानका क्या विषय होना चाहिये अथवा ये किस विषयके

हृष्टान्त हैं, यह कुछ सूचित नहीं किया और न पूर्व पद्धोंसे ही इसका कोई अच्छा निष्कर्ष निकलता है। पहले पद्धके साथ सम्बन्ध मिलानेसे तो यह नतीजा निकलता है कि ये पाँचों हृष्टान्त भी अहिंसादिक ब्रतोंके हैं और इसलिये इनके भी पूजा-तिशयको दिखलाना चाहिये। हाँ, टीकाकार प्रभाचन्द्रने यह जरूर सूचित किया है कि ये क्रमशः हिंसादिकसे युक्त व्यक्तियोंके हृष्टान्त हैं। 'श्रीषेण' नामके पाँचवें पद्धमें चार नाम देकर यह सूचित किया गया है कि ये चतुर्भेदात्मक वैयाकृत्यके हृष्टान्त हैं। और 'अर्हचरणसपर्य' नामक छठे पद्धमें लिखा है कि राजगृहमें एक प्रमोदमत्त (विशिष्ट धर्मानुरागसे मस्त) मेडकने एक फूलके द्वारा अर्हन्तके चरणोंकी पूजाके माहात्म्यको महात्माओंपर प्रकट किया था।

इन पद्धोंपर जो आपचियों की जाती हैं अथवा की जा सकती हैं उनका समुच्चय सार इस प्रकार है—

(१) ग्रन्थके संदर्भ और उसकी कथनशैलीपरसे यह स्पष्ट है कि ग्रन्थमें श्रावकधर्मका प्रतिपादन औपदेशिक ढंगसे नहीं किन्तु विधिवाक्योंके तौरपर अथवा आदेशरूपसे किया गया है। ऐसी हालतमें किसी हृष्टान्त या उपाख्यानका उल्लेख करने अथवा ऐसे पद्धोंके देनेकी कोई जरूरत नहीं होती और इसलिये ग्रन्थमें ये पद्ध निरे अनावश्यक तथा बेमोलसे मालूम होते हैं। इनकी अनुपस्थितिसे ग्रथके प्रतिपाद्य विषय-सम्बन्धादिकमें किसी प्रकारकी कोई वाधा भी नहीं आती।

(२) शास्त्रोंमे एक ही विषयके अनेक हृष्टान्त अथवा उपाख्यान पाये जाते हैं; जैसे अहिंसाब्रतमें 'मृगसेन' धीवरका, असत्यभाषणमें राजा 'वसु' का, अब्रहासेवनमें 'कडारपिंग' का और परिग्रह-विषयमें 'पिण्याकर्गंध' का उदाहरण सुप्रसिद्ध है। भगवती आराधना और यशस्तिलकादि ग्रन्थोंमे इन्हींका उल्लेख

ही श्लोक मूलरूपसे पाये जाते हैं। इसी तरह दोनों टीकाओंमें जिन पद्योंको 'उत्कं च' आदि रूपसे दूसरे ग्रन्थोंसे उद्भृत करके टीकाका एक अंग बनाया गया था उन्हें उक्त मूल प्रतियों अथवा उनसे पहली प्रतियोंके लेखकोंने मूलका ही अंग बना डाला है। यद्यपि, इस परिचयसे किसीको यह बतलानेकी ऐसी कुछ जारूरत नहीं रहती कि पहली मूल प्रतिमे जो ४० पद्य बढ़े हुए हैं और दूसरी मूलप्रतिमे जिन १७ पद्योंको मूलका अंग 'बनाया गया है वे सब मूलग्रन्थके पद्य नहीं हैं; वल्कि टीका-टिप्पणियोंके ही अंग है—विज्ञ पाठक ग्रन्थमें उनकी स्थिति, पूर्वापर पद्योंके साथ उनके सम्बन्ध, टीकाटिप्पणियोंमें उनकी उपलब्धि, ग्रन्थके साहित्यसंदर्भ, ग्रन्थकी प्रतिपादन-शैली, समन्तभद्रके मूल ग्रन्थों-की प्रकृति और दूसरे ग्रन्थोंके पद्यादि-विपर्यक अपने अनुभव-परसे सहज ही में इस नतीजेको पहुँच सकते हैं कि वे सब दूसरे ग्रन्थोंके पद्य हैं और इन प्रतियों तथा इन्हीं जैसी दूसरी प्रतियोंमें किसी तरह पर प्रक्षिप्त हो गये हैं—फिर भी साधारण पाठकोंके संतोषके लिये, यहाँ पर कुछ पद्योंके सम्बन्धमें, नमूनेके तौरपर, यह प्रकट कर देना अनुचित न होगा कि वे कौनसे ग्रन्थोंके पद्य हैं और इस ग्रन्थमें उनकी क्या स्थिति है। अतः नीचे उसीका यर्लिंचित् प्रदर्शन किया जाता है :—

(क) 'सूर्याद्यौ यहरास्नामं,' 'गोप्यष्टान्तनमस्कारः' नामके ये दो पद्य, चशस्तिलक ग्रन्थके छुठे आश्वासके पद्य हैं और उसके चतुर्थकल्पमें पाये जाते हैं। दूसरी मूल प्रतिमें, यद्यपि, इन्हें टिप्पणीके तौर पर नीचे दिया है तो भी पहली मूलप्रतिमें 'आपगासागरस्नान' नामके पद्यसे पहले देकर यह सूचित किया है कि ये लोकमूढताके द्योतक पद्य हैं और, इस तरह पर, ग्रन्थकर्ता-ने लोकमूढताके तीन पद्य दिये हैं। परन्तु ऐसा नहीं है। ग्रन्थकार महोदयने शेष दो मूढताओंकी तरह 'लोकमूढता' का भी वर्णन

एक ही पद्यमें किया है। १३ वीं शताब्दीके विद्वान् पं० आशाधर-जीने भी अपने 'अनगारधर्मभृत' की टीकामें स्वामी समन्तभद्र-के नामसे—'स्वामिसूक्षानि' पदके साथ—मूढत्रयके घोतक उन्हीं तीन पद्योंको उद्धृत किया है जो सटीक ग्रन्थमें पाये जाते हैं। इसके सिवाय, उक्त दोनों पद्य खालिस 'लोकमूढता' के घोतक हैं भी नहीं। और न उन्हें वैसा सूचित किया गया है। यशस्तिलक-में उनके मध्यवर्तीं यह पद्य और दिया है—

नदीनदसमुद्रेषु मज्जनं धर्मचेतसा ।

तरुस्तूपायमक्ताना वन्दनं भूगुसंश्रयः ॥

और इस तरह पर तीनों पद्योंमें मूढताओंके कथनका कुछ समुच्चय किया गया है—पृथक्-पृथक् स्वरूप किसीका नहीं दिया गया—जैसा कि उनके बादके निम्न पद्यसे प्रकट है—

समयान्तर-पाषण्ड-चेद-लोक-समाश्रयम् ।

एवमादिविमूढानां ज्ञेयं मूढमनेकघा ॥

इस सब कथनसे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उक्त दोनों पद्य मूलग्रन्थके नहीं वल्कि यशस्तिलकके हैं।

(ख) 'मूढवृथ' नामका १६५ नम्बरवाला पद्य भी यशस्तिलकके छठे आश्वास (कल्प नं० २१) का पद्य है। वह साफ तौरसे 'सम्यग्दर्शनशुद्धः' पदकी टीका-टिप्पणीके लिये उद्धृत किया हुआ ही जान पड़ता है—दूसरी प्रतिकी टिप्पणीमें वह दिया भी है। मूलग्रन्थके संदर्भके साथ उसका कोई मेल नहीं—वह वहाँ निरा अनावश्यक जान पड़ता है। स्वामिसमन्तभद्रने, सूत्ररूपसे प्रत्येक प्रतिमाका स्वरूप एक-एक पद्यमें ही दिया है।

इसी तरह पर, 'मासासिषु' और 'शङ्खा शक्ति' नामके पद्य नं० ८१, १३७ भी यशस्तिलकके ही जान पड़ते हैं। वे क्रमशः उसके ७ वें, ८ वें आश्वासमें ज्ञारासे पाठभेदके * साथ पाये जाते हैं।

* पहले पद्यमें 'धर्मभावो न जीवेषु' की जगह 'आनृशंस्य न मत्येष'

मूलग्रन्थके संदर्भके साथ इनका भी मेल नहीं—पहले पद्यमें ‘उदुम्बरसेवा’ का उल्लेख खास तौरसे खटकता है—ये पद्य भी टीका-टिप्पणीके लिये ही उद्धृत किये हुए जान पड़ते हैं। पहला पद्य दूसरी प्रतिमे है भी नहीं और दूसरा उसकी टिप्पणीमें ही पाया जाता है। इससे भी ये मूलपद्य मालूम नहीं होते।

(ग) ‘अहोमुखेवसाने’ नामका ७२ नम्बरवाला पद्य हेमचन्द्रा-चार्यके ‘योगशास्त्र’ का पद्य है और उसके तीसरे प्रकाशमें नम्बर ६३ पर पाया जाता है। यहाँ मूलग्रन्थकी पछति और उसके प्रतिपाद्य विषयके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं।

(घ) ‘वधादसत्यात्’ नामका ७१वाँ पद्य चामुण्डरायके ‘चारिन्द्रसार’ ग्रन्थका पद्य है और वहाँसे लिया हुआ जान पड़ता है। इसमें जिन पंचाण्ड्रतोंका उल्लेख है उनका वह उल्लेख इससे पहले, मूल ग्रन्थके ५२ वें पद्यमें आ चुका है। स्वामी समन्तभद्र-की प्रतिपादनशैली इस प्रकार व्यर्थकी पुनरस्तियोंको लिये हुए नहीं होती। इसके सिवाय ५१ वें पद्यमें अण्ड्रतोंकी संख्या पाँच दी है और यहाँ इस पद्यमें ‘रात्र्यभुक्ति’ को भी छठा अण्ड्रत बतलाया है, इससे यह पद्य ग्रन्थके साथ बिल्कुल असम्बद्ध मालूम होता है।

इस तरह पर ‘दर्शनिकब्रतकावयि’ ‘आरम्भाद्विनिवृत्तः’ और ‘आद्यास्तु पट् जघन्या’ नामके तीनों पद्य भी चारिन्द्रसार ग्रन्थसे लिये हुए मालूम होते हैं और उसमें यथास्थान पाये जाते हैं। दूसरी मूल प्रतिमे भी इन्हे टिप्पणीके तौरपर ही उद्धृत किया है और टीकामें तो ‘उक्तं च’ रूपसे दिया ही है। मूल ग्रन्थके सन्दर्भके साथ ये अनावश्यक प्रतीत होते हैं।

यह पाठ दिया है। और दूसरे पद्यमें ‘शक्तिः’ की जगह ‘त्रुष्टिः,’ ‘वयाक्षान्ति’ की जगह ‘क्षमाशक्तिः’ और ‘यस्यैते’ की जगह ‘यत्रैते’ ये पाठ दिये हैं जो बहुत साधारण हैं।

(छ) 'मौनं मोजनवेलायां', 'मासरक्ताद्र्वचर्मास्थि', 'स्थूलाः सूक्ष्मास्तथा जीवाः' नामके ७३, ७५ और १०१ नम्बरवाले ये तीनों पद्य पूज्यपादकृत उस उपासकाचारके पद्य हैं जिसकी जाँच-का लेख मैंने जैनहितैषी भाग १५ के १२ वें अंकमें प्रकाशित कराया था। उसमें ये पद्य क्रमशः नम्बर २६, २८ तथा ११ पर दर्ज हैं। यहाँ ग्रन्थके साहित्य-सन्दर्भादिसे इनका भी कोई मेल नहीं और ये खासे असम्बद्ध मालूम होते हैं।

ऐसी ही हालत दूसरे पद्योंकी है और वे कदापि मूलग्रन्थके अंग नहीं हो सकते। उन्हे भी, उक्त पद्योंकी तरह, किसी समय किसी व्यक्तिने, अपनी याददाशत आदिके लिये, टीका-टिप्पणीके तौर पर उद्धृत किया है और बादको, उन टीका-टिप्पणवाली प्रतियोपरसे मूल ग्रन्थकी नकल उतारते समय, लेखकोंकी असाधानी और नासमझीसे, वे मूलग्रन्थका ही एक बेढ़ंगा अथवा बेडौल अंग बना दिये गये हैं। सच है 'मुर्दा वदस्त जिन्दा ख्वाह गाड़ो या कि फूँको।' शास्त्र हमारे कुछ कह नहीं सकते, उन्हे कोई तोड़ो या भरोड़ो, उनकी कलेवरबृद्धि करो अथवा उन्हे तनुकीण बनाओ, यह सब लेखकोंके हाथका खेल और उन्हींकी करतूत है। इन बुद्ध अथवा नासमझ लेखकोंकी बदौलत ग्रन्थोंकी कितनी मिट्ठी खराब हुई है उसका अनुमान तक भी नहीं हो सकता। ग्रन्थोंकी इस खराबीसे कितनी ही गलतफहमियाँ फैल चुकी हैं और यथार्थ-वस्तुस्थितिको मालूम करनेमें बड़ी ही दिक्कतें आ रही हैं। श्रुतसागरसूरिको भी शायद ग्रन्थकी कोई ऐसी ही प्रति उपलब्ध हुई है और उन्होंने उस परसे 'एकादशके' आदि उन चार पद्योंको स्वामी समन्तभद्र-द्वारा ही निर्मित समझ लिया है जो 'गृहतो मुनिवनमित्वा' नामके १४७ वें पद्यके बाद उक्त पहली मूल प्रतिमें पाये जाते हैं। यही वजह है कि उन्होंने 'षट्-

प्राभृत' की टीकामें उनका महाकवि समन्तभद्रके नामके साथ उल्लेख किया है और उनके आदिमे लिखा है 'उक्त' च समन्त-मद्रेण महाकविना'। अन्यथा, वे समन्तभद्रके किसी भी ग्रन्थमें नहीं पाये जाते और न अपने साहित्य परसे ही वे इस बातको सूचित करते हैं कि उनके रचयिता स्वामी समन्तभद्र-जैसे कोई प्रौढ़ विद्वान् और महाकवि आचार्य है। अवश्य ही वे दूसरे किसी ग्रन्थ अथवा ग्रन्थोंके पद्य हैं और इसीसे दूसरी मूल प्रतिके टिप्पणीमें और दोनों कनडी टीकाओंमें उन्हे 'उक्त' च चतुष्टयं' शब्दोंके साथ उद्धृत किया है। एक पद्य तो उनमेसे चारित्रसार ग्रन्थका ऊपर बतलाया भी जा चुका है।

आराके जैनसिद्धान्तभवनकी उक्त प्रतियोंकी जाँचके बाद मुझे और भी अनेक शास्त्रभण्डारोंमें ऐसी अधिक पद्योवाली प्रतियोंको देखने तथा कुछको जाँचनेका भी अवसर मिला है। जिनमें कारंजाके मूलसंघी चन्द्रनाथ-चैत्यालयकी दो प्रतियाँ यहाँ उल्लेख-योग्य हैं। इनमें एक मूल (नं० ५८७) और दूसरी (नं० ५८८) कनडी-टीका-सहित है। टीकावाली प्रतिमे ४५ पद्य बढ़े हुए हैं, उन पर भी टीका है और वे मूलके अंग रूपमें ही पत्रोंके मध्यमें दिये हुए हैं, जब कि टीकाको ऊपर-नीचे अकित किया गया है। इन पद्योंकी स्थिति आरा-भवनकी प्रायः चौथी प्रति-जैसी है। दूसरी मूल प्रतिके पद्योंकी संख्या २१६ है अर्थात् उसमें ६६ पद्य बढ़े हुए हैं, जिनमें ४० पद्य तो आराकी पहली मूलप्रति-वाले और २६ पद्य उससे अधिक हैं। यह प्रति शक संवत् १६५१ में चैत्र-शुक्ल-प्रतिपदाको ब्रह्मचारी माणिकसागरके द्वारा १६ पत्रों पर स्वपठनार्थ लिखकर पूर्ण हुई है। इस मूलप्रतिमें आराकी उक्त मूल प्रतिसे जो २६ पद्य बढ़े हुए हैं और जिन्हें

कृ देखो, सूत्रप्राभृतकी गाथा नम्बर २१ की टीका ।

एक प्रकार से मूलकार स्वामी समन्वयद्रकी कृति तथा उनके द्वारा उद्धृत अन्य कृतियोंके रूपमें सूचित किया गया है, वे सब भी मूलग्रन्थका कोई अंग न होकर दूसरे ग्रन्थोंसे दूसरोंके द्वारा अपनी किसी सचिकी पूर्तिके लिये उठाकर रखते हुए पद्धि हैं, जो वादको असावधान प्रतिलेखकोंकी कृपासे ग्रन्थमें प्रक्षिप्त होगये हैं। उनमें से दो-एक पद्धि नमूनेके तौर पर यहाँ दिये जाते हैं :—

(१) मध्य-पल-मधु-निशासन-पंचफली-विरति-पंचकासनुतिः ।

जीवदया जलगालनमिति च क्वचिदष्टमूलगुणाः ॥

यह पद्धि 'मध्यमांसमधु' नामक दृढ़वे पद्धिके बाद उद्धृत 'मांसा-शिषु दया नास्ति' नामक पद्धिके अनन्तर दिया है। इसमें दूसरे प्रकारके अष्टमूलगुणोंका मतभेदके रूपमें उल्लेख है और जो ग्रन्थ-सन्दर्भके साथ किसी तरह भी सुसम्बद्ध नहीं है। यह पद्धि वास्तव में प० आशाधरजीके सागरधर्मसूतका पद्धि है और वहाँ यथा-स्थान स्थित है। कारंजाकी दूसरी प्रतिमे इसे तथा इससे पूर्ववर्ती 'मांसाशिषु' पद्धि दोनोंको 'उक्तं च' रूपसे उद्धृत किया भी है।

(२) देवपूजा गुरुपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः ।

दान चेति गृहस्थाना षट्कर्माणि दिनेदिने ॥

यह पद्धि 'नवपृष्ठैः प्रतिपत्तिः' नामक ११३ वें पद्धिके बाद जो चार पद्धि 'खंडनी पेषनी चुल्ली' इत्यादि 'उक्तं च' रूपसे दिये हैं उनमें दूसरा है, शेष तीन पद्धि वे ही हैं जो आरा-भवनकी उक्त प्रतियोगियोंमें पाये जाते हैं, प्रभाचन्द्रकी टीकामें भी उद्धृत हैं और कारंजाकी दूसरी प्रतिमें जिन्हें 'उक्तं च त्रयं' रूपसे दिया है और इसलिये जो मूलग्रन्थके पद्धि नहीं हैं। उनके साथका यह चौथा पद्धि ग्रन्थ-संदर्भके साथ असंगत होनेसे मूलग्रन्थका पद्धि नहीं हो सकता, पद्धानन्दि-आवकाचारका जान पड़ता है।

(३) ज्ञानवान् ज्ञानदानेन निर्भयोऽभयदानतः ।

अन्नदानात्सुखी नित्यं निर्व्याधिमेषजाङ्गवेत् ॥

यह पद्य 'हरितपिधाननिधाने' नामक उस पद्य (नं० १२१) के बाद दिया है जो कि वैच्याबृत्त्यके अतिचारोंको लिये हुए हैं। इसमें ज्ञान, अभय, अन्न और औषध नामके चार दानोंका फल दिया है, जिनका फल 'आहारौषध' नामके पद्यके अनन्तर 'उक्तं च' रूपसे दिये हुए ३-४ पद्योंमें एक दो बार पहले भी आगया है अतः इसका भी ग्रन्थके साहित्य-संदर्भ तथा उसकी प्रकृति आदिके साथ कोई मेल नहीं है, इसलिये यह वैसे ही साफ तौर पर प्रचिन जान पड़ता है और किसी दूसरे ग्रन्थका पद्य है।

जाँचका सारांश—

इस लम्बी-चौड़ी जाँचका सारांश सिर्फ इतना ही है कि—

(१) ग्रन्थकी दो प्रकारकी प्रतियाँ पाई जाती हैं—एक 'तो वे जो सख्त-टीकावाली प्रतिकी तरह ढेढ़सौ श्लोक-संख्याको लिये हुए हैं और दूसरी वे जिन्हे ऊपर 'अधिक पद्यवाली प्रतियाँ' सूचित किया है। तीसरी प्रकारकी ऐसी कोई उल्लेखयोग्य प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं हुई जिसमें पद्योंकी संख्या ढेढ़सौसे कम हो। परन्तु ऐसी प्रतियोंके उपलब्ध होनेकी संभावना बहुत कुछ है। उनकी तलाशका अभी तक कोई यथेष्ट प्रयत्न भी नहीं हुआ, जिसके होनेकी जारूरत है।

(२) ग्रन्थकी ढेढ़सौ श्लोकोंवाली इस प्रतिके जिन पद्योंको क्षेपक बतलाया जाता है अथवा जिन पर क्षेपक होनेका सन्देह किया जाता है उनमेंसे 'चतुराहारविसर्जन' और हृष्टान्तोंवाले पद्योंको छोड़कर शेष पद्योंका क्षेपक होना युक्तियुक्त मालूम नहीं होता और हृष्टालिये उनके विषयका सन्देह प्रायः निराधार जान पड़ता है।

(३) ग्रन्थमें 'चतुराहारविसर्जन' नामका पद्य और हृष्टान्तोंवाले छहों पद्य, ऐसे सात पद्य, बहुत कुछ संदिग्ध स्थितिमें पाये जाते हैं। उन्हें ग्रन्थका अंग मानने और स्वामी समन्तभद्रके

पद्य स्वीकारनेमें कोई युक्तियुक्त कारण प्रायः मालूम नहीं देता । वे खुशीसे उस कसौटी (कारणकलाप) के दूसरे तीसरे और पॉचवें भागोंमें आ जूते हैं जो क्षेपकोंकी जॉचके लिये इस प्रकरणके शुरूमें दी गई है । परन्तु इन पद्योंके क्षेपक होनेकी हालतमें यह ज़रूर मानना पड़ेगा कि उन्हें ग्रन्थमें प्रक्रिया हुए बहुत समय बीत चुका है—वे प्रभाचन्द्रकी टीकासे पहले ही ग्रन्थमें प्रविष्ट हो चुके हैं—और इसलिये ग्रन्थकी ऐसी प्राचीन तथा असंदिग्ध प्रतियोंको खोज निकालनेकी खास ज़रूरत है जो इस टीकासे पहलेकी या कमसे कम विक्रमी १२वीं शताब्दीसे पहले की लिखी हुई हों अथवा जो खास तौरपर प्रकृत विषयपर अच्छा प्रकाश डालनेके लिये समर्थ हो सकें । साथ ही, इस बातकी भी तलाश होनी चाहिये कि १२ वीं शताब्दीसे पहलेके बने हुए कौन-कौनसे ग्रन्थोंमें किस रूपसे ये पद्य पाये जाते हैं और उक्त संस्कृत टीकासे पहलेकी बनी हुई कोई दूसरी टीका भी इस ग्रन्थपर उपलब्ध होती है या नहीं । ऐसा होनेपर ये पद्य तथा दूसरे पद्य भी और ज्यादा रोशनीमें आ जाएंगे और मामला बहुत कुछ स्पष्ट तथा साफ हो जायगा ।

(४) अधिक पद्योंवाली प्रतियोंमें जो पद्य अधिक पाये जाते हैं वे सब क्षेपक हैं । उन पर क्षेपकत्वके प्रायः सभी लक्षण चरितार्थ होते हैं और ग्रन्थमें उनकी स्थिति बहुत ही आपत्तिके योग्य पाई जाती है । वे बहुत साफ तौर पर दूसरे ग्रन्थोंसे टीका-टिप्पणीके तौरपर उद्धृत किये हुए और बादको लेखकोंकी कृपा-से ग्रन्थका अंग बना दिये गये मालूम होते हैं । ऐसे पद्योंको ग्रन्थका अङ्ग मानना उसे बेढ़ंगा और बेडौल बना देना है । इस प्रकारकी प्रतियाँ पद्योंकी एक सख्ताको लिये हुए नहीं हैं और यह बात उनके क्षेपकत्वको और भी ज्यादा पुष्ट करती है ।

आशा है, इस जॉचके लिये जो इतना परिश्रम किया गया है वह व्यर्थ न जायगा। विज्ञ पाठक इसके द्वारा अनेक स्थितियों, परिस्थितियों और घटनाओंका अनुभव कर जरूर अच्छा लाभ उठाएँगे और यथार्थ वस्तुस्थितिको समझनेमें बहुत कुछ कृतकार्य होंगे। साथ ही, जिनवाणी माताके भक्तोंसे यह भी आशा की जाती है कि, वे धर्मग्रन्थोंकी ओर अपनी लापर्वाहीकी और अधिक दिनों तक जारी न रखकर शीघ्र ही माताकी सच्ची रक्षा, सच्ची खवरणीरी और उसके सच्चे उद्धारका कोई ठोस प्रयत्न करेंगे, जिससे प्रत्येक धर्मग्रन्थ अपनी अविकल-स्थितिमें सर्व-साधारणको उपलब्ध हो सके।

ग्रन्थकी संस्कृत-टीका

इस ग्रन्थपर, 'रत्नकरण्डक-विषमपदव्याख्याल' नामके एक संस्कृतटिप्पणीको छोड़कर, जो आराके जैनसिद्धान्तभवनमें मौजूद है और जिसपरसे उसके कर्त्ताका कोई नामादिक मालूम नहीं होता, संस्कृतकी * सिर्फ एक ही टीका अभी तक उपलब्ध हुई है, जो प्रभाचन्द्राचार्यकी बनाई हुई है। इसी टीकाकी वावत, पिछले पृष्ठोंमें, मैं खावर कुछ न कुछ उल्लेख करता आया हूँ

* कनडी भाषामें भी इस ग्रन्थपर कुछ टीकाएँ उपलब्ध हैं परन्तु उनके रचयिताओं आदिका कुछ हाल मालूम नहीं हो सका। तामिल भाषाका 'अरु गलछेपु' (रत्नकरण्डक) ग्रन्थ इस ग्रन्थको सामने रखकर ही बनाया गया मालूम होता है और कुछ अपवादोंको छोड़कर इसीका ही प्रायः भावानुवाद श्रथवा सारांश जान पड़ता है। (देखो, अंग्रेजी जैनगजटमें प्रकाशित उसका अंग्रेजी अनुवाद) परन्तु वह कव बना और किसने बनाया इसका कोई पता नहीं चलता—टीका उसे कहनही सकते। हिन्दीमें प० सदासुखजीका भाष्य (स्वतन्त्र व्याख्यान) प्रसिद्ध ही है।

‘और उस परसे टीकाका कितना ही परिचय मिल जाता है। मेरी इच्छा थी कि इस टीकापर एक विस्तृत आलोचना लिख दी जाती परन्तु समयके अभावसे वह कार्यमें परिणत नहीं हो सकी। यहोपर टीकाके सम्बन्धमें, सिर्फ़ इतना ही निवेदन कर देना उचित मालूम होता है कि यह टीका प्रायः साधारण है—ग्रन्थके मर्मको अच्छी तरहसे उद्घाटन करनेके लिये पर्याप्त नहीं है और न इसमें गृहस्थधर्मके तत्त्वोंका कोई अच्छा विवेचन ही पाया जाता है—सामान्य रूपसे ग्रन्थके प्रायः शब्दानुवादको ही लिये हुए है। कहीं-कहीं तो जारी पदोंके शब्दानुवादको भी छोड़ दिया है; जैसे ‘भयाशास्नेह’ नामके पदकी टीकासे ‘कुदेवागम-लिगिना’ पदका कोई अनुवाद अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया जिसके देनेकी खास ज़रूरत थी, और कितने ही पदोंमें आए हुए ‘आदि’ शब्दकी कोई व्याख्या नहीं की गई, जिससे यह मालूम होता कि वहाँ उससे क्या कुछ अभिप्रेत है। कहीं-कहीं ब्रातिचारादिके कथनमें तत्त्वार्थसूत्रसे संगति बिठलानेकी चेष्टा कीगई है, जो समुचित प्रतीत नहीं होती। इसके सिवाय, टीकामें ये तीन खास विशेषताएँ पाई जाती हैं—

प्रथम तो यह कि, इसमें मूल ग्रन्थको सातकी जगह पाँच परिच्छेदोंमें विभाजित किया है—अर्थात् ‘गुणब्रत’ और ‘प्रतिभा’ वाले अधिकारोंको अलग-अलग परिच्छेदोंमें न रखकर उन्हें क्रमशः ‘अगुब्रत’ और ‘सल्लेखना’ नामके परिच्छेदोंमें शामिल कर दिया है। मालूम नहीं, यह लेखकोंकी कृपाका फल है अथवा टीकाकारका ही ऐसा विधान है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, विषय-विभागकी दृष्टिसे, ग्रन्थके सात परिच्छेद या अध्ययन ही ठीक मालूम होते हैं और वे ही ग्रन्थकी मूल प्रतियोंमें पाये जाते

चाहिये थे। गुणब्रतोंके अधिकारको तो 'एवं पचग्रकारमणुष्टतं प्रतिपादेदानीं त्रिःप्रकारं गुणवतं प्रतिपादयन्नाह' इस वाक्यके साथ अणुष्टत-परिच्छेदमें शामिल कर देना परन्तु शिक्षाब्रतोंके कथन-को शामिल न करना क्या अर्थ रखता है, यह कुछ समझमें नहीं आवा। इसीसे टीकाकी यह विशेषता मुझे आपत्तिके योग्य जान पड़ती है।

दूसरी विशेषता यह कि, इसमें दृष्टान्तोंवाले छहों पदोंको उदाहृत किया है—अर्थात्, उनकी तेईस कथाएँ दी हैं। ये कथाएँ कितनी साधारण, श्रीहीन, निष्प्राण तथा आपत्तिके योग्य हैं और उनमें क्या कुछ त्रुटियों पाई जाती हैं, इस विषयकी कुछ सूचनाएँ पिछले पृष्ठोंमें, 'सदिग्धपद' शीर्षकके नीचे सातवीं आपत्तिका विचार करते हुए, दी जा चुकी है। वास्तवमें इन कथाओंकी त्रुटियोंको प्रदर्शित करनेके लिये एक अच्छा खासा निबन्ध लिखा जा सकता है, जिसकी यहाँ पर उपेक्षा की जाती है।

तीसरी विशेषता यह है कि, इस टीकामें श्रावकके ग्यारह पदोंको—प्रतिसाधों, श्रेणियों अथवा गुणस्थानोंको—सल्लेखनानुष्टाता (समाधिमरण करनेवाले) श्रावकके ग्यारह भेद बतलाया है—अर्थात्, यह प्रतिपादन किया है कि जो श्रावक समाधिमरण करते हैं—सल्लेखनाब्रतका अनुष्ठान करते हैं—उन्हींके ये ग्यारह भेद हैं। यथा—

'करण्डश्रावकाचार, जिसे निर्णयसागरप्रेस बम्बईने सन् १९०५ में प्रकाशित किया था। जैनग्रन्थरत्नाकर-कार्यालय बम्बई आदि हारा प्रकाशित और भी बहुत सस्करणोंमें तथा पुरानी हस्तलिखित प्रतियोंमें वे ही सात अध्ययन-या परिच्छेद पाये जाते हैं।

“साम्प्रतं योऽसौ सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकस्तस्य कति प्रतिमा
भवन्तीत्याशंक्याह—

श्रावकपदानि देवैरेकादश देशितानि येषु सल्लु ।

स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह सन्तिष्ठन्ते क्रमविवृज्जाः ॥”

इस अवतरणमे ‘श्रावकपदानि’ नामका उत्तर अंश तो मूल-
ग्रन्थका पद्य है और उससे पहला अंश टीकाकारका वह वाक्य है
जिसे उसने उक्त पद्यको देते हुए उसके विषयादिकी सूचना रूप-
से दिया है। इस वाक्यमें लिखा है कि ‘अब सल्लेखनाका अनु-
ष्ठाता जो श्रावक है उसके कितनी प्रतिमाएँ होती हैं इस बातकी
आशंका करके आचार्य कहते हैं ।’ परन्तु आचार्यमहोदयके उक्त
पद्यमे न तो वैसी कोई आशंका उठाई गई है और न यही प्रति-
पादन किया गया है कि वे ग्यारह प्रतिमाएँ सल्लेखनानुष्ठाता
श्रावकके होती हैं; बल्कि ‘श्रावकपदानि’ पद्यके प्रयोग-द्वारा उसमें
सामान्यरूपसे सभी श्रावकोंका ग्रहण किया है—अर्थात् यह बत-
लाया है कि श्रावकलोग ग्यारह श्रेणियोंमें विभाजित है। इसके
सिवाय, अगले पद्योंमें, श्रावकोंके उन ग्यारह पदोंका जो अलग-
अलग स्वरूप दिया है उसमे सल्लेखनाके लक्षणकी कोई व्याप्ति
अथवा अनुवृत्ति भी नहीं पाई जाती—सल्लेखनाका अनुष्ठान न
करता हुआ भी एक श्रावक अनेक प्रतिमाओंका पालन कर सकता
है और उन पदोंसे विभूषित हो सकता है। इसलिये टीकाकारका
उक्त लिखना मूलग्रन्थके आशयके प्रायः विरुद्ध जान पड़ता है।
दूसरे प्रधान ग्रन्थोंमें भी उसका कोई समर्थन नहीं होता—प्रति-
माओंका कथन करनेवाले दूसरे किसी भी आचार्य अथवा
विद्वानके ग्रन्थोंमें ऐसा विधान नहीं मिलता जिससे यह मालूम
होता हो कि ये प्रतिमाएँ सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकके ग्यारह भेद
हैं। प्रत्युत इसके, ऐसा प्रायः देखनेमें आता है कि इन सभी
श्रावकोंको गरणके निकट आने पर सल्लेखनाके सेवनकी प्रेरणा

की गई है, जिसका एक उदाहरण 'चारित्रसार' ग्रन्थका यह वाक्य है—“उक्तेरुपासकैर्मारणान्तिकी सल्लोखना प्रीत्या सेव्या ।” और यह है भी ठीक, सल्लोखनाका सेवन मरणके संनिकट होनेपर ही किया जाता है और वाकीके धर्मोंका—ब्रत-नियमादिकोंका—अनुष्ठान तो प्रायः जीवनभर हुआ करता है। इसलिये ये ग्यारह प्रतिमार्णें केवल सल्लोखनानुष्ठाता श्रावकके भेद नहीं हैं वल्कि श्रावकाचार-विधिके क्षेत्रमें हैं—श्रावकधर्मका अनुष्ठान करनेवालोंकी खास श्रेणियाँ हैं—और इनमें प्रायः सभी श्रावकोंका समावेश हो जाता है। मेरी रायमें टीकाकारको 'सल्लोखनानुष्ठान' के स्थान पर 'सद्धर्मानुष्ठान' पद देना चाहिये था। ऐसा होने पर मूलग्रन्थके साथ भी टीकाकी संगति ठीक बैठ जाती; क्योंकि मूलमें इससे पहले उस सद्धर्म अथवा समीचीन धर्मके फलका कीर्तन किया गया है जिसके कथनकी आचार्यमहोदयने ग्रन्थके शुरूमें प्रतिज्ञा की थी और पूर्व पद्यमें 'फलति सद्धर्मः' ये शब्द भी स्पष्टरूपसे दिये हुए हैं—उसी सद्धर्मके अनुष्ठानको अगले पद्यों-द्वारा ग्यारह श्रेणियोंमें विभाजित किया है। परन्तु जान पड़ता है टीकाकारको ऐसा करना इष्ट नहीं था और शायद यही वजह हो जो उसने सल्लोखना और प्रतिमाओं दोनोंके अधिकारोंको एक ही परिच्छेदमें शामिल किया है। परन्तु कुछ भी हो, यह तीसरी विशेषता भी आपत्तिके योग्य जाहर है ।

क्षमीश्रमितगति आचार्यके निम्नवाक्यसे भी ऐसा ही पाया जाता है—

एकादशोक्ता विदितार्थतत्त्वस्पासकाचारविवेचितेः ।

पवित्रमारोहुमनस्यजन्म्य सोपानमार्गा इव सिद्धिसौधम् ॥

—उपासकाचार ।

† यहीं तक यह प्रस्तावना उस प्रस्तावनाका सशोधित, परिवर्तित और परिवर्द्धित रूप है जो माणिकचन्द-ग्रन्थमालामें प्रकाशित रत्नकरण-श्रावकाचार (स्टीक)के लिये १७ फवंरी सन् १९२५ को लिखी गई थी ।

समन्तभद्रका संक्षिप्त परिचय

इस ग्रन्थके सुप्रसिद्ध कर्ता स्वामी समन्तभद्र है, जिनका आसन जैनसमाजके प्रतिभाशाली आचार्यों, समर्थ विद्वानों तथा लेखकों और सुपूज्य महात्माओंमें बहुत ऊँचा है। आप जैनधर्म-के मर्मज्ञ थे, वीरशासनके रहस्यको हृदयज्ञम किन्ये हुए थे, जैन-धर्मकी साक्षात् जीती-जागती मूर्ति थे और वीरशासनका अष्टि-तीय प्रतिनिधित्व करते थे; इतना ही नहीं बल्कि आपने अपने संभयके सारे दर्शनशास्त्रोंका गहरा अध्ययनकर उनका तल-स्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया था और इसीसे आप सब दर्शनों, धर्मों अथवा मतोंका सन्तुलनपूर्वक परीक्षण कर यथार्थ वस्तुस्थिति-रूप सत्यको ग्रहण करनेमें समर्थ हुए थे और उस असत्यका निर्मूलन करनेमें भी प्रवृत्त हुए थे जो सर्वथा एकान्तवादके सूत्रसे संचालित होता था। इसीसे महान् आचार्य श्रीविद्यानन्दस्वामी-ने युक्त्यनुशासन-टीकाके अन्तमें आपको 'परीक्षेक्षण'—परीक्षा-नेत्रसे सबको देखनेवाले—लिखा है और अष्टसहस्रीमें आपके वचन-माहात्म्यका बहुत कुछ गौरव ख्यापित करते हुए एक स्थान पर यह भी लिखा है कि—'स्वामी समन्तभद्रका वह निर्दोष प्रव-चन जयवन्त हो—अपने प्रभावसे लोकहृदयोंको प्रभावित करे—जो नित्यादि एकान्तगतोंमें—वस्तु कूटस्थवत् सर्वथा नित्य ही है अथवा क्षण-क्षणमें निरन्वय-विनाशरूप सर्वथा क्षणिक (अनित्य) ही है, इस प्रकारकी मान्यतारूप एकान्त-खड़ोंमें—पड़नेके लिये विवश हुए प्राणियोंको अनर्थसमूहसे निकालकर मंगलमय उच्च पद प्राप्त करानेके लिए समर्थ है, स्याद्वादन्यायके मार्गको प्रस्त्यात करनेवाला है, सत्यार्थ है, अलंघ्य है, परीक्षापूर्वक प्रवृत्त हुआ है अथवा प्रेक्षावान्—समीक्ष्यकारी—आचार्यमहोदयके द्वारा जिस-

की प्रवृत्ति हुई है और जिसने सम्पूर्ण मिथ्याप्रवादको विघटित अथवा तितर वितर कर दिया है।' यथा—

नित्याधेकान्तर्गतप्रपतनविवशान्प्राणिनोऽनृथसार्थाद्-
उद्भृतुं नेतुमुच्चैः पदममलमलं मंगलानामलंघ्यम् ।
स्याद्वाद-न्यायवर्त्म प्रथयदवितथार्थ वचः स्वामिनोऽदः
प्रेक्षावत्प्रवृत्तं जयतु विघटिताऽशेषमिथ्याप्रवादम् ॥

और दूसरे स्थान पर यह बतलाया है कि—'जिन्होने परीक्षा-वानोंके लिये कुनीति और कुप्रवृत्तिस्तुप-नदियोंको सुखा दिया है, जिनके वचन निर्देषिनीति-स्याद्वादन्यायको लिये हुए होनेके कारण मनोहर है तथा तत्त्वार्थसमूहके संदोतक है वे योगियोंके नायक, स्याद्वादमार्गके अग्रणी नेता, शक्ति-सामर्थ्यसे सम्पन्न-विभु और सूर्यके समान देदीप्यमान-तेजस्वी श्रीस्वामी समन्तभद्र कलुषित-आशय-रहित प्राणियोंको—सज्जनो अथवा सुधीजनो-को—विद्या और आनन्द-घनके प्रदान करनेवाले होवे—उनके प्रसादसे (प्रसन्नतापूर्वक उन्हे चित्तमे धारण करनेसे) सबोंके हृदयमे शुद्ध ज्ञान और आनन्दकी वर्पा होवे ।'

जैसा कि निम्न पद्यसे प्रकट है—

येनाशेष-कुनीति-वृत्ति-सरितः प्रेक्षावत्पं शोषिताः
यद्वाचोऽप्यकलंकनीति-रुचिरास्तत्त्वार्थ-सार्थद्युतः ।
स श्रीस्वामिसमन्तभद्र-यतिभूद्भूयाद्विभुर्मानुमान्
विद्याऽनन्द-घनप्रदोऽनघधियां स्याद्वादमार्गाग्रणीः ॥

साथ ही, तीसरे स्थान पर एक पछ-द्वारा यह प्रकट किया है कि—'जिनके नय-प्रमाण-मूलक अलंघ्य उपदेशसे—प्रवचनको सुनकर—महा उद्धतमति वे एकान्तवादी भी प्रायः शान्तताको

प्राप्त हो जाते हैं जो कारणसे कार्यादिकका सर्वथा भेद ही नियत मानते हैं अथवा यह स्वीकार करते हैं कि कारण-कार्यादिक सर्वथा अभिन्न ही हैं—एक ही हैं—वे निर्मल तथा विशालकीर्ति-से गुरु अतिप्रसिद्ध योगिराज स्वामी समन्तभद्र सदा जयवन्त रहे—अपने प्रवचनप्रभावसे बराबर लोकहृदयोंको प्रभावित करते रहे ।' वह पद्य इस प्रकार है—

कार्यादिमेंद एव स्फुटभिह नियतः सर्वथाकारणादे-
रित्यादेकान्तवादोद्भृततर-मतयः शान्ततामाश्रयन्ति ।
प्रायो यस्योपदेशादविधादितनयान्मानमूलादलंध्यात्
स्वामी जीयात्स शश्वत्प्रथिततरयतीशोऽकलङ्कोरुक्षीर्तिः ॥

इसी तरह विक्रमकी उर्वी शताब्दीके मातिशय विद्वान् श्री-अकलंकदेव जैसे महर्द्धिक आचार्यने अपनी अष्टशती (देवागम-विद्यृति) में समन्तभद्रको 'भव्यैकलोकनयन'—भव्य जीवोंके हृदयान्धकारको दूर करके अन्तःप्रकाश करने तथा सन्मार्ग दिखलाने वाला अद्वितीय सूर्य—और 'स्याद्वादमार्गका पालक (संरक्षक)' बतलाके हुए, यह भी लिखा है कि—'उन्होंने सम्पूर्ण पदार्थ-तत्त्वोंको अपना विषय करनेवाले स्याद्वादरूपी पुण्योदधि-तीर्थको, इस कलिकालमें, भव्यजीवोंके आनंदरिक मलको दूर करनेके लिये प्रभावित किया है—उसके प्रभावको सर्वत्र व्याप्त किया है—और ऐसा लिखकर उन्हें वारंबार नमस्कार किया है'—

तीर्थं सर्वपदार्थ-तत्त्व-विषय-स्याद्वाद-पुण्योदधे-
भव्यानामकलङ्क-भावकृतये ग्राभावि काले कलौ ।
येनाचार्यसमन्तभद्र-यतिना तस्मै नमः सन्ततम्
कृत्वा वित्रियते स्तवो भगवतां देवागमस्तत्कृतिः ॥

स्वामी समन्तभद्र यद्यपि बहुतसे उत्तमोच्चम् गुणोंके स्वामी थे फिर भी कवित्व, गमकत्व, वादित्व और वाग्मित्व नामके चार गुण आपमें असाधारण कोटियाँ योग्यताको लिये हुए थे—ये चारों शक्तियाँ उनसे खास तौरसे विकासको प्राप्त हुई थीं—और इनके कारण उनका निर्मल यश दूर-दूर तक चारों ओर फैल गया था। उस समय जितने ‘कवि’ थे—नये नये सन्दर्भ अथवा नई नई मौलिक रचनाएँ तथ्यार करनेवाले समर्थ विद्वान् थे, ‘गमक’ थे—दूसरे विद्वनोंकी कृतियोंके मर्म एवं रहस्यको समझने तथा दूसरोंको समझानेमें प्रबीणवृद्धि थे, विजयकी ओर वचन-प्रवृत्ति रखनेवाले ‘वादी’ थे, और अपनी वाक्पुदुता तथा शब्दचातुरीसे दूसरोंको रंजायमान करने अथवा अपना प्रेमी बना लेनेमें निपुण ऐसे ‘वाग्मी’ थे, उन सबपर समन्तभद्रके यशकी छाया पड़ी हुई थी, वह चूडामणिके समान सर्वोपरि था और वादको भी बड़े-बड़े विद्वानों तथा महान् आचार्योंके द्वारा शिरोधार्य किया गया है। जैसा कि विक्रमकी ६वीं शताब्दीके विद्वान् भगवज्जिनसेनाचार्यके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

कवीनां गमकानां च वादीनां वाग्मिनामपि ।

यशः सामन्तभद्रीयं मूर्ध्नि चूडामणीयते ॥

—आदिपुराण

स्वामी समन्तभद्रके इन चारों गुणोंकी लोकमे कितमी धाक थी विद्वानोंके हृदय पर इनका कितना सिवका जमा हुआ था और वे वास्तवमे कितने अधिक महत्वको लिये हुए थे, इन सब चारोंका कुछ अनुभव करानेके लिये कितने ही प्रभाण-चाक्योंको ‘स्वामी समन्तभद्र’ नामके उस ऐतिहासिक निवन्धमे संकलित किया गया है जो माणिकचन्द्रग्रन्थमालामे प्रकाशित हुए रत्न-करण-शायकाचारकी विस्तृत प्रस्तावनाके अनन्तर २५२ पृष्ठोंपर

लुदा ही अङ्गित है और अलंगसे भी विषयसूची तथा अनुक्रम-
णिकके साथ प्रकाशित हुआ है। यहाँ संक्षेपमें कुछ शोड़ासा ही
सार दिया जाता है और वह इस प्रकार है:—

(१) भगवज्जिनसेनने, आदिपुराण में, समन्तभद्रको ‘महान्
कविवेधा’—कवियोंको उत्पन्न करनेवाला महान् विधाता (ब्रह्मा)—
लिखा है और साथ ही यह प्रकट किया है कि ‘उनके वचनरूपी
वज्रपातसे कुमतरूपी पर्वत खण्ड-खण्ड हो गए थे’—

नमः समन्तभद्राय महते कविवेधसे ।

यद्वचो वज्रपातेन निर्भिन्नाः कुमताद्रयः ॥

(२) वादिराजसूरिने, यशोधर चरितमें, समन्तभद्रको ‘काव्यमा
णिक्योंका रोहण’ (पर्वत) लिखा है और यह भावना की है कि
‘वे हमें सूक्ष्मिक्त्वोंके प्रदान करनेवाले होंगे।’—

श्रीमत्समन्तभद्राद्याः काव्य-मणिक्यरोहणाः ।

सन्तु नः संतोत्कृष्टाः सूक्ष्मिक्त्वोत्करप्रदाः ॥

(३) वादीभसिंहसूरिने, गद्यचिन्तामणिमें, समन्तभद्रमुनीश्व-
रका जयघोष करते हुए उन्हे ‘सरस्वतीकी स्वच्छन्द-विहारमूर्मि’
बतलाया है और लिखा है कि ‘उनके वचनरूपी वज्रके निपातसे
प्रतिपक्षी सिद्धान्त-रूप पर्वतोंकी चोटियाँ खण्ड-खण्ड हो गई
थीं—अर्थात् समन्तभद्रके आगे प्रतिपक्षी सिद्धान्तोका प्रायः कुछ
भी मूल्य या गौरव नहीं रहा था और न उनके प्रतिपादक
‘प्रतिवादीजन ऊँचा मुँह करके ही सामने खड़े हो सकते थे।’—
‘सरस्वती-स्वैर-विहारभूमयः समन्तभद्रप्रमुखा मुनीश्वराः ।
जयन्ति वाग्वज्र-निपात-पाटित-प्रतीपराद्वान्त-महीध्रकोटयः ॥

(४) वर्षमानसूरिने, घराङ्ग चरितमें, समन्तभद्रको ‘महाक-
वीश्वर’, ‘कुवादिविद्या-जय-लब्ध-कीर्ति’ और ‘सुतर्कशास्त्रामृत-

सारसागर' लिखा है और यह प्रार्थना की है कि 'वे सुझ कवित्व-
कांदीपर प्रसन्न होवे—उनकी विद्या मेरे अन्तःकरणमें स्फुरा-
थमान होंकर मुझे सफल-मनोरथ करे।'

**समन्तभद्रादि-महाकवीश्वराः कुवादि-विद्या-जय-लब्ध-कीर्तयः।
सुतर्क-शास्त्रामृतसार-सागरा मयि प्रसीदन्तु कवित्वकांचिणि ॥**

(५) श्री शुभचन्द्राचार्यने, ज्ञानार्णवमें, यह प्रकट किया है कि
'समन्तभद्र-जैसे कवीन्द्र-सूर्योंकी जहाँ निर्मलसूक्ष्मरूप किरणें
स्फुरायमान हो रही हैं वहाँ वे लोग खद्योत-जुग्नुंकी तरह
हँसीके ही पात्र होते हैं जो थोड़ेसे ज्ञानको पाकर उद्घृत हैं—कविता
(नूतन सदर्भकी रचना) करके गर्व करने लगते हैं।'

**समन्तभद्रादिकवीन्द्रभास्वतां स्फुरन्ति यत्राऽमलसूक्ष्मिरशमयः।
ब्रजन्ति खद्योतवदेव हास्यतां न तत्र किं ज्ञानलब्धता जनाः ॥**

(६) भद्रारक सकलकीर्तिने, पार्श्वनाथचरित्रमें, लिखा है कि
'जिनकी वाणी (प्रन्थादिरूप भारती) संसारमें सब ओरसे
मगलमय है और सारी जनताका उपकार करनेवाली है उन
कवियोंके ईश्वर समन्तभद्रको सादर वन्दन (नमस्कार)
करता हूँ।'

**समन्ताद्भुवने भद्रं विश्वलोकोपकारिणी ।
यद्वाणी तं प्रवन्दे समन्तभद्रं कवीश्वरम् ॥**

(७) ब्रह्मअजितने, हनुमच्चरितमें, समन्तभद्रको 'दुर्वादियों-
की वादरूपी खाज-खुजलीको मिटानेके लिये अद्वितीय महीपधि'
बतलाया है। —

**जीयात्समन्तभद्रोऽसौ भव्य-कैरव-चन्द्रमाः ।
दुर्वादि-वाद-करण्डुनां शमनैकमहौषधिः ॥**

(८) कवि दामोदरने, चन्द्रप्रभचरितमें, लिखा है कि ‘जिनकी भारतीके प्रतापसे—ज्ञानभण्डाररूप मौलिक कृतियोंके अभ्याससे—समस्त कविसमूह सम्यग्ज्ञानका पारगामी हो गया उन कविनायक—नई नई मौलिक रचनाएँ करने वालोंके शिरोमणि—योगी समन्तभद्रकी मैं स्तुति करता हूँ।’—

यद्धारत्याः कविः सर्वोऽभवत्संज्ञानपारगः ।

तं कवि-नायकं स्तौमि समन्तभद्र-योगिनम् ॥

(९) वसुनन्दी आचार्यने, स्तुतिविद्याकी टीकामें, समन्तभद्रको ‘सद्बोधरूप’—सम्यग्ज्ञानकी मूर्ति—और ‘वरणुणालय’—उत्तर-गुणोंका आवास—बतलाते हुए यह लिखा है कि ‘उनके निर्मल-यशकी कान्तिसे ये तीनों लोक अथवा भारतके उत्तर, दक्षिण और मध्य ये तीनों प्रदेश कान्तिमान थे—उनका यशस्तेज सर्वत्र फैला हुआ था।’—

समन्तभद्रं सद्बोधं स्तुते वर-गुणालयम् ।

निर्मलं यद्यशक्पान्तं बभूव भुवनत्रयम् ॥

(१०) विजयवर्णाने, शृङ्गारचन्द्रिकामें, समन्तभद्रको ‘महाकवीश्वर’ बतलाते हुए लिखा है कि ‘उनके द्वारा रचे गये प्रबन्ध-समूहरूप सरोवरमें, जो रसरूप जल तथा अलङ्घाररूप कमलोंसे सुशोभित हैं और जहाँ भावरूप हँस विचरते हैं, सरस्वती-क्रीडा किया करती है।’—सरस्वती देवीके क्रीडास्थल (उपाश्रय) होनेसे समन्तभद्रके सभी प्रबन्ध (ग्रन्थ) निर्दोष, पवित्र एवं महती शोभासे सम्पन्न हैं।’—

समन्तभद्रादिमहाकवीश्वरैः कृतप्रबन्धोज्वल-सत्सरोवरे ।

लसद्रसालङ्कृति-नीर-पङ्कजे सरस्वती क्रीडति भाव-बन्धुरे ॥

(११) अजितसेनाचार्यने, अलङ्कारचिन्तामणिमे, कई पुरातन पद्यऐसे संकलित किये हैं जिनसे समन्तभद्रके बाद्-माहात्म्यका कितना ही पता चलता है। एक पद्यसे मालूम होता है कि 'समन्तभद्र कालमें कुवादीजन प्रायः अपनी स्त्रियोंके सामने तो कठोर भाषण किया करते थे—उन्हें अपनी गर्वोक्तियाँ अथवा वहादुरीके गीत सुनाते थे—परन्तु जब योगी समन्तभद्रके सामने आते थे तो मधुरसापी बन जाते थे और उन्हें 'पाहि पाहि'—रक्षा करो रक्षा करो अथवा आप ही हमारे रक्षक हैं—ऐसे सुन्दर मृदुल बच्चन ही कहने बनता था।' और यह सब समन्तभद्रके असाधारण-व्यक्तित्वका प्रभाव था। वह पद्य इस प्रकार है—

कुवादिनः स्वकान्तानां निकटे परुपोक्तयः ।

समन्तभद्र-यत्यर्गे पाहि पाहीति सूक्तयः ॥

दूसरे पद्यसे यह जाना जाता है कि 'जब महावादी श्रीसमन्तभद्र (समास्थान आदिमें) आते थे तो कुवादीजन नीचामुख करके अँगूठोंसे पृथ्वी कुरेदने लगते थे अर्थात् उन लोगों पर—प्रतिवादियोंपर—समन्तभद्रका इतना प्रभाव पड़ता था कि वे उन्हें देखते ही विपणनवदन हो जाते और किंकर्तव्यविमूढ बन जाते थे।' वह पद्य इस प्रकार है—

श्रीमत्समन्तभद्राख्ये महावादिनि चागते ।

कुवादिनोऽलिखन्भूमिमंगुण्ठैरानताननाः ॥

और एक तीसरे पद्यमें यह वंतलाया गया है कि—'वादी समन्तभद्रकी उपस्थितिमें, चतुराईके साथ स्पष्ट शीघ्र और बहुत बोलनेवाले धूर्जटिकी—तब्रासक महाप्रतिवादी विद्वानकी—जिह्वा ही जब शीघ्र अपने विलम्बे छुस जाती है—उसे कुछ बाल नहीं आता—तो फिर दूसरे विलानोंकी तो कथा (वात) श्री व्या

है ? उनका अस्तित्व तो ‘समन्तभद्रके सामने कुछ भी महत्व नहीं रखता ।’ वह पद्य, जो कविहस्तिमल्लके ‘विक्रान्तकौरव’ नाटकमें भी पाया जाता है, इस प्रकार है—

अवदु-तटमटति भटिति स्फुट-पदु-वाचाट-धूर्जटेजिङ्हा ।

वादिनि समन्तभद्रे स्थितिवति का कथाऽन्येषाम् ॥

यह पद्य शकसवत् १०५० में उत्कीर्ण हुए श्रवणबेल्गोलके शिलालेख नं० ५४ (६७) में भी थोड़ेसे पाठ-भेदके साथ उपलब्ध होता है । वहाँ ‘धूर्जटेजिङ्हा’ के स्थानपर ‘धूर्जटेरपि जिङ्हा’ और ‘सनि का कथाऽन्येषा’ की जगह ‘तव सदसि भूप ! कास्थाऽन्येषा’ पाठ दिया गया है, और इसे समन्तभद्रके वादारम्भ-समारम्भ-समयकी उक्तियोंमें शामिल किया है । पद्यके उस रूपमें धूर्जटिके निरुत्तर होनेपर अथवा धूर्जटिकी गुरुतर पराजयका उल्लेख करके राजासे पूछा गया है कि ‘धूर्जटि-जैसे विद्वानकी ऐसी हालत होनेपर अब आपकी सभाके दूसरे विद्वानोंकी क्या आस्था है ?— क्या उनमेंसे कोई वाद करनेकी हिम्मत रखता है ?’

(१२) श्रवणबेल्गोलके शिलालेख नं० १०५ में समन्तभद्रका जयघोष करते हुए उनके सूक्ष्मितसमूहको—सुन्दर प्रौढ युक्तियोंको लिये हुए प्रवचनको—वादीरूपी हाथियोंके वशमें करनेके लिये ‘वज्रांकुश’ बतलाया है और साथ ही यह लिखा है कि ‘उनके प्रभावसे यह सम्पूर्ण पृथ्वी एक बार दुर्वादुकोंकी चार्तासे भी विहीन होगई थी—उनकी कोई बात भी नहीं करता था ।’

समन्तभद्रस्स चिराय जीयादादीभ-वज्रांकुश-स्त्रिजालः ।

यस्य प्रभावात्सकलावनीयं वंध्यास दुर्वादुक-वार्चयाऽपि ॥

(१३) श्रवणबेल्गोलके शिलालेख नं० १०८ में भद्रमूर्ति-समन्तभद्रको जिनशासनका ‘प्रणेता’ (प्रधान नेता) बतलाते हुए यह भी प्रकट किया है कि ‘उनके वचनरूपी वज्रके कठोरपातसे

प्रतिवादीरूप पर्वत चूर चूर हो गये थे—कोई भी प्रतिवादी उनके सामने नहीं ठहरता था ।—

समन्तभद्रोऽजनि भद्रमूतिंस्ततः प्रणेता जिनशासनस्य ।
यदीय-वाण्वज्ञ-कठोरपातश्चूर्णीचकार प्रतिवादि-शैलान् ॥

(१४) तिरुमकूडलुनरसीपुरके शिलालेख नं० १०५ में समन्त-भद्रके एक वादका उल्लेख करते हुए लिखा है कि 'जिन्होंने वाराणसी (बनारस) के राजाके सामने विद्वेषियोंको—अनेकान्तशासनसे द्वेष रखनेवाले सर्वथा एकान्तवादियोंको—पराजित कर दिया था, वे समन्तभद्र मुनीश्वर किसके स्तुतिपात्र नहीं हैं ?—सभीके द्वारा भले प्रकार स्तुति किये जानेके योग्य हैं ।'

समन्तभद्रसंस्तुत्यः कस्य न स्यान्मुनीश्वरः ।

वाराणसीश्वरस्याग्रे निर्जितां येन विद्विषः ॥

(१५) समन्तभद्रके गमकत्व और वाग्मित्य-जैसे गुणोंका विशेष परिचय उनके देवागमादि ग्रन्थोंका अवलोकन करनेसे भले प्रकार अनुभवमें लाया जा सकता है तथा उन उल्लेख-वाक्योंपर से भी कुछ जाना जा सकता है जो समन्तभद्र-वाणीका, कीर्तन अथवा उसका महत्व ख्यापन करनेके लिये लिखे गये हैं । ऐसे उल्लेखवाक्य आष्टसहस्री आदि ग्रन्थोंमें बहुत प्राये जाते हैं । कवि नागराजका 'समन्तभद्रभारती-स्तोत्र' तो इसी विषयको लिए हुए एक भावपूर्ण सुन्दर सरस रचना है और वह 'सत्साधु-स्मरण-मंगलपाठ' में वीरसेवामन्दिरसे हिन्दी अनुवादके साथ प्रकाशित हो चुका है । यहाँ दो तीन उल्लेखोंको और सूचन किया जाता है, जिससे समन्तभद्रकी गमकत्वादि-शक्तियों, और उनके वचन-माहात्म्यका और भी कुछ पता चल सके :—

(क) श्रीवादिराजसूरिने, न्यायविनिश्चयालङ्कारमें, लिखा है कि 'सर्वत्र फैले हुए दुर्नीयरूपी प्रवल अन्धकारके कारण, जिसका

तत्त्व लोकमें दुर्बोध हो रहा है—ठीक समझमें नहीं आता—वह हितकारी वस्तु—प्रयोजनभूत जीवादि-पदार्थमाला—श्रीसमन्त-भद्रके वचनरूप देवदीप्यमान रत्नदीपकोंके द्वारा हमें सब औरसे चिरकाल तक स्पष्ट प्रतिभासित होवे—अर्थात् स्वामी समन्तभद्रका प्रवचन उस महाजाग्वल्यमान रत्नसमूहके समान है जिसका प्रकाश अप्रतिहत होता है और जो संसारमें फैले हुए निरपेक्ष-नयरूपी महामिथ्यान्धकारको दूर करके वस्तुतत्त्वको स्पष्ट करनेमें समर्थ है, उसे प्राप्त करके हम अपना अज्ञान दूर करे ।

विस्तीर्ण-दुर्नयमय-प्रवलान्धकार-

दुर्बोधतत्त्वमिह वस्तु हितावबद्धम् ।

व्यङ्गीकृतं भवतु नसुचिरं समन्तात्

सामन्तभद्र-वचन-स्फुट-रत्नदीपैः ॥

(ख) श्रीवीरनन्दी आचार्यने, चन्द्रप्रभचरित्रमें, लिखा है कि ‘गुणोंसे—सूतके धारोंसे—गूँथी हुई निर्मल गोल मोतियोंसे युक्त और उत्तम पुरुषोंके कण्ठका विभूषण वनी हुई हारयष्टिको—श्रेष्ठ मोतियोंकी मालाको—प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन कि समन्तभद्रकी भारती (वाणी) को पा लेना—उसे खूब समझकर हृदयङ्गम कर लेना है, जो कि सद्गुणोंको लिये हुए है, निर्मल वृत्त (वृत्तान्त, चरित्र, आचार, विधान तथा क्षेन्द्र) रूपी मुक्ताफलोंसे युक्त है और बड़े-बड़े आचार्यों तथा विडानोंने जिसे अपने कण्ठका आभूषण बनाया है—वे नित्य ही उसका उच्चारण तथा पाठ करनेमें अपना गौरव मानते और अहोभाग्य समझते रहे हैं । अर्थात् समन्तभद्रकी वाणी परम दुर्लभ है—उनके सातिशय वचनोंका लाभ बड़े ही भाग्य तथा प्रेरित्रिमसे होता है ।

गुणान्विता निर्मलवृच्छमौक्तिका नरोचमैः करण्ठविभूषणीकृता ।
न हारयष्टिः परमैव दुर्लभा समन्तभद्रादिभवा च भारती ॥

(ग) श्रीनरेन्द्रसेनाचार्य, सिद्धान्तसारसंग्रहमे, यह प्रकट करते हैं कि 'श्रीसमन्तभद्रदेवका निर्दोष प्रवचन प्राणियोंके लिये ऐसा ही दुर्लभ है जैसा कि मनुष्यत्वका पाना—अर्थात् अनादिकालसे संसारमें परिग्रामण करते हुए प्राणियोंको जिस प्रकार मनुष्यभवका मिलना दुर्लभ होता है, उसी प्रकार समन्तभद्रके प्रवचनका काम होना भी दुर्लभ है, जिन्हें उसकी प्राप्ति होती है वे नि.सन्देह सौभाग्यशाली हैं' ।—

श्रीमत्समन्तभद्रस्य देवस्यापि वचोऽनधम् ।
प्राणिनां दुर्लभं यद्वन्मानुषत्वं तथा पुनः ॥

उपरके इन सब उल्लेखोंपरसे समन्तभद्रकी कवित्वादि शक्तियोंके साथ उनकी वादशक्तिका जो परिचय प्राप्त होता है उससे सहज ही यह समझन्में आ जाता है कि वह कितनी असाधारण कोटिकी तथा अप्रतिहत-वीर्य थी और दूसरे विद्वानोंपर उसका कितना अधिक सिक्षा तथा प्रभाव था, जो अभी तक भी अज्ञुरणल्पसे चला जाता है—जो भी निष्पक्ष विद्वान् आपके बादों तथा तकोंसे परिचित होता है वह उनके सामने नत-मस्तक हो जाता है ।

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि समन्तभद्रका वाद-क्षेत्र संकुचित नहीं था । उन्होंने उसी देशमें अपने वादकी विजयदुन्दुभि नहीं बजाई जिसमें वे उत्पन्न हुए थे, वल्कि उनकी वाद-प्रीति, लोगोंके अज्ञानभावको दूर करके उन्हें सम्बार्गकी ओर लगानेकी शुभभावना और जैनसिद्धान्तोंके

महत्वको विद्वानोंके हृदय-पटलपर अंकित कर देनेकी सुखाचि
इतनी बड़ी हुई थी कि उन्होंने सारे भारतवर्षको अपने वादका
लीला-स्थल बनाया था । वे कभी इस बातकी प्रतीक्षामें नहीं
रहते थे कि कोई दूसरा उन्हें वादके लिए निमंत्रण दे और न
उनकी मनःपरिणाम उन्हें इस बातमें सन्तोष करनेकी ही इजाजत
देती थी कि जो लोग आङ्गानभावसे मिथ्यालूपी गतों (खड़ो)
में गिरकर अपना आत्मपतन कर रहे हैं उन्हें वैसा करने दिया-
जाय । और इसलिये उन्हें जहाँ कहीं किसी महावादी अथवा
किसी बड़ी वादशालाका पता चलता था तो वे वहीं पहुँच जाते
थे और अपने वादका ढंका * बजाकर विद्वानोंको स्वतः वादके
लिये आङ्गान करते थे । ढंकेको सुनकर वादीजन, यथा नियम,
जनताके साथ वादस्थानपर एकत्र हो जाते थे और तब समन्तभद्र
उनके सामने अपने सिद्धान्तोंका बड़ी ही खबीके साथ विवेचन
करते थे और साथ ही इस बातकी घोषणा कर देते थे कि उन
सिद्धान्तोंमेंसे जिस किसी सिद्धान्तपर भी किसीको आपत्ति हो
इ वादके लिये सामने आ जाय । कहते हैं कि समन्तभद्रके
स्याद्वाद-न्यायकी तुलामें तुले हुए तत्त्वमाषणको सुनकर लोग
मुख्य हो जाते थे और उन्हें उसका कुछ भी विरोध करते नहीं
बनता था । यदि कभी कोई भी मनुष्य अहंकारके वश होकर

* उन दिनो—समन्तभद्रके समयमें—फाहियान (ई० ४००) और
ह्लैनत्संग (ई० ६३०) के कथनानुसार, यह दस्तूर था कि नगरमें किसी
सार्वजनिक स्थानपर एक डका (भेरी या नक्कारा) रखा जाता था
और जो कोई विद्वान् किसी मतका प्रचार करना चाहता था अथवा
वादमें अपने पाण्डित्य और नैपुण्यको सिद्ध करनेकी इच्छा रखता था तो
वह वाद-घोषणाके रूपमें उस डकेको बजाता था ।

—हिस्ट्री आफ कनडीज लिटरेचर

अथवा नासमझीके कारण कुछ विरोध खड़ा करता था तो उसे शीघ्र ही निरुत्तर हो जाना पड़ता था।

इस तरह, समन्तभद्र भारतके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, प्रायः सभी देशोंमें, एक अप्रतिद्वंद्वी सिंहके समान क्रीड़ा करते हुए, निर्भयताके साथ बादके लिये धूमे हैं। एक बार आप धूमते हुए 'करहाटक' नगरमें भी पहुँचे थे, जो उस समय बहुतसे भट्टों से युक्त था, विद्याका उत्कट स्थान था और साथ ही अल्प विस्तारचाला अथवा जनाकीर्ण था। उस वक्त आपने वहाँके राजापर अपने बाद-प्रयोजनको प्रकट करते हुए, उन्हें अपना तद्विप्रयक जो परिचय एक पद्ममें दिया था वह श्रवणबेलगोलके शिलालेख नं० ५४ में निम्न प्रकारसे समझीत है—

पूर्व पाटलिपुत्र-मध्यनगरे भेरी मया ताडिता
पश्चान्मालव-सिन्धु ठक-विषये कांचीपुरे वैदिशे ।
प्राप्तोऽहं करहाटकं बहुभट्टं विद्योत्कर्तं संकर्तं
वादार्थी विचराम्यहं नरपते शादूलविक्रीडितं ॥

इस पद्ममें दिये हुए आत्मपरिचयसे यह मालूम होता है कि करहाटक पहुँचनेसे पहले समन्तभद्रने जिन देशों तथा नगरोंमें बादके लिये विहार किया था उनमें पाटलिपुत्र(पटना)नगर, मालव (मालवा), सिन्धु, ठक (पञ्जाब) देश, कांचीपुर (कांजीवरम्) और वैदिश (मिलसा) थे प्रधान देश तथा जनपद थे जहाँ उन्होंने बादकी भेरी बजाई थी और जहाँ पर प्रायः किसीने भी उनका विरोध नहीं किया था * ।

* समन्तभद्रके इस देशाटनके सम्बन्धमें मिस्टर एस० एस० रामस्वामी आव्यगर अपनी 'स्टडीज इन साउथ इण्डियन जैनिज्म' नाम की पुस्तकमें लिखते हैं—

यहाँ तकके इस सब परिचयसे स्वामी समन्तभद्रके असाधारण गुणों, उनके अनुपम प्रभाव और लोकहितकी भावनाको लेकर धर्मप्रचारके लिये उनके सफल देशाटनादिका कितना ही हाल तो मालूम हो गया; परन्तु अभी तक यह मालूम नहीं हो सका कि समन्तभद्रके पास वह कौनसा 'मोहनमंत्र' था जिसके कारण वे सदा इस बातके लिये भाग्यशाली रहे हैं कि विहान लोग उनकी वाद-घोषणाओं और उनके तात्त्विक भाषणोंको चुपकेसे सुन लेते थे और उन्हें उनका प्रायः कोई विरोध करते नहीं बनता था। वादका तो नाम ही ऐसा है जिससे चाहे-अनचाहे विरोधकी आग भड़कती है। लोग अपनी मानवत्वाके लिये, अपने पक्षको निर्वल समझते हुए भी, उसका समर्थन करनेके लिये खड़े हो जाते हैं और दूसरेकी युक्तियुक्त बातको भी मानकर नहीं देते; फिर भी समन्तभद्रके साथमें यह सब प्रायः कुछ भी नहीं होता था, यह क्यों?—अवश्य ही इसमें कोई खास रहस्य है, जिसके प्रकट होनेकी जारूरत है और जिसको जाननेके लिये पाठक भी उत्सुक होंगे।

जहाँ तक मैंने इस विषयकी जॉच की है—इस मामले पर गहरा विचार किया है—और मुझे समन्तभद्रके साहित्यादिक-परसे उसका विशेष अनुभव हुआ है उसके आधारपर मुझे इस बातके कहनेमें जरा भी संकोच नहीं होता कि समन्तभद्र-

'यह स्पष्ट है कि समन्तभद्र एक बहुत बड़े जैनधर्मप्रचारक थे, जिन्होंने जैनसिद्धान्तों और जैन आचारोंको दूर-दूर तक विस्तारके साथ फैलानेका उद्योग किया है, और यह कि जहाँ कहीं वे गये हैं उन्हे दूसरे सम्प्रदायोंकी तरफसे किसी भी विरोधका सम्मान करना नहीं पड़ा (He met with no opposition from other sects wherever he went)'

की इस सारी सफलताका रहस्य उनके अन्तःकरणकी शुद्धता, चरित्रकी निर्मलता और उनकी वाणीके महत्वमें संनिहित हैं, अथवा यों कहिये कि यह सब अन्तःकरणकी पवित्रता तथा चरित्र की शुद्धताको लिये हुए उनके वचनोंका ही महात्म्य है जो वे दूसरों पर अपना इस प्रकार सिक्का जमा सके है। समन्वयमध्रकी जो कुछ भी वचन-प्रवृत्ति होती थी वह सब प्रायः दूसरोंकी हित-कामनाको ही साथमें लिये हुए होती थी। उसमें उनके लौकिक स्वार्थकी अथवा अपने आहंकारको पुष्ट करने और दूसरोंको नीचा दिखाने रूप कृतिसित भावनाकी गन्ध तक भी नहीं रहती थी। वे स्वयं सन्मार्गपर आरुङ् थे और चाहते थे कि दूसरे लोग भी सन्मार्गको पहिचानें और उसपर चलना आरम्भ करें। साथ ही, उन्हें दूसरोंको कुमार्गमें फैसा हुआ देखकर वड़ा ही खेद तथा कष्ट होता था ॥ और इसलिये उनका वाक्प्रयत्न सदा उनकी इच्छाके अनुकूल ही रहता था और वे उसके द्वारा ऐसे लोगोंके उद्धारका अपनी शक्तिभर प्रयत्न किया करते थे। ऐसा

कु आपके इस खेदादिको प्रकट करनेवाले तीन पद्म, नमूनेके तौर पर इस प्रकार है—

मद्याञ्जनद्रुतसमागमे ज्ञः शक्त्यन्तरव्यक्तिरदैवसूष्टिः ।

इत्यात्मविशिष्टोदरपुष्टितुष्ट निहीभयै हर्ता ! मुदवः प्रलब्धाः ॥३५॥

हृष्टेऽविशिष्टे जननादिहती विशिष्टता का प्रतिसत्त्वमेषाम् ।

स्वभावतः किं न परस्य सिद्धिरतावकानामपि हा ! प्रपातः ॥३६॥

स्वच्छन्दवृत्तेर्जगतः स्वभावादुच्चैर्नाचारपथेष्वदोषम् ।

निषुव्य दीक्षासम्मुक्तिमानास्त्वद्विष्टिवाहा बत ! विभ्रमन्ति ॥३७॥

—युक्त्यनुशासन

इन पदोंका आशय उस अनुवादादिक परसे जानना चाहिये जो वीर-सेवामन्दिरसे प्रकाशित युक्त्यनुशासन गन्धमें आठ पृष्ठोपर दिया है।

मालूम होता है कि स्वात्म-हित-साधनके बाद दूसरोंका हित-साधन करना ही उनके लिये एक प्रधान कार्य था और वे वड़ी योग्यताके साथ उसका सम्पादन करते थे। उनकी वाक्परिणामिति सदा क्रोधसे शून्य रहती थी, वे कभी किसीको अपशब्द नहीं कहते थे और न दूसरोंके अपशब्दोंसे उनकी शान्ति भंग होती थी। उनकी ओरोंसे कभी सुखी नहीं आती थी; वे हमेशा हँसमुख तथा प्रसन्नवदन रहते थे। छुरी भावनासे प्रेरित होकर दूसरोंके व्यक्तित्वपर कटाह करना उन्हे नहीं आता था और मधुर-भाषण तो उनकी प्रकृतिमें ही दाखिल था। यही वजह थी कि कठोर-भाषण करनेवाले भी उनके सामने आकर मृदुभाषी बन जाते थे; अपशब्द-मदान्धोंको भी उनके आगे बोल तक नहीं आता था और उनके 'वज्रपात' तथा 'वज्रांकुश'की उपमाको लिये हुए वचन भी लोगोंको अप्रिय मालूम नहीं होते थे।

समन्तभद्रके वचनोंमें एक ज्ञास विशेषता यह भी होती थी कि वे स्याइद-न्यायकी तुलामें तुले हुए होते थे और इसलिये उनपर पक्षपातका भूत कभी सवार होने नहीं पाता था। समन्त-भद्र स्वयं परीक्षा-प्रधानी थे, वे कदाग्रह को विलक्षुल पसन्द नहीं करते थे; उन्होंने सर्वज्ञवीतराग भगवान् महावीर तककी परीक्षा की है और तभी उन्हे 'आत्म' रूपमें स्वीकार किया है। वे दूसरों-को भी परीक्षा-प्रधानी होनेका उपदेश देते थे—सदैव उनकी यही शिक्षा रहती थी कि किसी भी तत्त्व अथवा सिद्धान्तको विना परीक्षा किये, केवल दूसरोंके कहनेपर ही न मान लेना चाहिये; बल्कि समर्थ-युक्तियोंके द्वारा उसकी अच्छी तरहसे जाँच करनी चाहिये—उसके गुण-दोषोंका पता लगाना चाहिये—और तब उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिये। ऐसी हालतमें वे अपने किसी भी सिद्धान्तको जावरदस्ती दूसरोंके गले उतारने अथवा उनके सिर मँडनेका कभी यत्न नहीं करते थे। वे विट्ठानों

को, निष्पक्षदृष्टिसे, स्व-पर-सिद्धान्तोंपर खुला विचार करनेका पूरा अवसर देते थे। उनकी सदैव यह घोषणा रहती थी कि किसी भी वस्तुको एक ही पहलुसे—एक ही ओरसे—मत देखो, उसे सब ओरसे और सब पहलुओंसे देखना चाहिये, तभी उसका यथार्थज्ञान हो सकेगा। प्रत्येक वस्तुमें अनेक धर्म अथवा अङ्ग होते हैं—इसीसे वस्तु अनेकान्तात्मक है—उसके किसी एक धर्म या अङ्गको लेकर सर्वथा उसी रूपसे वस्तुका प्रतिपादन करना ‘एकान्त’ है और यह एकान्तवाद मिथ्या है, कदाग्रह है, तत्त्वज्ञानका विरोधी है, अधर्म है और अन्याय है। स्याद्वादन्याय इसी एकान्तवादका निषेध करता है—सर्वथा सत्-असत्-एक अनेक-नित्य-अनित्यादि सम्पूर्ण एकान्तीसे विपक्षीभूत अनेकान्त-तत्त्व ही उसका विषय[#] है।

अपनी घोषणाके अनुसार, समन्तभद्र प्रत्येक विषयके गुण दोषोंको स्याद्वाद-न्यायकी कसौटी पर कसकर चिढ़ानोके सामने रखते थे, वे उन्हे बतलाते थे कि एक ही वस्तुतत्त्वमें अमुक अमुक एकान्तपक्षोंके माननेसे क्या क्या अनिवार्य दोष आते हैं और वे दोष स्याद्वाद न्यायको स्वीकार करनेपर अथवा अनेकान्तवादके प्रभावसे किस प्रकार दूर हो जाते हैं और किस तरहपर वस्तुतत्त्व-का सामंजस्य ठीक बैठ जाता है। उनके समझानेमें दूसरोंके प्रति तिरस्कार का कोई भाव नहीं होता था। वे एक मार्ग भूले हुए को मार्ग दिखानेकी तरह प्रेमके साथ उन्हें उनकी त्रुटियोंका घोष करते थे, और इससे उनके भाषणानिकका दूसरों पर अच्छा ही

[#] सर्वथासदसदेकानेक-नित्याऽनित्यादि-सकलैकान्त-प्रत्यनीकाऽनेकान्त-तत्त्व-विषयः स्याद्वादः। —देवागमवृत्तिः

† इस विषयका अच्छा ग्रनुभव प्राप्त करनेके लिये समन्तभद्रका ‘देवागम’ ग्रन्थ देखना चाहिये, जिसे ‘शात्मभीमासा’ भी कहते हैं।

प्रभाव पड़ता था—उनके पास उसके विरोधका कुछ भी कारण नहीं रहता था। यही वजह थी और यही सब वह मोहन-मंत्र था जिससे समन्तभद्रको दूसरे सम्प्रदायोंकी ओरसे किसी खास विरोधका सामना प्रायः नहीं करना पड़ा और उन्हें अपने उद्देश्यमें भारी सफलताकी प्राप्ति हुई।

समन्तभद्रकी इस सफलताका एक समुच्चय उल्लेख श्रवण-बेलगोलके शिलालेख नं० ५४ (६७) में, जिसे 'मलिलषेणप्रशस्ति' भी कहते हैं और जो शक संवत् १०५० मे उत्कीर्ण हुआ है, निम्न प्रकारसे पाया जाता है और उससे यह मालूम होता है कि 'मुनिसंघके नायक आचार्य समन्तभद्रके द्वारा सर्वहितकारी जैनमार्ग इस कलिकालमें पुनः सब ओरसे भद्ररूप हुआ है— उसका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त होनेसे वह सबका हितकरनेवाला और सबका ग्रेमपात्र बना है' :—

वन्द्यो भस्मक-भस्मसात्कृतिपदुः पद्मावतीदेवता-

दत्तोदाच्चपद-स्वमन्त्र-वचन-व्याहृत-चन्द्रप्रभः ।

आचार्यस्स समन्तभद्र-गणभृथेनेह काले कलौ

जैनं वर्त्मं समन्तभद्रभभवङ्ग्रं समन्तान्मुहुः ॥

इस पद्यके पूर्वार्धमें समन्तभद्रके जीवनकी कुछ खास घटनाएँको उल्लेख है और वे हैं—१ घोर तपस्या करते समय शरीरमें 'भस्मक' व्याधिकी उत्पत्ति, २ उस व्याधिकी बड़ी बुद्धिमत्ताके साथ शान्ति, ३ पद्मावती नामकी दिव्यशक्तिके द्वारा समन्तभद्र-को उदात्त (ऊँचे) पदकी प्राप्ति और ४ अपने मन्त्ररूप वचन-बलसे अथवा योग-सामर्थ्यसे चन्द्रप्रभ-बिम्बकी आकृष्टि। ये सब घटनाएँ बड़ी ही हृदयद्रावक हैं, उनके प्रदर्शन और विवेचनका इस संक्षिप्त परिचयमें अवसर नहीं है और इसलिये उन्हें 'समन्तभद्रका मुनिजीवन और आपत्काल' नामक उस

निवन्धसे जानना चाहिये जो 'स्वामी समन्तभद्र' इतिहासमें ४२ पृष्ठों पर इन पंक्तियोंके लेखक-द्वारा लिखा गया है।

समन्तभद्रकी सफलताका दूसरा समुच्चय उल्लेख बेलूर तालुकेके कनड़ी शिलालेख नं० १७ (E. C V) में पाया जाता है, जो रामानुजाचार्य-मन्दिरके अहातेके अन्दर सौन्ध्यनाथकी मन्दिरकी छतके एक पत्थरपर उल्कीर्ण है और जिसमें उसके उल्कीर्ण होनेका समय शक संवत् १०५६ दिया है। इस शिलालेखमें ऐसा उल्लेख पाया जाता है कि श्रुतकेवलियों तथा और भी कुछ आचार्योंके बाद समन्तभद्र स्वामी श्रीवर्द्धमान महावीरस्वामीके तीर्थकी—जैनमार्गकी—सहस्रगुणी वृद्धि करते हुए उदयको प्राप्त हुए है—“श्रीवर्द्धमानस्वामिगलु तीर्थ्यदोलु केवलिगलु ऋद्धिप्राप्तरुं श्रुतकेवलिगलुं पलरुं सिद्धसाध्यर् तत्” (तीर्थ्यमं सहस्र-गुणं माडि समन्तभद्रस्वामिगलु सन्दर् ।”

वीरजिनेन्नके तीर्थकी अपने कलियुगी समयमें हजारगुणी वृद्धि करनेमें समर्थ होना यह कोई साधारण बात नहीं है। इससे समन्तभद्रकी असाधारण सफलता और उसके लिये उनकी अद्वितीय योग्यता, भारी विद्वत्ता एवं वेजोड़ ज्ञमताका पता चलता है। साथ ही, उनका महान व्यक्तित्व मूर्तिमान होकर सामने आजाता है। यही बजह है कि अकलंकदेव-जैसे महान् प्रभावक आचार्यने, अपनी 'आष्टशती' में, 'तीर्थ प्रभावि काले कलौ' जैसे शब्दों-द्वारा, कलिकालमें समन्तभद्रकी इस तीर्थ-प्रभावनाका उल्लेख बड़े गौरवके साथ किया है; यही कारण है कि हरिवंश-पुराणकार श्रीजिनेनाचार्य समन्तभद्रके वचनोंको वीरभगवानके वचनोंके समान प्रकाशमान (प्रभावादिसे युक्त) बतला रहे हैं।

† 'वचः समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजृम्भते ।'—हरिवंशपुराण

और शिवकोटि आचार्यने रत्नमालामें, ‘जिनराजोद्यन्धासनाम्बुधि-चन्द्रमा’ पदके द्वारा समन्तभद्रको भगवान् महावीरके ऊंचे उठते हुए शासन-समुद्रको बढ़ानेवाला चन्द्रमा लिखा है अर्थात् यह प्रकट किया है कि समन्तभद्रके उदयका निमित्त पाकर वीरभग-वानका तीर्थसमुद्र सूब वृद्धिको प्राप्त हुआ है और उसका प्रभाव सर्वत्र फैला है। इसके सिवाय, अकलङ्कदेवसे भी पूर्ववर्ती महान् विद्वानाचार्य श्रीसिद्धसेनने, ‘स्वयम्भूसूलुति’ नामकी प्रथम द्वार्तिशिकामें, ‘त्रनेन सर्वज्ञ-परीक्षण-क्षमास्त्वयि ग्रसादोदयसोत्तवाः स्थिताः’—जैसे वाक्यके द्वारा समन्तभद्रका ‘सर्वज्ञपरीक्षणक्षम’ (सर्वज्ञ-आपकी परीक्षा करनेमें समर्थ पुरुष) के रूपमें उल्लेख करते हुए और उन्हे बड़े प्रसन्नचित्तसे वीरभगवानमें स्थित हुआ बतलाते हुए, अगले एक पद्यमें वीरके उस यशकी मात्राका बड़े ही गौरवके साथ उल्लेख किया है जो उन ‘अलब्धनिष्ठ’ और ‘प्रसमिद्धचेता’ विशेषणोंके पात्र समन्तभद्र जैसे प्रशिष्योंके द्वारा प्रथित किया गया है ॥ १ ॥

अब मैं, सचेपमे ही, इतना और बतला देना चाहता हूँ कि स्वामी समन्तभद्र एक क्षत्रिय-वंशोद्धव राजपुत्र थे, उनके पिता फणिमण्डलान्तर्गत ‘उरगपुर’ के राजा थे । वे जहाँ क्षत्रियो-

॥ अलब्धनिष्ठः प्रसमिद्धचेतस्त्व विशेषाः प्रथयन्ति यद्यशः ।

न तावदप्येकसमूह-सहताः प्रकाशयेयुः परवादिषार्थिवाः ॥ १५ ॥

सिद्धसेन-द्वारा समन्तभद्रके इस उल्लेखका विशेष परिचय प्राप्त करनेके लिये देखो, ‘पुरातन-जैनवाक्य-सूची’ की प्रस्तावनामें प्रकाशित ‘सन्मतिसूत्र और सिद्धसेन’ नामका बृहत् निबन्ध पृ० १५५ ।

† जैसा कि उनकी ‘आप्तमीमासा’ कृतिकी एक प्राचीन ताडपत्रीय प्रतिके निम्न पुष्पिका-वाक्यसे जाना जाता है, जो श्वरणबेलोलके श्रीदीर्घलिजिनदास शास्त्रमण्डारमें सुरक्षित है—

चित तेजसे प्रदीप थे वहाँ आत्महित-साधना और लोकहितकी भावनासे भी ओत-ओत थे, और इसलिये घर-गृहस्थीमें अधिक समय तक अटके नहीं रहे थे। वे राज्य-वैभवके मोहमें न फैस-कर घरसे निकल गये थे, और कांची (दक्षिणाकाशी) में जाकर 'नगनाटक' (नगन) दिगम्बर साधु बन गये थे। उन्होंने एक परिचयपद्ममें अपनेको कॉचीका 'नगनाटक' प्रकट किया है और साथ ही 'निर्ग्रन्थजैनवादी' भी लिखा है—भले ही कुछ परिस्थितियोंके वश वे कठिपथ स्थानोंपर दो एक दूसरे साधु-वेप भी धारण करनेके लिये बाध्य हुए हैं, जिनका पद्ममे उल्लेख है, परन्तु वे सब अस्थायी थे और उनसे उनके मूलरूपमें कर्दमात्क-मणिके समान, कोई अन्तर नहीं पड़ा था—वे अपनी श्रद्धा और संयमभावनामें वरावर अडोल रहे हैं। वह पद्म इस प्रकार है—
 कांच्यां नगनाटकोऽहं मलमलिनतनुर्लाम्बुशो पाण्डुपिण्डः
 पुण्ड्रोऽ्द्रे शाक्यमिञ्चुः† दशपुरनगरे मिष्टभोजी परिव्राट् ।
 वाराणस्यामभूवं शशधरधवलः पाण्डुरांगस्तपस्वी
 राजन् यस्याऽस्ति शक्तिः स वद्गु पुरतो जैननिर्ग्रन्थवादी ॥

यह पद्म भी 'पूर्व पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता' नाम-के परिचय-पद्मकी तरह किसी राजसभामे ही अपना परिचय देते हुए कहा गया है और इसमे भी वादके लिये विद्वानोंको ललकारा गया है और कहा गया है कि 'हे राजन् ! मैं तो वास्तव में जैननिर्ग्रन्थवादी हूँ, जिस किसीकी भी मुझसे वाद करनेकी शक्ति हो वह सामने आकर वाद करे।'

"इति श्रीफर्णिमण्डलालंकारस्योरगपुराधिपसूनोः श्रीस्वामिसमन्तभद्र-
 मुनेः कृतौ आप्तमीमासायाम् ।"

† यह पद अग्रोल्लेखित जीर्ण गुटकेके अनुसार 'शाकभक्ती' है।

पहलेसे समन्तभद्रके उक्त दो ही पद्य आत्मपरिचयको लिये हुए मिल रहे थे, परन्तु कुछ समय हुआ, 'स्वयम्भूस्तोत्र' की प्राचीन प्रतियोंको खोजते हुए, देहली-पंचायतीमन्दिरके एक अति-जीर्ण-शीर्ण गुटके परसे मुझे एक तीसरा पद्य भी उपलब्ध हुआ है, जो स्वयम्भूस्तोत्रके अन्तमें उक्त दोनों पद्योंके अनन्तर संग्रहीत है और जिसमें स्वामीजीके परिचय-विषयक दस विशेषण उपलब्ध होते हैं और वे हैं—१ आचार्य, २ कवि, ३ वादिराट्, ४ परिषद्त (गमक), ५ दैवज्ञ (ज्योतिर्विद्) ६ भिषक् (वैद्य), ७ मान्त्रिक (मन्त्रविशेषज्ञ), ८ तान्त्रिक (तन्त्रविशेषज्ञ), ९ आज्ञासिद्ध और १० सिद्धसारस्वत । वह पद्य इस प्रकार है :—

आचार्योहं कविरहमहं वादिराट् परिषद्तोहं
दैवज्ञोहं भिषग्रहमहं मान्त्रिकस्तान्त्रिकोहं ।
राजननस्यां जलधिवलयामेखलायामिलायाम्—
आज्ञासिद्धः किमिति बहुना सिद्धसारस्वतोहं ॥३॥

यह पद्य बड़े ही महत्वका है । इसमें वर्णित प्रथम तीन विशेषण—आचार्य, कवि और वादिराट्—तो पहलेसे परिज्ञात हैं—अनेक पूर्वाचार्योंके ग्रन्थों तथा शिलालेखोंमें इनका उल्लेख मिलता है । चौथा 'परिषद्त' विशेषण आजकलके व्यवहारमें 'कवि' विशेषणकी तरह भले ही कुछ साधारण समझा जाता हो परन्तु उस समय कविके मूल्यकी तरह उसका भी बड़ा मूल्य था और वह प्रायः 'गमक' (शास्त्रोंके मर्म एवं रहस्यको समझने तथा दूसरोंको समझानेमें निपुण) जैसे विद्वानोंके लिये प्रशुक्त होता था । अतः यहाँ गमकत्व-जैसे गुणविशेषका ही वह द्योतक है । शेष सब विशेषण इस पद्यके द्वारा प्रायः नये ही प्रकाशमें

आए हैं और उनसे ज्योतिष, वैद्यक, मन्त्र और तन्त्र जैसे विषयोंमें भी समन्तभद्रकी निपुणताका पता चलता है। समीचीन धर्मशास्त्र (रत्नकरण्ड) में, अंगहीन सन्यग्दर्शनको जन्मसन्तति-के क्षेदनमें असमर्थ बतलाते हुए, जो विषवेदनाके हरनेमें न्यून-क्षरमन्त्रकी असमर्थताका उदाहरण दिया है वह और शिलालेखों तथा ग्रन्थोंमें ‘समन्तवचन-व्याहृत-चन्द्रप्रभः’—जैसे विशेषणोंका जो प्रयोग पाया जाता है वह सब भी आपके मन्त्र-विशेषज्ञ तथा मन्त्रवादी होनेका सूचक है। अथवा यों कहिये कि आपके ‘मान्त्रिक’ विशेषणसे अब उन सब कथनोंकी यथार्थताको अच्छा पोषण मिलता है। इधर इर्वीं शताब्दीके विद्वान् उग्रादित्याचार्य-ने अपने ‘कल्याणकारक’ वैद्यक ग्रन्थमें ‘अष्टाङ्गमध्यसिलमन्त्र समन्तभद्रैः प्रोक्तं सविस्तरवचो विमवैविशेषात्’ इत्यादि पद्य- (२०-८६) के द्वारा समन्तभद्रकी अष्टाङ्गवैद्यक-विषयपर विस्तृत रचनाका जो उल्लेख किया है उसको ठीक बतलानेमें ‘भिषक्’ विशेषण अच्छा सहायक जान पड़ता है।

अन्तके दो विशेषण ‘आज्ञासिद्ध’ और ‘सिद्धसारस्वत’ तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनसे स्वामी समन्तभद्रका असाध-रण व्यक्तित्व बहुत कुछ सामने आजाता है। इन विशेषणोंको प्रस्तुत करते हुए स्वामीजी राजाको सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि—‘हे राजन् ! मैं इस समुद्र-चलया पृथ्वी पर ‘आज्ञासिद्ध’ हूँ—जो आदेश दूँ वही होता है। और अधिक क्या कहा जाय, मैं ‘सिद्धसारस्वत’ हूँ—सरस्वती मुझे सिद्ध है। इस सरस्वतीकी सिद्धि अथवा वचनसिद्धिमें ही समन्तभद्रकी उस सफलताका सारा रहस्य सनिहित है जो स्थान-स्थान पर वादघोषणाएँ करने पर उन्हें प्राप्त हुई थी और जिसका कुछ विवेचन ऊपर किया जा चुका है।

समन्तभद्रकी वह सरस्वती (वादेवी) जिनवारणी माता थी,

जिसकी अनेकान्तदृष्टि-द्वारा अनन्य-आराधना करके उन्होंने अपनी वाणीमें वह अतिशय प्राप्त किया था जिसके आगे सभी नवमस्तक होते थे और जो आज भी सहदय-विद्वानोंको उनकी ओर आकर्षित किये हुए हैं।

समन्तभद्र, श्रद्धा और गुणज्ञता दोनोंको साथ लिये हुए, बहुत बड़े अर्हद्वक्त थे, अर्हद्वगुणोंकी प्रतिपादक सुन्दर-सुन्दर स्तुतियाँ रचनेकी ओर उनकी बड़ी रुचि थी और उन्होंने स्तुतिविद्यामें 'सुस्तुत्यं व्यसनं' वाक्यके द्वारा अपनेको वैसी स्तुतियाँ रचनेका व्यसन बतलाया है। उनके उपलब्ध ग्रन्थोंमें अधिकांश ग्रन्थ स्तोत्रोंके ही रूपको लिए हुए हैं और उनसे उनकी अद्वितीय अर्हद्वक्ति प्रकट होती है। 'स्तुतिविद्या' को छोड़कर स्वयम्भूतोत्तर, देवागम और युक्त्यनुशासन ये तीन तो आपके खास स्तुतिग्रन्थ हैं। इनमें जिस स्तोत्र-प्रणालीसे तस्वज्ञान भरा गया है और कंठिनसे कठिन तास्त्विक विवेचनोंको योग्य स्थान दिया गया है वह समन्तभद्रसे पहलेके ग्रन्थोंमें प्रायः नहीं पाई जाती। समन्त-भद्रने अपने स्तुतिग्रन्थोंके द्वारा स्तुतिविद्याका खास तौरसे उद्घार, सत्कार और विकास किया है, और 'इसीलिये वे 'स्तुतिकार' कहलाते थे। उन्हें 'आद्यस्तुतिकार' होनेका भी गौरव प्राप्त था। अपनी इस अर्हद्वक्ति और लोकहितसाधनकी उत्कट भावनाओंके कारण वे आगेको इस भारतवर्षमें 'तीर्थङ्कर' होनेवाले हैं, ऐसे भी कितने ही उल्लेख अनेक ग्रन्थोंमें पाये जाते हैं ॥ । साथ ही ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं जो उनके 'पद्धिक' अथवा 'चारणश्चद्धि' से सम्पन्न होनेके सूचक हैं ॥ ।

† देखो, 'स्वामी समन्तभद्र' पृ० ६७

॥ देखो, 'स्वामी समन्तभद्र'—'भावितीर्थकरत्व' प्रकरण पृ० ६२

‡ देखो, 'स्वामी समन्तभद्र'—'गुणादिपरिचय'प्रकरण पृ० ३४ ।

श्रीसमन्तभद्र 'स्वामी' पदसे खास तौरपर अभिभूषित थे और यह पद उनके नामका एक अंग ही बन गया था। इसीसे विद्यानन्द और वादिराजसूरि जैसे कितने ही आचार्यों तथा पं० आशाधरजी जैसे विद्वानोंने अनेक स्थानोंपर केवल 'स्वामी' पदके प्रयोग-द्वारा ही उनका नामोल्लेख किया है*। निःसन्देह यह पद उस समयकी हटिसे ६ आपकी महती प्रतिष्ठा और असाधारण महत्त्वाका द्योतक है। आप सचमुच ही विद्वानोंके स्वामी थे, त्यागियोंके स्वामी थे, तपस्वियोंके स्वामी थे, योगियोंके स्वामी थे, ऋषि-मुनियोंके स्वामी थे, सद्गुणियोंके स्वामी थे, सल्लुतियोंके स्वामी थे और लोक-हितैषियोंके स्वामी थे। आपने अपने अवतारसे इस भारतभूमिको विक्रमकी दूसरी-तीसरी शताब्दीमें पवित्र किया है। आपके अवतारसे भारतका गौरव बढ़ा है और इसलिये श्रीशुभचन्द्राचार्यने, पाण्डवपुराणमें, आपको जो 'भारत-भूषण' लिखा है वह सब तरह यथार्थ ही है X।

वीरसेवामन्दिर, देहली
मात्रसुदि ५, स० २०११

जुगलकिशोर मुख्तार



* देखो, 'स्वामी समन्तभद्र' पृ० ६१ (फुटनोट)

इ आजकल तो 'कवि' और 'पण्डित' पदोंकी तरह 'स्वामी' पदका भी दुरुपयोग होने लगा है।

X समन्तभद्रो भुद्रार्थो भातु भारतभूषणः।

देवागमेन येनाऽन्त्र अस्तो देवागमः कृतः ॥

सभाष्य-धर्मशास्त्रकी विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
प्रथम अध्ययन			
भाष्यका मंगलाचरण	१	सभी ज्ञेय पदार्थोंका युगपत्	
मूलका मंगलाचरण	२	प्रतिभासन अबाध्य	१२
'श्री' विशेषणका स्पष्टीकरण	३	मंगलाचरणकी और उसे ग्रन्थ- में निबद्ध करनेकी हृष्टि	१३
वर्द्धमानका आप्तके तीनो विशे- षणोंके साथ स्मरण	५	धर्मदेशनाकी प्रतिज्ञा और धर्मके विशेषण	१४
'निघूंत-कलिलात्मने' पदकी तुलना और प्रयोगकी खूबी	५	'कर्मनिवहंण' विशेषणकी हृष्टि और उसकी प्रतिष्ठापर तृतीय	
लोक-श्लोक-त्रिलोकका स्वरूप; लोक-श्लोकमें सपूर्ण ज्ञेय- तत्त्वकी परिसमाप्ति	६	विशेषणकी चरितार्थता	१५
आत्माके ज्ञान-प्रभाण और ज्ञान- के ज्ञेय-प्रभाण एव सर्वगत होनेका स्पष्टीकरण	७	उत्तमसुखकी परिभाषा, इन्द्रिय- सुखकी सदोषता	१६
शुद्धात्मा सर्वज्ञके सर्वगतत्त्वका रहस्योद्घाटन ...	८	'सत्त्वान्'पद-प्रयोगका महत्वादि	१८
ज्ञानके दर्पण-सम होनेपर उसमें श्लोक-सहित त्रिलोकका युगपत् प्रतिभासन कैसे ?	९	'समीचीन' विशेषणका रहस्यो- द्घाटन ...	२०
लौकिक-दर्पणों तथा क्षायोपश- मिक ज्ञान-दर्पणोंकी कुछ विशेषताएँ	११	ग्रन्थके 'समीचीनधर्मशास्त्र'और 'रत्नकरण' नामोका विश- दीकरण	२४
सर्वातिशायी केवलज्ञान-दर्पणमें		धर्म-लक्षण (रत्नत्रयरूप)	२५
		सत्, हृष्टि, ज्ञान, वृत्त आदिके पर्याय-नामोका अनुसधान	२५
		विपक्षभूत, मिथ्यादर्शनादिके अ- धर्म हैं और ससारके मार्ग हैं। फलतः सम्यगदर्शनादिधर्म मोक्षके मार्ग हैं ...	२६

‘रत्नत्रय’ घर्मं कर्मवन्धका कारण क्यो नही ? और क्यो उसे तीर्थकर, आहारक तथा देवायु आदि-पुण्यप्रकृतियोंका बन्धक कहा गया है ? दोनोंका समाधान	३८
रत्नत्रयघर्मके दो भेद, जिनमें ब्यवहाररत्नत्रय, निश्चयरत्न- त्रय घर्मका सहायक होनेसे पुण्यका बन्धक होते हुए भी ‘मोक्षोपायके रूपमें निर्दिष्ट हैं न कि बन्धनोपायके रूपमें	३९
घर्म तो वस्तुस्वभाव, दया, दश- लक्षण आदि दूसरे भी हैं, तब अकेले रत्नत्रयको ही यहा घर्म क्यो कहा ? समाधान	४१
सम्यगदर्शनका लक्षण	४२
श्रद्धान शब्दके पर्यायनामोका अनुमंधान, परमार्थ आप्त- आगम-तपस्वीके श्रद्धानका भ्रमित्राय, परमार्थ विशेषण- से लौकिक आप्तादिके पृष्ठ- ककरणादिका दिग्दर्शन	४३
यह श्रद्धान सम्यगदर्शनका का- रण है, कारणमें कार्यका उपचार, भक्तियोगके सहेतुक समावेशका स्पष्टीकरण	४५
परमार्थ-आप्त-लक्षण	४७
आप्त-गुणोंके क्रम-निर्देशकी य- थार्थता और ‘मोक्षमागंस्य नेतारं’ पद्मके साथ तुलना	४७
निर्दोष-आप्त-स्वरूप	४८
अप्यादश दोप-विपयक दिग्म्बर- श्वेताम्बर-मान्यताओंके अ- न्तरका स्पष्टीकरण	४९
आप्त-नामावली ...	५०
ये नाम आप्तके तीनों गुणोंकी दृष्टि से हैं, ऐसी नाममाला देनेकी प्राचीन पद्धति	५१
वीतराग आप्त आगमेशी कैसे ? इसका स्पष्टीकरण	५२
आगम-शास्त्र-लक्षण	५३
लक्षणमें ‘आप्तोपज्ञ’ विशेष- ण होते हुए भी शेष पाँच विशेषण जो और साथ में जोड़े गए हैं वे आप्तोपज्ञ- की जांचके माध्यनरूपमें हैं	५३
परमार्थ-तपस्वि-लक्षण	५५
तपस्वीके चार विशेषणपदोंका महत्व-व्यापन ...	५५
असंशयाङ्ग-लक्षण ...	५६
‘तत्त्व’ और ‘एव’ शब्दोंका रहस्योदयाटन ...	५७

अनाकांक्षणा इङ्ग-लक्षण	४८	वात्सल्याङ्ग-लक्षण	५४
सुखके कर्म-परवशादि विशेषण		प्रतिपत्तिके तीन विशेषणपदो-	
उसकी निःसारताके द्वोतक	४६	की हृष्टिका स्पष्टीकरण	५४
निर्विचिकित्सिताङ्ग-लक्षण	४६	प्रभावनाङ्ग-लक्षण (हृष्टिके	
शरीरके स्वभावसे अशुच तथा		स्पष्टीकरण-सहित)	५५
बादको रत्नत्रयगुणोंके योग-		कोरी घन-सम्पत्ति की त्रुमा-	
से पवित्र होनेका फलितार्थ	४६	इकाका नाम प्रभावना नहीं	५५
अमूढदृष्टिअंगका लक्षण	५०	अंगोंमें प्रसिद्ध व्यक्तियों-	
कुमार्ग और कुमार्गस्थितका स्प-		के नाम ...	५६
ष्टीकरण, कुमार्गमें स्थित-		अंगहीन सम्यगदर्शनकी	
की प्रशासादिका निषेध कु-		असमर्थता ...	५६
मार्गमें स्थितिकी दण्डिसे है,		लोकमूढ-लक्षण ...	५७
अन्य हृष्टिसे नहीं—एक		श्रेयः साधनादिकी हृष्टिसे भिन्न	
उदाहरण	दूसरी हृष्टिसे किये हुए उक्त स्नानादि कार्य लोकमूढतामें	
उपगूहनाङ्ग-लक्षण	५१	परिगणित नहीं	५७
लक्षणोक्त विशेषणोंकी हृष्टिका		देवतामूढ-लक्षण (हृष्टिके	
स्पष्टीकरण, धूर्तजनोंके		स्पष्टीकरण-सहित)	५८
द्वारा जान-बूझकर घटित की		पाषण्डिमूढ-लक्षण	५८
जानेवाली निन्दाके परिमा-		‘पाषण्डिन’ शब्दके पुरातन मूल अर्थका और वर्तमान धूर्तादि	
र्जनादिका इस अगसे सम्ब-		जैसे विकृत अर्थका स्पष्टी-	
न्ध नहीं	करण; वर्तमान अर्थ लेनेसे	
स्थितीकरणाङ्ग-लक्षण	५२	अर्थका अनर्थ ...	५९
यहाँ सम्यग्ज्ञानसे चलायमान होने		समय-लक्षण और मद-दोष	६१
‘बालोका गहण क्यों नहीं ?		मदके स्थूल भेद आठ, सूक्ष्मभेद	
‘समावात; इस अग-स्वामीके		प्रत्येकके अनेकांगेक—कुछ	
लिये ‘धर्मवत्सल’ और ‘प्राज्ञ’		दिग्दर्शन ...	६१
‘विशेषणोंकी आवश्यकता	५३		

कुलजात्यादिहीन धर्मत्वा-	सम्यग्दर्शनकी उल्लङ्घना ६७
ओका तिरस्कार अपने ही	सम्यग्दर्शन-विना सम्यज्ञानादि-
धर्मका तिरस्कार है, सहेलु ६८	की उत्पत्ति स्थिति और फल-
मददोष-परिहार—	सम्पत्ति नहीं बनती ६९
धर्मभावके कारण जहाँ पाप-	मोही मुनिसे निर्मोही गृहस्थ
का निरोध है और धर्मभाव-	श्रेष्ठ है ... ६८
के कारण जहाँ पापाक्षव	सम्यग्दर्शनका माहात्म्य ६६
बना हुआ है वहाँ द्वारी	शुद्ध सम्यग्दर्शनसे युक्त जीव किन
कुल-जात्यादि-सम्पत्ति की	अवस्थाओंको प्राप्त नहीं
अप्रयोजकता ६३	होते और किन-किनको यथा-
एक चाण्डालका पुत्र भी सम्य-	साध्य प्राप्त होते हैं, यथो-
दर्शनधर्मसे सम्पत्ति है तो वह	चित विवेचनके साथ ७०
देवके रूपमें आराध्य है ६४	
धर्मके प्रसादसे एक कुत्ता भी	द्वितीय अध्ययन
देव और पापके योगसे एक	सम्यज्ञान-लक्षण ७७
देव भी कुत्ता बन जाता है ६५	प्रथमानुयोग-स्वरूप ७८
सम्यग्दृष्टिका विशेष कर्तव्य	करणानुयोग-स्वरूप ७९
(कर्तव्यकी दृष्टि-सहित) ६५	चरणानुयोग-स्वरूप ८०
कुदेवागम-लिंगियोंमें उनके उपा-	द्रव्यानुयोग-स्वरूप ८१
सक जन-साधारण माता-	
पिता-राजादिका ग्रहण नहीं,	तृतीय अध्ययन
न भयादिकी दृष्टिके विना	सचारित्रका-पात्र और ध्येय ८२
शिष्टाचारादिके रूपमें लो-	चारित्रके ध्येयका स्पष्टीकरण ८४
कानुवंति विभयादिकका यहाँ	प्रतिपद्यमानचारित्रका लक्षण ८५
निषेध है। ... ८६	चारित्रके भेद और स्वामी ८६
मोक्षमार्गमें सम्यग्दर्शनका	ब्रतभेदरूप गृहस्थ-चारित्र ८८
स्थान (कर्णधारके समान) ८६	अग्नुब्रत-लक्षण ८८

स्थूल और सूक्ष्म पार्थों तथा उन-	ब्रह्मचर्यागुणत-लक्षण	६६
के पर्याय-नामोंका अनुसंधान,	व्रतके दो नामोंका स्पष्टीकरण	६६
कारणमें कार्यके उपचारसे	ब्रह्मचर्यागुणतके अतिचार १००	
पाप-कारणोंको 'पाप'संज्ञा	अतिचारोंके स्पष्टीकरणमें'अन्य'	
अहिंसागुणत-लक्षण	'आकरण' 'इत्वरिका'शब्दो-	
'सकल्पात्' पदका महत्व,उसका	के अभिप्रायका व्यक्तीकरण १००	
प्राण-'शुद्धस्वेच्छा',अगले व्रत-	अपरिग्रहागुणत-लक्षण	१०१
लक्षणोंमें उसकी अनुवृत्ति ६०	धनधार्यादिपरिहमें दस प्रकार	
अहिंसागुणतके अतिचार ६२	के बाह्यपरिग्रहोंका संग्रह १०१	
अतिचारोंके ग्रन्थोंके पर्यायनाम ६२	अपरिग्रहागुणतके अतिचार १०२	
सत्यागुणत-लक्षण	'अति' शब्दका वाच्यार्थ १०३	
'स्थूल' शब्दका विवेचन	अगुणत-पालन-फल	१०३
बोलने बुलवानेमें लिखना-	'अवधिः' और 'अष्टगुणः'	
लिखाना भी शामिल	पदोंका स्पष्टीकरण	१०४
सत्यागुणतके अतिचार	अणिमा-महिमादिगुण-स्वरूप	१०४
'परिवाद' और 'पैदौन्य' नामके	अहिंसाद-पालनमें प्रसिद्धव्यक्ति १०५	
अतिचारोंकी तत्त्वार्थसूत्रसे	अष्ट मूलगुण ... १०६	
तुलना और दीक्षाकार प्रभा-	मूलगुणोंकी दृष्टि,उनका विषय,	
चन्द्रकी व्याख्यापर विचार ६५	दूसरे अष्टमूलगुणोंके साथ	
अचौर्यागुणत-लक्षण	तुलना तथा उनकी दृष्टि १०६	
'परस्व' 'म्रविसूष्ट' तथा 'हरति'	चतुर्थ अध्ययन	
पदोंका विवेचन और चौरीके	अगुणतोंके नाम और इस	
स्थूल त्यागका स्पष्टीकरण ६६	संज्ञाकी सार्थकता	१११
अचौर्यागुणतके अतिचार ६८	दिग्ब्रत-लक्षण	१११
'सहशसम्मिश्र' और 'विलोप'	'शामृति' और 'बहिनं यात्यामि'	
नामके अतीचारोंकी तत्त्वार्थ-	पदोंकी दृष्टि	११२
सूत्रसे तुलना और विशेषता ६८	दिग्ब्रतकी मर्यादाएँ	११२

दिग्ब्रतोंसे अरण्यब्रतोंको महा-		'विफल' विशेषणकी हृष्टि	१२१
ब्रतत्व ...	११२	अनर्थदण्डब्रतके अतिचार	१२१
महान्नतत्वके योग्य परिणाम	११३	'अतिप्रसाधन' अतिचारकी	
महाब्रत-लक्षण	११४	तत्त्वार्थसूत्रसे सुलना	१२१
अन्तरंगपरिग्रहोका पूरणतः त्याग		भोगोपभोगपरिमाणब्रत-	
१२५		लक्षण (ऋद्धेश्य-सहित)	१२२
गुणस्थानमें होनेसे		भोगोपभोग-लक्षण	१२३
पूर्वके छठे आदि गुणस्थान-		मधुमांसादिके त्यागकी हृष्टि	१२४
वर्ती किस हृष्टिसे महान्नती	११४	दूसरे त्यज्य पदार्थ	१२५
दिग्ब्रतके अतिचार	११५	आनिष्टादि पदार्थोंके त्याग-	
अनर्थदण्डके भेद ...	११६	का विधान (सहेतुक)	१२७
पापोपदेश-लक्षण	११६	थम-नियम-लक्षण	१२८
'कथाप्रसागप्रसवः' पदकी हृष्टि	११७	नियमके व्यवस्थित रूपका	
हिंसादान-लक्षण ...	११८	ससूचन	१२८
अनर्थदण्डके लक्षणमें प्रयुक्त हुआ		भोगोपभोगपरिमाणब्रतके	
'अपार्थक' शब्द यहाँ 'दान'		अतिचार	१२९
पदके पूर्वमें अध्याहृत है	११८	अतिचारोकी तत्त्वार्थसूत्रके अति-	
प्रकृतहृष्टिसे रहित हिंसोप-		चारोंसे विभिन्नता-नुज्ञादि	१३०
करणका दान इस ब्रतकी		पंचम अध्ययन	
कोटिसे निकल जाता है	११८	शिक्षाब्रतोंके नाम	१३१
अपध्यान-लक्षण ..	११८	देशावकाशिकब्रत-स्वरूप	१३१
'द्विषात्' और 'रागात्' पद अप-		दिव्यत और देशब्रतका अन्तर	१३१
ध्यानकी हृष्टिके सूचक	११८	देशावकाशिककी सीमाएँ	१३२
दुःश्रुति-लक्षण ...	११९	देशावकाशिक-कालमर्यादाएँ	१३२
दुःश्रुतिका पठन-श्वरण करनेपर		देशावकाशिकद्वारा महाब्रत-	
भी कौन दोषका भागी नहीं	१२०	साधन (सकारण)	१३३
प्रभाद्वर्या-लक्षण	१२०		

देशावकाशिकके अतिचार	१३४	प्रोषधोप०का दूसरा लक्षण	१४६
किन अवस्थाओंमें यह नती		प्रोषधोपवासके अतिचार	१४७
दोषी नहीं होता	१३५	'अदृष्टमृष्टानि' विशेषणपदकी	
सामायिकब्रत-स्वरूप	१३५	तत्त्वार्थसूत्रमें प्रयुक्त हुए	
समय-स्वरूप ...	१३६	विशेषणके साथ तुलना	१४७
सामायिकके योग्य स्थानादि	१३७	वैद्यावृत्य-लक्षण	१४८
सामायिककी दृढ़ताके साधन	१३८	लक्षणमें प्रयुक्त खास खास पदों	
प्रतिदिन सामायिककी उप-		की दृष्टिका स्पष्टीकरण	१४९
योगिता ...	१३८	ब्रतके 'वैद्यावृत्य' नाममें 'अतिथि-	
सामायिकस्थ गृहस्थ मुनि-		संविभाग' नामकी अपेक्षा	
के समान ...	१३९	अनेक विशेषताओंका समा-	
सामायिक और जापमें अन्तर	१४०	वेश, कुछका दिग्दर्शन	१५०
सामायिक-समयका कर्तव्य	१४०	दान, दाता और पात्र	१५०
सामायिकब्रतके अतिचार	१४२	नवपुण्यो, सप्तगुणो और सूना-	
मन-वचन-कायके दुःप्रणिधान-		ओके नामोंका ससूचनादिक	१५१
का स्पष्टीकरण	१४२	अतिथि-पूजादि-फल	१५२
प्रोषधोपवास-लक्षण	१४२	वैद्यावृत्यके चार मेद	१५४
'पर्वणी' के चतुर्दशी अर्थका		वैद्यावृत्यके दृष्टान्त	१५४
स्पष्टीकरण और चतुर्विध		वैद्यावृत्यमें पूजाविधान	१५५
आहारके त्यागकी दृष्टि	१४३	पूजाके दो श्रेष्ठ रूप—पूज्यके	
उपवासके दिन त्याज्य कर्म	१४३	अनुकूल-वर्तन और उस ओर	
जो उपवास लौकिक दृष्टिसे किये		ले जानेवाले स्तवनादिक	१५६
जाते हैं वे इस उपवासकी		अति प्राचीनो-द्वारा की जाने-	
कोटिमें नहीं आते	१४४	बाली द्रव्यपूजा	१५७
उपवास-दिवसका विशेष		अर्हत्पूजा-फल ...	१५८
कर्तव्य	१४४	वैद्यावृत्यके अतिचार	१५८

छठा अध्ययन		'प्रतिमा' के स्थानपर 'आवक-
सल्लेखना-लक्षण	१६०	पद' के प्रयोगकी महत्ता १७४
सल्लेखनाके दूसरे नाम, समाधि-		ये पद पाँचवें गुणस्थानके उप-
मरण और अपघातमें अन्तर १६०		भेद हैं, एकमात्र सल्लेखनाके
सल्लेखनाके दो भेद	१६१	अनुष्ठातासे सम्बन्ध नहीं रखते १७५
'निःप्रतीकारे' और 'धर्माय' पदो		दर्शनिक-आवक-लक्षण १७५
की विशेषता तथा हृष्टि १६१		चारो विशेषण-पदोकी हृष्टि-
सल्लेखनाकी महत्ता आदि १६३		का स्पष्टीकरण १७६
विवक्षित तपका स्वरूप १६४		ब्रतिक-आवक-लक्षण १७८
मरणके विगड़ने पर सारे किये		'शीलसप्तक' 'निरतिक्रमण' और
कराये पर पानी फिरना कैसे १६४		'निःशल्य': 'पदोकी हृष्टि १७८
सल्लेखना-विधि १६५		सामायिक-आवक-लक्षण १७९
सल्लेखनाके अतिचार १६८		आवर्त्ती, प्रणामो, कायोत्सर्गों
धर्मानुष्ठान-फल १६८		तथा उपवेशनोकी विधि-
निःश्रेयस और अभ्युदय सुख-		व्यवस्थाका प्रभाचन्द्रीयटी-
समुद्रोके रूपमें द्विविध फलकी		काके अनुसार वर्णन १८०
हृष्टिका अन्तरादिक १६९		'आवर्त्तनितय': 'श्रियोगशुद्धः'
दोनो सुख-समुद्रोके 'निस्तीर'-		और 'यथाजातः' पदोका ।
'दुस्तर' विशेषणोकी हृष्टि १६९		विवेचन ... १८१
निःश्रेयस-सुख-स्वरूप १७०		सामायिक-शिक्षाव्रतका सब
निःश्रेयस-सुख-प्राप्ति सिद्धों-		आचार इस पदमें शामिल,
की स्थिति १७१		दोनोका हृष्टिभेद १८२
अभ्युदय-सुख-स्वरूप १७२		प्रोपधाऽनशन-लक्षण १८२
सप्तम अध्ययन		ब्रतिकपदमें प्रोपधोपवासका नि-
आवक-पदोंकी संख्या और		रतिचार विधान आगया तब
उनमें गुणवृद्धिका नियम १७४		उसीको पुनः अलग पदके
		रूपमें रखनेका क्या अर्थ ? १८२

लाटीसहितामें दोनो प्रतिमाश्वो-		'भैक्ष्यासनः' 'तपस्यन्' और
के अन्तरकी जो बात कही		'चेलखण्डधरः' विशेषणोंके
गई उसका प्रतिवाद	१८३	वाच्यका स्पष्टीकरण १६२
सचित्त-विरत-लक्षण	१८४	क्षुल्लकादिकी अपेक्षा 'उत्कृष्ट
यह पद अप्राप्यक बनस्पतिके		श्रावक' नामकी विशेषता १६३
भक्षण-त्याग तक सीमित	१८४	श्रेयोङ्गाताकी पहिचान १६४
रात्रि-भोजन-विरत-लक्षण	१८५	धर्मके फलका उपसंहार १६४
'सत्त्वेष्वनुकम्पमानमनाः' की दृष्टि १८५		अन्त्यमंगल १६५
ब्रह्मचारिन-लक्षण	१८६	दृष्टिलक्ष्मीके तीन रूपो—
कामाङ्गको प्रस्तुत दृष्टिसे		कामिनी, जननी और कन्या-
देखनेका महत्व	१८६	का विशदीकरण १६६
आरम्भविरत-लक्षण	१८७	दृष्टिलक्ष्मी अपने इन तीनो
आरम्भके दो विशेषण-पदोंकी		रूपोंमें जिनेन्द्रके चरणकमलो
दृष्टिका तुलनात्मक विवेचन १८७		शथवा पद-बायोकी और
आरम्भोंमें पचसूनाओंका ग्रहण		बराबर देखा करती है और
यहाँ विवक्षित है या नहीं १८८		उनसे अनुप्राणित होकर सदा
परिचिन्तपरिश्रद्धविरत-लक्षण १८८		प्रसन्न एव विकसित हुआ
'स्वस्थ' और 'सन्तोषपरः' वि-		करती है, अतः वह सच्ची -
शेषणोंका महत्व	१६९	भक्तिका ही सुन्दर रूप है १६७
अनुमतिविरत-लक्षण	१६०	सुशद्धमूलक सच्ची सविवेक-
आरम्भ, परिग्रह तथा ऐहिक-		भक्तिका फल १६७
कर्मोंकी विषयका स्पष्टीकरण		युक्त्यनुशासनके अन्तमें भी इस
और 'समघीः' पदका महत्व १६०		भक्तिका स्मरण, विशेष प्रा-
उत्कृष्टश्रावक-लक्षण	१६१	प्तिकी प्रार्थना एव भावना १६७



श्रीमत्स्वामि-समन्तभद्राचार्य-विरचित
समीचीन-धर्मशास्त्र

अपरनाम

रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययन
सानुवाद-व्याख्यारूप भाष्यसे मणिडत

भाष्यका मगलाचरण

श्रीवर्द्धमानभिनम्य समन्तभद्रं
सद्वोव-चारुचरिताऽनधवाकूस्वरूपम् ।
सद्गर्मशास्त्रमिह रत्नकरण्डकाल्यं
व्याख्यामि लोक-हित-शान्ति-विवेक-वृद्ध्ये ॥१॥

‘जो सन्यग्नानमय है, सञ्चारित्ररूप है और जिनके बचन निर्दोष है उन समन्तभद्र (सब ओरसे भद्ररूप-मंगलमय) श्री-वर्द्धमान (भगवान् महावीर) को तथा श्रीवर्द्धमान (विद्याविभूति, कीर्ति आदि लक्ष्मीसे वृद्धिको प्राप्त हुए) समन्तभद्र (स्वासी समन्तभद्राचार्य) को (अलग अलग तथा एकसाथ) नमस्कार-करके, मै (उनका विनम्र सेवक जुगलकिशोर) लौकिक जनोंकी हितवृद्धि, शान्तिवृद्धि और विवेकवृद्धिके लिये उस ‘समीचीनधर्म-शास्त्र’की व्याख्या करता हूँ- जो लोकमें ‘रत्नकरण्ड’नामसे अधिक प्रसिद्धिको प्राप्त है ।

मूलका भगवाचरण

नमः श्री-वर्द्धमानाय निर्धूत-कलिलात्मने ।
साऽलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते ॥१॥

‘जिन्होंने आत्मासे पाप-मलको निर्मूल किया है—राग-द्वेष-काम-क्लोवादि-विकार-मूलक मोहनीयादि घातिया कर्मकलङ्घको अपने आत्मासे पूर्णतः दूर करके उसे स्वभावमें स्थिर किया है—और (इससे) जिनकी विद्या—केवलज्ञान-ज्योति—अलोक-सहित तीनों लोकोंके लिये दर्पणकी तरह आचरण करती है—उन्हें अपनेमें स्पष्टरूपसे प्रतिबिभित करती है। अर्थात् जिनके केवलज्ञानमें अलोक-सहित तीनों लोकोंके सभी पदार्थ साक्षात्रूपसे प्रतिभासित होते हैं और अपने इस प्रतिभास-द्वारा ज्ञानस्वरूप आत्मामें कोई विकार उत्पन्न नहीं करते—वह दर्पणकी तरह निविकार बना रहता है—उन श्रीमान् वर्द्धमानको—आरतीविभूति (दिव्यवाणी) रूप श्रीसे सम्पन्न भगवान् महावीरको—नमस्कार हो ।’

व्याख्या—‘वर्द्धमान’ यह इस युगके आर्हत-मत-प्रवर्तक अथवा जैनधर्मके अन्तिम तीर्थकर्का शुभ नाम है, जिन्हें वीर, महावीर तथा सन्मति भी कहते हैं। कहा जाता है कि आपके गर्भमें आते ही माता-पितादिके धन, धान्य, राज्य, राष्ट्र, बल, कोष, कुदुम्य तथा दूसरी अनेक प्रकारकी विभूतिकी अतीव वृद्धि हुई थी, जिससे ‘वर्द्धमान’ नाम रखनेका पहलेसे ही संकल्प होगया था क्ष, और इसलिये हन्द्र-द्वारा दिये गये ‘वीर’ नामके

क्ष “जप्पभिइ च ए एस दारए कुच्छसि गव्भताए वक्कते तप्पभिइ च ए अन्दे हिरप्पेण वढामो सुवप्पेण घणेण घनेण रज्जेण रुदेण बलेण वाहणेण कोसेण कुद्धागारेण पुरेण अन्तेउरेण जणवएण जावसएण वढामो विपुलघणकणग-रयण-मणि-मुत्तिय-सस्त-सिलप्पवाल-रत्तरयण-

साथ यह 'वर्द्धमान' नाम भी आपका जन्मनाम है×। 'श्री' शब्द नामका अङ्ग न होकर साथमें विशेषण है, जो उनकी श्रीमत्ता अथवा श्रीविशिष्टताको सूचित करता है। और इसलिये 'श्रीवर्द्धमानाय' पदका विभ्रहरूप अर्थ हुआ 'श्रीमते वर्द्धमानाय' श्रीमान् (श्रीसम्पन्न) वर्द्धमानके लिये। स्वयं ग्रन्थकारमहोदयने अपनी स्तुति-विद्या (जिनशतक) में भी इस पदको इसी प्रकारसे विश्लेषित करके रखा है; जैसा कि उसके निस्त्र वाक्यसे प्रकट है—

"श्रीमते वर्द्धमानाय नमो नमित-विद्विषे" ॥ १०२ ॥

इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थकारमहोदयको 'वर्द्धमान' नाम ही अभीष्ट है—'श्रीवर्द्धमान' नहीं। ग्रन्थकारसे पूर्ववर्ती आचार्य श्रीयुलद्युल्दने भी अपने प्रवचनसारकी आदिमें 'परमामि वद्धमाण' वाक्यके द्वारा 'वर्द्धमान' नामकी सूचना की है। अतः 'श्री' पद यहाँ विशेषण ही है।

'श्री' शब्द लक्ष्मी, धनादि सम्पत्ति, विमूर्ति, वान्देवी-सरस्वती-वाणी-भारती शोभा, प्रभा, उच्चस्थिति, महानता, दिव्य-माहएण सत-सारसावद्यज्ञेण पीड-सङ्कारेण अर्द्धव अर्द्धव वद्धामो, तं जयाण अम्ह एस दारए जाए भविस्सह तयाण अम्हे एथस्स दारगस्स एथागुरुवं शुण्ण गुणनिष्पण नामविज्ज करिस्सामो—वद्धमाणु त्ति ॥६०॥"

—कल्पसूत्र

× अल तदिति त भक्त्या विभूष्योदद्विभूषणः ।

धीरः श्रीवर्द्धमानस्तेजित्याख्या-द्वितय व्यधात् ॥२७६॥

—उत्तरपुराण, पर्व ७४

† श्रीलक्ष्मी-भारती-शोभा-प्रभासु सरलद्वूषे ।

वेश-त्रिवर्ग-सम्पत्ती शेषापकरणे मती ॥

(द्वितीय अश अगले पृष्ठपर)

—विश्वलोचने, श्रीघरः

शक्ति, गुणोत्कर्ष और आदर-सत्कारादि अनेक अर्थोंमें प्रयुक्त होता है और जिस विशेषणके साथ जुड़ता है उसकी स्थितिके अनुरूप इसके अर्थमें अन्तर, तर-तमता, न्यूनाधिकता अथवा विशेषता रहती है। यहां जिन आप भगवान् वर्द्धमानके लिये यह पद विशेषणरूपमें प्रयुक्त हुआ है उनकी उस भारती-विनूति अथवा वचन-श्रीका द्योतन करता है जो युक्ति-शास्त्राऽविरोधिनी दिव्यवाणीके रूपमें अवस्थित होती है और जिसे स्वयं स्वामी समन्तभद्रने सर्वज्ञलक्ष्मीसे प्रदीप हुई समग्र शोभा-सम्पन्न 'सरस्वती' लिखा है तथा जीवन्मुक्त (अर्हन्त) अवस्थामें जिसकी प्रधानताका उल्लेख किया है+। साथ ही, उसके द्वारा तत्त्वार्थोंका कीर्तन (सम्यग्वर्णन) होनेसे उसे 'कीर्ति' नाम भी दिया है और वर्द्धमानस्वामीको महती कीर्ति (युक्तिशास्त्राऽविरोधिनी दिव्यवाणी) के द्वारा भूमरण्डलपर वृद्धिको—व्यापकता को—ग्राम हुआ बतलाया है×। जिस आर्हन्त्यलक्ष्मीसे आपभगवान् देव-मनुष्यादिकी महती समवसरण सभामें शोभाको ग्राम होते हैं† उसका यह दिव्यवाणी प्रधान अङ्ग है, इसीके द्वारा शासनतीर्थ

‘श्रीलक्ष्म्या मती गिरि । शोभा-त्रिवर्गसम्पत्योः ॥’

—अभिधानसगहे, हेनचन्द्रः

वभार पद्मा च सरस्वती च भवान्पुरस्तात्प्रतिमुक्तिलक्ष्म्याः ।

सरस्वतीमेव समग्रशोभा सर्वज्ञलक्ष्मी-ज्ञविता विमुक्तः ॥२७॥

—स्वयम्भून्तोत्र

× कीर्त्या महत्या भ्रुवि वर्द्धमान त्वा वर्द्धमान स्तुतिगोचरत्वम् ।

निनीषवः स्मो वयमद्य वीर विशीरण-दोपाशय-पाशबन्धम् ॥

—युक्त्यनुशासन १

† आर्हन्त्यलक्ष्म्याः पुनरात्मतन्त्रो देवाऽसुरोदारसभे रराज ॥

—स्वयम्भूस्तोत्र ७६।

अथवा आगमतीर्थका प्रवर्तन होता है और उसके प्रवर्तक शास्ता, तीर्थङ्कर तथा आगमेशी कहलाते हैं। शेष दो प्रमुख अङ्ग निर्दोष-पता और सर्वज्ञता है, जिन्हें उक्त मङ्गल-पद्ममें 'निर्घृतकलिलात्मने' आदि पदोंके द्वारा व्यक्त किया गया है। और इससे भी यह और स्पष्ट होजाता है कि आपके प्रमुख तीन विशेषणोंमें से अवशिष्ट विशेषण तीर्थप्रवर्तिनी द्विव्यवाणी ही यहाँ 'श्री' शब्दके द्वारा परिगृहीत है और उस श्रीसे वर्द्धमानस्वामीको सम्पन्न बतलाया है। इस तरह आपके उत्सन्नदोष, सर्वज्ञ और आगमेशी ये तीन विशेषण जो आगे इसी शास्त्र (कारिका ५) में बतलाये गये हैं और 'जिनके बिना आपत्ता होती ही नहीं' ऐसा निर्देश किया है, उन सभीके उल्लेखको लिये हुए यहाँ आप-भगवान् वर्द्धमानशा स्मरण किया गया है। युक्त्यनुशासनकी प्रथम कारिकामें भी, वीर वर्द्धमानको अपनी स्तुतिका विषय बनाते हुए, स्वामी समन्तभद्रने हन्हीं तीन विशेषणोंका प्रकारान्तर से निर्देश किया है। वहाँ 'विशीर्ण-दोपशायपाश-वन्धसु' पदके द्वारा जिस गुणका निर्देश किया है उसके लिये यहाँ 'निर्घृतकलिलात्मने' पदका प्रयोग किया है, और यह पद-प्रयोग अपनी ज्ञास विशेषता रखता है। इस धर्मशास्त्रमें सबों पापोंको दूर करनेका उपदेश है और वह उपदेश उन वर्द्धमानस्वामीके उपदेशानुसार है जो तीर्थङ्कर है और जिनका धर्मशास्त्र (तीर्थ) इस समय भी लोकमें वर्तमान है। और इसलिये धर्मशास्त्रकी आदिमें जहाँ उनका स्मरण सार्थक तथा युक्तियुक्त हुआ है वहाँ उन्हे 'निर्घृत-कलिलात्मा'—आत्मासे पाप-मलको दूर करनेवाला—प्रदर्शित करना और भी सार्थक तथा युक्तियुक्त हुआ है और यह नव अन्थकरमहोदयकी कथनशैलीकी खूबी है—वे आगे शब्दके सब सम्बन्धोंको ठीक ध्यानमें रखकर ही पद-विन्यास किया करते हैं।

‘कलिल’ शब्द कल्पष, पाप और दुरित जैसे शब्दोंके साथ एकार्थता रखता है। इन शब्दोंको जिस अर्थमें स्वयं स्वामी समन्वयभद्रने अपने ग्रन्थोंमें प्रयुक्त किया है प्रायः उस सभी अर्थोंको लिये हुए यहाँ ‘कलिल’ शब्दका प्रयोग है। उदाहरणके तौरपर स्वयस्मूस्तोत्रके पार्श्वजिनस्तवनमें ‘विघृतकल्पष’ पदके द्वारा पार्श्वजिनेन्द्रकों जिस प्रकार धातिकर्मकलङ्कसे—क्षानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय नामक चार धातियाकर्मोंसे—रहित सूचित किया है उसी प्रकार यहाँ ‘निर्धूतकलिलात्मने’ पदके द्वारा वर्द्धमान जिनेन्द्रकों भी उसी धातिकर्मकलङ्कसे रहित व्यक्त किया है। दोनों पद एक ही अर्थके वाचक हैं ।

‘लोक’ उसे कहते हैं जो अनन्त आकाशके बहुमध्यभागमें स्थित और प्रान्तमें तीन महावातवलयोंसे वेष्टित जीवादि पद् द्रव्योंका समूह है, अथवा जहाँ जीव-पुद्गलादि छह प्रकारके द्रव्य^५ अवलोकन किये जायें—देखे—पाए जायें—वह सब ‘लोक’ है उसके तीन विभाग हैं—ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक । सुदर्शन-मेरुके मूलभागसे नीचेका इवर-उवरका सब प्रदेश अर्थात् रत्नप्रभा भूमिसे लेकर नीचेका—अन्तिम वातवलय तकका—सब भाग, जिसमें व्यन्तरों तथा भवनवासी देवोंके आवास और

^५ श्रीकुन्दकुन्दाचार्य-द्वारा प्रवचनसारकी आदिमें दिया हुआ वर्द्धमानका ‘धोद्धाइकस्मभलं’ विशेषण भी इसी आशयका द्योतक है ।

* जैन विज्ञानके अनुसार जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश ये छह द्रव्य हैं। इनके अलावा दूसरा कोई द्रव्य नहीं है। दूसरे जिन द्रव्योंकी लोकमें कल्पना की जाती है उन सबका समावेश इन्हीमें हो जाता है। ये नित्य और अवस्थित हैं—अपनी छहकी संख्याका कभी उल्लङ्घन नहीं करते। इनमेंसे पुद्गलको छोड़कर शेष सब द्रव्य अरूपी हैं। और इनकी चर्चासे प्रायः सभी जैन-सिद्धान्त-ग्रन्थ भरे पढ़े हैं।

सातों नरक भी आ जाते हैं, तद्गत द्रव्यों-सहित 'अधोलोक' कहलाता है। रत्नप्रभामूर्मिसे ऊपर सुदर्शनमेस्की चूलिका तकका सब नेत्र तद्गत द्रव्यों सहित 'मध्यलोक' कहा जाता है और उसमें सम्पूर्ण ज्योतिर्लोक तथा तिर्थक्लोक अन्तिम वातवलय-पर्यन्त शामिल है। और सुदर्शनमेस्की चूलिकासे ऊपर स्वर्गादि-कका इधर-उधरके सब प्रदेशों-सहित जो अन्तिम वातवलय-पर्यन्त स्थान है वह तद्गत द्रव्यों-सहित 'ऊर्ध्वलोक' कहलाता है। लोकके इन तीन विभागोकी जैनागममें 'त्रिलोक' संज्ञा है। इन तीनों लोकोंसे बाहरका जो नेत्र है और जिसमें सब और अनन्त आकाशके सिवाय दूसरा कोई भी द्रव्य नहीं है उसे 'अलोक' कहते हैं। लोक-अलोकमें संपूर्ण ज्ञेय तत्त्वोंका समावेश होजानेसे उन्हमें ज्ञेयतत्त्वकी परिसमाप्ति की गई है। अर्थात् आगममें यह प्रतिपादन किया गया है कि 'ज्ञेयतत्त्व लोक-अलोक है—लोक-अलोकसे भिन्न अथवा बाहर दूसरा कोई 'ज्ञेय' पदार्थ है ही नहीं। साथ ही, ज्ञेय ज्ञानका विषय होनेसे और ज्ञानकी सीमाके बाहर ज्ञेयका कोई अस्तित्व न बन सकनेसे यह भी प्रतिपादन किया गया है कि 'ज्ञान ज्ञेय-प्रमाण है'। जब ज्ञेय लोक-अलोक-प्रमाण है तब ज्ञान भी लोक-अलोक-प्रमाण ठहरा, और इसलिये ज्ञानको भी लोक-अलोककी तरह सर्वगत (व्यापक) होना चाहिये; जैसा कि श्रीकुन्द्कुन्दाचार्य-प्रणीत प्रवचनसारकी निम्न गाथासे प्रकट है:—

आदा णाणपमाणं णाणं ऐयप्पमाणमुद्दिष्टम् ।

ऐयं लोयाऽलोयं तम्हा णाणं तु सञ्चयं ॥ १-२३ ॥

इसमें यह भी बतलाया है कि 'आत्मा ज्ञानप्रमाण है'—ज्ञान से बढ़ा या छोटा आत्मा नहीं होता। और यह ठीक ही है, क्योंकि ज्ञानसे आत्माको बढ़ा माननेपर आत्माका वह बढ़ा हुआ अंश ज्ञानशूल्य जड़ ठहरेगा और तब यह कहना नहीं बन सकेगा कि

आत्मा ज्ञानस्वरूप है अथवा ज्ञान आत्माका गुण है जोकि गुणी (आत्मा) में स्वापक (सर्वत्र स्थित) होना चाहिये । और ज्ञानसे आत्माको छोटा मानने पर आत्मप्रदेशोंसे बाहर स्थित (बड़ा हुआ) ज्ञान गुण गुणी (द्रव्य) के आश्रय विना ठहरेगा और गुण गुणी (द्रव्य) के आश्रय विना कहीं रहता नहीं जैसा कि 'द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः' गुणके इस तत्त्वार्थसूत्र-वर्णित लक्षणसे प्रकट है ।

अतः आत्मा ज्ञानसे बड़ा या छोटा न होकर ज्ञानप्रमाण है, इसमें आपन्ति के लिये चरा भी स्थान नहीं ।

जब आत्मा ज्ञानप्रमाण है और ज्ञान ब्रेदप्रमाण होनेसे लोकाऽलोक-प्रमाण तथा सर्वगत है तब आत्मा भी सर्वगत हुआ । और हस्से अहं निष्पर्य निकला कि आन्मा अपने ज्ञान-गुण-सहित सर्वगत (सर्वव्यापक) होकर लोकाऽलोकको जानता है, और इसलिए श्रीवद्वैमानरवामी लोकाऽलोकके ज्ञाना होनेसे 'सर्वज्ञ' हैं और वे सर्वगत होकर ही लोकाऽलोकको जानते हैं । परन्तु आत्मा सदा स्वात्म-प्रदेशोंमें स्थित रहता है—संसारावस्था-में आत्माका कोई प्रदेश मूलोचनरूप आत्म-देहसे बाहर नहीं जाता और मुक्तावस्थामें गरीरका सम्बन्ध सदाके लिये छूट जाने पर आत्माके प्रदेश ग्रायः चरमदेहके आकारको लिये हुए लोकके अप्रभागमें जाकर स्थित होते हैं, वहाँसे फिर कोई भी प्रदेश किसी समय स्वात्मासे बाहर निकलकर अन्य पदार्थमें नहीं जाता । इसीसे ऐसे शुद्धात्माओं अथवा मुक्तात्माओंको 'स्वात्म-स्थित' कहा गया है और प्रदेशोंकी अपेक्षा सर्वव्यापक नहीं माना गया; परन्तु साथ ही 'सर्वगत' भी कहा गया है, जैसा कि 'स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्तव्यापारवेदी विनिवृत्त-सगः' श्लोक से वाक्योंसे प्रकट है । तब उनके इस सर्वगतत्वका क्या रहन्न्य

श्लोक, श्रीवनजयकृत 'विषापहार' स्तोत्र ।

है और उनका ज्ञान कैसे एक जगह स्थित होकर सब जगतके पदार्थोंको युगपन् जानता है ? यह एक मर्मकी वात है, जिसे स्वामी समन्वयमने 'अद्विद्या दर्पणायते' जैसे शब्दोंके द्वारा धोड़े-में ही व्यक्त कर दिया है । यहाँ ज्ञानको दृप्तेण वतलाकर इच्छा दर्पणकी उपना देकर यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार दृप्तेण अपने स्थानसे उठकर पदार्थोंके पास नहीं जाता, न उनमें प्रविष्ट होता है और न पदार्थ ही अपने स्थानसे चलकर दृप्तेणके पास आते तथा उसमें प्रविष्ट होते हैं; फिर भी पदार्थ दृप्तेणमें प्रतिविस्थित होकर प्रविष्टसे जान पड़ते हैं और दर्पण भी उन पदार्थोंको अपनेमें प्रतिविस्थित करता हुआ तद्गत तथा उन पदार्थोंके आकाररूप परिणत मालूम होता है, और यह सब दर्गण तथा पदार्थोंकी इच्छाके बिना ही वस्तु-स्वभावसे होता है । उसी प्रकार वस्तुत्वभावसे ही गुद्धात्मा केवलज्ञानरूप दर्पणमें अलोक-सहित सब पदार्थ प्रतिविस्थित होते हैं और इस दृप्तिसे उनका वह निर्मलज्ञान आत्मप्रदेशोद्दी अपेक्षा नवर्गत न होता हुआ भी सबंगत कहलाता है और तड़नुरूप वे केवली भी स्वात्मस्थित होते हुए सर्वर्गत कहे जाते हैं । इसमें विरोधकी कोई वात्र नहीं है । इस प्रकारका कथन विरोधाङ्गरक्त एवं प्रकार है, जो वातव में विरोधको लिये हुए न होकर विरोधसा जान पड़ना है और इसीसे 'विरोधाभास' कहा जाता है । अतः श्रीदर्ढज्ञान न्यामीके प्रदेशपेक्षा नवर्गतापक न होते हुए भी, स्वात्मस्थित ठोकर सब-पदार्थोंको जानने-प्रतिभासित करनेमें कोई वाधा नहीं आती ।

अब यहाँपर यह प्रश्न किया जा सकता है कि दृप्तेण तो वर्तमानमें अपने सम्मुख तथा कुछ तिर्यक् स्थित पदार्थोंको ही प्रतिविस्थित करता है—पीछेके अथवा अधिक अगल-बगलके पदार्थोंको वह प्रतिविस्थित नहीं करता—और सम्मुखादिरूपसे स्थित पदार्थमें भी जो सूक्ष्म है, दूरवर्ती है, किसी प्रकारके व्यव-

धाने अथवा आवरण से युक्त है, अमूर्तिक हैं, भूतकालमें सम्मुख उपस्थित थे, भविष्यकालमें सम्मुख उपस्थित होंगे किन्तु वर्तमान में सम्मुख उपस्थित नहीं हैं उनमेंसे किसीको भी वर्तमान समयमें प्रतिविम्बित नहीं करता है; जब ज्ञान दर्पणके समान है तब केवली अथवा भगवान् महादीरके ज्ञानदर्पणमें अलोक-सहित तीनों लोकोंके सर्वपदार्थ युगपत् कैसे प्रतिभासित हो सकते हैं? और यदि युगपत् प्रतिभासित नहीं हो सकते तो सर्वज्ञता कैसे बन सकती है? और कैसे 'सालोकाना ग्रिलोकाना यद्विद्या दर्पणायते' यह विशेषण श्रीवर्षभान स्वामीके साथ संगत बैठ सकता है?

इसके उत्तरमें मैं सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता हूँ कि उपमा और उदाहरण (षट्टान्त) प्रायः एकदेश होते हैं—सर्वदेश नहीं, और इसलिये सर्वोपेक्षासे उनके साथ तुलना नहीं की जा सकती। उनसे किसी विषयको समझनेमें मदद मिलती है, यही उनके प्रयोगका लक्ष्य होता है। जैसे किसीके मुख्यको चन्द्रमाकी उपमा दी जाती है, तो उसका इतना ही अभिप्राय होता है कि वह अतीव गौरवर्ण है—यह अभिप्राय नहीं होता कि उसका और चन्द्रमाका वर्ण विल्कुल एक है अथवा वह सर्वथा चन्द्रधातुका ही बना हुआ है और चन्द्रमाकी तरह गोलाकार भी है। इसी तरह दर्पण और ज्ञानके उपमान-उपमेय-भावको समझना चाहिये। यहाँ ज्ञान (उपमेय) को दर्पण (उपमान) की जो उपमा दी गई उसका लक्ष्य प्रायः इतना ही है कि जिस प्रकार पदार्थ अपने अपने स्थानपर स्थित रहते हुए भी निर्मल दर्पणमें ज्योके त्वों भलकर्ते और तदृगत मालूम होते हैं और अपने इस प्रतिविम्बित होनेमें उनकी कोई इच्छा नहीं होती और न दर्पण ही उन्हे अपनेमें प्रतिविम्बित करने-करानेकी कोई इच्छा रखता है—सब ऊँछ वस्तु-स्वभावसे होता है; उसी तरह निर्मल ज्ञानमें भी

पदार्थ ज्योंके त्वयों प्रतिभासित होते तथा तद्गत मालूम होते हैं और इस कार्यमें किसीकी भी कोई इच्छा चरितार्थ नहीं होती—वस्तुस्वभाव ही सर्वत्र अपना कार्य करता हुआ जान पड़ता है। इससे अधिक उसका यह आशय कदापि नहीं लिया जा सकता कि ज्ञान भी साधारण दर्पणकी तरह जड़ है, दर्पण-धातुका बना हुआ है, दर्पणके समान एक पार्श्व (Side) ही उसका प्रकाशित है और वह उस पार्श्वके सामने निरावरण अथवा व्यवधानरहित अवस्थामें स्थित ताल्कालिक भूर्तिक पदार्थको ही प्रतिविम्बित करता है। ऐसा आशय लेना उपमान-उपमेय-भाव तथा वस्तु-स्वभावको न समझने जैसा होगा।

इसके सिवाय, दर्पण भी तरह तरहके होते हैं। एक सर्व-साधारण दर्पण, जो शरीरके ऊपरी भागको ही प्रतिविम्बित करता है—चर्म-मांसके भीतर स्थित हाड़ों आदि को नहीं; परन्तु दूसरा ऐक्स-रेका दर्पण चर्म-मांसके व्यवधानमें स्थित हाड़ों आदिको भी प्रतिविम्बित करता है। एक प्रकारका दर्पण सभीप अथवा कुछ ही दूरके पदार्थोंको प्रतिविम्बित करता है, दूसरा दर्पण (रेडियो आदिके द्वारा) बहुत दूरके पदार्थोंको भी अपनेमें प्रतिविम्बित कर लेता है। और यह बात तो साधारण दर्पणों तथा फोटो दर्पणोंमें भी पाई जाती है कि वे बहुतसे पदार्थोंको अपनेमें युगपत् प्रतिविम्बित करलेते हैं और उसमें कितने ही निकट तथा दूरवर्ती पदार्थोंका पारस्परिक अन्तराल भी लुप्त-गुप्तसा हो जाता है, जो विधिपूर्वक देखनेसे स्पष्ट जाना जाता है। इसके अलावा स्मृतिज्ञान-दर्पणमें हजारों मील दूरकी और वीसियों वर्ष पहलेकी देखी हुई घटनाएँ तथा शक्ते (आकृतियाँ) साफ़ मल्क आती हैं। और जाति-स्मरणका दर्पण तो उससे भी बढ़ा चढ़ा होता है, जिसमें पूर्वजन्म अथवा जन्मोंकी सैकड़ों वर्ष पूर्व और हजारों मील दूर तककी भूतकालीन घटनाएँ साफ़ मल्क

आती है। इसी तरह निमित्तादि श्रुतज्ञान-द्वारा चन्द्र-सूर्य-ग्रहणादि जैसी भविष्यकी घटनाओंका भी सज्जा प्रतिभास्त हुआ करता है। जब लौकिक दृष्टियों और स्मृति आदि ज्ञायोपशमिक ज्ञानदर्पणोंका ऐसा हाल है तब केवलज्ञान-जैसे अलौकिक दृष्टियोंकी तो यात ही व्या है? उस सर्वातिशायी ज्ञानदर्पणमें लोक-सहित तीनों लोकोंके बे सभी पदार्थ प्रतिभासित होते हैं जो 'झेय' कहलाते हैं—चाहे वे वर्तमान हों या अवर्तमान। क्योंकि ज्येय वही कहलाता है जो ज्ञानका विषय होता है—ज्ञान जिसे जानता है। ज्ञानमें लोक-अलोकके सभी ज्येय पदार्थोंको जाननेकी शक्ति है, वह तभी तक उन्हें अपने पूर्णस्पष्टमें नहीं जान पाता जब तक उसपर पढ़े हुए आवरणादि प्रतिबन्ध मर्वथा दूर होकर वह शक्ति पूर्णता विद्धनित नहीं हो जाती। ज्ञान-शक्तिके पूर्ण-विकसित और चरितार्थ होनेने पायक कारण है ज्ञानावरण, वर्त्तनावरण, मोहनीय और अन्तराय नामके चार वानिया कर्न। इन चारों घातिया कर्मोंकी सत्ता जब आत्मामें नहीं रहती तब उसमें उस अप्रतिहतशक्ति ज्ञान-ज्योतिका उड़ा होता है जिसे लोक-अलोकोंसे सभी ज्येय पदार्थोंको अपना विषय करनेमें फिर कोई रोक नहीं सकता।

जिस प्रकार यह नहीं हो सकता कि दात्क-स्वभाव अग्नि-मौजूद हो, दात्य-उन्धन भी मौजूद हो, उसे उन्हन उरनेमें अग्नि-के लिए कोई प्रकारका प्रतिबन्ध भी न हो और फिर भी वह अग्नि उस दात्यकी द्राहक न हो, उसी प्रकार शह भी नहीं हो सकता कि उक्त अप्रतिहत-ज्ञानज्योतिका वारक कोई केवलज्ञानी हो और वह किरी भी ज्येयके विषयमें अज्ञानी रह लेके। इसी आरायको श्रीविद्यानन्दस्वामीने अपनी अष्टसहस्रीमि, जो कि सप्तसन्तयद्वक्त-आसमीमांसांकी टीका है, निरन पुरातन वाक्य-द्वारा व्यक्त किया है—

“ज्ञो ज्ञेये कथमङ्गः स्यादसति प्रतिबन्धने ।
दाह्ये उग्निर्दीर्घको न स्यादसति प्रतिबन्धने ॥”

अतः श्रीवर्षभानस्वामीके ज्ञानदर्पणमे अलोक-सहित तीनो लोकोंके प्रतिभासित होनेमे वाधाके लिये कोई स्थान नहीं है; जब कि वे धातिकर्ममलको दूर करके निर्धूतकलिलात्मा हो चुके थे। इसीसे उनके इस विशेषणको पहले रखता गया है। और चूंकि उनके इस निर्धूतकलिलात्मत्व नामक गुणविशेषका बोध हमें उनकी युक्तिशास्त्राविरोधिनी दिव्य-वाणीके द्वारा होता है। इसलिये उस भारती-विभूति-संसूचक ‘श्री’ विशेषणको कारिकामे उससे भी पहला स्थान दिया गया है।

इस प्रकार यह निबद्ध मङ्गलाचरण ग्रन्थकारमहोदय स्वामी समन्तभद्रके उस अनुचिन्तनका परिणाम है जो ग्रन्थकी रूप-रेखा-को स्थिर करनेके अनन्तर उसके लिये अपनेको श्रीवर्षभानस्वामी-का आभारी माननेवे रूपमे उनके हृदयमे उद्दित हुआ है, और इसलिये उन्होंने सबसं पहले ‘नमः’ शब्द कहकर भगवान् वर्षभान के आगे अद्वा मस्तक झुका दिया है और उसके द्वारा उनके उपकारमय आभारका स्मरण करते हुए अपनी अहंकृतिका परित्याग किया है। ऐसा वे मौर्चिकरूपसे मङ्गलाचरण करके भी कर सकते थे—जसे ग्रन्थमे निबद्ध करके उसका अङ्ग बनानेकी जालूरत नहीं थी। परन्तु ऐसा करना उन्हें इष्ट नहीं था। वे आप-पुरुषोंके ऐसे स्तवनों तथा स्मरणोंको कुशल-परिणामोंका—पुरय-प्रसाधक शुभभावोंका—कारण समझते थे और उनके द्वारा श्रेयोमार्गका सुलभ तथा स्वाधीन होना प्रतिपादन करते थे।

† इस विषयका विशेष स्पष्टीकरण स्वय स्वामी समन्तभद्रने अपने ‘आप्तमांसा’(दिवानम) नामके द्वासरे ग्रन्थमे ‘स त्वमेवासि निदोऽप्नो युक्ति-शास्त्राविरोधिवाक्’ इत्यादि वाक्योंके द्वारा विस्तारके साथ किया है।

“देहो, स्वयम्भूतोत्रकी ‘स्तुतिः स्तोतुः साधोः’ कारिका ११६

उन्होंने 'आगसं जये' जैसे पदोंके द्वारा अपनी स्तुतिविद्याका लक्ष्य 'पापोंको जीतना' बतलाया है×। और इसलिये ऐसे स्तवनादिकोंसे उन्हें जो आत्मसन्तोष होता था उसे वे दूसरोंको भी कराना चाहते थे और आत्मोल्कर्षकी साधनाका जो भाव उनके हृदयमें जागृत होता था उसे वे दूसरोंके हृदयमें भी जगाना चाहते थे। ऐसी ही शुभ भावनाको लेकर उन्होंने ग्रन्थकी आदि में किये हुए अपने मङ्गलाचरणको ग्रन्थमें निबद्ध किया है, और उसके द्वारा पढ़ने-सुननेवालोंकी श्रेय-साधनामें सहायक होते हुए उन्हें अपनी तात्कालिक मनःपरिणामिको समझनेका अवसर भी दिया है।

निःसन्देह, इस सुपरीक्षित और सुनिर्णीत गुणोंके स्मरणको लिये हुए मङ्गलपद्यको शास्त्रकी आदिमें रखकर स्वामी समन्तभद्रने भगवान् वर्घ्ममानके प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति, गुणज्ञता और गुण-प्रीतिका बड़ा ही सुन्दर प्रदर्शन किया है। और इस तरहसे वर्तमान धर्मतीर्थके प्रवर्तक श्रीबीर-भगवानको तदरूपमें—आपके उक्त तीनों गुणोंसे विशिष्ट रूपमें—देखने तथा समझनेकी दूसरोंको प्रेरणा भी की है।

| इस शिष्ट-पुरुपानुमोदित और कृतज्ञ-जनतामिनन्दित स्वेष्ट-फलप्रद् मङ्गलाचरणके अनन्तर अब स्वामी समन्तभद्र अपने अभिमत शास्त्रका प्रारम्भ करते हुए उसके प्रतिपाद्य विषयकी प्रतिज्ञा करते हैं:—

धर्मदेशनाकी प्रतिज्ञा और धर्मके विशेषण
देशयामि समीचीनं धर्मं कर्मनिवर्हणम् ।
संसारदुःखतः सत्वान् यो धरत्युच्चमे सुखे ॥२॥

× देखो, स्तुतिविद्या (जिनशतक), पद्म न० १

‘मैं उस समीचीन धर्मका निर्देश (बण्ठन) करता हूँ जो कर्मोंका विनाशक है और जीवोंको संसारके दुःखसे—दुःखसमूहसे—निकालकर कर उत्तम-सुखमें धारण करता है।’

व्याख्या—इस वाक्यमें जिस धर्मके स्वरूप-कथनकी ‘देश-यामि’ पढ़के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है उसके तीन खास विशेषण हैं—सबसे पहला तथा मुख्य विशेषण है ‘समीचीन’ दूसरा ‘कर्मनिर्वहण’ और तीसरा ‘दुखसे उत्तम-सुखमें धारण’। पहला विशेषण निर्देश्य धर्मकी प्रवृत्तिका चौतक है और शेष दो उसके अनुष्ठान-फलका सामान्यतः (संक्षेपमें) निरूपण करने वाले हैं।

‘कर्म’ शब्द विशेषण-शून्य प्रशुक्त होनेसे उसमें द्रव्यकर्म और भावकर्मरूपसे सब प्रकारके अशुभादि कर्मोंका समावेश है, जिनसे रागादिक ‘भावकर्म’ और ज्ञानावरणादिक ‘द्रव्यकर्म’ कहलाते हैं। धर्मको कर्मोंका निर्वहण-विनाशक बतलाकर इस विशेषणके द्वारा यह सूचित किया गया है कि वह वस्तुतः कर्म-वन्धका कारण नहीं प्रत्युत इसके, वन्धसे छुड़ानेवाला है। और

क्षे इसी बातको श्रीग्रन्थचन्द्राचार्यने पुरुषार्थसिद्धयुपायके निम्न वाक्योंमें धर्मके अलग अलग तीन अङ्गोंको लेकर स्पष्ट किया है और बतलाया है कि जितने अशमें किसीके धर्मका वह अङ्ग है उतने अशमें उसके कर्मवन्ध नहीं होता—कर्मवन्धका कारण रागादा है, वह जितने अशोमें साथ होगा उतने अशोमें वन्ध वैधेगा :—

यैनाशेन सुदृष्टिस्तेनाशेनाऽस्य बन्धन नास्ति ।

यैनाशेन तु रागस्तेनाशेनाऽस्य बन्धन भवति ॥२१२॥

यैनाशेन ज्ञानं तेनाशेनाऽस्य बन्धन नास्ति ।

यैनाशेन तु रागस्तेनाशेनाऽस्य बन्धन भवति ॥२१३॥

यैनाशेन चर्त्रिं तेनाशेनाऽस्य बन्धन नास्ति ।

यैनाशेन तु रागस्तेनाशेनाऽस्य बन्धन भवति ॥२१४॥

जो वन्धनसे छुड़ाने वाला होता है वही दुखसे निकालकर सुखमें धारण करता है; क्योंकि वन्धनमें—परावीनतामें—सुख नहीं किन्तु दुःख ही दुःख है। इसी विशेषणकी प्रतिष्ठापर तीसरा विशेषण चरितार्थ होता है, और इसी लिए वह ‘कर्मनिर्वहण’ विशेषणके अनन्तर रखता गया जान पड़ता है।

सुख जीवोका सर्वोपारि ध्येय है और उसकी प्राप्ति धर्मसे होती है। धर्म सुखका साधन (कारण) है और साधन कभी साध्य (कार्य) का विरोधी नहीं होता, इसलिये धर्मसे वास्तवमें कभी दुःखकी प्राप्ति नहीं होती, वह तो सदा दुःखोसे छुड़ाने-वाला ही है। इसी बातको लेकर श्रीगुणभद्राचार्यनं, आत्मानुशासनमें, निम्न वाक्यके द्वारा सुखका आश्वासन देते हुए उन लोगोको धर्ममें प्रेरित किया है जो अपने सुखमें वाधा पहुँचनेके भयको लेकर धर्मसे विमुख बने रहते हैं—

धर्मः सुखस्य हेतुहैतुर्न विरोधकः स्वकार्यस्य ।

तस्मात्सुखभद्रमिया माभूधर्मस्य विमुखस्त्वम् ॥२०॥

धर्म करते हुए भी यदि कभी दुःख उपस्थित होता है तो उसका कारण पूर्वकृत कोई पापकर्मका उदय ही समझना चाहिये, न कि धर्म ! ‘धर्म’ शब्दका व्युत्पत्यर्थ अथवा निरुक्तर्थ भी इसी बातको सूचित करना है और उस अर्थको लेकर ही तीसरे विशेषणकी घटना (सृष्टि) की गई है। उसमें सुखका ‘उत्तम’ विशेषण भी दिया गया है, जिससे प्रकट है कि धर्मसे उत्तम सुखकी—शिवसुखकी अथवा यों कहिये कि अवाधित सुखकी—प्राप्ति तक होती है; तब साधारण सुख तो कोई चीज़ ही नहीं—वे तो धर्मसे सहजमें ही प्राप्त होजाते हैं। सांसारिक दुःखोके छूटनेसे सासारिक उत्तम सुखोका प्राप्त होना उसका आनुषङ्गिक फल है—धर्म उसमें बाधक नहीं, और इस तरह प्रकारान्तरसे धर्म संसारके उत्तम सुखोंका भी साधक है, जिन्हे प्रन्थमें ‘अभ्युदय’ शब्दके

द्वारा उल्लेखित किया गया है^३ । इसीसे दूसरे आचार्योंने 'धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो' इत्यादि वाक्योंके द्वारा धर्मका कीर्तन किया है । और स्वयं स्वामी समन्तभद्रने ग्रन्थके अन्तमें यह प्रतिपादन किया है कि जो अपने आत्माको इस (रत्नत्रय) धर्मरूप परिणाम करता है उसे तीनों लोकोंमें 'सर्वार्थसिद्धि' स्वयं-वराकी तरह वरती है अर्थात् उसके सब प्रयोजन अनायास सिद्ध होते हैं^४ । और इसलिये धर्म करनेसे सुखमें बाधा आती है ऐसा समझना भूल ही होगा ।

वास्तवमें उत्तम सुख जो परतन्त्रतादिके अभावरूप शिव-(निःश्रेयस) सुख है और जिसे स्वयं स्वामी समन्तभद्रने 'शुद्ध-सुख'^५ वतलाया है उसे प्राप्त करना ही धर्मका मुख्य लक्ष्य है—इन्द्रियसुखों अथवा विषयभोगोंको प्राप्त करना धर्मात्माका ध्येय नहीं होता । इन्द्रियसुख बाधित, विषम, पराश्रित, भंगुर, चन्द-हेतु और दुःखमिश्रित आदि दोषोंसे दूषित हैं । स्वयं स्वामी समन्तभद्रने इसी ग्रन्थमें 'कर्मपरवश' इत्यादि कारिका-(१२) द्वारा उसे 'कर्मपरतन्त्र, सान्त (भंगुर), दुःखोंसे अन्तरित—एकरसरूप न रहनेवाला—तथा पापोंका बीज वतलाया है । और लिखा है कि धर्मात्मा (सम्यग्दृष्टि) ऐसे सुखकी आकांक्षा नहीं करता ।' और इसलिये जो लोग इन्द्रिय-विषयोंमें आसक्त हैं—फँसे हुए हैं—अथवा सांसारिक सुखको ही सब कुछ समझते हैं वे भ्रान्त-

^३ देखो, 'निःश्रेयसम्युदय' तथा 'पूजार्थज्ञैश्वर्यः' नामकी कारिकाएं (१३०, १३५)

⁴ 'निवाण शुद्धसुख निःश्रेयसमिष्टते नित्यम् ।' (१३१)

⁵ श्रीकृष्णकुन्दाचार्य, प्रवचनसार (१-७६) में, ऐसे इन्द्रियसुखको वस्तुतः दुःख ही वतलाते हैं । यथा—

सपर वाधासहित विच्छिण बघकारण विसर्म ।

ज इदियेहि लद्ध त सोक्स दुक्खमेव तहा ॥

चित्त हैं—उन्होने वस्तुतः अपनेको समझा ही नहीं और न उन्हें निराकुलतामय सच्चे स्वाधीन सुखका कभी दर्शन या आभास दी हुआ है।

यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि उक्त तीसरे विशेषणके संघटक वाक्य 'संसारदुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे' में 'सत्त्वान्' पद सब प्रकारके विशेषणोंसे रहित प्रयुक्त हुआ है और इससे यह स्पष्ट है कि धर्म किसी जाति या वर्ग-विशेषके जीवों-का ही उद्धार नहीं करता बल्कि ऊँच-नीचादिका भेद न कर जो भी जीव—भले ही वह म्लेच्छ, चारडाल, पशु, नारकी, देवादिक कोई भी क्यों न हो—उसको धारण करता है, उसे ही वह दुःखसे निकालकर सुखमें स्थापित करता है और उस सुखकी मात्रा धारण किये हुए धर्मकी मात्रापर अवलम्बित रहती है—जो अपनी योग्यतानुसार जितनी मात्रामें धर्माचरण करेगा वह उतनी ही मात्रामें सुखी बनेगा। और इसलिये जो जितना अधिक दुःखित एवं पतित है उसे उतनी ही अधिक धर्मकी आवश्यकता है और वह उतना ही अधिक धर्मका आश्रय लेकर उद्धार पाने-का अधिकारी है।

वस्तुतः 'पतित' उसे कहते हैं जो स्वरूपसे च्युत है—स्वभाव-में स्थिर न रहकर इधर उधर भटकता और विभाव-परिणतिरूप परिणामता है—, और इसलिये जो जितने अंशोंमें स्वरूपसे च्युत है वह उतने अशोमें ही पतित है। इस तरह सभी संसारी जीवक्ष्य एक प्रकारसे पतितोंकी कोटिमें स्थित और उसकी श्रेणियोंमें विभाजित हैं। धर्म जीवोंको उनके स्वरूपमें स्थिर करनेवाला है,

क्षे जीवोंके दो मूलभेद हैं—संसारी और मुक्त; जैसाकि 'संसारिणो मुक्ताश्च' इस तत्वार्थसूत्रसे प्रकट है। मुक्तजीव पूर्णतः स्वरूपमें स्थित होनेके कारण पतितावस्थासे अतीत होते हैं।

उनकी पतितोवस्थाको मिटाता हुआ उन्हें ऊंचे उठाता है और इसलिये 'पतितोद्धारक' कहा जाता है। कूपमे पड़े हुए प्राणी जिस प्रकार रस्सेका सहारा पाकर ऊंचे उठ आते और अपना उद्धार कर लेते हैं उसी प्रकार संसारके दुःखोंमें छबे हुए पतितसे पतित जीव भी धर्मका आश्रय एवं सहारा पाकर ऊंचे उठ आते हैं और दुःखोंसे छूट जाते हैं X। स्वामी समन्तभद्र तो 'आति-हीन' (नीचातिनीच) को भी इसी लोक मे 'आतिगुरु' (अत्युच्च) तक होना बतलाते हैं*। ऐसी स्थितिमें स्वरूपसे ही सब जीवोंका धर्मके ऊपर समान अधिकार है और धर्मका भी किसीके साथ कोई पक्षपात नहीं है—वह ग्रन्थकारके शब्दोंमें 'जीवमात्रका वन्धु'† है तथा स्वाश्रयमें प्राप्त सभी जीवोंके प्रति समभावसे वर्तता है। इसी दृष्टिको लक्ष्यमे रखते हुए ग्रन्थकारमहोदयने स्वयं ही ग्रन्थ-मे आगे यह प्रतिपादन किया है कि 'धर्मके प्रसादसे कुत्ता भी ऊँचा उठकर (अगले जन्ममें) देवता बन जाता है और ऊँचा उठा हुआ देवता भी पापको अपनाकर धर्मभ्रष्ट हो जानेसे (जन्मान्तरमे) कुत्ता बन जाता है'। साथ ही, यह भी बतलाया है कि धर्मसम्पन्न एक चाएडालका पुत्र भी 'देव' है—आराध्य है§,

X "संसार एष कूपः सलिलानि विपत्ति-जन्म-दुःखानि ।

इह धर्म एव रज्जुस्तस्मादुद्धरति निमंनान् ॥" (पुरातन)

* यो लोके त्वा नतः सोऽतिहीनोऽप्यतिगुरुर्यतः ।

—स्तुतिविद्या (जिनशतक) ८२

† पापमरातिर्बर्मो वन्धुर्जीवस्य चेति निश्चिन्नन् । (१४८)

‡ श्वार्डपि देवोऽपि देवः श्वा जायते धर्म-किल्विपात् । (२६)

§ सम्यगदर्शनसम्पन्नमपि माततङ्गदेहजम् ।

देवा देव विदुर्भास्म-गूढाङ्गारान्तरोजसम् ॥ (२८)

'देव आराध्य'-इति प्रभावन्दः टीकायाम् ।

और स्वभावसे अपवित्र शरीर भी धर्म (रत्नत्रय) के संयोग-से पवित्र हो जाता है। अतः अपवित्र शरीर एवं हीन जाति धर्मात्मा तिरस्कारका पात्र नहीं—निर्जुगुप्ता अंगका धारक धर्मात्मा ऐसे धर्मात्मासे वृणा न रखकर उसके गुणोंमें प्रीति रखता है X। और जो जाति आदि किसी मदके वशवर्ती होकर ऐसा नहीं करता, प्रत्युत इसके ऐसे धर्मात्माका तिरस्कार करता है वह वस्तुतः आत्मीयधर्मका तिरस्कार करता है—फलतः आत्म-धर्मसे विमुख है; क्योंकि धार्मिकके विना धर्मका कहीं अवस्थान नहीं और इसलिए धार्मिकका तिरस्कार ही धर्मका तिरस्कार है—जो धर्मका तिरस्कार करता है वह किसी तरह भी धर्मात्मा नहीं कहा जा सकताः४। ये सब बातें समन्तभद्र स्वामीकी धर्म-मर्मज्ञता-के साथ साथ उनकी धर्माधिकार-विषयक उदार भावनाओंकी द्योतक हैं और इन सबको दृष्टि-पथमें रखकर ही 'सत्त्वान्' पद सब प्रकारके विशेषणोंसे रहित प्रयुक्त हुआ है। अस्तु ।

अब रही 'समीचीन' विशेषणकी बात, धर्मको प्राचीन या अर्वाचीन आदि न बतलाकर जो 'समीचीन' विशेषणसे विभूषित किया गया है वह बड़ा ही रहस्यपूर्ण है; क्योंकि प्रथम तो जो प्राचीन है वह समीचीन भी हो ऐसा कोई नियम नहीं है। इसी तरह जो अर्वाचीन (नवीन) है वह असमीचीन ही हो ऐसा भी कोई नियम नहीं है। उदाहरणके लिये अनादि-मिथ्यात्म तथा प्रथमोपशम-सम्यक्त्वको लीजिये, अनादि कालीन मिथ्यात्म प्राचीनसे प्राचीन होते हुए भी समीचीन (यथावस्थित वस्तुतस्वके श्रद्धानादिरूपमें) नहीं है।

X स्वभावतोऽशुचौ काय रत्नत्रय-पवित्रिते ।

- निर्जुगुप्ता गुण-प्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता ॥ (१३)

४४ स्मयेन योज्यानत्येति धर्मस्थान् गर्विताशयः ।

सोऽस्येति धर्ममात्मीय न धर्मो धार्मिकैविना ॥ (२६)

और इसलिये मात्र प्राचीन होनेसे उस मिथ्याधर्मका समीचीन धर्मके रूपमें ग्रहण नहीं किया जा सकता । प्रत्युत इसके, सम्बन्धवत्व गुण जब उत्पन्न होता है तब मिथ्यात्मके स्थानपर नवीन ही उत्पन्न होता है; परन्तु नवीन होते हुए भी वह समीचीन है और इसलिये सद्गुर्मके रूपमें उसका ग्रहण है—उसकी नवीनता उसमे कोई वाधक नहीं होती । नतीजा यह निकला कि कोई भी धर्म चाहे वह प्राचीन हो या अर्वाचीन, यदि समीचीन है तो वह ग्राह्य है अन्यथा ग्राह्य नहीं है । और इसलिये प्राचीन तथा अर्वाचीनसे समीचीनका महत्व अधिक है, वह प्रतिपाद्यधर्मका असाधारण विशेषण है, उसकी मौजूदगी में ही अन्य दो विशेषण अपना कार्य भली प्रकार करनेमें समर्थ हो सकते हैं; अर्थात् धर्मके समीचीन (यथार्थ) होने पर ही उसके द्वारा कर्मोंका नाश और जीवात्माको संसारके दुःखोंसे निकाल कर उत्तम सुखमें धारण करना बन सकता है—अन्यथा नहीं । इसीसे समीचीनताका ग्राहक प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकारके धर्मोंको अपना विधय बनाता है अर्थात् प्राचीनता तथा अर्वाचीनता का मोह क्षोड़कर उनमे जो भी यथार्थ होता है उसे ही अपनाता है । दूसरे, धर्मके नाम पर लोकमें बहुतसी मिथ्या वातें भी प्रचलित होंगी हैं उन सबका विवेक कर यथार्थ धर्म-देशनाकी सूचनाको लिये हुए भी यह विशेषण पद है । इसके सिवाय, प्रत्येक वस्तुकी समीचीनता (यथार्थता) उसके अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावपर अवलम्बित रहती है—दूसरेके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावपर नहीं—द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावमेंसे किसीके भी बदल जाने पर वह अपने उस रूपमें स्थिर भी नहीं रहती । और यदि द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी प्रक्रिया विपरीत होजाती है तो वरन्तु भी अवस्तु होजाती है क्यों अर्थात् जो ग्राह्य वस्तु है वह त्याज्य

और जो त्याज्य है वह प्राण बन जाती है। ऐसी स्थिति में धर्म का जो रूप समीचीन है वह सबके लिये समीचीन ही है और सब अवस्थाओं में समीचीन है ऐसा नहीं कहा जा सकता—वह किसी के लिये और किसी अवस्था में असमीचीन भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में एक गृहस्थ तथा मुनि को लीजिये, गृहस्थ के लिये स्वदारसन्तोष, परिग्रहपरिमाण अथवा स्थूलरूप से हिंसादि के त्यागरूपब्रत समीचीन धर्म के रूप में प्राण हैं—जब कि वे मुनि के लिये उस रूप में प्राण नहीं हैं—एक मुनि महाब्रत धारण कर यदि स्वदारगमन करता है, धन-धान्यादि बाह्य परिप्रहोंको परिमाण के साथ रखता है और मात्र संकल्पी हिंसाके त्याग का ध्यान रखकर शेष आरम्भी तथा विरोधी हिंसाओं के करने में प्रवृत्त होता है तो वह अपराधी है; क्योंकि गृहस्थोंचित् समीचीन धर्म उसके लिये समीचीन नहीं है। एक गृहस्थ के लिये भी स्वदारसन्तोषब्रत वहीं तक समीचीन है जहां तक कि वह ब्रह्मचर्यब्रत नहीं लेता अथवा श्रावककी सातवीं श्रेणी पर नहीं चढ़ता, ब्रह्मचर्य ब्रत लेलेने यां सातवीं श्रेणी चढ़ जाने पर स्वदारगमन उसके लिये भी वर्जित तथा असमीचीन हो जाता है। ऐसा ही हाल दूसरे धर्मों, नियमों तथा उपनियमों का है। उपनियम, प्रायः नियमों की मूलदृष्टि परसे द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी सम्यक् योजनाके साथ फलित किये जाते हैं, जैसे कि भोज्य पदार्थोंके सेवनकी काल-विषयक मर्यादाका उपनियम, जो उस कालके अनन्तर उन पदार्थोंमें त्रस जीवोंकी उत्पत्ति मानकर उन जीवोंकी हिंसा तथा मांस भक्षणके दोषसे बचनेके लिये किया जाता है; परन्तु वह काल-मर्यादा जिस तरह सब पदार्थोंके लिये एक नहीं होती उसी तरह एक प्रकार या एक जातिके पदार्थोंके लिये भी सब समयों सब क्षेत्रों और सब अवस्थाओंकी दृष्टिसे-एक नहीं होती और न हो सकती है। श्रीष्म या वर्षा ऋतुमें उषण

प्रदेशस्थित एक पदार्थ यदि तोन दिनमे विकारप्रस्त होता है तो वही पदार्थ शीतप्रधान पहाड़ी प्रदेशमें स्थित होने पर उससे कई गुने अधिक समय तक भी विकारको प्राप्त नहीं होता। उषण-प्रधान प्रदेशोमे भी असावधानीसे रखता हुआ पदार्थ जितना जलदी विकृत होता है उतनी जलदी सावधानीसे सीलादिको बचाकर रखता हुआ नहीं होता। जो पदार्थ 'वायुप्रतिबंधक' (Air-tight) पात्रोमें तथा बफ्फे सम्पर्कमें रखता जाता है अथवा जिसके साथ-मै पारे आदिका संयोग होता है उसके विकृत न होनेकी काल-मर्यादा तो और भी बढ़ जाती है। ऐसी स्थितिमें मर्यादाकी समीचीनता-असमीचीनता बहुत कुछ विचारणीय होजाती है, और उसके लिये सर्वथा कोई एक नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। अधिकाशमें तो वह सावधान पुरुषके विवेकपर निर्भर रहती है, जो सब परिस्थितियोंको ध्यानमें रखता और वस्तु-विकारक-सम्बन्धी अपने अनुभवसे काम लेता हुआ उसका निर्धार करता है। इन्हीं तथा इन्हीं जैसी दूसरी बातोंको ध्यानमें रखकर इस ग्रन्थमें धर्मके अंगों तथा उपांगों आदिके लक्षणोंका निर्देश किया गया है और विशेषणों आदिके द्वारा, जैसे भी सूत्र रूपमें वन पड़ा अथवा आवश्यक समझा गया, इस बातको सुझाने का यत्न किया है कि कौन धर्म, किसके लिये, किस दृष्टिसे कैसी परिस्थितिमें और किस रूपमें ग्राह्य है; यही सब उसकी समीचीनताका द्योतक है जिसे मालूम करने तथा व्यवहारमें लानेके लिये बड़ी ही सतर्कदृष्टि रखनेकी जरूरत है। सद्दृष्टि-विहीन तथा विवेक-विकल कुछ कियाकाण्डोंके कर लेने मात्रसे ही धर्मकी समीचीनता नहीं सधर्ती।

श्री खाद्य-वस्तु-विकार प्राप्तः, वस्तुके स्वाभाविक वर्ण-रस-गंधके विगड़ जाने, उसमें कई लग जाने अथवा फूली-जाला पड़ जाने आदिसे लक्षित होता है।

‘ एकमात्र धर्म-देशना अथवा धर्म-शासनको लिये हुए होनेसे यह प्रथं ‘धर्मशास्त्र’ पदके योग्य है। और चूंकि इसमें वर्णित धर्म-का अन्तिम लक्ष्य संसारी जीवोंको अक्षय-सुखकी प्राप्ति करना है, इसलिये प्रकारान्तरसे इसे ‘सुख-शास्त्र’ भी कह सकते हैं। शायद इसीलिये विक्रमकी ११वीं शताब्दीके विद्वान् आचार्य वादिराज-सूरिने, अपने पार्श्वनाथचरितमें स्वामी समन्तभद्र योगीन्द्रका स्तवन करते हुए, उनके इस धर्मशास्त्रको “अक्षयसुखावहः” विशेषण देकर अक्षय-सुखका भण्डार वतलाया है * ।

कारिकामें दिये हुए ‘देशयामि समीचीनं धर्मं’ इस प्रतिज्ञा-वाक्यपरसे ग्रन्थका असली अथवा मूल नाम ‘समीचीन-धर्म-शास्त्र’ जान पड़ता है, जिसका आशय है ‘समीचीन धर्मकी देशना (शास्ति) को लिये हुए ग्रन्थ’, और इस लिये यही मुख्य नाम इस सभाष्य ग्रन्थको देता यहाँ उचित समझा गया है, जो कि ग्रन्थकी प्रकृतिके भी सर्वथा अनुकूल है। दूसरा ‘रत्नकरण्ड’ (रत्नोंका पिटारा) नाम ग्रन्थमें निर्दिष्ट धर्मका रूप रत्नत्रय होनेसे उन रत्नोंके रक्षणोपायभूतके रूपमें है और ग्रन्थके अन्तकी एक कारिकामें ‘येन स्वयं वीतकलङ्घविद्या-दृष्टि-किंया-रत्नकरण्डभावं नीतः’ इस वाक्यके द्वारा उस रत्नत्रय धर्मके साथ अपने आत्माको ‘रत्न-करण्ड’ के भावमें परिणत करनेका जो वस्तु-निर्देशात्मक उपदेश दिया गया है उस परसे भी फलित होता है। दोनोंमें ‘समीचीन-धर्मशास्त्र’ यह नाम प्रतिज्ञाके अधिक अनुरूप स्पष्ट और गौरव-पूर्ण प्रतीत होता है। समन्तभद्रके और भी कई ग्रन्थोंके दो दो नाम हैं; जैसे देवागमका दूसरा नाम आप्समीमासा; स्तुति-विद्या-का दूसरा नाम जिनस्तुतिशतक (जिनशतक) और स्वयम्भूतोत्र—

* त्यागी स एव योगीन्द्रो येनाऽक्षयसुखावहः ।

अर्थने भव्य-सार्थक दिष्टो रत्नकरण्डकः ॥१६॥

का दूसरा नाम समन्वयद्रष्टोत्र है, और ये सब प्रायः अपने अपने आदि-अन्तके पद्मोंकी दृष्टिको लिये हुए हैं। अस्तु ।

अब आचार्य महोदय प्रतिज्ञात् धर्मके स्वरूपादिका वर्णन करते हुए लिखते हैं—

धर्म-लक्षण

सदृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि धर्म-धर्मेश्वरा विदुः ।

यदीय-प्रत्यनीकानि भवन्ति भव-पद्धतिः ॥ ३ ॥

‘धर्मके अधिनायकोंने—धर्मनिष्ठानादि-तत्त्वर अथवा धर्मस्थ-परिरणत आप्त-पूरुषोंने—सदृष्टि—सम्यगदर्शन—, सत्तज्ञान—सम्यज्ञान—और सद्बृत्त—सम्यक्चारित्र—को ‘धर्म’ कहा है। इनके प्रति-कूल जो असदृष्टि, असत्तज्ञान, असद्बृत्त—मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र—हैं वे सब भवपद्धति हैं—सासारके मार्ग हैं।’

व्याख्या—मूलमें प्रयुक्त ‘सत्’ शब्दका सम्बन्ध दृष्टि, ज्ञान, वृत्त तीनोंके साथ है और उसका प्रयोग सम्यक्, शुद्ध, समीचीन तथा वीतकलंक (निर्दोष) जैसे अर्थमें हुआ है; जैसा कि ‘श्रद्धानं परमार्थानां, भयाशास्तेहलोभाव, प्रथमानुयोगमर्था, येन स्वयं वीतकलङ्कविद्या’ इत्यादि कारिकाओं (४, ३०, ४३, १४६) से प्रकट है। ‘हिंसाऽनृतचौर्येभ्यो’ इस कारिकामें प्रयुक्त ‘सङ्कर्ष्य’ पदका ‘सं’ भी इसी अर्थको लिये हुए है और इसीके लिये स्वयम्भूतोत्तरमें ‘समञ्जस’^३ जैसे शब्दका प्रयोग किया गया है।

‘दृष्टि’ को दर्शन तथा श्रद्धान; ‘ज्ञान’ को बोध तथा विद्या और ‘वृत्त’ को चारित्र, चरण तथा क्रिया नामोंसे भी इसी ग्रन्थ-में उल्लेखित किया गया है। इसी तरह ‘सदृष्टि’को सम्यगदर्शन-

^३ “समञ्जस-ज्ञान-विभूति-चक्षुषा” का० १ ।

† देखो, कारिका न० ४, २१, ३१ आदि; ३२, ४३, ४६ आदि, ४६ ५०, १४६ आदि ।

के अतिरिक्त सम्यक्त्व तथा निर्मोह और 'संतज्ञान' को 'तथामति' नाम भी दिया गया है। साथ ही अपनी स्तुतिविद्या (जिन-शतक) में ग्रन्थकारमहोदयने सदूषिष्टिके लिये 'सुश्रद्धा'^५ शब्दका तथा स्वयम्भूस्तोत्रमें सदृश्वत्तके लिये 'उपेन्ना'^६ शब्दका भी प्रयोग किया है और इसलिये अपने अपने वर्गानुसार एक ही अर्थके वाचक प्रत्येक वर्गके इन शब्दोंको समझना चाहिये।

यहाँ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको जो 'धर्म' कहा गया है वह जीवात्माके धर्मका त्रिकालावाधित सामान्य लक्षण अथवा उसका मूलस्वरूप है। इसीको 'रत्नत्रय' धर्म भी कहते हैं, जिसका उल्लेख स्वर्यं स्वामी समन्तभद्रने कारिका नं० १३ में 'रत्नत्रयवित्रिते' पदके द्वारा किया है, और स्वयम्भूस्तोत्रकी कारिका ८४ में भी 'रत्नत्रयार्तिशयतेजसि' पदके द्वारा जिसका उल्लेख है। ये ही वे तीन रत्न हैं जिनके स्वरूप-प्रतिपादनकी दृष्टिसे आधारभूत अथवा रक्षणोपायभूत होनेके कारण इस ग्रन्थ को 'रत्नकरण्ड' (रत्नोंका पिटारा) नाम दिया गया जान पड़ता है। अस्तु; धर्मका यह लक्षण धर्माधिकारी आत्मपुरुषों (तीर्थकरादिको) के द्वारा प्रतिपादित हुआ है, इससे स्पष्ट है कि वह प्राचीन है; और इस तरह स्वामीजीने उसके विषयमें अपने कर्तृत्वका नियेध किया है।

जब सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्रको 'धर्म' कहा गया है तब यह स्पष्ट है कि मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र 'अधर्म' है—पापके मूलरूप है। इनके लिये ग्रन्थमें

देखो, कारिका ३२, ३४; ४४।

'सुश्रद्धा मम ते मते' इत्यादि पद्म न० ११४

* मोहरूपो रिपुः पापः कपायभट्साधनः ।

दृष्टि-सविद्वपेन्नास्त्रैस्त्वया धीर । पराजितः ॥ ६० ॥

‘पाप’ शब्दका प्रयोग भी किया गया है और पापको ‘किल्विष’ नामके द्वारा भी उल्लेखित किया है; जैसा कि कारिका नं० २७, २६, ४६, १४८ आदिसे स्पष्ट ध्वनित है। और इन्हे जब ‘भव-पद्धति’ वतलाकर संसारके मार्ग—संसारपरिभ्रणके कारण अथवा सांसारिक दुःखोंके हेतुभूत—निर्दिष्ट किया गया है तब यह स्पष्ट है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये तीनों मिले हुए हीं ‘मोक्षपद्धति’, अर्थात् मोक्षका एक मार्ग है—संसारदुःखोंसे छूटकर उत्तम सुखको पानेके उपायस्वरूप हैं; क्योंकि ‘मोक्ष’ ‘भव’ का विपरीत (प्रत्यनीक) है, और यह बात स्वयं प्रन्थकार-महोदयने अन्थकी ‘अशरणमशुभमनित्य’ इत्यादि कारिका (१०४) में भवका स्वरूप वतलाते हुए ‘मोक्षस्तद्विपरीतात्मा’ इन शब्दोंके द्वारा व्यक्त की है। इसीसे तत्त्वार्थसूत्रकी आदिसे श्रीउमास्वाति (गृधपिच्छाचार्य) ने भी कहा है—

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ ? ॥

और यही बात श्रीश्रीभाचन्द्राचार्यने अपने तत्त्वार्थसूत्रमें ‘सद्दृष्टिज्ञानवृत्तात्मा मोक्षमार्गः सनातनः’ तथा ‘सम्यग्दर्शनवगम-वृत्तानि मोक्षहेतुः’ इन मंगल तथा सूत्रवाक्योंके द्वारा प्रतिपादित की है। इसी रूपत्रयस्वरूप धर्मको स्वामी समन्तभद्रने प्रस्तुत प्रन्थ में ‘मोक्षमार्ग’ के अतिरिक्त ‘सन्मार्ग’ तथा ‘शुद्धमार्ग’ भी लिखा है, और शुद्धसुखात्मक मान्नको शिव, निर्वाण तथा निःश्रेयस नाम देकर ‘शिवमार्ग’ ‘निर्वाणमार्ग’ ‘निःश्रेयसमार्ग’ भी इसीके नामान्तर है ऐसा सुन्चित किया है। साथ ही ‘ब्रह्मपथ’ भी इसी-का नाम है ऐसा स्वामीजीके शुक्त्यनुशासनकी ४ थी कारिकामें प्रयुक्त हुए ‘ब्रह्मपथस्य नेता’ पदोंसे जाना जाता है, जो उमास्वाति-के ‘मोक्षमार्गस्य नेतारं’ पदोंका स्मरण कराते हैं। यही संक्षेपमें

[†] देखो, कारिका ११, १५, ३४, ३३, ४१, १३१।

जिनशासन । है जैनमार्ग है, अथवा वास्तविक सुखमार्ग है, और इस लिये मिथ्यादर्शनादिकों कुमार्ग, मिथ्यामार्ग, कापथ तथा दुःखमार्ग समझना चाहिये । ग्रन्थकी १४वीं कारिकामें इसके लिए 'कापथ' शब्दका स्पष्ट प्रयोग है और उसे 'दुःखना पथि' लिखकर 'दुःखमार्ग' भी बतलाया गया है । ६ वीं कारिकामें भी 'कापथघट्टन' पदके द्वारा इसी कुमार्गका निर्देश और आगममें उसके खण्डन-विधानका प्रलेपण है ।

यही सन्ध्यगदर्शनादिरूप वह धर्म है जिसे ग्रन्थकी द्वितीय कारिकामें 'कर्मनिवर्हण' बतलाया है और जो स्वयम्भुत्तोत्रकी कारिका ८४ के अनुसार वह सातिशय अग्नि है जिसके द्वारा कर्म-प्रकृतियोंको भस्म करके उनका आत्मासे सम्बन्ध विच्छेद करते हुए आत्मशक्तियोंको विकसित किया जाता है^{३४} । और इस लिये जिसके विषयमें उक्त कारिकाकी व्याख्याके समय जो यह बतलाया जा चुका है कि 'वह वस्तुतः कर्मवन्धका कारण नहीं' वह ठीक ही है; क्योंकि चार प्रकारके बन्धनोंमेंसे प्रकृतिवन्ध तथा प्रदेशवन्ध योगसे और स्थितिवन्ध तथा अनुभागवन्ध कषायसे होते हैं^{३५} । सन्ध्यगदर्शनादिक न योगरूप हैं और न कषायरूप हैं तब इनसे बन्ध कैसे हो सकता है ? × इस पर यह शंका की जा

† 'जिनशासन' नामसे इस मार्गका उल्लेख ग्रन्थकी कारिका १८ तथा ७८ में आया है ।

^{३४} 'हुत्वा स्वकर्म-कटुकप्रकृतीश्चतसो, रत्नत्रयाऽतिशयतेजसि जातवीर्यः । ब्राजिषे सकल-वेद-विवेचनेता, व्यञ्जे यथा वियति दीप्त-रचिववस्वान् । # जोगा पयडि-पदेसा ठिदि-भगुभागा कसायदो हौति ।—द्रव्यसग्रह ३३

× योगात्प्रदेशवन्धः स्थितिवन्धो भवति यः कषायात् ।

दर्शन-बोध-वरित्रं न योगरूप कषायरूपं च ॥ २१५ ॥

दर्शनमात्मविनिविच्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः ।

स्थितिरात्मनि चारित्र कुत एतेभ्यो भवति बन्धः ॥ २१६ ॥—पुष्टिर्थसिं

सकती है कि आगममें सम्यग्दर्शनादि (रत्नत्रय) को तीर्थकर, आहारक तथा देवायु आदि पुण्यप्रकृतियोंका जो बन्धक बतलाया है उसकी संगति फिर कैसे बैठेगी ? इसके उत्तरमें इतना ही जान लेना चाहिये कि वह सब कथन नयविवक्षाको लिये हुए है, सम्यग्दर्शनादिके साथमें जब रागपरिणामितरूप योग और कापाय लगे रहते हैं तो उनसे उक्त कर्मप्रकृतियोंका बन्ध होता है और संयोगावस्थामें दो वस्तुओंके दो अत्यन्त विरुद्धकार्य होते हुए भी व्यवहारमें एकके काथको दूसरेका कार्य कह दिया जाता है, जैसे धीने जला दिया—जलानेका काम अग्निका है धीका नहीं, परन्तु दोनोंका संयोग होनेसे अग्निका कार्य धीके साथ रुढ़ होगया । इसी तरह रागपरिणामितरूप शुभोपयोगके साथमें जब सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय होते हैं तो उन्हें व्यवहारतः उक्त पुण्य प्रकृतियोंका बन्धक कहा जाता है, और इसलिये यह शुभोपयोगका ही अपराध है—शुद्धोपयोगकी दशामें ऐसा नहीं होता । अन्यथा, रत्नत्रयधर्मवास्तवमें भोज (निर्वाण) का ही हेतु है, अन्य किसी कर्मप्रकृतिके बन्धका नहीं; जैसा कि आगम-रहस्यको लिये हुए श्री अमृतचन्द्राचार्यके निष्पत्तिवाक्योंसे प्रकट है—

सम्यक्त्व-चरित्राभ्यां तीर्थकराहारकर्मणो बन्धः ।

योऽप्युपदिष्टः समये न नयविदां सोऽपि दोषाय ॥२१७॥

सति सम्यक्त्वरित्रे तीर्थकराहारबन्धकौ भवतः ।

योग-कषायौ नाऽसति तत्पुनरस्मिन्नुदासीनम् ॥२१८॥

ननु कथमेवं सिद्धवत्तु देवायुःप्रभृतिसत्प्रकृतिबन्धः ।

सकलजनसुप्रसिद्धो रत्नत्रयधारिणा मुनिवराणाम् ॥२१९॥

रत्नत्रयमिह हेतुर्निर्वाणस्यैव भवति नाऽन्यस्य ।

आस्वति यत् पुण्यं शुभोपयोगोऽयमपरावः ॥२२०॥

एकसिन्समवायादत्यन्तविरुद्धकार्ययोरपि हि ।

इह दहति धृतमिति यथा व्यवहारस्ताद्यशोऽपि रुद्धमितः ॥२२१॥
—पुरुषार्थसिद्धयुपाय

यहाँ पर मै इतना और भीं बतला देना चाहता हूँ कि इस रत्नत्रयधर्मके मुख्य और उपचार अथवा निश्चय और व्यवहार ऐसे दो भेद है, जिनमे व्यवहारधर्म निश्चयका सहायक और परम्परा मोक्षका कारण है; जब कि निश्चयधर्म साक्षात् मोक्षका हेतु है। और इनकी आर्थिना दो प्रकारसे होती है—एक सकल-रूपमें और दूसरी विकलरूपमें। विकलरूप आराधना प्रायः गृहस्थोंके द्वारा बनती है और सकलरूप मुनियोंके द्वारा। विकलरूपसे (एकदेश अथवा आंशिक) रत्नत्रयकी आराधना करने वाले के जो शुभराग-जन्य पुण्यकर्मका बन्ध होता है वह मोक्षकी साधनामें सहायक होनेसे मोक्षोपायके रूपमें ही, परिणित है, बन्धनोपायके रूपमे नहीं ३। इसीसे इस ग्रन्थमें, जो मुख्यतया गृहस्थोंको और उनके अधिक उपयुक्त व्यवहार-रत्नत्रयको लक्ष्य करके लिखा गया है, समीचीन धर्म और उसके अंगोपाङ्गोंका फल वर्णन करते हुए उसमें निःश्रेयस सुखके अलावा अभ्युदय-सुख अथवा लौकिक सुखसमृद्धि (उत्कर्ष)का भी बहुत कुछ कीर्तन किया गया है।

अब एक प्रश्न यहाँ पर और रह जाता है और वह यह कि धर्मके अधिनायकाने तो वस्तुस्वभावां को धर्म कहा है, चारित्रः ।

३ असमग्र भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्मबन्धो यः ।

सविपक्षकृतोऽवश्यं मोक्षोपायो न बन्धनोपायः ॥ २११ ॥

—पुरुषार्थसिद्धयुपाय

† “बम्मो वत्युसहावो ।” —कार्तिकेयानुप्रेक्षा ४७६

‡ चारित्त खलु बम्मो धम्मो जो सो समो ति रिंदिंहो ।

मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥७॥—प्रवचनसार

को धर्म कहा है, अहिंसाको परमधर्म तथा द्याको धर्मका मूल बतलाया है और उत्तम ज्ञानादि दशलक्षणधर्मक्षेत्रका खास तौरसे प्रतिपादन किया है, तब अकेले रत्नत्रयको ही यहाँ धर्मरूपमें क्यों ग्रहण किया गया है? — क्या दूसरे धर्म नहीं है अथवा उनमें और इनमें कोई बहुत बड़ा अन्तर है? इसके उत्तरमें मैं सिर्फ इतना ही कह देना चाहता हूँ कि धर्म तो वास्तवमें ‘वस्तुस्वभाव’ का ही नाम है, परन्तु इष्टि, शैली और आवश्यकतादिके भेदसे उसके कथनमें अन्तर पड़ जाता है। कोई संचेपप्रिय शिष्योंको लक्ष्य करके संचित रूपमें कहा जाता है, तो कोई विस्तारप्रिय शिष्योंको लक्ष्यमें रखकर विस्तृत रूपमें। किसीको धर्मके एक अगको कहनेकी जरूरत होती है, तो किसीको अनेक अंगों अथवा सर्वाङ्गोंका। कोई वात सामान्यरूपसे कही जाती है, तो कोई विशेषरूपसे। और किसीको पूर्णतः एक स्थानपर कह दिया जाता है, तो किसीको अंशोंमें विभाजित करके अनेक स्थानोंपर रखकर जाता है। इस तरह वस्तुके निर्देशमें विभिन्नता आजाती है, जिसके लिये उसकी दृष्टि आदिको समझनेकी जरूरत होती है और तभी वह ठीक रूपमें समझी जा सकती है। धर्मका ‘वस्तु-स्वभाव’ लक्षण वस्तुमात्रको लक्ष्य करके कहा गया है और उसमें जड़ तथा चेतन सभी पदार्थ आजाते हैं और वह धर्मके पूर्ण निर्देशका अतिसंचित रूप है। इस प्रथमें जडपदार्थोंका धर्मकथन विवक्षित नहीं है बल्कि ‘सत्त्वान्’ पदके वाच्य जीवात्माओंका स्वभाव-धर्म विवक्षित है और वह न-अतिसंक्षेप न-अतिविस्तार-से सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप है। इसके सम्यक्चारित्र अंगमें ‘चारित्तं खलु धर्मां’ का वाच्य चारित्र आ ही जाता है। चूँकि वह सम्यक्चारित्र है और सम्यक्चारित्र सम्यग्ज्ञानके

*३ उत्तमक्षमा-भाद्वाजंव-सत्य-शौच-संयम-तपस्यागाकिव्यन्य-व्रह्यचर्यों-
एति धर्मः। —तत्त्वार्थसूत्र ६-६

विना नहीं होता और सम्यग्ज्ञान सम्यकदर्शनके विना नहीं बनता। अतः सम्यक्चारित्र कहनेसे सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञानका भी साथमें ग्रहण हो जाता है। स्वयं प्रबचनसारमें उससे पूर्वकी गाथामे श्रीकुल्दकुल्दाचार्यने 'जीवस्तु चरितादो दंसण-णाणप्रहाणादो' इस वाक्यके द्वारा चारित्रका 'दर्शन-ज्ञान-प्रधान' विशेषण देकर उसे और भी स्पष्ट कर दिया है। अहिंसा चारित्रका प्रधान अंग होनेसे परमधर्म कहलाता है 'दया' उसीकी मुगंध है। दोनोंमें एक निवृत्तिरूप है तो दूसरा निवृत्तिरूप है। इसी तरह दशलक्षणधर्मका भी रलत्रयधर्ममें समावेश है। और इसके प्रबल प्रभाणके लिए इतनाही कह देना काफी है कि जिन श्रीउमास्ति आचार्यने तत्त्वार्थसूत्रके पूर्वोद्घृत प्रथम सूत्रमे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रको 'मोक्षमार्ग' बतलाया है उन्हींने इस सूत्रके विषयका स्पष्टीकरण + करते हुए संवरके अधिकारमे दशलक्षणधर्मके सूत्रको रक्खा है, जिससे स्पष्ट है कि ये सब धर्म सम्यग्दर्शनादिरूप रलत्रय धर्मके ही विकसित अथवा विस्तृतरूप है। ऐसी हालतमें आपत्तिके लिये कोई स्थान नहीं रहता और धर्मका यह प्रस्तुतरूप बहुत ही सुव्यवस्थित, मार्मिक एवं लक्ष्यके अनुरूप जान पड़ता है। अस्तु ।

अब आगे धर्मके प्रथम अंग सम्यग्दर्शनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए आचार्य महोदय लिखते है—

सम्यग्दर्शन-लक्षण

श्रद्धानं परमार्थानामाप्ताऽऽगमतपोभृताम् ।

त्रिमूढापोदमष्टाङ्गं सम्यग्दर्शनमस्मयम् ॥ ४ ॥

'परमार्थ आपो, परमार्थ आगमो और परमार्थ तपस्वियोंका जो अष्ट अङ्गसहित, तीन मूढता-रहित तथा मद-विहीन श्रद्धानं + सारा तत्त्वार्थसूत्र वास्तवमे इसी एक सूत्रका स्पष्टीकरण है।

है उसे सम्यगदर्शन कहते हैं।—अर्थात् यह सर्वे गुण-समूह सम्यगदर्शन का लक्षण है—अभिव्यञ्जक है—अथवा यो कहिये कि आत्मामें सम्यगदर्शन-घर्षके प्रादुर्भाविका सद्योतक है।'

व्याख्या—यहाँ 'श्रद्धान' से अभिप्राय श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, प्रत्यय (विश्वास), विश्वय, अनुराग, सादर मान्यता, गुणप्रीति, प्रतिपत्ति (सेवा, सल्कार) और भक्ति जैसे शब्दोंके आशयसे है। इनमेंसे श्रद्धा, रुचि, गुणप्रीति, प्रतिपत्ति और भक्ति जैसे कुछ शब्दोंका तो स्वयं ग्रन्थकारने इसी प्रथमें—सम्यगदर्शनके अंगों तथा फलका वर्णन करते हुए प्रयोग भी किया है। और दूसरे शब्दोंका प्रयोग अन्यत्र प्राचीन साहित्यमें भी वाया जाता है। आसादिके ऐसे श्रद्धानका फलितार्थ है तदनुकूल वर्तनकी उल्कण्ठा-को लिए हुए परिणाम—अर्थात् निर्दिष्ट आप-आगम-तपस्वियोंके बचनोपर विश्वास करके (ईमान लाकर)—उनके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वोपदेशको सत्य मानकर—उसके अनुसार अथवा आदेश-नुसार चलनेका जो भाव हैं वही यहाँ 'श्रद्धान' शब्दके द्वारा अभिमत है।

और 'परमार्थ' विशेषणके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि वे आसादिक परमार्थ-विषयके—मोक्ष अथवा अध्यात्म-विषयके—आप, आगम (शास्त्र) तथा तपस्वी होने चाहियें—मात्र लौकिक विषयके नहीं; क्योंकि लौकिक विषयोंके भी आप, शास्त्र और गुरु (तपस्वी) होते हैं। जो जिस विषयको प्राप्त है—पहुँचा हुआ है—अथवा उसका विशेषज्ञ है—एक्सपर्ट (Expert) है—वह उस विषयका आप है। विश्वसनीय (Trustworthy, Reliable), गुणात्मक (Gaurantee) और दक्ष तथा पदु

‡ देखो, कारिका ११, १२, १३, १७, ३७, ४१।

(Skulful, Clever) को भी आप कहते हैं X । और ऐसे आप लौकिक विषयोंके अनेक हुआ करते हैं । आपके वाक्यका नाम 'आगम' है अथवा आगम शब्द शास्त्रमात्रका वाचक है*—स्वयं प्रन्थकारने भी शास्त्रशब्दके द्वारा उसका इसी प्रन्थमें तथा अन्यदि भी निर्देश किया है। और लौकिक विषयोंके अनेक शास्त्र होते ही है, जैसेकि वैद्यक-शास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, शब्दशास्त्र, गणित-शास्त्र, मंत्रशास्त्र, छांदशास्त्र, अलंकारशास्त्र, निमित्तशास्त्र, अर्थ-शास्त्र, भूगर्भशास्त्र इत्यादि । इसी तरह अनेक विद्या, कला तथा लौकिकशास्त्रोंकी शिक्षा देनेवाले गुरु भी लोकमें प्रसिद्ध ही हैं अथवा लौकिक विषयोंकी सिद्धिके लिए अनेक प्रकारकी तपस्या करनेवाले तपस्वी भी पाये जाते हैं; जैसे कि आजकल अहुत-अहुत आविष्कार करनेवाले वैज्ञानिक उपलब्ध होते हैं । परमार्थ विशेषणसे इन सब लौकिक आसादिकका पृथक्करण होजाता है । साथ ही, परमार्थका अर्थ यथार्थ (सत्यार्थ) होनेसे इस विशेषण-के द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया है कि वे आसादिक यथार्थ अर्थात् सच्चे होने चाहियें—अयथार्थ एवं भूठे नहीं । क्योंकि लोकमें परमार्थ-विषयकी अन्यथा अथवा आसीय-धर्मकी मिथ्या देशना करनेवाले भी आसादिक होते हैं, जिन्हें आसाभास, आगमाभास आदि कहना चाहिये । स्वयं प्रन्थकारमहोदयने अपने 'आपमीमांसा' प्रश्नमें ऐसे आपोंके अन्यथा कथन तथा

X देखो, वामन विवराम आप्टेके कोश—सस्कृत इंगिलिश डिक्स-नरी तथा इंगिलिश सस्कृत डिक्सनरी ।

* आगमः शास्त्रआगती (विश्वलोचन), आगमस्त्वागती शास्त्रेऽपि (हेमचन्द्रभिधानसंग्रह); आगमः शास्त्रमात्रे (शब्दकल्पहूम) ।

५ X देखो, इसी प्रन्थकी 'आपोपन्न' इत्यादि कारिका है तथा आप्ट-मीमांसाका निम्न वाक्य—

"स त्वमेवासि निदोषो युक्तिशास्त्राऽविरोधिवाक्" ॥६॥

मिथ्या देशनाको लेकर उनकी अच्छी परीक्षा की है और उन्हें 'आपाभिमानदण्ड' बतलाते हुए † वस्तुतः अनाप सिद्ध किया है। इस विशेषणके द्वारा उन सबका निरसन होकर विभिन्नता स्थापित होती है। यही इस विशेषणपद (परमार्थानां) के प्रयोगका मुख्य चहेश्य है और इसीको स्पष्ट करनेके लिये ग्रन्थमें इस वाक्यके अनन्तर ही परमार्थ आपादिका यथार्थ स्वरूप दिया हुआ है।

परमार्थ आपादिका शब्दान—उनकी भक्ति—वास्तवमें सम्यग्दर्शन (सम्यक्त्व) का कारण है—स्वयं सम्यग्दर्शन नहीं। कारणमें यहां कार्यका उपचार किया गया है X और उसके द्वारा दर्शनके इस स्वरूप-कथनमें एक प्रकारसे भक्तियोगका समावेश किया गया है। ग्रन्थमें सम्यग्दर्शनकी महिमाका वर्णन करते हुए जो निम्न वाक्य दिये हैं उनसे भी भक्तियोगके इस समावेशका स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है—

"अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वर्गे ॥३७॥

"लच्छा शिवं च जिनभक्तिरूपैति भव्यः" ॥४१॥

और दशनिक प्रतिमाके स्वरूपकथन (का० १३७) में सम्यग्दर्शिके लिये जो 'पञ्चगुरुचरणशरणः'—'पञ्चगुरुओंके चरण (पादगुणल अथवा पद-वाक्यादिक) ही हैं एकमात्र शरण जिसको ऐसा जो विशेषण दिया गया है तथा ग्रन्थकी अन्तिम कारिकामें

† त्वन्मताभूतवाह्यानां सर्वथैकान्तवादिनाम् ।

आपाभिमानदर्शना स्वेष्ट हृष्टेन वाच्यते ॥७॥

X श्रावकप्रज्ञपति की टीकामें श्रीहरिभ्रह्मसूरिने भी अहंच्छासनकी प्रीत्यादरूप श्रद्धाको, जोकि सम्यक्त्वका हेतु है, कारणमें कार्यके उपचार-से सम्यक्त्व बतलाया है और परम्परा मोक्षका कारण लिखा है। यथा— "ङ्कारस्य तु व्यवहारनयस्य सम्यक्त्वं सम्यक्त्वहेतुरपि अहंच्छासनप्रीत्यादि-कारणे कार्योपचारात् । एतदपि शुद्धचेतसां पारम्पर्येणापवर्गहेतुरिति ।"

जो हृष्टिलक्ष्मी (सम्यग्दर्शनसम्पत्ति) को ‘जिनपदपञ्चेक्षणी’ बतलाया गया है वह सब भी इसी बातका द्योतक है । पंचगुरुसे अभिप्राय पंचपरमेष्ठीका है, जिनमेंसे अर्हन्त और सिद्ध दोनों यहाँ ‘आप’ शब्दके द्वारा परिप्रहीत हैं और शेष तीन आचार्य उपाध्याय तथा साधु परमेष्ठीका संग्रह ‘तपस्त्री’ शब्दके द्वारा किया गया है, ऐसा जान पड़ता है । इसके सिवाय, प्रकृत पद्यमें वर्णित सम्यग्दर्शनका लक्षण चूंकि सरागसम्यक्त्वका लक्षण है— वीतराग सम्यक्त्वका नहीं †, इससे इसमे भक्तियोगके समावेश-का होना कोई अस्वाभाविक भी नहीं है । भक्तिको स्पष्टतया सम्यक्त्व (सम्यग्दर्शन) का गुण लिखा भी है, जैसा कि निम्न गाथासूत्रसे प्रकट है, जिसमें संवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, उप-शम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकूल्या, ये सम्यक्त्वके आठ गुण बतलाये हैं—

संवेगो रिव्वेऽग्ने शिदण गरुहा य उवसमो भत्ती ।

वच्छब्लं अणुकंपा अद्गुणा हुंति सम्मते ॥

—वसुनन्द-श्रावकाचार ४६

पंचाध्यायी और लाटीसंहितामे, इसी गाथाके उद्धरणके साथ, अर्हद्भक्ति तथा वात्सल्य नामके गुणोंको संवेगलक्षण गुणके लक्षण बतलाकर सम्यक्त्वके उपलक्षण बतलाया है और लिखा है कि वे संवेग गुणके बिना होते ही नहीं—उनके अस्तित्वसे संवेग गुणका अस्तित्व जाना जाता है । यथा—

यथा सम्यक्त्वमावस्य संवेगो लक्षणं गुणः । ,

स चोपलक्ष्यते भक्त्या वात्सल्येनाथवाऽहर्ताम् ॥

भक्तिर्वा नाम वात्सल्यं न स्यात्संवेगमन्तरा ।

संवेगो हि द्वशो लक्ष्मा द्वावेताद्वपलक्षणौ ॥

† सराग और वीतराग ऐसे सम्यग्दर्शनके दो भेद हैं—

“स द्वेषा सरागवीतरागविषयमेदात्”—सर्वार्थसिद्धि अ० १ शू० २

‘इसी तरह निन्दा और गर्हा गुणोंको सम्यक्त्वके उपलक्षण बतलाया है; क्योंकि वे प्रशम (उपशम) गुणके लक्षण हैं—अभिव्यक्त हैं X । अर्थात् प्रशम, स्वेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य ये चार गुण सम्यगदर्शनके लक्षण हैं, तो अर्हदूषकि, वात्सल्य, निन्दा और गर्हा ये चार गुण उसके उपलक्षण हैं । इससे भी ‘भक्ति’ सम्यगदर्शनका गुण ठहरता है ।

यहाँ आपादिके जिस शब्दानको सम्यगदर्शन बतलाया है उस के लिये ‘अष्टाङ्ग’ ‘त्रिमूढायोद’ तथा ‘अस्मय’ ऐसे तीन विशेषण-पदोंका प्रयोग किया है और उनके द्वारा यह सूचित किया है कि विवक्षित सम्यगदर्शनके आठ अंग हैं और वह तीन मूढ़ताओं तथा (आठ प्रकारके) मदोंसे रहित होता है ।

अन्यमें निर्दिष्ट आठ अंगोंके नाम हैं—१ असंशया (निःशंकित), २ अनाकांच्छणा (निष्कांकित), ३ निर्विचिकित्सिता, ४ अमूढ़दृष्टि, ५ उपगूहन, ६ स्थितीकरण, ७ वात्सल्य, ८ प्रभावना । और तीन मूढ़ताओंके नाम हैं—१ लोकमूढ़, देवतामूढ़, ३ पाषण्डमूढ़ । इन सबका तथा स्मय (मद)का क्रमशः लक्षणात्मक स्वरूप अन्यमें आपादिके स्वरूप-निर्देशानन्तर दिया है ।

परमार्थ आप्त-लक्षण

आप्तेनोत्सव-दोषेण सर्वज्ञेनाऽऽगमेशिना ।

भवितव्यं नियोगेन नाऽन्यथा हाप्तता मवेत् ॥५॥

‘जो उत्सव दोष है—राग-द्रवेष मोह और काम-क्रोधादि दोषोंको नष्ट कर चुका है—, सर्वज्ञ है—समस्त द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावका ज्ञाता है—और आगमेशी है—हेयोपादेयरूप अनेकान्त-तत्त्वके विवेकरूपक आत्महितमें प्रवृत्ति करानेवाले भ्रावित सिद्धान्त-शास्त्रका स्वामी अथवा

X देखें, पचाव्यायी उत्तरार्थ, इलोक ४६७ से ४७६ तर्थों लाटी सहिता, सृतीयसर्ग इलोक ११० से ११८ ।

मोक्षमार्गका प्रणेता है—वह नियमसे परमार्थ आप्त होता है अन्यथा पारमार्थिक आप्तता बनती ही नहीं—इन तीन गुणोंमें से एकके भी न होने पर कोई परमार्थ आप्त नहीं हो सकता, ऐसा नियम है।'

व्याख्या—पूर्वकारिकामें जिस परमार्थ आप्तके शब्दानको मुख्यतासे सम्यग्दर्शनमें परिगणित किया है उसके लक्षणका निर्देश करते हुए यहाँ तीन खास गुणोंका उल्लेख किया गया है, जिनके एकत्र अस्तित्वसे आप्तको पहचाना जा सकता है और वे हैं— १ निर्दोषता, २ सर्वज्ञता, ३ आगमेशिता । इन तीनों विशिष्ट गुणोंका यहाँ ठीक क्रमसे निर्देश हुआ है—निर्दोषताके बिना सर्वज्ञता नहीं बनती और सर्वज्ञताके बिना आगमेशिता असम्भव है । निर्दोषता तभी बनती है जब दोषोंके कारणीभूत ज्ञानांवरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय नामके चारों घातिया कर्म समूल नष्ट हो जाते हैं । ये कर्म बड़े बड़े भूभृतों (पर्वतों)-की उपमाको लिये हुए हैं, उन्हें भेदन करके ही कोई इस निर्दोषताको प्राप्त होता है । इसीसे तत्त्वार्थसूत्रके मंगलाचरणमें इस गुण-विशिष्ट आप्तको 'मेत्तारं कर्मभूभृता' जैसे पदके द्वारा उल्लेखित किया है । साथही, सर्वज्ञको 'विश्वतत्त्वानां ज्ञाता' और आगमेशी-को 'मोक्षमार्गस्य नेता' पदोंके द्वारा उल्लेखित किया है । आप्तके इन तीनों गुणोंका बड़ा ही युक्तिपुरस्सर एवं रोचक वर्णन श्रीविद्यानंद आचार्यने अपनी आप्तपरीक्षा और उसकी स्वोपन्न टीकामें किया है, जिससे ईश्वर-विषयकी भी पूरी जानकारी सामने आ जाती है और जिसका हिन्दी अनुवाद वीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित हो चुका है । अतः आप्तके इन लक्षणात्मक गुणोंका पूरा परिचय उक्त प्रन्थसे प्राप्त करना चाहिए । साथ ही, स्वामी समन्तभद्रकी 'आप्तमीमांसा' को भी देखना चाहिये, जिस पर अंकलंकदेवने 'अष्टशती' और विद्यानन्दाचोर्यने 'अष्टसहस्री' नामकी महत्वपूर्ण संस्कृत टीका लिखी है ।

यहाँ पर इतनी बात और भी जान लेनेकी है कि इन तीन गुणोंसे भिन्न और जो गुण आप्तके हैं वे सब स्वरूपविषयक हैं—लक्षणात्मक नहीं। लक्षणका समावेश इन्हीं तीन गुणोंमें होता है। इनमेंसे जो एक भी गुणसे हीन है वह आप्तके रूपमें लक्षित नहीं होता।

निर्दोष-आप्त-स्वरूप

कुत्पिपासा-जरातङ्क-जन्माऽन्तक-भय-स्मयाः ।

न राग-द्वेष-मोहार्थं यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते(प्रदोषमुक्) ॥६॥

‘जिसके छुधा, तृपा, जरा, रोग, जन्म, मरण, भय, मर्द, राग, द्वेष, मोह तथा ('च' शब्दसे) चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय, विपाद, स्वेद और खेद ये दोष नहीं होते हैं वह (दोषमुक्त) आपके रूपमें प्रकीर्तित होता है।

व्याख्या—यहाँ दोपरहित आप्तका अथवा उसकी निर्दोषताका स्वरूप बतलाते हुए जिन दोषोंका नामोल्लेख किया गया है वे उस वर्गके हैं जो अष्टादश दोषोंका वर्ग कहलाता है और दिग-म्बर मान्यताके अनुरूप है। उन दोषोंमेंसे यहाँ ग्यारहके तो स्पष्ट नाम दिये हैं, शेष सात दोषों चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय, विपाद, स्वेद और खेदका 'च' शब्दमें समुच्चय अथवा संप्रह किया गया है। इन दोषोंकी भौजूदगी (उपस्थिति) में कोई भी मनुष्य परमार्थ आप्तके रूपमें ख्यातिको प्राप्त नहीं होता—विशेष ख्याति अथवा प्रकीर्तनके योग्य वही होता है जो इन दोषोंसे रहित होता है। सम्भवतः इसी दृष्टिको लेकर यहाँ ‘प्रकीर्ते’ पदका प्रयोग हुआ जान पड़ता है। अन्यथा इसके स्थान पर ‘प्रदोषमुक्’ पद ज्यादह अच्छा मालम् देता है।

खेदाम्बर-मान्यताके अनुसार अष्टादश दोषोंके नाम इस प्रकार हैं—

१ वीर्यान्तराय, २ भोत्तान्तराय, ३ उपभोगान्तराय, ४ दानान्तराय, ५ लाभान्तराय, ६ निद्रा, ७ भय, ८ अज्ञान, ९ जुगुप्सा, १० हास्य, ११ रति, १२ अरति, १३ राग, १४ द्वेष, १५ अविरति, १६ काम, १७ शोक, १८ मिथ्यात्म । ।

इनमें से कोई भी दोष ऐसा नहीं है जिसका दिग्न्दर समाज आप्तमें सद्भाव मानता हो । समान दोषोंको छोड़कर दोषका अभाव उसके दूसरे वर्गोंमें शामिल है; जैसे अन्तराय कम्के अभावमें पॉचों अन्तराय दोषोंका, ज्ञानावरण कर्मके अभावमें अज्ञान दोषका और दर्शनमोह तथा चारित्रमोहके अभावमें शेष मिथ्यात्म, शोक, काम, अविरति, रति, हास्य और जुंगुप्सा दोषों का अभाव शामिल है । श्वेताम्बर-मान्य दोषोंमें जुधा, टृष्णा तथा रोगादिक कितने ही दिग्न्दर-मान्य दोषोंका समावेश नहीं होता-श्वेताम्बर भाई आप्तमें उन दोषोंका सद्भाव मानते हैं और यह सब अन्तर उनके प्रायः सिद्धान्त-भेदोंपर अंतरालस्थित है । सम्भव है इस भेदहृष्टि तथा उत्सन्नदोष आप्तके विषयमें अपनी मान्यताको स्पष्ट करनेके लिए ही इस कारिकाका अवतार हुआ हो । इस कारिकाके सम्बन्धमें विशेषविचारके लिये ग्रन्थकी प्रस्तावना-को देखना चाहिए ।

आप्त-नामावली.

परमेष्ठी परंज्योतिर्विरागो विमलः कृती ।

सर्वज्ञोऽनादिमध्यान्तः सार्वः शास्त्रोपलाल्यते ॥ ७ ॥

‘ उक्त स्वरूपको लिये हुए जो आप्त है चह परमेष्ठी (परम पदमें स्थित) परंज्योति (परमात्मेशम-प्राप्त ज्ञानधारी), विराग (रागादि स्थायकमंरहित), विमल (ज्ञानावरणादि इव्यक्तमंवर्जित), कृती (हेयोप-

+ देखो, विवेकविलास और जैनतत्त्वादर्थ आदि श्वेताम्बर ग्रन्थ ।

देयतत्त्व-विवेक-सम्पन्न अथवा कृतकृत्य), सर्वज्ञ (यथावत् निखिलार्थ-साक्षात्कारी), अनादिमध्यान्त (आदि मध्य और अन्त से वून्य), सार्व (सर्वंके हितरूप), और शास्ता (यथार्थ तत्त्वापदेशक) इन नामोंसे उपलक्षित होता है। अर्थात् ये नाम उत्तस्वरूप आप्तके बोधक हैं।'

व्याख्या—आप्तदेवके गुणोंकी अपेक्षा बहुत नाम हैं—अनेक सहस्रनामों-द्वारा उनके हजारों नामोंका कीर्तन किया जाता है। यहाँ ग्रन्थकारमहोदयने अतिसंक्षेपसे अपनी रुचि तथा आवश्यकताके अनुसार आठ नामोंका उल्लेख किया है, जिनमें आप्त-के उक्त तीनों लक्षणात्मक गुणोंका समावेश है—किसी नाममें गुणकी कोई दृष्टिप्रधान है, किसीमें दूसरी और कोई संयुक्त-दृष्टिको लिये हुए हैं। जैसे ‘परमेष्ठी’ और ‘कृती’ ये संयुक्तदृष्टिको लिए हुए हैं, ‘परंज्योति’ और ‘सर्वज्ञ’ ये नाम सर्वज्ञत्व-की दृष्टिको प्रधान किये हुए हैं। इसी नरह ‘विराग’ और ‘विमल’ ये नाम उत्सन्नदोषकी दृष्टिको मुख्य किये हुए हैं। इस प्रकारकी नामभाला देनेकी प्राचीन कालमें कुछ पद्धति रही जान पड़ती है, जिसका एक उदाहरण ग्रन्थकारमहोदयसे पूर्ववर्ती आचार्य कुन्दकुन्दके ‘मोक्षपाहुड़’ में और दूसरा उच्चरवर्ती आचार्य पूज्यपाद (देवनन्दी) के ‘समाधितन्त्र’ में पाया जाता है। इन दोनों ग्रन्थोंमें परमात्माका स्वरूप देनेके अनन्तर उसकी नामभालाका उल्लेख किया गया है । टीकाकार प्रभाचन्द्रने ‘आप्तस्य वाचिकां नामभालां प्रस्तुपयन्नाह’ इस वाच्यके द्वारा इसे आप्तकी नामभाला तो लिखा है परन्तु साथ ही आप्तका एक

† उल्लेख क्रमशः इस प्रकार है:—

‘मलरहिमो कलचत्तो अणिदिमो केवलो विसुद्धप्या ।

परमेष्ठी परमजिणो सिवकरो सासओ सिद्धो ॥६॥’ (मोक्षपाहुड़)

‘निर्मलः केवलः शृद्धो विविक्तः प्रभुरब्ययः ।

परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः ॥६॥ (समाधितन्त्र)

विशेषण 'उक्तदोपैतिवर्जितस्य' भी दिया है, जिसका कारण पूर्वमें उत्सन्नदोपकी दृष्टिसे आप्तके लक्षणात्मक पद्मका होना कहा जा सकता है; अन्यथा यह नाममाला एक मात्र उत्सन्नदोप आप्तकी दृष्टिको लिये हुए नहीं कही जा सकती; जैसा कि ऊपर दृष्टिके कुछ स्पष्टीकरणसे जाना जाता है।

यहाँ 'अनादिमध्यान्तः' पदमें उसकी दृष्टिके स्पष्ट होनेकी जरूरत है। सिद्धसेनाचार्यने अपनी स्वयम्भूस्तुति नामकी द्वार्तिशिकामें भी आप्तके लिये इस विशेषणका प्रयोग किया है और अन्यत्र भी शुद्धात्मके लिये इसका प्रयोग पाया जाता है। उक्त टीकाकारने 'प्रवाहापेक्षया' आप्तको अनादिमध्यान्त बतलाया है; परन्तु प्रवाहकी अपेक्षासे तो और भी कितनी ही वस्तुएँ आदि मध्य तथा अन्तसे रहित हैं तब इस विशेषणसे आप्त कैसे उपलक्षित होता है यह भले प्रकार स्पष्ट किये जानेके योग्य है।

बीतराग होते हुए आप्त आगमेशी (हितोपदेशी) कैसे हो सकता है ? अथवा उसके हितोपदेशका क्या कोई आत्म-प्रयोजन होता है ? इसका स्पष्टीकरण—

अनात्मार्थ विना रागैः शास्ता शास्ति सतोहितम् ।

ध्वनन् शिल्पि-करं-स्पर्शान्मुरजः किमपेक्षते ॥ ८ ॥

"शास्ता-आप्त विना रागोंके—मोहके परिणामस्वरूप स्नेहादिके वशवर्ती हुए विना अथवा रूपाति-लाभ-पूजादिकी इच्छाओंके विना ही—और विना आत्मप्रयोजनके भव्यजीवोंको हितकी शिक्षा देता है।—इसमे ग्रापति या विप्रतिपत्तिकी कोई बात नहीं है, क्योंकि) शिल्पीके कृको पाकर शब्द करता हुआ मृदंगं क्या राग-भावोंकी तथा आत्मप्रयोजनकी कुछ अपेक्षा रखता है ? नहीं रखता ।'

व्याख्या—जिस प्रकार मृदंग शिल्पीके हाथके स्पर्शरूप बाह्य निमित्तको पाकर शब्द करता है और उस शब्दके करनेमें उसका

कोई रागभाव नहीं होता और न अपना कोई निजी प्रयोजन ही होता है—उसकी वह सब प्रवृत्ति स्वभावतसे परोपकारार्थ होती है—उसी प्रकार वीतराग आपके हितोपदेश एवं आगम-प्रणयनका रहस्य है—उससे वैसे किसी रागभाव या आत्मप्रयोजनकी आवश्यकता नहीं, वह 'तीर्थकप्रकृति' नामकर्मके उठनरूप निमित्तको पाकर तथा भव्यजीवोंके पुण्योदय एवं प्रश्नानुरोधके वश स्वतः प्रवृत्त होता है।

'आगे सम्यदर्शनके विषयभूत परमार्थ 'आगम' का लक्षण प्रतिपादन करते हैं—

आगम-शास्त्र-लक्षण

‘आप्तोपज्ञमनुल्लंघ्यमहष्टेष्ट-विरोधकम् ।

तत्त्वोपदेशकृत् सार्व शास्त्रं कापथ-घट्नम् ॥ ६ ॥

'जो आप्तोपज्ञ हो—आप्तके द्वारा प्रथमतः ज्ञात होकर उपदिष्ट हुआ हो, अनुल्लंघ्य हो—उल्लंघनीय अथवा खण्डनीय न होकर आहु हो, हष्ट (प्रत्यक्ष) और इष्ट (अनुमानादि-विषयक स्वसम्मत सिद्धान्त) का विरोधक न हो—प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जिसमें कोई बाधा न आती हो और न पूर्वापरका विरोध ही पाया जाता हो, तत्त्वोपदेशका कर्ता हो—वस्तुके यथार्थ स्वरूपका प्रतिपादक हो, सबके लिये हितरूप हो और कुमार्गका निराकरण करनेवाला हो, उसे शास्त्र—परमार्थ आगम—कहते हैं।

व्याख्या—यहाँ 'आगम-शास्त्रके छह विशेषणादि' ये गये हैं, जिनमें 'आप्तोपज्ञ' विशेषण सर्वोपरि मुख्य है और इस बातको सूचित करता है कि आगम आप्तपुरुषके द्वारा प्रथमतः ज्ञात होकर उपदिष्ट होनेवाला है। आप्तपुरुष सर्वज्ञ होनेदें आगम-विषयक पूर्ण प्रामाणिक ज्ञान रखता है और राग-द्वेषादि सम्पूर्ण दोषोंसे रहित होनेके कारण उसके द्वारा सत्यता एवं यथार्थताके विरुद्ध

कोई प्रणयन नहीं बन सकता। साथ ही प्रणयनकी शक्तिसे वह सम्पन्न होता है। इन्हीं सब बातोंको लेकर पूर्वकारिका (५) में उसे 'आगमेशी' कहा गया है—वही अर्थतः आगमके प्रणयन-का अधिकारी होता है। ऐसी स्थितिमें यह प्रथम विशेषण ही पर्याप्त हो सकता था और इसी हृष्टिको लेकर अन्यत्र 'आगमो ल्यासवचनम्' जैसे बाक्योंके द्वारा आगमके स्वरूपका निर्देश किया भी गया है; तब यहाँ पाँच विशेषण और साथमें क्यों जोड़े गए हैं? यह एक प्रश्न पैदा होता है। 'इसके उत्तरमें मैं इस समय केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोकमे अनेकोंने अपनेको स्वयं अथवा उनके भक्तोंने उन्हे 'आप्त' घोषित किया है और उनके आगमोंमे परस्पर विरोध पाया जाता है, जब कि सत्यार्थ आप्तों अथवा निर्दोष सर्वज्ञोंके आगमोंमे विरोधके लिये कोई स्थान नहीं है, वे अन्यथावादी नहीं होते। इसके सिवा, कितने ही शास्त्र बादको सत्यार्थ आप्तोंके नाम पर रचे गये हैं और कितने ही सत्य शास्त्रोंमें बादको ज्ञाताज्ञातभावसे मिलावटें भी हुई हैं। ऐसी हालतमें किस शास्त्र अथवा कथनको आप्तोपज्ञ समझा जाय और किसको नहीं, यह समस्या खड़ी होती है। उसी समस्याको हल करनेके लिए यहाँ उत्तरवर्ती पाँच विशेषणोंकी योजना हुई जान पड़ती है। वे आप्तोपज्ञकी जाँचके साधन हैं अथवा यों कहिए कि आप्तोपज्ञ-विषयको स्पष्ट करनेवाले हैं— यह बतलाते हैं कि आप्तोपज्ञ वही होता है जो इन विशेषणोंसे विशिष्ट होता है, जो शास्त्र इन विशेषणोंसे विशिष्ट नहीं हैं वे आप्तोपज्ञ अथवा आगम कहे जानेके योग्य नहीं हैं। उदाहरण-के लिये शास्त्रका कोई कथन यदि प्रत्यक्षादिके विरुद्ध जाता है तो समझा जाहिये कि वह आप्तोपज्ञ (निर्दोष एवं सर्वज्ञदेवके द्वारा उपदिष्ट) नहीं है और इसलिये आगमके रूपमें मान्य किये जाने के योग्य नहीं।

तपस्वि-लक्षण

विषयाशावशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः ।

ज्ञान-ध्यान-तपोरत्न(क)स्तपस्वी स प्रशस्यते ॥१०॥

‘जो विषयाशाकी अधीनतासे रहित है—इन्द्रियोंके विषयमें आसक्त नहीं और न आशा-तृष्णाके चक्षरमें ही पड़ा हुआ है अथवा विषयोकी वाँछा तकके वशवर्ती नहीं है—, निरारम्भ है—कृषि-वाणि-ज्यादिरूप सावद्वकर्मके व्यापारमें प्रवृत्त नहीं होता—, अपरिग्रही है— धन-धान्यादि वाहा परिग्रह नहीं रखता और न भिष्यादर्शन, राग-हेष, मोह तथा काम-ज्ञोवादि रूप अन्तरण परिग्रहसे अभिभूत ही होता है— और ज्ञानरत्न-ध्यानरत्न तथा तपरत्नका धारक है अथवा ज्ञान, ध्यान और तपसे लीन रहता है—सम्यक् ज्ञानका आराधन, प्रशस्त ध्यानका साधन और अनशनादि समीचीन तपोका अनुष्ठान बड़े अनुरागके साथ करता है—वह (परमार्थ) तपस्वी प्रशंसनीय होता है ।’

व्याख्या—यहाँ तपस्वीके ‘विषयाशावशातीत’ आदि जो चार विशेषण दिये गये हैं वे बड़े ही महत्वको लिये हुए हैं और उनसे सम्यग्दर्शनके विषयमूल परमार्थ तपस्वीकी वह सारी दृष्टि सामने आ जाती है जो उसे श्रद्धाका विषय बनाती है । इन विशेषणोंका क्रम भी महत्वपूर्ण है । सबसे पहले तपस्वीके लिये विषय-तृष्णा-की वशवर्तितासे रहित होना परमावश्यक है । जो इन्द्रिय-विषयों-की तृष्णाके जालमें फँसे रहते हैं वे निरारम्भी नहीं हो पाते, जो आरम्भोंसे मुख न मोड़कर उनमें सदा संलग्न रहते हैं वे अपरि-ग्रही नहीं बन पाते, और जो अपरिग्रही न बनकर सदा परिग्रहों की चिन्ता एवं भयतासे धिरे रहते हैं वे रत्न कहलाने योग्य उत्तम ज्ञान ध्यान एवं तपके स्वामी नहीं बन सकते अथवा उनकी साधनामें लीन नहीं हो सकते, और इस तरह वे सत्श्रद्धाके पात्र ही नहीं रहते—उन पर विश्वास करके धर्मका कोई भी अनुष्ठान

समीचीन-रीतिसे अथवा भले प्रकार नहीं किया जा सकता । इन गुणोंसे विहीन जो तपस्वी-साधु कहलाते हैं वे पत्थरकी उस नौकाके समान हैं जो आप छबती है और साथमे आश्रितोंकोभी ले छबती है ।

ध्यान यद्यपि अन्तरंग तपका ही एक भेद है, फिर भी उसे अलगसे जो यहां प्रहण किया गया है वह उसकी प्रधानताको बतलानेके लिये है । इसी तरह स्वाध्याय नामके अन्तरंग तपमे ज्ञानका समावेश हो जाता है, उसकी भी प्रधानताको बतलानेके लिये उसका अलगसे निर्देश किया गया है । इन दोनोंकी अच्छी साधनाके बिना कोई सत्साधु श्रमण या परमार्थतपस्वी बनता ही नहीं—सारी तपस्याका चरम लक्ष्य प्रशस्त ध्यान और ज्ञानकी साधना ही होता है ।

स्वामी समन्तभद्रने इस धर्मशास्त्रमें धर्मके अगम्भूत सम्य-गद्दानका लक्षण प्रतिपादन करते हुए उसे 'अष्टाग' विशेषणके द्वारा आठ अंगोंवाला बतलाया है । वे आठ अंग कौनसे हैं और उनका क्या स्वरूप है इसका स्वयं स्पष्टीकरण करते हुए स्वामीजी लिखते हैं:—

अष्टासयाऽङ्ग-लक्षण

इदमेवेद्धशं चैव तत्त्वं नान्यन्न चाऽन्यथा ।

इत्यकम्पाऽयसाम्भोवत्सन्मागेऽसंशया लचिः ॥११॥

'तत्त्व—यथावस्थित वस्तुस्वरूप—यही है और ऐसा ही है (जो और जैसा कि इष्ट तथा इष्टके विरोध-रहित परमागममें प्रतिपादित हुआ है), अन्य नहीं और न अन्य प्रकार है, इस प्रकारकी सन्मार्गमें—सम्यगदर्शनादिरूप समीचीन धर्ममें—जो लोहविनिर्मित खड्गादिकी आव (चमक) के समान अकम्पा लचि है—गडोल शब्दा है—उसे 'आसंशया'—निःशंकित—अंग कहते हैं ।'

व्याख्या—यहाँ 'तत्त्व' पद यद्यपि बिना किसी विशेषणके सामान्यरूपसे प्रयुक्त हुआ है परन्तु 'सन्मार्ग' पदके साथमें होने से उसका सम्बन्ध सम्यगदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌चारित्ररूप उस सन्मार्ग-विषयक तत्त्वसे है जिसमें प्रायः सारा ही प्रयोजन-भूत तत्त्वसमूह समाविष्ट हो जाता है, और इसलिये सम्यगदर्शनादिका, सम्यगदर्शनादिके विषयभूत आप्त-आगम-तपस्वियोंका तथा जीव-अजीवादि पदार्थोंका जो भी तत्त्व विवक्षित हो उस सबके विषयमें सन्देहादिकसे रहित अडोल श्रद्धाका होना ही यहाँ इस अंगका विषय है—उसमें अनिश्चय-जैसी कोई बात नहीं है। इसीसे 'तत्त्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं और न अन्य प्रकार है' ऐसी सुनिश्चय और अटल श्रद्धाकी घोतक बात इस अंगके स्वरूप-विषयमें यहाँ कही गई है।

इस पर किसीको यह आशंका करनेकी ज़रूरत नहीं है कि 'इस तरहसे तो 'ही' (एव) शब्दके प्रयोग-द्वारा 'भी' के आशय-की उपेक्षा करके जो कथन किया गया है उससे तत्त्वको सर्वथा एकान्तताकी प्राप्ति हो जावेगी और तत्त्व एकान्तात्मक न होकर अनेकान्तात्मक है, ऐसा स्वयं स्वामी समन्तभद्रने अपने दूसरे ग्रन्थों में 'एकान्तदृष्टिप्रति षेषि तत्त्वं', 'तत्त्वं त्वनेकान्तमसुष्ठुप्य' जैसे वाक्यों द्वारा प्रतिपादन किया है, तब उनके उस कथनके साथ इस कथनकी संगति कैसे बैठेगी ?' यह शंका निर्मूल है; क्योंकि अपने विषय-की विवक्षाको साथमें लेकर 'ही' शब्दका प्रयोग करनेसे सर्वथा एकान्तताका कोई प्रसंग नहीं आता। जैसे 'तीन इंची रेखा एक इंची रेखासे बड़ी ही है' इस वाक्यमें 'ही' शब्दका प्रयोग सुधारित है और उससे तीन इंची रेखा सर्वथा बड़ी नहीं हो जाती, क्योंकि वह अपने साथमें केवल एक इंची रेखाकी अपेक्षा को लिये हुए है। इसी प्रकार, जो भी तांत्रिक कथन अपनी विवक्षाको साथमें लिये हुए रहता है उसके साथ 'ही' शब्दका

प्रयोग उसके सुनिश्चयादिका घोतक होता है। उसी दृष्टिसे प्रन्थकारमहोदयने यहाँ 'इदं' तथा 'इदृशं' शब्दोंके साथ 'ही' अर्थके वाचक 'एव' शब्दका प्रयोग किया है, जो उनके दूसरे कथनोंके साथ किसी तरह भी असंगत नहीं है। उन्होंने तो अपने युक्त्यनुशासन प्रन्थमें 'अनुक्त्तुल्यं यदनेवकारं' जैसे वाक्योंके द्वारा यहाँ तक स्पष्ट घोषित किया है कि जिस पदके साथमें 'एव' (ही) नहीं वह अनुक्त्तुल्य है—न कहे हुएके समान है। इस एवकारके प्रयोग-अप्रयोग-विषयक विशेष रहस्यको जाननेके लिये युक्त्यनुशासन + प्रन्थको देखना चाहिये।

अनाकांक्षणाऽङ्ग-लक्षण

कर्म-परवशे साऽन्ते दुःखैरन्तरितोदये ।

पाप-बीजे सुखेऽनास्था अद्वाऽनाकांक्षणा स्मृता ॥१२॥

'जो कर्मकी पराधीनताको लिये हुए है—सातावेदनीयादि कर्मोंके उदयाधीन है—, अन्त सहित है—नाशवान है—, जिसका उदय दुःखोंसे अन्तरित है—अनेक प्रकारके शारीरिक तथा मानसिकादि दुःखोंकी बीच-बीचमें प्राप्तमूर्ति होते रहनेसे जिसके उदयमें बाधा पड़ती रहती है तथा वह एक रसरूप भी रहने नहीं पाता—और जो पापका बीज है—तृष्णाकी अभिवृद्धि-द्वारा सम्लेश-परिणामोका जनक होनेसे पापोत्पत्ति अथवा पापबन्धका कारण है—ऐसे (इन्द्रियादिविषयक सासारिक) सुखमें जो अनास्था-अनासक्ति और अश्रद्धा-अरुचि अथवा अनास्थारूप अद्वा—अरुचिपूर्वक उसका सेवन है—उसे 'अनाकांक्षणा'—निःकाक्षित—अंग कहा गया है।'

+ यह भहत्पूर्ण गम्भीर प्रन्थ, जिसका हिन्दीमें पहलेसे कोई अनुवाद नहीं हुआ था, वीरसेवामन्दिरसे हिन्दी अनुवादके साथ प्रकाशित हो गया है।

व्याख्या—यहाँ सांसारिक विषय-सुखके जो कर्मपरवशादि विशेषण दिये गये हैं वे उसकी निःसारताको व्यक्त करनेमें भले प्रकार समर्थ हैं। उन पर दृष्टि रखते हुए जब उस सुखका अनु-मव किया जाता है तो उसमें आस्था, आसक्ति, इच्छा, रुचि, श्रद्धा तथा लालसादिके लिये कोई स्थान नहीं रहता और सन्य-गृष्णिका सब कार्य विना किसी वाधा-आङ्गुलताको स्थान दिये सुचारू रूपसे चला जाता है। जो लोग विषय-सुखके वास्तविक स्वरूपको न समझकर उसमें आसक्त हुए सदा तृष्णावान् बने रहते हैं उन्हें दृष्टिविकारके शिकार समझना चाहिये। वे इस अंग के अधिकारी अथवा पात्र नहीं।

निर्विचिकित्सिताङ्ग-लक्षण

स्वभावतोऽशुचौ काये रत्नत्रय-पवित्रिते ।

निजुं गुप्ता गुण-प्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता ॥१३॥

‘स्वभावसे अशुचि और रत्नत्रयसे—सम्यग्दर्शन-सम्यज्ञान-सम्यक्चारित्ररूपधर्मसे—पवित्रित ‘कायमें—धार्मिकके शरीरमें—जो अम्लानि और गुणप्रीति है वह ‘निर्विचिकित्सित’ मानी गई है। अर्थात् देहके स्वभाविक अशुचित्वादि दोषके कारण जो रत्नत्रय-गुण-विशिष्ट देहीके प्रति निरादर भाव न होकर उसके गुणोंमें प्रीतिका भाव है उसे सम्यग्दर्शनका ‘निर्विचिकित्सित’ अंग कहते हैं।

व्याख्या—यहाँ दो बातें खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य उल्लिखित हुई हैं; एक तो यह कि, शरीर स्वभावसे ही अपवित्र है और इसलिये भानव-भानवके शरीरमें स्वाभाविक अपवित्रता-की दृष्टिसे परस्पर कोई भेद नहीं है—सबका शरीर हाड़-चाम-सूधिर-मांस-मञ्जादि धातु-उपधातुओंका बना हुआ और मल-मूत्रादि अपवित्र पदार्थोंसे भरा हुआ है। दूसरी यह कि स्वभावसे अपवित्र शरीर भी गुणोंके योगसे पवित्र हो जाता है और वे गुण

हैं सम्यगदर्शन, सम्यज्ञान, सम्यक्चारित्ररूप तीन रत्न। जो शरीर इन गुणोंसे पवित्र है—इन गुणोंका धारक आत्मा जिस शरीरमें वास करता है—उस शरीर व शरीरधारीको जो कोई शरीरकी स्वाभाविक अपवित्रता अथवा किसी जाति-वर्गकी विशेषताके कारण घृणाकी दृष्टिसे देखता है और गुणोंमें प्रीति-को मुला देता है वह दृष्टि-विकारसे युक्त है और इसलिये प्रकृत अंगका पात्र नहीं। इस अंगके धारकमें गुणप्रीतिके साथ अग्ना-निका होना स्वाभाविक है—वह किसी शारीरिक अपवित्रताको लेकर या जाति-वर्ग-विशेषके चक्करमें पड़कर किसी रलत्रयधारी अथवा सम्यगदर्शनादि-गुणविशिष्ट धर्मात्माकी अवज्ञामें कभी प्रवृत्त नहीं होता।

अमूढदृष्टि अगका लक्षण

कापथे पथि दुःखानां कापथस्थेऽप्यसम्मतिः ।

असमृद्धिरत्नुकीर्तिरमूढादृष्टिरूच्यते ॥१४॥

‘दुःखोंके मार्गस्वरूप कुमार्गमें—भवभ्रमणके हेतुभूत मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रमें—तथा कुमार्गस्थितमें—मिथ्यादर्शनादिके धारक तथा प्रस्तुपक कुदेवादिकोमें—जो असम्मति है—मनसे उन्हें कल्याणका साधन न मानना है—असमृद्धि है—काय की किसी चेष्टासे उनकी श्रेयःसाधन-जैसी प्रशस्ता न करना है—और अनुलीक्ति है—वचनसे उनकी आत्मकल्याण-साधनादिके रूपमें स्तुति न करना है—उसे ‘अमूढदृष्टि’ अंग कहते हैं।’

व्याख्या—यहां दुःखोंके उपायभूत जिस कुमार्गका उल्लेख है वह मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्ररूप है, जिसे ग्रन्थकी तीसरी कारिकामें ‘भवन्ति भव-पद्धतिः’ वाक्यके द्वारा संसार-दुःखोंका हेतुभूत वह कुमार्ग सूचित किया है जो सम्यगदर्शनादि-रूप सन्मार्गके विपरीत है। ऐसे कुमार्गकी मन-वचन-

कायसे प्रशंसादिक न करना एक बात तो यह अमूढ़दृष्टिके लिये आवश्यक है, दूसरी बात यह आवश्यक है कि वह कुमार्गमें स्थित-की भी मन-वचन-कायसे कोई प्रशंसादिक न करे और यह प्रशंसादिक, जिसका यहां निषेध किया गया है, उसके कुमार्गमें स्थित होनेकी दृष्टिसे है, अन्य दृष्टिसे उस व्यक्तिकी प्रशंसादिका यहां निषेध नहीं है। उदाहरणके लिये एक मनुष्य धार्मिक दृष्टि-से किसी ऐसे मतका अनुयायी है जिसे 'कुमार्ग' समझना चाहिये; परन्तु वह राज्यके रक्षामंत्री आदि किसी ऊंचे पद पर आसीन है और उसने उस पदका कार्य बड़ी योग्यता, तत्परता और ईमानदारीके साथ सम्पन्न करके प्रजाजनोंको अच्छी राहत (साता, शान्ति) पहुँचाई है, इस दृष्टिसे यदि कोई सम्यग्दृष्टि उसकी प्रशंसादिक करता या उसके प्रति आदर-सलकारके रूपमें प्रवृत्त होता है, तो उसमें सम्यग्दर्शनका यह अंग कोई बाधक नहीं है। बाधक तभी होता है जब कुमार्गस्थितिके रूपमें उसकी प्रशंसादिक की जाती है; क्योंकि कुमार्गस्थितिके रूपमें प्रशंसा करना प्रकारान्तरसे कुमार्गकी ही प्रशंसादिक करना है, जिसे करते हुए एक सम्यग्दृष्टि अमूढ़दृष्टि नहीं रह सकता।

उपगूहनाङ्ग-लक्षण

स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाऽशक्त-जनाऽश्रयाम् ।
वाच्यतां यत्प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम् ॥१५॥

'जो मार्ग—सम्यग्दर्शनादिरूपधर्म—स्वयं शुद्ध है—स्वभावतः निर्दोष है—उसकी बालजनोंके—हिताऽहितविवेकरहित अज्ञानी मूढ़-जनोंके—तथा अशक्तजनोंके—धर्मका ठीक तीरसे (यथाविधि) अनु-ष्ठान करनेकी सामर्थ्यं न रखनेवालोंके—आश्रयको पाकर जो निन्दा होती हो—उस निर्दोष मार्गमें जो असदोषोद्घावन किया जाता हो—उस निन्दा या असदोषोद्घावनका जो प्रमार्जन—दूरीकरण—है उसे 'उपगूहन' अंग कहते हैं।'

व्याख्या—इस अंगकी अंगभूत दो बातें यहाँ स्वास तौरसे लक्ष्यमें लेने योग्य हैं, एक तो यह कि जिस धर्ममार्गकी निन्दा होती हो वह स्वयं शुद्ध होना चाहिये—अशुद्ध नहीं। जो मार्ग वस्तुतः अशुद्ध एवं दोषपूर्ण है—किसी अज्ञानभावादिके कारण कल्पित किया गया है—उसकी निन्दाके परिमार्जनका यहाँ कोई सम्बन्ध नहीं है—मले ही उस मार्गका प्रकल्पक किसी धर्मका कोई बड़ा सन्त साधु या विद्वान् ही क्यों न हो। मार्गकी शुद्धता—निर्दोषताको देखना पहली बात है। दूसरी बात यह है कि वह निन्दा किसी अज्ञानी अथवा अशक्तजनका आश्रय पाकर घटित हुई हो। जो शुद्धमार्गका अनुयायी नहीं ऐसे धूर्तजनके द्वारा जान बूझकर घटित की जाने वाली निन्दाके परिमार्जनादिका यहाँ कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसे धूर्तोंकी कृतियोंका सन्मार्गकी निन्दा होनेके भयसे यदि गोपन किया जाता है अथवा उनपर किसी तरह पर्दा डाला जाता है तो उससे धूर्तताको प्रोत्साहन मिलता है, बहुतोंका अहित होता है और निन्दाकी ‘परम्परा चलती है। अतः ऐसे धूर्तोंकी धूर्तताका पर्दाकाश करके उन्हें दरिड़त कराना तथा सर्वसाधारणपर यह प्रकट कर देना’ कि ‘ये उक्त सन्मार्गके अनुयायी न होकर कपटबेषी हैं’ सम्यग्दर्शनके इस अंगमें कोई वाधा उत्पन्न नहीं करता, प्रत्युत इसके पेशेवर धूर्तोंसे सन्मार्गकी रक्षा करता है।

स्थितीकरणाङ्ग-लक्षण

दर्शनाच्चरणाद्वाऽपि चलतां धर्मवत्सलैः ।
प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितीकरणमुच्यते ॥१६॥

‘सम्यग्दर्शनसे अथवा सम्यक्चारित्रसे भी जो लोग चलाय-मान हो रहे हों—डिग रहे हो—उन्हें उस विषयमें दक्ष एवं धर्मसे प्रेम, रखनेवाले स्त्री-पुरुषोंके द्वारा जो फिरसे सम्यग्दर्शन-या

सम्यक्चारित्रमे (जैसी स्थिति हो) अवस्थापन करना है—उनकी न्यू अस्थिरता, चलचित्तता, स्वलना एव डावाडोल स्थितिको दूर करके उन्हें पहले-जैसी अथवा उससे भी सुहृद स्थितिमे लाना है—वह ‘स्थिती-करण’ अंग कहा जाता है ।

व्याख्या—यहां जिनके प्रत्यवस्थापन अथवा स्थितीकरणकी बात कही गई है वे सम्यगदर्शन या सम्यक्चारित्रसे चलायमान होनेवाले हैं । धर्मके मुख्य तीन अंगोमेसे दो से चलायमान होने वालोंको तो यहां प्रहण किया गया है किन्तु तीसरे अंग सम्यग्ज्ञानसे चलायमान होनेवालोंको प्रहण नहीं किया गया, यह क्यों ? इस प्रश्नका समाधान, जहां तक मैं समझता हूँ, इतना ही है कि सम्यगदर्शन और सम्यग्ज्ञान दोनोंका ऐसा जोड़ा है जो युगपत् उत्पन्न होते हुए भी परस्परमें कारण-कार्य-भावको लिये रहते हैं—सम्यगदर्शन कारण है तो सम्यग्ज्ञान कार्य हैं, और इसलिये जो सम्यगदर्शनसे चलायमान है—वह सम्यग्ज्ञानसे भी चलायमान है और ऐसी कोई व्यक्ति नहीं होती जो सम्यगदर्शनसे तो चलायमान न हो किन्तु सम्यग्ज्ञानसे चलायमान हो, इसीसे सम्यग्ज्ञानसे चलायमान होनेवालोंके पृथक् निर्देशकी यहां कोई जासूरत नहीं समझी गई । अथवा ‘अपि’ शब्दके द्वारा गौणरूप-से उनका भी प्रहण समझ लेना चाहिये ।

इनके सिवाय, जिनको इस अंगका स्वामी बतलाया गया है उनके लिये दो विशेषणोंका प्रयोग किया गया है—एक तो ‘धर्मवत्सल’ और दूसरा ‘प्राज्ञ’ । इन दोनोंमेसे यदि कोई गुण न हो तो स्थितीकरणका कार्य नहीं बनता; क्योंकि धर्मवत्सलनाके अभावमें तो किसी चलायमानके प्रत्यवस्थापनकी प्रेरणा ही नहीं होती और प्राज्ञता (दक्षता) के अभावमें प्रेरणाके होते हुए भी प्रत्यवस्थापनके कार्यमें सफल प्रवृत्ति नहीं बनती अथवा यों कहिये

कि सफलता ही नहीं मिलती। सफलताके लिये धर्मके उस अंगमें जिससे कोई चलायमान हो रहा हो स्वयं दक्ष होनेकी और साथ ही यह जाननेकी ज़रूरत है कि उसके चलायमान होनेका कारण क्या है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है।

वात्सल्याङ्ग-लक्षण

स्वयूध्यान्त्रिति सद्ग्राव-सनाथाऽपेतकैतवा ।

प्रतिपचिर्यथायोग्यं वात्सल्यमभिलम्प्यते ॥१७॥

‘स्वधर्मसमाजके सदस्यों—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्कृचारित्र-रूप आत्मीय-धर्मके मानने तथा पालनेवाले साधर्मजिनो—के प्रति सद्-भावसहित—मैत्री, प्रमोद, सेवा तथा परोपकारादिके उत्तम भावको लिये हुए—और कपटरहित जो यथायोग्य प्रतिपत्ति है—यथोचित आदर-सत्काररूप एव प्रेममय प्रवृत्ति है—उसे ‘वात्सल्य’ अंग कहते हैं।

व्याख्या—इस अंगकी सार्थकताके लिये साधर्मी जनोंके साथ जो आदर-सत्काररूप प्रवृत्ति की जाए उसमे तीन बातोंको खास तौरसे लक्ष्यमें रखनेकी ज़रूरत है, एक तो यह कि वह सद्ग्राव-पूर्वक हो—लौकिक लाभादिकी किसी दृष्टिको साथमें लिये हुए न होकर सच्चे धर्मप्रेमसे प्रेरित हो। दूसरी यह कि, उसमें कपट-मायाचार अथवा नुमाइश-दिखावट जैसी चीजेको कोई स्थान न हो। और तीसरी यह कि वह ‘यथायोग्य’ हो—जो जिन गुणों-का पात्र अथवा जिस पदके योग्य हो उसके अनुरूप ही वह आदर-सत्काररूप प्रवृत्ति होनी चाहिये; ऐसा न होना चाहिये कि धनादिकी किसी बाह्य-दृष्टिके कारण कर्म पात्र व्यक्ति तो अधिक आदर-सत्कारको और अधिक पात्र व्यक्ति कम आदर-सत्कारको प्राप्त होवे।

प्रभावनाङ्ग-लक्षण

अज्ञान-तिभिर-व्याप्तिमपाकृत्य यथायथम् ।

जिनशासन-माहात्म्य-प्रकाशः स्यात्प्रभावना ॥१८॥

‘अज्ञान-अन्धकारके प्रसारको (सातिशय ज्ञानके प्रकाश द्वारा) समुचितरूपसे दूर करके जिनशासनके माहात्म्यको—जैनमतके तत्त्व-ज्ञान और सदाचार एवं तपोविधानके महत्वको—जो प्रकाशित करना है—लोक-हृदयोपर उसके प्रभावका सिद्धा अंकित करना है—उसका नाम ‘प्रभावना’ अंग है । ’

व्याख्या—जिनशासन जिनेन्द्र-प्रणीत आगमको कहते हैं । उसका माहात्म्य उसके द्वारा प्रतिपादित अनेकान्तमूलक तत्त्वज्ञान और अहिंसामूलक सदाचार एवं कर्मनिर्मूलक तपोविधानमें सनिहित है । जिनशासनके उस माहात्म्यको प्रकटित करना—लोक-हृदयोंपर अंकित करना—ही यहाँ ‘प्रभावना’ कहा गया है । और वह प्रकटीकरण अज्ञानरूप अन्धकारके प्रसार (फैलाव) को समुचितरूपसे दूर करनेपर ही सुधारित हो सकता है, जिसको दूर करनेके लिये सातिशय ज्ञानका प्रकाश चाहिये । और इससे यह फलित होता है कि सातिशयज्ञानके प्रकाशद्वारा लोक-हृदयोंमें व्याप्त अज्ञान-अन्धकारको समुचितरूपसे दूर करके जिनशासनके माहात्म्यको जो हृदयाङ्कित करना है उसका नाम ‘प्रभावना’ है । और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कोरी धन-सम्पत्ति अथवा बल-पराक्रमकी तुमाइशका नाम ‘प्रभावना’ नहीं है और न विमूतिके साथ लम्बे-लम्बे जल्दसोंके निकालनेका नाम ही प्रभावना है, जो वस्तुतः प्रभावनाके लक्ष्यको साथमें लिये हुए न हों । हाँ, अज्ञान-अन्धकारको दूर करनेका पूरा आयोजन यदि साथमें होतो वे जल्दस उसमें सहायक हो सकते हैं । साथ ही, यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रभावनाका कार्य किसी जोर-जबर्दस्ती अथवा अनुचित

द्वावसे सम्बन्ध नहीं रखता—उसका आधार सुसुक्षिवाद और प्रेमभय-व्यवहार-द्वारा शलतफहमीको दूर करना है।

अगोमें प्रसिद्ध व्यक्तियोके नाम

‘तावदंजनचौरोऽङ्गे ततोऽनन्तमती स्मृता ।

उद्यायनस्तृतीयेऽपि तुरीये रेवती मता ॥ १६ ॥

ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो वारिषेणस्ततः परः ।

विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्ष्यां गताः ॥२०॥

‘सम्यग्दर्शनके उक्त आठ अङ्गोंमेंसे प्रथम अंगमें अंजन चोर, द्वितीयमें अनन्तमती, तृतीयमें उद्यायन, चतुर्थमें रेवती, पंचममें जिनेन्द्रभक्त, छठेमें वारिषेण, सप्तममें विष्णु और अष्टम अंगमें वज्रनामके व्यक्ति प्रसिद्धिको प्राप्त हुए हैं।

व्याख्या—इन व्यक्तियोंकी कथाएँ सुप्रसिद्ध हैं और अनेक ग्रन्थोंमें पाई जाती हूँ। अतः उन्हें यहाँ उदाहृत नहीं किया गया है।

अगहीन दर्शनकी असमर्थता

यदि सम्यग्दर्शन इन अङ्गोंसे हीन है तो वह कितना निःसार एवं अभीष्ट फलको प्राप्त करनेमें असमर्थ है उसे व्यक्त करते हुए स्वामीजी लिखते हैं:-

नाऽङ्गहीनमलं छेतुः दर्शनं जन्म-सन्ततिभ् ।

न हि मन्त्रोऽक्षर-न्यूनो निहन्ति विपवेदनाम् ॥२१॥

‘अंगहीन सम्यग्दर्शन जन्म-संततिको—जन्म-मरणकी परम्परालूप भेव(ससार)-प्रबन्धको—छेदनेके लिये समर्थ नहीं है; जैसे

*-इन दो पद्योंकी स्थिति आमदिके सम्बन्धमें विशेष विचार-एवं ऊह-पौह, ग्रन्थकी प्रस्तावनामें किया गया है, उसे वहाँसे जानना चाहिये।

† ‘पर’ इति-पाठान्तरम् ।

अचरन्यून—कमती अक्षरोवाला—मंत्र विषकी वेदनाको नष्ट करने-में समर्थ नहीं होता है ।'

व्याख्या—जिस प्रकार सर्पसे डसे हुए मनुष्यके सर्वांगमें क्याम विषकी वेदनाको दूर करनेके लिये पूर्णाक्षर मंत्रके प्रयोगकी जरूरत है—न्यूनाक्षर मंत्रसे काम नहीं चलता, उसी प्रकार संसार-बंधनसे छुटकारा पानेके लिये प्रयुक्त हुआ जो सम्बन्धित वह अपने आठों अर्गोंसे पूर्ण होना चाहिये—एक भी अंगके कम होनेसे सम्बन्धित विकलांगी होगा और उससे यथेष्ट काम नहीं चलेगा—वह भववन्धनसे अथवा सांसारिक दुःखोंसे मुक्तिकी ग्रामिका समुचित साधन नहीं हो सकेगा ।

सम्बन्धित लक्षणमें उसे तीन मूढ़ता-रहित वरलाया था,— वे तीन मूढ़ता क्या हैं और उनका स्वरूप क्या है, इसका स्पष्टी-करण करते हुए स्वामीजी स्वयं लिखते हैं:—

लोकमूढ़-लक्षण

आपगा-सागर-स्नानमुच्यः सिकताऽशमनाम् ।

गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते ॥२२॥

(लौकिक जनोंके मूढ़तापूर्ण दृष्टिकोणका गतानुगतिक रूपसे अनु-सरण करते हुए, श्रेयः साधनके अभियाससे अथवा धर्मबुद्धि से) जो नदी-सागरका स्नान है, बालूरेत तथा पत्थरोंका स्तूपकार ऊँचा ढेर लगाना है, पर्वतपरसे गिरना है, अग्निमें पड़ना अथवा प्रवेश करना है, और ‘‘च’’ शब्दसे इसी प्रकारका और भी जो कोई काम है वह सब ‘‘लोकमूढ़’’ कहा जाता है ।’

व्याख्या—यहाँ प्रधानतासे लोकमूढ़ताके कुछ प्रकारोंका निर्देश किया गया है और उस निर्देशके द्वारा ही समूचे लोकमूढ़तत्वको समझनेकी ओर संकेत है । नदी-सागरके स्नानादि कार्य लोकमें जिस श्रेयःसाधन या पापोंके नाशकी दृष्टि अथवा धर्मप्राप्तिकी

बुद्धिसे किये जाते हैं वह दृष्टि तथा बुद्धि ही उन्हें लोकमूढतामें परिगणित कराती है; क्योंकि वस्तुतः उन कार्योंसे उस लक्ष्यकी सिद्धि नहीं बनती। इसीसे उन लोगोंका दृष्टिकोण कोरी गतानु-गतिकताको लिये हुए मूढतापूर्ण (विवेकशून्य) होता है और उनके उन कार्योंको लोकमूढतामें परिगणित कराता है। अन्यथा, साधा-रण स्नानकी या स्वास्थ्यकी दृष्टिसे यदि कोई नदी-सागरादिकमें स्नान करता है, खेलकी दृष्टिसे अथवा अपने मालको सुरक्षित रखनेकी दृष्टिसे रेत तथा पत्थरोंका ऊँचा ढेर लगाता है और अनुसंधानकी दृष्टिसे ज्वलामुखी पर्वतकी अग्निमें पड़ता है अथवा चहुं और जलते हुए मकानमेंसे किसी बालकादिको निकालनेके लिये स्वयं अग्निमें प्रवेश करता है और अग्निसे भुलस जाता या जल जाता है तो उसका वह 'कार्य-लोकमूढतामें परिगणित नहीं होगा। इसी तरह दूसरे भी लोकमूढताके कार्योंको समझना चाहिये ॥ ।

देवता-मूढ-लक्षण

वरोपलिप्सयाऽशावान् राग-द्वेषमलीमसाः ।
देवता यदुपासीत देवतामूढमुच्यते ॥ २३ ॥

‘आशा-नृष्णाके वशीभृत होकर वरकी इच्छासे—वाञ्छित फल प्राप्तिकी अभिलापासे—राग-द्वेषसे मालिन—काम-कोष-मद-भोह तथा भयादि-दोषोंसे दूषित—देवताओंकी—परमार्थतः देवताभासीकी—जो (देवबुद्धिसे) उपासना करना है उसे ‘देवतामूढ’ कहते हैं ।’

* जिनका कुछ उल्लेख निम्न पदोंमें पाया जाता है:—

सूर्यधीं ग्रहण-स्नान सक्राती द्रविण-व्ययः ।

सध्यासेवाऽग्निसत्कारो देह-गेहार्जना-विधि ॥ १ ॥

गोपृष्ठान्त-नमस्कारस्तन्मूत्रस्य निषेवण ।

रत्न-वाहन-मू-वृक्ष-सास्त्र-वौलादि-सेवनम् ॥ २ ॥

व्याख्या—यहाँ देवताका जां विशेषणं रागद्वेषमलांमसाः दिया है उसमें रागद्वेषके साथ उपलक्षणसे काम-क्रोध-मान-माया-लोभ-मोह तथा भयादिरूप सारे दोष शामिल हैं। और इन दोषोंसे दूषित-मलिनात्मा व्यक्ति वस्तुतः देवता नहीं होते—देवता तो वे ही होते हैं जिनका आत्मा इन राग-द्वेष मोह तथा काम क्रोधादि मलोंसे मलिन न होकर अपने शुद्धस्वरूपमें स्थित होता है और ऐसे देवता प्रायः वे ही होते हैं जिन्हें इस प्रन्थमें आपरूपसे उल्लेखित किया है। चूंकि उन अदेवताओं या देवताभासोंको देवता समझकर उनकी देवताके समान उपासना की जाती है इसी से उस उपासनाको देवतामूढ़में परिणायित किया गया है और इसलिये जो लोग देव कहे जाने वाले ऐसे रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी तथा भयादिसे भीड़ित व्यक्तियोंकी देव-बुद्धिसे उपासना करते हैं वे सन्ध्यगद्विष्ट नहीं हो सकते।

पाषण्डमूढ-लक्षण

सग्रन्थाऽरम्भ-हिंसानां संसाराऽवर्त-वर्तिनाम् ।

पाषण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्ड-मोहनम् ॥२४॥

‘जो सग्रन्थ हैं—धन-धान्यादि परिग्रहसे युक्त हैं—आरम्भ-सहित हैं—छापि-वाणिज्यादि सावध कर्म करते हैं—हिंसामें रत ससारके आवर्तनमें प्रवृत्त हो रहे हैं—भवध्रमणमें कारणीभूत विवाहादि कर्मोंद्वारा दुनियाके चक्कर अथवा गोरखघन्वेमें फैसे हुए हैं—ऐसे पाषण्डियोंका—वस्तुतः पापके खण्डनमें प्रवृत्त न होनेवाले लिंगी साधुओंका—जो (पाषण्ड-साधुके रूपमें अथवा सुणुर-बुद्धिसे) आदर-सत्कार है उसे ‘पाषण्डमूढ’ समझना चाहिये।’

व्याख्या—यहाँ ‘पाषण्डन’ शब्द अपने उस पुरातन मूल-अर्थमें प्रयुक्त हुआ है जो पाप-खण्डनकी दृष्टिकोणी लिये रहता है और ‘पापं खण्डयतीति पाषण्डी’ इस लिङ्किका वाच्य ‘सत्साधु’

होता है और जिस अर्थमें वह कुन्दकुन्दाचार्यके समयसार (गाथा नं० ४०८ आदि) † में तथा दूसरे अति प्राचीन साहित्यमें भी प्रयुक्त हुआ है। 'पाषण्डिन' पदके जो दो विशेषण 'समन्थारम्भ-हिसाना' और 'संसारवर्तवतिना' दिये गये हैं और इन विशेषणोंसे विशिष्ट होकर पाषण्डी कहे जाने वाले व्यक्तियों-साधुओंके आदर-सत्कारको जो पापण्डि-मूढ़ (मोहन) कहा गया है उस सबके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि इन परिग्रहारम्भादि-विशेषणोंसे विशिष्ट जो साधु होते हैं वे वस्तुत 'पालण्डी' (पाप-खण्डनकी साधना करने वाले) नहीं होते—वे तो अपनी इन परिग्रहादिकी प्रवृत्तियों-द्वारा उल्टा पापोका संचय करनेवाले होते हैं—, सच्चे पाषण्डी इन दोनों ही विशेषणोंमें रहित होते हैं और वे प्रायः वे ही होते हैं जिन्हे इस अन्यमें 'विषयाशावशतीतो-निरारम्भोऽपरिग्रहः' इत्यादि 'परमार्थतपस्वी' के लक्षण-द्वारा संसूचित किया गया है। ऐसी हालतमें जो परिग्रहादिके पंक्तेसे लिप्त है वे पाषण्डी न होकर अपाषण्डी अथवा पापण्डभास्त हैं और इसलिये उन्हें पापण्डी मानकर पापण्डीके सदृश जो उनका आदर-सत्कार किया जाता है वह पापण्डमूढ़ है—पापण्डीके स्वरूप-विषयक अज्ञताका सूचक, एक प्रकारका दर्शनमोहन है। ऐसे दर्शन-मोहसे जो युक्त होता है वह सम्यग्दृष्टि नहीं हो सकता।

यहाँ पर मैं इतना और भी ग्रगट कर देना चाहता हूँ कि आजकल 'पापण्डिन' शब्द प्रायः धूर्त तथा दम्भी-कपटी जैसे विकृत अर्थमें व्यवहृत होता है और उसके अर्थकी यह विकृता-वस्था दर्शों शताब्दी पहलेसे चली आरही है। यदि 'पापण्डिन' शब्द के प्रयोगको यहाँ धूर्त, दम्भी, कपटी अथवा भूठे (मिथ्या-दृष्टि) साधु जैसे अर्थमें लिया जाय जैसाकि कुछ अनुयादकोने अमवश आधुनिक दृष्टिसे लेलिया है तो अर्थका अन्त हो जाय

[†] पाषण्डी-लिंगारिण व गिर्हिंलिंगारिण व बहुप्यारारिण ।

और 'पाषण्डमोहनं' पदमें पढ़ा हुआ पाषण्डन् शब्द अनर्थक और असम्यद्ध ठहरे; क्योंकि तब उस पदका यह अर्थ हो जाता है कि—धूतोंके विषयमें मूढ़ होना अर्थात् जो धूर्त नहीं हैं उन्हें धूर्त समझना और वैसा समझकर उनके साथ आदर-सत्कारका व्यवहार करना। और यह अर्थ किसी तरह भी संगत नहीं कहा जा सकता।

धर्मके अंगभूत सम्यगदर्शनका लक्षण प्रतिपादन करते हुए उसे स्मयसे रहित बतलाया है। वह 'स्मय' क्या वस्तु है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए स्वामीजी त्वयं लिखते हैं—

स्मय-लक्षण और मद-दोष

ज्ञानं पूजां कुलं जातिं वलमृद्धिं तपो वपुः ।
अष्टावाश्रित्य मानित्वं स्मयमाहुर्गतस्मयाः ॥२५॥

'ज्ञान—विद्या-कला, पूजा—आदर-सत्कार-प्रतिष्ठा-यशः-कीर्ति, कुल—पितृकुल—गुरुकुलादिक, जाति—ज्ञाहण-क्षत्रियादिक, वल—वक्ति-सामर्थ्य मथवा जन-धन-बचन-काय-मन्त्र-सेनावलादिक, ऋद्धि—अरिणीमादिक ऋद्धि अथवा लौकिक विभूति और पुत्र-पौत्रादिक-सम्पत्ति, तप—ग्रनथनादिरूप-तपष्चर्या तथा योग-साधना, और वपु—शोभना-कृति तथा सौंदर्यादि-गुण-विशिष्ट शरीर, इन आठोंको आश्रित करके—इनमेंसे किसीका भी आश्रय-आधार लेकर—जो मान (गर्व) करना है उमे गतस्मय आपपुरुष 'स्मय' अर्थात् मद कहते हैं।

व्याख्या—ज्ञानादि स्य आश्रयके भेदसे मदके ज्ञानमद, पूजामद, कुलमद, जातिमद, वलमद, ऋद्धिमद, तपमद और शरीरमद ऐसे आठ भेद होते हैं—मदके स्थूलरूपसे यह आठ प्रकार हैं। सूक्ष्मरूपसे अथवा विस्तारकी दृष्टिसे यदि देखा जाय तो इनमेंसे प्रत्येकके विषय-भेदको लेकर अनेकानेक भेद बैठते हैं; जैसे ज्ञानके विषय सिद्धान्त, न्याय, व्याकरण, छन्द, अलंकार,

गणित, निमित्त, वैद्यक, ज्योतिष, मंत्र-तंत्र, भू-नार्म, शिल्प-कला, व्योमविद्या और पदार्थ-विज्ञान आदि अनेक हैं, उनमें से किसी भी विषयको लेकर गर्व करना वह उस विषयके ज्ञानका मद् है। बलमें मनोबल, वचनबल, कायबल, धनबल, जनबल, सेनाबल, अस्त्र-शस्त्रबल, मित्रबल आदि अनेक बल शामिल हैं और उतने ही प्रकारके बलमद् हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति ऋद्धि आदि दूसरे मदोंकी है—उनके सैकड़ों भेद हैं। मद्-मान-आहंकार आत्मा के पतनका कारण है और इसलिये उसकी संगति सम्यग्दर्शनके साथ नहीं बैठती, जो कि आत्माके उत्थान एवं विकासका कारण है।

इस मदकी मदिराका पानकर मनुष्य कभी-कभी इतना उन्मत्त (पागल) और विवेकशून्य हो जाता है कि उसे आत्मा तथा आत्म-धर्मकी कोई सुधि ही नहीं रहती और वह अपनेसे हीन कुल-जाति अथवा ज्ञानादिकमें न्यून धार्मिक व्यक्तियोंका तिरस्कार तक कर बैठता है। यह एक बड़ा भोरी दोष है। इस दोष और उसके भयंकर परिणामको सुझाते हुए स्वामीजीने जो व्ववस्था दी है वह इस प्रकार है—

स्मयेन योऽन्यानत्येति धर्मस्थान् गर्विताशयः ।

सोऽत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकर्विना ॥२६॥

‘जो गर्वितचित्त हुआ धमर्डमें आकर—कुल-जाति आदि विषयक किसी भी प्रकारके मदके वशीभूत होकर—सम्यग्दर्शनादिरूप धर्ममें स्थित अन्य धार्मिकोंको तिरस्कृत करता है—उनकी अवज्ञा-अवहेलना करता है—वह (वस्तुतः) आत्मीय धर्मको—सम्यग्दर्शनादि-रूप अपने आत्म-धर्मको—ही तिरस्कृत करता है, उसकी अवज्ञा अवहेलना करता है; क्योंकि धार्मिकोंके बिना धर्मका आस्तित्व कहीं भी नहीं पाया जाता—गुणीके अभावमें गुणका पृथक् कोई सङ्काव ही

गही; और इसलिये जो गुणी धर्मत्माकी अवज्ञा करता है वह अपने ही गुण-धर्मकी अवज्ञा करता है, यह सुनिश्चित है।'

व्याख्या—जो आहंकारके वशमें अन्धा होकर दूसरे धर्मनिष्ठ व्यक्तियोंको अपसेसे कुल, जाति आदिमें हीन समझता हुआ उनका तिरस्कार करता है—उनकी उस कुल, जाति, गरीबी, कमजोरी या संस्कृति आदिकी वातको लेकर उनकी अवज्ञा-अवमानना करता है अथवा उनके किसी धर्माधिकारमें वाधा ढालता है—वह भूलसे अपने ही धर्मका तिरस्कार कर वैठता है। फलतः उसके धर्मकी स्थिति विगड़ जाती है और भविष्यमें उसके लिये उस धर्मकी पुनः प्राप्ति अति दुर्लभ हो जाती है। यही इस मदपरिणामिका सबसे बड़ा दोष है और इसलिये सन्ध-गृष्टिको आत्मपतनके हेतुभूत इस दोषसे सदा दूर रहना चाहिये।

मद-दोष-परिहार

उक्त मद-दोष किस प्रकारके विचारों-द्वारा दूर किया जा सकता है, इस विषयका तीन कारिकाओंमें दिशा-बोध कराते हुए स्वामीजी लिखते हैं—

यदि पाप-निरोधोऽन्यसन्यदा किं प्रयोजनम् ।

अथ पापात्मवोऽस्त्यन्यसन्यदा किं प्रयोजनम् ॥२७॥

‘यदि (किसीके पास) पापनिरोध है—पापके आक्षवको रोकने वाली सम्यग्दर्शनादि-रत्नत्रयधर्मरूप निषि मौजूद है—तो फिर अन्य सम्पत्तिसे—सम्यग्दर्शनादिसे भिन्न दूसरी कुल-जाति-ऐश्वर्यादिकी सम्पत्तिसे—क्या प्रयोजन है?—उससे आत्माका कौनसा प्रयोजन सध सकता है? कोई भी नहीं। और यदि पासमें पापात्मव है—मिथ्यादर्शनादिरूप अधर्ममें प्रवृत्तिके कारण आत्मामें सदा पापका आक्षव बना हुआ है—तो फिर अन्य सम्पत्तिसे—मात्र कुल-जाति-ऐश्वर्यादि-की उक्त सम्पत्तिसे—क्या प्रयोजन है? वह आत्माका क्या कार्य सिद्ध कर सकती है? कुछ भी नहीं।’

व्याख्या—धर्मात्मा वही होता है जिसके पापका निरोध है—पापास्त्रव नहीं होता। विपरीत इसके जो पापास्त्रवसे युक्त है उसे पापी अथवा अधर्मात्मा समझना चाहिए। जिसके पास पापके निरोधरूप धर्मसम्पत्ति अथवा पुण्यविभूति मौजूद है उसके लिये कुल-जाति-ऐश्वर्यादिकी सम्पत्ति कोई चीज़ नहीं—अप्रयोजनीय है। उसके अन्तरगमे उससे भी अधिक तथा विशिष्टतर सम्पत्ति का सद्भाव है जो कालान्तरमें प्रकट होगी, और इसलिये वह तिरस्कारका पात्र नहीं। इसी तरह जिसकी आत्मामें पापास्त्रव बना हुआ है उसके कुल-जाति-ऐश्वर्यादिकी सम्पत्ति किसी काम की नहीं। वह उस पापास्त्रवके कारण शीघ्र नष्ट हो जायगी और उसके दुर्गति-नामनादिको रोक नहीं सकेगी। ऐसी सम्पत्तिको पाकर मद करना मूर्खता है। जो लोग इस सम्पूर्ण तत्त्व(रहस्य) को समझते हैं वे कुल, जाति तथा ऐश्वर्यादिसे हीन धर्मात्माओं का—सम्यग्दर्शनादिके धारकोंका—कदापि तिरस्कार नहीं करते।

सम्यग्दर्शन-सम्पन्नमपि मातंगदेहजम् ।

देवा देवं विदुर्भस्मगूढाऽङ्गाराऽन्तरौजसम् ॥२८॥

‘जो मनुष्य सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न है—सम्यक् अद्वानरूप धर्म-सम्पत्तिसे युक्त है—वह चाण्डालका पुत्र होने पर भी—कुलादि सम्पत्तिसे अत्यन्त गिरा हुआ समझा जाने पर भी—देव है—आराध्य है और इसलिये तिरस्कारका पात्र नहीं, ऐसा आसदेव अथवा गण-धरादिक देव कहते हैं। उसकी दशा उस अंगारेके सदृश होती है जो बाह्यमें भस्मसे आच्छादित होनेपर भी अन्तरगमें तेज तथा प्रकाशको लिये हुए है, और इसलिये कदापि उपेक्षणीय नहीं होता।

व्याख्या—यहाँ ‘मातंगदेहजम्’ पद बड़े महत्वका है और उससे यह बात स्पष्ट जानी जाती है कि मनुष्योंमें चाण्डालका

काम करने वाला चाण्डाल ही नहीं बल्कि वह चाण्डाल भी सम्यग्दर्शनादि धर्मका पात्र है और उस धर्म-सम्पत्तिसे युक्त होने पर 'देव' कहलाये जानेके योग्य है जो चाण्डालके देहसे उत्पन्न हुआ है अर्थात् जन्म या जातिसे चाण्डाल है।

श्वाऽपि देवोऽपि देवः श्वा जायते धर्म-किञ्चिष्ठात् ।

काऽपि नाम भवेदन्या सम्पद्मच्छरीरिणाम् ॥२६॥

'(मनुष्य तो मनुष्य) एक कुत्ता भी धर्मके प्रतापसे—सम्यग्दर्शनादिके माहात्म्यसे—स्वगार्दिमें जाकर देव बन जाता है, और पापके प्रभावसे—मिथ्यादर्शनादिके कारण—एक देव भी कुत्तेका जन्म प्रहण करता है। धर्मके प्रसादसे तो देवधारियोंको दूसरी अनिर्वचनीय सम्पत्त-तक्की प्राप्ति हो सकती है। (ऐसी हालतमें कुल, जाति तथा ऐश्वर्यादि-से हीन धर्मात्मा लोग कदापि तिरस्कारके योग्य नहीं होते।)'

व्याख्या—यहाँ धर्म और धर्मके फलका अधिकारी मनुष्य या देव ही नहीं बल्कि कुत्ता-जैसा तिर्यंचप्राणी भी होता है, यह स्पष्ट बतलाकर फलतः इस बातकी धोषणा की गई है कि ऐसी हालतमें कुल, जाति तथा ऐश्वर्यादिसे हीन धर्मात्मा लोग कदापि तिरस्कारके योग्य नहीं होते।

'इन सब वार्ताओंको लक्ष्यमें रखते हुए स्वामीजी सम्यग्घटिके विशेष कर्तव्यका निर्देश करते हुए लिखते हैं :—

सम्यग्घटिका विशेष कर्तव्य

भयाऽशा-स्नेह-लोभाच्च कुदेवाऽगम-लिङ्गिनाम् ।

ग्रणामं विनयं चैव न कुर्यात् शुद्धदृष्टयः ॥२०॥

'शुद्ध सम्यग्घटियोंको चाहिये कि वे (शदा श्रद्धा श्रद्धाघृतसे ही नहीं किन्तु) भयसे—लौकिक अनिष्टकी सम्भावनाको लेकर उससे बचने-के लिये—आशासे—भविष्यकी किसी इच्छापूर्तिको व्यानमे रखकर—स्नेहसे—लौकिक प्रेमके बश होकर—तथा लोभसे—घनादिकका कोई

लौकिक लाभ स्पष्ट सघता हुआ देखकर—भी कुदेव-कुआगम-कुर्लिंग-योंको—उन्हें कुदेव-कुआगम-कुर्लिंगी मानते हुए भी—प्रणाम (शिरो-नति) तथा विनयादिके—गम्यत्थान हस्तांजलि आदिके—रूपमें आदर-सत्कार-न करें ।'

व्याख्या—कुदेवादिकोंको प्रणामादिक करनेसे अपने निर्मल सम्यगदर्शनमें मलिनता आती है और दूसरोंके सम्यगदर्शनको भी ठेस पहुँचती है तथा जो धर्मसे चलायमान हों उनका स्थितिकरण भी नहीं हो पाता । ऐसा करनेवालोंका अमूढ़दृष्टि तथा निर्मद होना उनकी ऐसी प्रवृत्तिको समुचित सिद्ध करनेके लिये कोई गारण्टी (प्रमाणपत्र) नहीं हो सकता । इन्हीं सब बातोंको लक्ष्यमे रखकर तथा सम्यगदर्शनमें लगे हुए चल-मल और अगाढ़ दोषों-को दूर करनेकी दृष्टिसे यहाँ उन देवों, आगमों तथा साधुओंके प्रणाम विनयादिकका निषेध किया गया है जो कुर्धमका भंडा डठाए हुए हों । उनके उपासक जनसाधारणका—जैसे माता-पिता-राजादिकका—, जोकि न देव है और ने लिंगी, यहाँ प्रहण नहीं है । और इसलिए लौकिक अथवा लोकव्यवहारकी दृष्टिसे उनको प्रणाम-विनयादिक करनेमें दर्शनकी म्लानताका कोई सम्बन्ध नहीं है । इसी प्रकार भयादिककी दृष्टि न रखकर लोकानुवर्ति-विनय अथवा शिष्टाचारपालनके अनुरूप जो विनयादिक क्रिया की जाती है उससे भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

मोक्षमार्गमें सम्यगदर्शनका स्थान
दर्शनं ज्ञान-चारित्रात्साधिमानमुपाश्नुते ।
दर्शनं कर्मधारं तन्मोक्षमार्गं प्रचक्षते ॥३१॥

‘सम्यज्ञान और सम्यक्चारित्रकी अपेक्षा सम्यगदर्शन उत्कृष्टता (श्रेष्ठता) को प्राप्त है इसलिए (सन्ताजन) मोक्षमार्गमें—

मोक्षकी प्राप्तिके उपायस्वरूप सम्यगदशंन, सम्यगज्ञान, सम्यक्चारित्र इन तीनोमें—सम्यगदर्शनको कर्णधार—खेदटिया—कहते हैं^{३१} ।

व्याख्या—समुद्रमें पड़ी हुई नाथको खे कर उसपार लेजानेमें खेदटियाको जो पद प्राप्त है वही पद संसार-समुद्रमें पड़ी हुई जीवन-नैद्यत्याको खे कर मोक्षतट पर पहुँचानेमें सम्यगदर्शनको प्राप्त है ।

सम्यगदर्शनकी उल्लङ्घता

सम्यगदर्शनको उसकी जिस उल्लङ्घताके कारण ‘कर्णधार’ कहा गया है उसका स्पष्टीकरण करते हुए आचार्यमहोदय लिखते हैं—

विद्या-वृत्तस्य संभूति-स्थिति-वृद्धि-फलोदयाः ।

न सन्त्यसति सम्यक्त्वे वीजाऽभावे तरोरिव ॥३२॥

‘जिस प्रकार वीजके अभावमें—वीजके बिना—वृक्षकी उत्पत्ति वृद्धि और फलसम्पत्ति नहीं बन सकती उसी प्रकार सम्यक्त्वके अभावमें—सम्यगदर्शनके बिना—सम्यगज्ञान और सम्यक्चारित्रकी उत्पत्ति, स्थिति—स्वरूपमें अवस्थान—, वृद्धि—उत्तरोत्तर उल्कषंलाभ—और यथार्थ-फलसम्पत्ति—मोक्षफलकी प्राप्ति—नहीं हो सकती ।’

व्याख्या—यहाँ ‘सम्यक्त्व’ शब्दके द्वारा गृहीत जो सम्यगदर्शन वह मूलकारण अथवा उपादानकारणके रूपमें प्रतिपादित है । उसके होनेपर ही ज्ञान-चारित्र सम्यगज्ञान-सम्यक्चारित्रके रूपमें परिणत होते हैं, यही उनकी सम्यगज्ञान-सम्यक्चारित्ररूपसे संभूति है । सम्यगदर्शनकी सत्ता जबतक वनी रहती है तबतक ही वे अपवे स्वरूपमें स्थिर रहते हैं, अपने विषयमें उन्नति करते

* भवाव्यो भव्यसार्थस्य निर्वाणद्वौपयायिनः ।

चारित्रयानपात्रस्य कर्णधारो हि दर्शनम् ॥ —चारित्रसार

है और यथार्थ फलके दाता होते हैं। सम्यग्दर्शनकी सत्ता न रहनेपर उत्पन्न हुए सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्र भी अपनी धुरी पर स्थिर नहीं रहते—डोल जाते हैं—उनसे विकार आ जाता है, जिससे उनकी द्वुष्ठि तथा यथार्थ-फलदायिनी शक्ति रुक जाती है और वे मिथ्याज्ञान-मिथ्याचारित्रमें परिणत होकर तद्रूप ही कहे जाते हैं तथा यथार्थफल जो आत्मोत्कर्ष-साधन है उसको प्रदान करनेमें समर्थ नहीं रहते। अतः ज्ञान और चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दर्शनकी उत्कृष्टता स्पष्ट सिद्ध है—वह उन दोनोंकी उत्पत्ति आदिके लिये बीजरूपमें स्थित है।

मोही मुनिसे निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ

गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् ।

अनगारो,† मृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः ॥३३॥

‘निर्मोही—दर्शनमोहसे रहित सम्यग्दृष्टि—गृहस्थ मोक्षमार्गी है—घरमेंपर आरूढ है, भले ही वह कुल, जाति, वेष तथा चारित्रादिसे कितना ही हीन क्यों न हो—किन्तु मोहवान—दर्शनमोहसहित मिथ्यादृष्टि—गृहत्यागी मुनि मोक्षमार्गी नहीं है—घर्म पर आरूढ नहीं है, भले ही वह कुल-जाति-वेषसे कितना ही उच्च तथा वाह्य चारित्रादिकमें कितना ही बढ़ा-चढ़ा क्यों न हो। अतः जो भी गृहस्थ मिथ्यादर्शन रहित-सम्यग्दृष्टि है वह दर्शनमोहसे युक्त (प्रत्येक जातिके) मिथ्यादृष्टि मुनिसे श्रेष्ठ है।’

व्याख्या—गृहत्यागी मुनिका दर्जा आमतौर पर गृहस्थसे ऊँचा होता है; परन्तु जो गृहस्थ सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न है उसका दर्जा जैनागमकी दृष्टि-अनुसार उस मुनिसे ऊँचा है जो सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न नहीं है। गृहस्थ-पदमें सभी जातियों और सभी श्रेणियोंके मनुष्योंका समावेश होता है और चाण्डालके पुत्र

† अनगारी इति पाठान्तरम् ।

तकको सम्यग्दर्शनका पात्र बतलाया गया है (का० २८) । ऐसी हालतमें यह स्पष्ट है कि हीनसे हीन जाति-कुलवाला गृहस्थ भी जो सम्यग्दर्शित हैं वह उस उच्चसे उच्च जाति-कुलवाले मुनिसे भी ऊंचे दर्जे पर हैं जो शास्त्रोंका बहुत कुछ पाठी तथा बाष्पा-चारसे निपुण होते हुए भी मिथ्यादर्शि है—द्रव्यलिङ्गी है । इस दृष्टिसे भी ज्ञान-चारित्रकी अपेक्षा सम्यग्दर्शनकी उल्लङ्घता स्पष्ट है ।

श्रेय-अश्रेयका अटल नियम
न सम्यक्त्व-समं किंचित् त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि ।

श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्व-समं नाऽन्यचनूभूताम् ॥३४॥

‘तीनों कालों और तीनों लोकोंमें अन्य कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सम्यक्त्वके समान—सम्यग्दर्शनके सदृश—देहधारिण्योंके लिये श्रेय रूप हो—उनका कल्याण कर सके, और न ऐसी ही कोई अन्य वस्तु है जो मिथ्यात्वके समान अश्रेयरूप हो—उनकां अकल्याण कर सके ।’

व्याख्या—यहाँ तीनों कालों और तीनों लोकोंकी दृष्टिसे संसारी जीवोंके हित-अहितका विचार करते हुए बतलाया गया है कि उनके लिये सदा एवं सर्वत्र सम्यग्दर्शन सर्वसे अधिकं हित रूप है और मिथ्यात्व सबसे अधिकं अहितरूप है । इससे सम्यग्दर्शनकी उल्लङ्घता एवं उपादेयता और भी स्पष्ट हो जाती है ।

सम्यग्दर्शन-माहात्म्य

सम्यग्दर्शनशुद्धा नारक-तिर्यङ्-न्युसक-स्त्रीत्वानि ।

दुर्ज्ञुल-विकृताऽन्यायुर्दरिद्रितां च व्रजन्ति नाऽप्यवतिकाः ॥३५

‘जो (अबद्वायुष्क) सम्यग्दर्शनसे शुद्ध हैं—जिनका आत्मा (आपु कर्मका बन्ध होनेके पूर्व) निर्मल सम्यग्दर्शनका धारक है—वे अवती द्वौते हुए भी—अहिंसादि व्रतोंमेंसे किसी भी व्रतका पालन न करते हुए

भी—नरक-तिर्यंच गतिको तथा (भनुष्यगतिमे) नपुंसक और स्त्रीकी पर्यायको प्राप्त नहीं होते और न (भवान्तरमे) निंद्य कुलको, अंगोंकी विकलताको, अल्पायुको तथा दरिद्रताको—सम्पत्तिहीनता या निर्धनताको—ही प्राप्त होते हैं । अर्थात् निर्मल सम्यगदर्शनकी प्राप्ति-के अनन्तर और उसकी स्थिति रहते हुए उनसे ऐसे कोई कर्म नहीं बनते जो नरक-तिर्यंच आदि पर्यायोंके बन्धके कारण हो और जिनके फल-स्वरूप उन्हें नियमतः उक्त पर्यायों अथवा उनमें से किसीको प्राप्त करना पड़े ।'

व्याख्या—यह कथन उन सम्यग्दृष्टियोंकी अपेक्षासे है जो सम्यगदर्शनकी उत्पत्तिके पूर्व अबद्धायुष्क + रहे हैं—नरक-तिर्यंच-जैसी आयुका बन्ध न कर चुके हो अथवा सम्यक्त्यकालमें हीं जिन्होंने आयु-कर्मका बन्ध किया हो; क्योंकि किसी भी प्रकारका आयु-कर्मका बन्ध एक बार होकर फिर छूटता नहीं और न उसमें परस्थान-संक्रमण ही होता है । ऐसी हालतमें जो लोग सम्यगदर्शनकी उत्पत्तिके पूर्व अथवा उसकी सत्ता न रहने पर नरकायु या तिर्यंचायुका बन्ध कर चुके हैं उनकी दशा दूसरी है— उनसे इस कथनका सम्बन्ध नहीं है—, वे भरकर नरक या तिर्यंचगतिको जरूर प्राप्त करेंगे । हाँ, अबद्धायुष्क होनेके बाद उत्पन्न हुए सम्यगदर्शनके प्रभावसे उनकी स्थितिमें कुछ सुधार जरूर हो जायगाक्ष; जैसे सप्तमादि नरकोंकी आयु बांधनेवाले प्रथम नरकमें ही जायेंगे—उससे आगे नहीं—और स्थावर, विकलत्रयादि रूप तिर्यंचायुका बन्ध करनेवाले स्थावर तथा

+ श्रीचामुण्डरायने चारित्रसारमें इस कारिकाको उद्घृत करते हुए ‘उक्तव्य अबद्धायुष्कविषये’ इस वाक्य-द्वारा इसे अबद्धायुष्कसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रकट किया है ।

॥३॥ कुर्गतावायुषो बन्वे सम्यक्त्वं यस्य जायते ।

गतिच्छेदो न तस्यास्ति तथाप्यल्पतरा स्थितिः ॥

विकलन्त्रयपर्यायको न धारणकर तिर्यंचोंमें संज्ञी-पञ्चेन्द्रिय-पुर्विलग-पर्यायको ही धारण करनेवाले होंगे। इसी तरह पूर्वबद्ध देवायु तथा मनुष्यायुकी अन्धपर्यायोंमें भी स्वस्थान-संक्रमणकी दृष्टिसे विशेषता आजायगी और वे संभावित प्रशस्तताका रूप धारण करेंगी। यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि यह सब कथन सम्यगदर्शनका कोरा माहात्म्यवर्णन नहीं है बल्कि जैनागम-की सैद्धान्तिक दृष्टिके साथ इसका गाढ़ (गहरा) सम्बन्ध है।
ओजस्तेजो-विद्या-वीर्य-यशो-वृद्धि-विजय-विभव-सनाथाः ।

महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दर्शनपूताः ॥३६॥

‘सम्यगदर्शनसे जिनका आत्मा पवित्र है वे ऐसे मानवतिलक पुरुषशिरोमणि—(भी) होते हैं, जो ओज-उत्साहसे, तेज-प्रतापसे, विद्या-बुद्धिसे, वीर्य-बलसे, यश-कीर्तिसे, वृद्धि-उत्तरिसे, जय-विजयसे और विभव-ऐश्वर्यसे युक्त होते हैं, महाकुल होते हैं—लोकपूजित उत्तम कुलोंमें जन्म लेते हैं,—, और महार्थ होते हैं—महान ध्येयके धारक अथवा विपुल धनसम्पत्तिसे सम्पन्न होते हैं।’

व्याख्या—इससे पूर्वकी कारिकाएँ उन अवस्थाओंका उल्लेख है जिन्हे अबद्धायुक्त सम्यगदृष्टि प्राप्त नहीं होते। इस कारिका तथा अगली पाँच कारिकाओंमें उन विशिष्ट अवस्थाओंका निर्देश है जिन्हें वे सम्यगदृष्टि जीव यथासाध्य प्राप्त होते हैं। ये अवस्थाएँ उत्तरोत्तर विशिष्टताको लिए हुए हैं और जीवोंको अपनी अपनी साधनाके अनुरूप प्राप्त होती हैं। यहाँ वह पूर्व-कारिकोलिलस्वित दुष्कुलता और दरिद्रतासे छूटकर साधारण उच्चकुल तथा धनसम्पत्तिसे युक्त मानव ही नहीं होता बल्कि ओज-तेज-विद्यादिकी विशेषताको लिये हुए महाकुलीन और महर्थ-सम्पन्न मानवतिलक भी होता है। और इससे यह कारिका पूर्वकारिकासे सामान्यतः फलित होनेवाली अवस्थाओं की एक विशेषताको लिये हुए है।

अष्ट-गुण-पृष्ठि-तुष्टा दृष्टिविशिष्टाः प्रकृष्टशोभाजुष्टा ।
अमराऽप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वर्गे ॥३७॥

‘ सम्यग्दर्शनकी विशेषताको प्राप्त हुए जिनेन्द्रभक्त, अष्ट-
गुणोंसे—अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, ईशत्व, वक्षित्व,
कामरूपित्व नामकी आठ दिव्यशक्तियोंसे—तथा पुष्टिसे—अपने शरीरा-
वयवोंके दिव्य सगठनमे—सन्तुष्ट रहते हुए—सदा प्रसन्नताका अनुभव
करते हुए—और आतिशय शोभासम्पन्न होते हुए, स्वर्गमें चिर-
कालतक देव-देवांगनाओंकी सभामें—उनके समूहमे—रमते हैं—
आनन्दपूर्वक कीड़ा करते हैं ।’

व्याख्या—जिनेन्द्रके भक्त सम्यग्दृष्टि जीव यदि मरकर देव-
पर्यायको प्राप्त होते हैं तो वे भवनत्रिकमें—भवनवासि-च्यन्तर-
ज्योतिष्क देवोंमें—जन्म न लेकर प्रायः स्वर्गमें उत्पन्न होते हैं
और वहाँ हीनश्रेणीके देव न बनकर प्रायः ऊँचे दर्जेके देव
ही नहीं बनते बल्कि देवेन्द्रके पदतकको प्राप्त करते हैं और
अणिमा-महिमादि आठ दिव्य-शक्तियोंके लाभसे तथा अपने
अंगोंके दिव्य-संगठनसे सदा सन्तुष्ट रहकर सातिशय शोभासे
सम्पन्न हुए देव-देवांगनाओंकी गोष्ठीमें चिरकालतक रमे रहते
हैं—हजारों वर्षों तक ऊँचे दर्जेके लौकिक आनन्दका उपभोग
करते हैं । अणिमादि आठ दिव्य-शक्तियोंके स्वरूपादिका वर्णन
आगे दृढ़ वीं कारिकाकी व्याख्यामे दिया गया है । इसतरह
यह दूसरी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है ।

नव-निधि-सप्तद्वय-रत्नाधीशाः सर्वभूमि-पत्रयस्त्रक्रम् ।
वर्तयितुं ग्रभवन्ति स्पष्टद्वयः चत्र-मौलि-शेखर-चरणाः ॥३८

• जो निर्मल सम्यग्दर्शनके धारक हैं वे नव-निधियों तथा
चौदह रत्नोंके स्वामी और सर्वभूमिके—पद्मण-पृथ्वीके—अणि-
पति होते हए चक्रको—सुदृशंनचक्र नामके आयुषरत्नको—ग्रवर्तित

करनेमें समर्थ होते हैं—पर्यात् चक्रवर्ती समाद् होते हैं—और उनके चरणोंमें राजाओंके मुकुट-शेखर मुक्ते हैं—मुकुटबद्ध माण्डलीक राजा उन्हे बड़ी विनयके साथ सदा प्रणाम किया करते हैं ।

व्याख्या—यहाँ तीसरी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है और वह षट्खण्डाधिपति चक्रवर्तीकी अवस्था है जो नवनिधियों (नौ प्रकारके अद्वृट राजानां) † और चौदह विशिष्ट (चेतन-अचेत-नास्तक) रूपोंका * स्वामी होता है तथा सारे मुकुटबद्ध माण्डलिक राजा जिसके चरणोंमें सीस मुकाते हैं । महाकुलादि-सम्पन्न मानवतिलक होकर भी किसीके लिए चक्रवर्ती होना लाल्धमी नहीं है—वह नारायण तथा बलभद्रादि जैसे उच्च-पदका धारक भी हो सकता है । सम्यगदृष्टि चक्रवर्तीका पहुंचानेमें भी समर्थ होता है यह उसकी अथवा उसके सम्यगदर्शनकी जुदी ही विशिष्टता है, जिसका यहाँ उल्लेख है ।

अमराऽसुर-नर-पतिभिर्यमधर-पतिभिश्च नूतपादाऽभ्योजाः ।
दृष्ट्वा सुनिश्चिताऽर्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोक-शरण्याः ३९

* जिन्होंने सद्गृष्टिसे—अनेकान्तहृष्टिसे—अर्थका—जीवादि-पदार्थ-समूहका—भले प्रकार निश्चय किया है ऐसे सम्यगदृष्टिजीव धर्मचक्रके धारक वे तीर्थंकर (भी) होते हैं जिनके चरणकमल देवेन्द्रों, असुरेन्द्रों (वरणेन्द्रों), नरेन्द्रों (चक्रवर्तियों) तथा गणधर-मुनीन्द्रोंके द्वारा स्तुत किये जाते हैं और जो (कर्मशत्रुओंसे उपद्रुत)

† रक्षित-यक्ष-सहस्राः काल-महाकाल-पाण्डु-माणव-रांक्षाः ।

नैसर्प-पद्म-पिगल-नानारत्नाश्च नवनिधयः ॥

ऋतुयोग्य-वस्तु-माजन-धान्या-ऽग्रुष-नूर्य-हर्म्य-वस्त्राणि ।

आभरण-रत्ननिकरान् क्रमेण निधयः प्रयच्छन्ति ॥

* चक्र ध्वंशमसिर्वण्डो मरणश्चर्म च काकिणी ।

शृङ्ख-सेना-पर्दी तक्ष-पुरोधाऽश्व-नज-स्त्रियः ॥

लौकिक जनोंके लिये शरण्यभूत होते हैं—जनता जिनकी शरणमें जाकर शान्ति-सुखका अनुभव करती है ।'

व्याख्या—यहाँ चौथी विशिष्टावस्थाका उल्लेख है जो धर्म-चक्रके प्रवर्तक तीर्थकरकी अवस्था है, जिसे प्राप्त करके शुद्ध सम्य-गृहष्ठि जीव-देवेन्द्रों, आसुरेन्द्रों, नरेन्द्रों और मुनीन्द्रों जैसे सभी लोकमान्योंके द्वारा नमस्कृत एवं पूजित होते हैं, सभीके शरण्य-भूत बनते हैं और इस तरह लोकमें सबसे अधिक ऊँचे एवं प्रतिष्ठित पदको प्राप्त करनेमें भी समर्थ होते हैं ।

**शिवमजरमरुजमद्यमव्यावाधं विशोक [म]भय[म]शंकम् ।
काष्टागतसुख-विद्या-विभवं विमलं भजन्ति दर्शनशरणाः॥४०**

‘जो सम्यग्दर्शनकी शरणमें प्राप्त हैं—सम्यग्दर्शन ही जिनका एक रक्षक है—वे उस शिवपदको (भी) प्राप्त होते हैं—आत्माकी उस परमकल्याणमय अवस्थाको भी तदूप होकर अनुभव करते हैं—जो जरासे विहीन है, रोगसे मुक्त है, कृयसे रहित है, विविध प्रकारकी आवाधाओंसे—कष्ट-परम्पराओंसे—विवर्जित हैं; शोकसे मुक्त है, भयसे हीन हैं, शंकासे शून्य है, सुख और ज्ञानकी विभूतिके परमप्रकर्षको—चरमसीमाको—लिए हुए हैं और द्रव्य-भाव रूप कर्मभलका जहाँ सर्वथा अभाव रहता है ।’

व्याख्या—जो शुद्ध सम्यग्दर्शनके अनन्य उपासक होते हैं वे अन्तको दुःखमय संसार-बन्धनोंसे छूटकर सदा के लिये मुक्त हो जाते हैं—और परम ज्ञानानन्दमय बने रहते हैं । सम्यग्दृष्टिके लिये एक-न-एक दिन शिवपदका प्राप्त करना अवश्यंभावी है—चाहे उसकी प्राप्तिके लिये उसे कितने ही भव धारण करने पड़ें । यहाँ उस पदके स्वरूपका कुछ निर्देश करते हुए बतलाया है कि वह शिवपद जरासे, रोगोंसे, कृयसे, बाधाओंसे, भयोंसे और शंकाओं से विहीन होता है, सुख तथा ज्ञानविभूतिको उसकी चरम सीमा

तक अपनाये रहता है और उसके साथमें द्रव्यकर्म, भावकर्म तथा नोकर्म रूपसे किसीभी प्रकारके कर्ममलका सम्पर्क नहीं होता—वह सारे ही कर्ममलसे सदा अस्पृष्ट बना रहता है। इस अवस्था-विशेषकी प्राप्तिके लिये किसीके हलधर (बलभद्र) वासुदेव जैसे मानव-तिलक और चक्रवर्तीं या तीर्थकर होनेकी जारूरत नहीं है। अतः इस पद्ममें सम्यग्दर्शनके भावात्म्यका उपसंहार करते हुए जो कुछ कहा गया है वह अपनी जुदी ही विशेषता रखता है।

देवेन्द्र-चक्र-महिमानमपेयमानं
राजेन्द्र-चक्रमवनीन्द्र-शिरोऽर्चनीयम् ।
धर्मेन्द्र-चक्रमधरीकृत-सर्वलोकं
लघ्वा शिवं च जिनभक्तिरूपैति भव्यः ॥४१॥

इति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्य-विरचिते समीचीनधर्मशास्त्रे
रत्नकरण्डाऽपरनाम्नि उपासकाध्ययने सम्यग्दर्शन-
वर्णनं नाम प्रथममध्ययनम् ॥१॥

‘जिनेन्द्रमें भक्तिका धारक भव्य प्राणी—सम्यग्दृष्टि जीव—देवेन्द्रोंके समूहकी आमर्यादित महिमाको, अवनीन्द्रों—मुकुटवद्व माण्डलिक राजाओ—द्वारा नमस्कृत चक्रवर्तीयोंके चक्ररत्नको और सम्पूर्ण लोकको अपना उपासक बनानेवाले धर्मेन्द्रचक्रको—वर्मके अनुष्ठाता-प्रणेता तीर्थकरोंके चिन्हस्वरूप धर्मचक्रको—पाकर शिवपद को प्राप्त होता है—आत्माकी परमकल्याणमय उस स्वात्मस्थितिरूप आत्मनिक अवस्थाको प्राप्त करता है, जो समूर्ण विभाव-परण्टिसे रहित होती है।’

व्याख्या—ऊपरी दृष्टिसे देखनेपर ऐसा मालूम होता है कि इस कारिकामें पिछली चार कारिकाओंके विषयकी पुनरुक्ति की गई है और यह एक उपसंहारात्मक संग्रहवृत्त है; परन्तु जब

गहरी दृष्टि डालकर इसे देखा जाता है तब यह पुनरुक्तियोंको लिए हुए कोरा संग्रहवृत्त मालूम नहीं होता। इसमें 'लब्ध्या' पद और 'च' शब्दके प्रयोग अपनी खास विशेषता रखते हैं और इस बातको सूचित करते हैं कि एक ही सम्यग्दृष्टि जीव क्रमशः देवेन्द्र, राजेन्द्र (चक्रवर्ती) और धर्मेन्द्र (तीर्थंकर) इन तीनोंकी अवस्थाओंको प्राप्त होता हुआ भी शिवपदको प्राप्त करता है और यह पूर्वकी चार कारिकाओंमें वर्णित सम्यग्दृष्टिकी अवस्थाओंसे विशिष्टतम अवस्था है। ऐसे सातिशय पुण्याधिकारी सम्यग्दृष्टि जीव इस अवसंर्पिणी कालके भारतवर्षमें कुल तीन ही हुए हैं और वे हैं शान्तिनाथ, कुन्त्युनाथ तथा अरहनाथ के जीव, जो एक ही मनुज-पर्यायमें चक्रवर्ती और तीर्थंकर दोनों पदोंके उपभोक्ता हुए हैं और देवेन्द्रके सुखोंको भोगते हुए इस पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए थे। अतः इस पदमें पुनरुक्ति नहीं बल्कि यह सम्यग्दृष्टिकी एक जुड़ी ही विशिष्टावस्था अथवा सम्यग्दर्शनके विशिष्टतम माहात्म्यका संदेशक है।

इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र
अपरनाम रत्नकरण-उपासकाध्यायमें सम्यग्दर्शनका
वर्णन करनेवाला पहला अध्ययन समाप्त हुआ ॥१॥

द्वितीय अध्ययन

सम्यग्ज्ञान-लक्षण

अन्यूनमनतिरिक्तं यथातथ्यं विना च विपरीतात् ।
निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः ॥ १ ॥ ४२ ॥

‘यथावस्थित वस्तु स्वरूपको जो न्यूनता-विकलता-रहित, अतिरिक्तता-अधिकता-रहित, विपरीतता-रहित और सन्देहरहित जैसाका तैसा जानता है अथवा उस रूप जो जानना है उसे आगमके ज्ञाता (भावश्रुतरूप) ‘सम्यक्ज्ञान’ कहते हैं ।’

व्याख्या—सम्यग्ज्ञानका विषय जो यथावस्थित वस्तुस्वरूपको जैसाका तैसा (यथातथ्यं) जानना बतलाया गया है उसको समष्टि करनेके लिये यहाँ ‘अन्यूनं’ ‘अनतिरिक्तं’ ‘विपरीताद्विना और ‘निःसन्देहं’ इन चार विशेषण पदोंका प्रयोग किया गया है और उनके छारा यह प्रदर्शित किया गया है कि वस्तुस्वरूपका वह जानना स्वरूपकी न्यूनताको लिये हुए अथवा अव्याप्ति दोष-से दूषित न होना चाहिये, स्वरूपकी अतिरिक्तता-अधिकताको लिये हुए । अथवा अतिव्याप्ति दोषसे दूषित भी वह न होना चाहिये । इसी तरह स्वरूपकी कुछ विपरीतता तथा स्वरूपमें सन्देहको भी वह लिये हुए न होना चाहिये । इन चारों विशेषणों-की सामर्थ्यसे ही उस ज्ञानके यथावस्थित वस्तुस्वरूपका ज्योंका

१ जीवादि किसी वस्तुके स्वरूपमें सर्वथा नित्यत्व-संगिकत्वादि घर्मोंके विद्यमान न होते हुए भी जो वैसे किसी घर्मकी कल्पना करके उस वस्तुको उस रूपमें जानता है वह स्वरूपकी अतिरिक्तताको लिये हुए जानता है, ऐसा टीकाकार प्रभाचन्द्रने अपनी टीकामें व्यक्त किया है ।

त्यों जानना बन सकता है। और श्रुतज्ञानके इस रूपके ही केवल-ज्ञानकी तरह जीवादि समस्त पदार्थोंके स्वरूपको अविकल-रूपसे प्रकाशनकी सामर्थ्यका संभव हो सकता है, जिस सामर्थ्यका पता स्वामी समन्तभद्रके 'देवागम' की निष्ठ्न कारिकासे चलता है, जिसमे बतलाया गया है कि स्याद्वादरूप जो श्रुतज्ञान है वह और केवलज्ञान दोनों ही सर्वतत्त्वोंके प्रकाशनमें समर्थ है, भेद-इतना ही है कि एक उन्हें साज्ञातरूपसे प्रकाशित करता है तो दूसरा असाज्ञात (अप्रत्यक्ष वा परोक्ष) रूपसे:—

स्याद्वाद-केवलज्ञाने सर्व-तत्त्व-प्रकाशने ।

भेदः साक्षादसाक्षात् ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत् ॥१०५॥

उक्त स्वरूपको लिये हुए जो ज्ञान है वही इस ग्रन्थमें धर्मके अंगरूपमें स्वीकृत है।

आगे विषय-भेदसे इस ज्ञानके मुख्य चार भेदोंका वर्णन करते हुए ग्रन्थकार महोदय लिखते हैं:—

प्रथमानुयोग-स्वरूप

प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम् ।

बोधि-समाधि-निदानं बोधति बोधः समीचीनः ॥२॥४३॥

‘पुण्यके प्रसाधनस्वरूप तथा बोधि-समाधिके निदानरूप—सम्पर्दर्जनादिक और घर्म-व्यानादिककी प्राप्तिमें कारणरूप—जो अर्थाख्यान है—शब्द-र्थ-व्यजक कथानक है—चारित्र और पुराण है—एकपुरुषाश्रित सत्यकथा और अनेकपुरुषाश्रित सत्यघटना-समूह है—वह प्रथमानुयोग है, उस प्रथमानुयोगको जो जानता है वह सम्यग्ज्ञान है। अर्थात् उक्त स्वरूपात्मक प्रथमानुयोगका जानना भी भावश्रुतरूप सम्यग्ज्ञानमें शामिल अथवा परिणित है।

व्याख्या—यहाँ अनुयोग शब्दके पूर्वमें जो ‘प्रथम’ शब्दका अयोग पाया जाता है वह किसी संख्या अथवा क्रमका वाचक

नहीं है, बल्कि प्रधानताका द्योतक है। यह अनुयोग सब अनुयोगों में प्रधान है; क्योंकि एक तो इसके कथानकोंमें दूसरे अनुयोगोंका बहुत कुछ विषय आ जाता है; दूसरे, कथात्मक होनेसे यह बाल बृद्ध युवा और स्त्री सभीके लिये आसानीसे समझमें आने योग्य होता है, और तीसरे इस अनुयोगमें वर्णित पुराण-कथानकोंको सुनने तथा अनुभूतिमें लानेसे मनुष्य पुराण-प्रसाधक धर्मकार्योंके करनेमें प्रवृत्त होता है, उसे अप्राप्त सम्यग्दर्शनादिरूप वोधितक-की प्राप्ति होती है और वह धर्मध्यान तथा शुक्लध्यानरूप समाधिकी सजीव प्रेरणाओंको पाकर अपने आत्मविकासकी ओर लगता है। इस अनुयोगका अन्यत्र ‘धर्मकथानुयोग’ के नामसे भी उल्लेख मिलता है। इस अनुयोगके सब विशेषणोंमें ‘अर्थ-ख्यान’ नामका विशेषण खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य है और वह इस बातको सूचित करता है कि इस अनुयोगके कथानक अर्थकी दृष्टिसे प्रकल्पित नहीं होते—वे परमार्थरूप सत् विषयके प्रतिपादनको लिये हुए होते हैं। इसी वांतको दीक्षाकार प्रभाचन्द्र-ने निम्न शब्दोंमें व्यक्त किया है—

“तस्य प्रकल्पितत्व-न्यवच्छेदार्थमर्थाख्यानमिति विशेषणं, अर्थस्य परमार्थस्य सतो विषयस्याऽस्यानं यत्र येन वा तं”

और इसलिये जो कथानक अथवा कथा-साहित्य अर्थकी दृष्टिसे प्रकल्पित हों उसे इस अनुयोगके बाहरकी वस्तु समझनी चाहिये।

करणानुयोग-स्वरूप

लोकाऽलोक-विभक्ते युगपरिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च ।

आदर्शमिष्व तथामतिरवैति करणानुयोगं च ॥ ३ ॥ ४४ ॥

‘जो लोक-अलोकके विभागका, (उत्तर्पिष्वादि-युगरूप) काल-परिवर्तनका और चतुर्गतियोंका दर्पणकी तरह प्रकाशक है वह,

करणानुयोग है, उसको जो जानता है वह भी सम्यग्ज्ञान है—अर्थात् उक्त स्वरूप करणानुयोगका जानना भी सम्यग्ज्ञान है।

व्याख्या—यहाँ करणानुयोगके विषयको माटे रूपसे तीन भागोंमें विभाजित किया गया है—एक लोक-अलोकके विभाजनका, दूसरा युग—परिवर्तनका और तीसरा चतुर्गतियोंका विभाग है। जहाँ जीवादिक पदार्थ देखनेमें आते हैं—पाये जाते हैं—उसे 'लोक' कहते हैं, जो कि ऊर्ध्व मध्य अधोलोकके भेदसे तीन भेद रूप है और जिसका परिमाण ३४३ राजू जितना है। जहाँ जीवादि पदार्थ देखनेमें नहीं आते उस लोक-बाह्य अनन्त शुद्ध आकाशको 'अलोक' कहते हैं। इन दोनोंका विभाग कैसे और तेज-विन्यासादि किस क्रियाकालका है यह सब करणानुयोगके प्रथम विभागका विषय है। दूसरे विभागमें उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी जैसे युगोंके समयोंका विभाजन और उनमें होनेवाले पदार्थोंके वृद्धि-ह्रासादरूप परिवर्तनोंका निरूपण आता है। तीसरे विभागमें देव, नरक, मनुष्य और तिर्यकके भेदसे चार गतियोंका स्वरूप तथा स्थिति आदिका वर्णन रहता है। करणानुयोग अपने इन सब विषय-विभागोंको यथावस्थितरूपमें दर्पणकी तरह प्रकाशित करता है। ऐसे करणानुयोग शास्त्रको भावश्रुतरूप जो सम्यग्ज्ञान है वह जानता है अर्थात् यह भी उस सम्यग्ज्ञानका विषय है। यह अनुयोग अन्यत्र गणितानुयोगके नामसे भी उल्लेखित मिलता है।

करणानुयोग-स्वरूप

गृहमेघ्यनगाराणां चारित्रोत्पत्ति-वृद्धि-रक्षाङ्गम् ।

करणानुयोग-समयं सम्यग्ज्ञानं विजानाति ॥ ४ ॥४५ ॥

‘गृहस्थों और गृहत्यागी मुनियोंके चरित्रकी उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षाके अंगस्वरूप—कारणभूत अथवा इन तीन अंगोंको

लिये हुए जो शास्त्र है वह चरणानुयोग है; उस शास्त्रको जो विशेष रूपसे जानता है वह (भावश्रुतरूप) सम्यग्ज्ञान है। अर्थात् उक्त स्वरूप चरणानुयोगका जानना भी सम्यग्ज्ञान है।

व्याख्या—यहाँ 'चरणानुयोगसमर्थ' पदका जो विशेषण पूर्वार्द्ध-के रूपमें स्थित है उससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि चरणानुयोग नामका जो द्रव्यश्रुत (केवल्यनुकूलप्रणीत आचारशास्त्रादिके रूपमें) है वह गृहस्थों तथा मुनियोंके चारित्रकी उत्पत्ति, वृद्धि एवं रक्षाको अपना अंग किये होता है—उनका प्रतिपादक होता है—अथवा वैसे चारित्रकी उत्पत्ति आदिमें निमित्तभूत सहायक होता है। उस केवलि-प्रणयनाऽनुवर्ति चारित्र-शास्त्रको जो सविशेष रूपसे जानता है या जिसके द्वारा वह शास्त्र जाना जाता है उसे अथवा उस जाननेको भी सम्यग्ज्ञान कहते हैं, जो कि भाव-श्रुतके रूपमें होता है।

गृहस्थोंके योग्य चारित्रकी उत्पत्ति वृद्धि और रक्षाका कितना ही मौलिक वर्णन इस ग्रन्थमें आगया है, जो कि चरणानुयोगका ही एक मुख्य अंग है। गृहस्थागी मुनियोंके चारित्रकी उत्पत्ति वृद्धि और रक्षाके लिये मूलाचार, भगवती आराधना आदि प्रमुख ग्रन्थोंको देखना चाहिये।

द्रव्यानुयोग-स्वरूप

जीवाऽजीवसुतत्त्वे पुण्याऽपुण्ये च बन्ध-मोक्षौ च ।
द्रव्यानुयोगदीपः श्रुत-विद्याऽल्लोक माऽत्तत्त्वुते ॥५॥४६॥

इति श्रीस्वामिसमन्तमद्वाचार्य-विरचिते समीचीन-धर्मशास्त्रे ।
रत्नकरण्डप्रसामिनि उपासकाऽध्ययने सम्यग्ज्ञान-
वर्णनं नाम द्वितीयसध्ययनम् ॥ २ ॥

'जो सुव्यवस्थित जीव-आजीव तत्त्वोंको, पुण्य-पापको तथा बन्ध-मोक्षको और (चकारसे) बन्धके कारण (आस्रव) तथा मोक्षके

कारणों (संवर-निर्जरा) को भी प्रकाशित करनेवाला दीपक है वह द्रव्यानुयोग है, और वह श्रुतविद्यारूप भावश्रुतके आलोक-को विस्तृत करता है। यह द्रव्यानुयोग सम्यज्ञानका विषय है इसलिये इसका जानना भी सम्यज्ञान है।'

व्याख्या—यहाँ जिस द्रव्यानुयोगको दीपकके रूपमें उल्लेखित किया गया है वह सिद्धान्तसूत्रादि अथवा तत्त्वार्थसूत्रादिके रूप-में द्रव्यागम है—द्रव्यश्रुत है—जो कि जीव-अजीव नामके सुतत्वों को, पुण्य-पापरूप कर्मप्रकृतियोंको तथा बन्ध-मोक्षको और बन्ध-के कारण (आस्रव) और मोक्षके कारणों (संवर-निर्जरा) को अशेष-विशेषरूपसे प्ररूपित करता हुआ श्रुतविद्यारूप भावश्रुतके प्रकाशको विस्तृत करता है। ऐसी स्थितिमें द्रव्यानुयोगका जानना भी सम्यज्ञान है। जिन नव तत्त्वोंके प्ररूपके द्रव्यागमका यहाँ उल्लेख है उनका स्वरूप द्रव्यानुयोग-विषयक शास्त्रोंमें विस्तारके साथ वर्णित है और इसलिये उसे यहां देनेकी ज़रूरत नहीं है, उन्हीं शास्त्रोंपरसे उसको जानना चाहिये।

इस तरह सम्यज्ञान विषय-भेदसे प्रथमानुयोग, करण-नुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोगके रूपमें चार भेद रूप है। प्रस्तुत धर्मशास्त्रमें ज्ञानके इन्हीं चार भेदोंको स्वीकृत किया गया है, मतिज्ञानादिकों नहीं।

इस प्रकार स्वामी समन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र

अपरनाम रत्नकरण-उपासकाध्ययनमें सम्यज्ञान-

वर्णन नामका दूसरा अध्ययन समाप्त हुआ ॥२॥

तृतीय अध्ययन

सच्चारित्रका पात्र और व्येय

मोह-तिमिराऽपहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञानः ।
राग-द्वेष-निवृत्तै चरणं ग्रतिपद्यते साधुः ॥१॥४७॥

‘मोह-तिमिरका अपहरण होने पर—दर्शनमोह (मिथ्यादर्शन)-रूप अन्धकारके यथासम्बव उपशम, क्षय तथा क्षयोपशम-दशाको प्राप्त होने पर अथवा दर्शनमोह-चारित्रमोहरूप मोहके और ज्ञान-वरणादिरूप तिमिरके यथासम्बव क्षयोपशमादिके रूपमें अपहृत होने पर—सम्यग्दर्शनके लाभपूर्वक सम्यग्ज्ञानको प्राप्त हुआ साधु-मुरुष—भव्यात्मा—राग-द्वेषकी निवृत्तिके लिये चरणको—हिंसादि-निवृत्ति-लक्षण सम्यक् चारित्रको—अंगीकार करता है।’

व्याख्या—यहाँ ‘दर्शन’ और ‘चरण’ शब्द बिना साथमें किसी विशेषणके प्रयुक्त होने पर भी पूर्व-प्रसंगवश अथवा प्रत्याधिकारके वश सम्यक्पदसे उपलब्धित हैं और इसलिए उन्हें क्रमशः सम्यग्दर्शन तथा सम्यक्चारित्रके वाचक समझना चाहिये। सम्यक्चारित्रको किसलिये अंगीकार किया जाता है—उसकी स्वीकृति अथवा तद्वृप-प्रवृत्तिका क्या कुछ व्येय तथा उद्देश्य है—और उसको अंगीकार करनेका कौन पात्र है? यही सब इस कारिकामे बतलाया गया है, जिसे दूसरे शब्दों-द्वारा आत्मामें सम्यक्चारित्रकी प्रादुर्भूतिका क्रम-निर्देश भी कह सकते हैं। इस निर्देशमें उस सत्पुरुषको सम्यक्चारित्रका पात्र ठहराया है जो सम्यग्ज्ञानी हो, और इसलिये अज्ञानी अथवा मिथ्याज्ञानी उसका पात्र ही नहीं। सम्यग्ज्ञानी वह होता है जो सम्यग्दर्शनको

प्राप्त कर लेता है—सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति उसके सम्यग्ज्ञानी होनेमें कारणीभूत है। और सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति तब होती है जब मोह-तिमिरका अपहरण हो जाता है। जब तक मोह-तिमिर बना रहता है तब तक सम्यग्दर्शन नहीं हो पाता। अथवा जितने अंशोंमें वह बना रहता है उतने अंशोंमें यह नहीं हो पाता। अतः पहले सम्यग्दर्शनमें बाधक बने हुए मोह-तिमिरको प्रयत्न-पूर्वक दूर करके दृष्टि-सम्पत्तिको—सम्यग्दृष्टिको—प्राप्त करना चाहिये और सम्यग्दृष्टिकी प्राप्ति-द्वारा सम्यग्ज्ञानी बनकर राग-द्वेषकी निवृत्तिको अपना ध्येय बनाना चाहिये; तभी सम्यक्-चारित्रका आराधन बन सकेगा। जितने जितने अंशोंमें यह मोह-तिमिर दूर होता रहेगा उतने उतने अंशोंमें दर्शन-ज्ञानकी प्रादुर्भूति होकर आत्मामें सम्यक्-चारित्रके अनुष्ठानकी पात्रता आती रहेगी। और इसलिये मोह-तिमिरको दूर करनेका प्रयत्न सर्वोपरि मुख्य है—वही भव्यात्मामें सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र-रूप धर्मकी उत्पत्ति (प्रादुर्भूति) के लिये भूमि तथ्यार करता है। इसीसे ग्रन्थकी आदिमें मोह-तिमिरके अपहरणस्वरूप सम्यग्दर्शन-का अध्ययन सबसे पहले कुछ विस्तारके साथ रक्खा गया है और उसमें सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिपर सबसे अधिक जोर देते हुए उसे ज्ञान और चारित्रके लिये बीजभूत बतलाया है ।

चारित्रके ध्येयका स्पष्टीकरण

राग-द्वेष-निवृत्तिः० हिंसादि निवर्तना-कुता भवति ।

अनपेक्षिताऽर्थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतीन् ॥२॥४८॥

‘राग-द्वेषकी निवृत्ति हिंसादिकी निवर्तनासे—चारित्ररूपसे कथ्यमान अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहादि व्रतोकी

† देखो, ‘विद्या-वृत्तस्य सभूतिं’ इत्यादि कारिका ३२ ।

* रागद्वेषनिवृत्तेरितिपाठन्तरम् ।

उपासनासे—की गई होती है। (इसीसे साधुजन हिंसादि-निवृत्ति-लक्षण चारित्रको अगीकार करते हैं—उसकी उपासना-आराधनामें प्रवृत्त होते हैं। सो ठीक ही है) क्योंकि अर्थवृत्तिकी अथवा अर्थ (प्रयोजनविशेष) और वृत्ति (आजीविका) की अपेक्षा न रखता हुआ ऐसा कौन पुरुष है जो राजाओंकी सेवा करता है?—कोई भी नहीं।'

व्याख्या—जिस प्रकार राजाओंका सेवन बिना प्रयोजनके नहीं होता उसी प्रकार अहिंसादि-ब्रतोंका सेवन भी बिना प्रयोजनके नहीं होता। राजाओंके सेवनका प्रयोजन यदि अर्थवृत्ति है तो इन ब्रतोंके अनुष्ठान-आराधनरूप सेवनका प्रयोजन है उनके द्वारा सिद्ध होनेवाली राग और द्वेषकी निवृत्ति। अतः इस प्रयोजनको सदा ही ध्यानमें रखना चाहिए। अहिंसादि-ब्रतोंका अनुष्ठान करते हुए यदि यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि ब्रतोंका सेवन-आराधन ठीक नहीं बन रहा है और तब उसे ठीक तौर पर बनानेका पूर्ण प्रयत्न होना चाहिये। जिस ब्रतीका लक्ष्य ही राग-द्वेषकी निवृत्तिकी तरफ न हो उसे 'लक्ष्य-मृष्ट' और उसके ब्रतानुष्ठानको व्यर्थका कोरा आडम्बर समझना चाहिये।

प्रतिपद्यमान चारित्रका लक्षण

हिंसाऽनृत-चौर्येभ्यो मैथुनसेवा-परिग्रहाभ्यां च ।

पाप-प्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम् ॥३॥४९॥

'हिंसा, मूळ, चोरी, मैथुनसेवा और परिग्रहके रूपमें जो याप-प्रणालिकाएँ हैं—पापस्त्रवके द्वार हैं, जिनमें होकर ही ज्ञानवरणादि शाप-प्रकृतियाँ आत्मामें प्रवेश पाती हैं और इसलिये पापरूप हैं—उनसे जो विरक्त होना है—तद्रूप प्रवृत्ति न करना है—वह सम्यक्षानी-का चारित्र अर्थात् सम्यक्चारित्र है।'

व्याख्या—यहाँ 'संज्ञस्य' पदके द्वारा सम्यक्-चारित्रके स्वामी-का निर्देश किया गया है और उसे सम्यग्ज्ञानी बतलाया गया है। इससे स्पष्ट है कि जो सम्यग्ज्ञानी नहीं उसके सम्यक्-चारित्र होता ही नहीं—मात्र चारित्र-विषयक कुछ कियाओके कर लेनेसे ही सम्यक्-चारित्र नहीं बनता, उसके लिये पहले सम्यग्ज्ञानका होना अति आवश्यक है।

हिंसाके लिये इसी ग्रन्थमें आगे 'प्राणातिपात' (प्राणव्य-परोपण, प्राणघात), 'वध' तथा 'हति' का; अनृतके लिये 'वितथ' 'अलीक' तथा मृषाका एवं फलितार्थके रूपमें असत्यका; चौर्यके लिये 'स्तेय' का; मैथुनसेवाके लिये 'काम' तथा 'स्मर' का एवं फलितार्थरूपमें 'अब्रह्म' का; और परिग्रहके लिये 'सग', 'मूळी' (ममत्वपरिणाम) तथा 'इच्छा' का भी प्रयोग किया गया है । और इसलिये अपने अपने वर्गके इन शब्दोको एकार्थक, पर्याय-नाम अथवा एक दूसरेका नामान्तर समझना चाहिए।

चारित्रके भेद और स्वामी

सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंग-विरतानाम् ।

अनगाराणां, विकलं सागाराणां ससंगानाम् ॥४॥५०॥

'(पूर्वनिर्दिष्ट हिंसादि-विरति-लक्षण) चारित्र 'सकल' (परिपूर्ण), और 'विकल' (अपूर्ण) रूप होता है—महाव्रत-अगुन्नत्रके भेदसे उसके दो भेद हैं। सर्वसंगसे—बाह्य तथा आन्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रह से—विरक्त गृहत्यागी मुनियाका जा चारित्र है वह सकलचारित्र

इन्द्रेखो, हिंसावर्गके लिये कारिका ५२, ५३, ५४, ७२, ७५ से ७८, ८४; अनृतवर्गके लिये कारिका ५२, ५५, ५६, चौर्यवर्गके लिये कारिका ५२, ५७; मैथुनसेवावर्गके लिये कारिका ५२, ६०, १४३; और परिग्रह-वर्गके लिये कारिका ५०, ६१ ।

(सर्वसंयम) है, और परिग्रहसहित गृहस्थोंका जो चारित्र है वह 'विकलचारित्र' (देशसंयम) है।'

व्याख्या—यहाँ चारित्रके दो भेद करके उनके स्वामियोंका निर्देश किया गया है। महाब्रतरूप सकलचारित्रके स्वामी (अधिकारी) उन अनगारों (गृहत्यागियों) को बतलाया है जो संपूर्णपरिग्रहसे विरक्त हैं, और अगुव्रतरूप विकलचारित्रके स्वामी उन सागारों (गृहस्थों) को प्रकट किया है जो परिग्रह-सहित हैं और इसलिये दोनोंके 'सर्वसंगविरत' और 'संसंग' इन दो अलग-अलग विश्लेषणोंसे स्पष्ट है कि जो अनगार सर्वसंगसे विरक्त नहीं हैं—जिनके मिथ्यात्वादिक कोई प्रकारका परिग्रह लगा हुआ है—वे गृहत्यागी होनेपर भी सकलचारित्रके पात्र या स्वामी नहीं—यथार्थमें महाब्रती अथवा सकलसंयमी नहीं कहे जा सकते; जैसे कि द्रव्यलिंगी मुनि, आधुनिक परिग्रहधारी भट्टारक तथा ११ वीं प्रतिमामें स्थित छुल्लक-ऐलक। और जो सागार किसी समय सकलसंगसे विरक्त है उन्हें उस समय गृहमें स्थित होने मात्रसे सर्वथा विकलचारित्री (अगुव्रंती) नहीं कह सकते—वे अपनी उस असंगदशामे महाब्रतकी ओर बढ़ जाते हैं। यही बजह है कि अथकारमहादयने सामायिकमें स्थिर ऐसे गृहस्थोंको 'यति भावको प्राप्त हुआ मुनि' लिखा है (कारिका १०२) और मोही मुनिसे निर्मोही गृहस्थको श्रेष्ठ बतलाया है (का. ३३)। और इससे यह नतीजा निकलता है कि चारित्रके 'सकल' या 'विकल' होनेमें प्रधान कारण उभय प्रकारके परिग्रह-से विरक्ति तथा अविरक्ति है—मात्र गृहका त्यागी या अत्यागी होना नहीं है। अतः 'सर्वसंगविरत' और 'संसंग' ये दोनों विशेषण अपना खास महत्व रखते हैं और किसी तरह भी उपेक्षणीय नहीं कहे जा सकते।

ब्रतभेदरूप गृहस्थचारित्र

गृहिणां त्रेधा तिष्ठत्यणु-गुण-शिक्षा-ब्रतात्मकं चरणम् ।
पांच-त्रिचतुर्भेदं त्रयं यथासंख्यमाख्यातम् ॥५॥५१॥

‘गृहस्थोंका (विकल) चारित्र अणुब्रत-गुणब्रत-शिक्षाब्रतरूपसे तीन प्रकारका होता है । और वह ब्रतत्रयात्मक चारित्र क्रमशः पांच-तीन-चार भेदोंको लिये हुए कहा गया है—अर्थात् अणुब्रतके पाच, गुणब्रतके तीन और शिक्षाब्रतके चार भेद होते हैं ।’

व्याख्या—यहाँ गृहस्थोंके विकल-चारित्रके अंगरूपमें जिन पांच अणुब्रतों, तीन गुणब्रतों और चार शिक्षाब्रतोंकी सूचना की गई है उनमें अणुब्रत चारित्रकी उत्पत्तिके अंगरूपमें गुणब्रत चारित्रकी वृद्धिके अंगरूपमें और शिक्षाब्रत चारित्रकी रक्षाके अंगरूपमें स्थित हैं ।

आगे अन्यकारमहोदय विकल चारित्रके इन भेदों तथा उप-भेदोंका क्रमशः लक्षण-पुरस्तर वर्णन करते हैं ।

अणुब्रत-लक्षण

प्राणातिपात-वितथव्याहार-स्तोय काम-मूच्छाभ्यः ।
स्थूलेभ्यः पापेभ्यः व्युपरमणमणुब्रतं भवति ॥६॥५२॥

‘स्थूलप्राणातिपात—मोटे रूपमें प्राणोंके धातरूप स्थूलहिंसा—, स्थूलवितथव्याहार—मोटे रूपमें अन्यथा कथनरूप स्थूलअसत्य—, स्थूलस्तोय—मोटे रूपमें परघन हरणादिरूप स्थूलचौर्य(चोरी)—, स्थूल-काम—मोटे रूपमें मैथुन सेवारूप स्थूल-अव्रह—और स्थूलमूच्छा—मोटे रूपमें ममत्वपरिणामरूप स्थूल-परिग्रह—; इन (पाच) पार्षोंसे जो विरक्त होना है उसका नाम ‘अणुब्रत’ है ।’

† ‘मूच्छः गः’ इति । ८. उरम् ।

व्याख्या—यहाँ पापोंके पांच नाम दिये हैं, जिन्हें अन्यत्र दूसरे नामोंसे भी उल्लेखित किया है, और उनका स्थूल विशेषण ढेकर मोटे रूपमें उनसे विरक्त होनेको 'अगुब्रत' बतलाया है। इससे दो बातें फलित होती हैं—एक तो यह कि इन पापोंका सूक्ष्मरूप भी है और इस तरहसे पाप स्थूल-सूक्ष्मके भेदसे दो भागोंमें विभक्त है। अगली एक कारिका 'सीमान्तनां परतः' (४५) में 'स्थूलेतरपंचापसंत्यागात्' इस पदके द्वारा इन पांच पापोंके 'स्थूल' और 'सूक्ष्म' ऐसे दो भेदोंका स्पष्ट निर्देश भी किया गया है और दूसरी तथा ७०वीं कारिकाओंमें सूक्ष्मपापको 'अगुपाप' नामसे और ५७वीं कारिकामें स्थूल पापको 'अकृश' शब्दसे उल्लेखित किया है, इससे 'अगु' और 'कृश' भी सूक्ष्मके नामान्तर है। दूसरी बात यह कि सूक्ष्मरूपसे अथवा पूर्णरूपसे इन पापोंसे विरक्त होनेका नाम 'महाब्रत' है, जिसकी सूचना कारिका ७०, ७२ और ४५ से भी मिलती है।

इसके सिवाय, जिन्हें यहाँ 'पाप' बतलाया गया है उन्हें ही चारित्रका लक्षण प्रतिपादन करते हुए पिछली एक कारिका (४६) में 'पापप्रणालिका' लिखा है, और इससे यह जाना जाता है कि यहाँ कारणमें कार्यका उपचार करके पापके कारणोंको 'पाप' कहा गया है। वास्तवमें पाप मोहनीयादि कर्मोंकी वे अप्रशस्त प्रकृतियाँ हैं जिनका आत्मामें आस्त्रव तथा अन्य इन हिंसादिरूप योग-परिणामिसे होता है और इसीसे इनको 'पापप्रणालिका' कहा गया है। स्वयं प्रब्धकार महोदयने अपने स्वयम्भूतोत्त्रमें 'मोहरूपो रिषुः पापः क्षयमटसाधनः' इस वाक्यके द्वारा 'मोह' को उसके क्रोधादि-कषाय-भट्टों-सहित 'पाप' बतलाया है और देवागम (४५) तथा इस ग्रन्थ (का. २७) में भी 'पापास्त्रव' जैसे शब्दोंका अयोग करके कर्मोंकी दर्शनमोहादिरूप अशुभ प्रकृतियोंको ही 'पाप' सूचित किया है। तत्त्वार्थसूत्रमें श्रीगृध्रपिच्छाचार्यने भी

‘अतोऽन्यताप’ इस सूत्रके द्वारा सातावेदनीय, शुभआशु, शुभ-नाम और शुभ (उच्च) गोत्रको छोड़कर शेष सब कर्मप्रकृतियों-को ‘पाप’ बतलाया है। दूसरे भी पुरातन आचार्योंका ऐसा ही कथन है। अतः जहाँ कहीं भी हिंसादिकको पाप कहा गया है वहाँ कारणमे कार्यकी दृष्टि संनिहित है, ऐसा समझना चाहिए।

अहिंसाज्ञुव्रत-लक्षण

संकल्पात्कृत-कारित-मननाद्योग-त्रयस्य-चर-सत्वान् ।

न हिनस्त यचदाहुः स्थूल-वधाद्विरमणं निपुणाः ॥७॥५ ३॥

‘संकल्पसे—संकल्पपूर्वक (इरादतन) अथवा शुद्ध स्वेच्छासे—किये गये योगत्रयके—मन-वचन-कायके—कृतकारित-अनुगोदन-रूप व्यापारसे जो त्रस जीवोंका—लक्ष्यभूत द्विन्द्रियादि प्राणियोंका—प्राणधात न करना है उसे निपुणजन (आप्तपुरुष व गणधरादिक) ‘स्थूलवधविरमण’—अहिंसाज्ञुव्रत—कहते हैं।’

व्याख्या—यहाँ ‘संकल्पात्’ पद उसी तरह हेतुरूपमें प्रयुक्त हुआ है जिस तरह कि तत्त्वार्थसूत्रमें ‘प्रमत्ययोगात्’ और पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें ‘कषाययोगात्’ पदका प्रयोग पाया जाता है*, और यह पद आरम्भादिजन्य-त्रसहिंसांका निवर्तक (अग्राहक) तथा इस ब्रतके ब्रतीकी शुद्ध-स्वेच्छा अथवा स्वतन्त्र इच्छाका संदोतक है। और इसके द्वारा ब्रतकी अगुताके अनुरूप जहाँ त्रसहिंसाको सीमित किया गया है वहाँ यह भी सूचित किया गया है कि इस (संकल्प) के बिना वह (संकल्पी) त्रसहिंसा नहीं बनेगी। और यह ठीक ही है, क्योंकि कारणके अभावमें तज्जन्य कार्यका भी अभाव होता है। और इस ‘संकल्पात्’ पदकी

* प्रमत्ययोगात्राणव्यपरोपण हिंसा । —तत्त्वार्थसूत्र ७-१३

यत्खलु कषाययोगात्राणाना इव्य-भाव-रूपाणा ।

व्यपरोपणस्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ पुर्वार्थ०४३

अनुवृत्ति अगली 'सत्याणुब्रत' आदिका लक्षण प्रतिपादन करने-वाली कारिकाओंमें उसी प्रकार चली गई है जिस प्रकार कि तत्त्वार्थसूत्रमें 'प्रमत्तयोगात्' पदकी अनुवृत्ति अगले असत्यादिके लक्षण-प्रतिपादक सूत्रोंमें चली गई है।

शुद्ध-स्वेच्छा अथवा स्वतन्त्र इच्छा ही संकल्पका प्राण है, इसलिए वैसी इच्छाके बिना मजबूर होकर जो अपने प्राण, धन, जन, प्रतिष्ठा तथा शीलादिकी रक्षाके लिए विरोधी हिंसा करनी पड़े वह भी इस ब्रतकी सीमासे बाहर है। इस तरह आरम्भजा और विरोधजा दो प्रकारकी त्रसहिंसा इस संकल्पी त्रसहिंसाके त्यागमें नहीं आती। पंचसूना और कृषिवाणिज्यादिरूप आरम्भ कार्योंमें तो किसी व्यक्तिविशेषके प्राणघातका कोई संकल्प ही नहीं होता, और विरोधजा हिंसामें जो संकल्प होता है वह शुद्ध-स्वेच्छासे न होनेके कारण प्राणरहित होता है, इसीसे इन दोनों-का त्याग इस ब्रतकी कोटिमें नहीं आता। इन दोनों प्रकारकी हिंसाओंकी छूटके बिना गृहस्थाश्रम चल नहीं सकता, राज्य-व्यवस्था बन नहीं सकती और न गृहस्थ-जीवन व्यतीत करते हुए एक ज्ञानके लिये ही कोई निरापद या निराकुल रह सकता है। एक मात्र विरोधिहिंसाका भय कितनोंको ही दूसरोंके धन-जनादिकी हानि करनेसे रोके रहता है।

यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि 'हिनस्ति'पदके अर्थरूपमें, हिंसाके पूर्वनिदिंष पर्यायनाम 'प्राणतिपात' को लक्ष्य में रखते हुए, प्राणघातकी जो बात कही गई है वह ब्रतकी स्थूलतानुरूप प्रायः जानसे मार डालने रूप प्राणघातसे सम्बन्ध रखती है, और यह बात अगली कारिकामें दिए हुए अतिचारों-को देखते हुए और भी स्पष्ट होजाती है। क्योंकि छेदनादिक भी प्राणघातके ही रूप है, उनका समावेश यदि इस कारिका-वर्णित प्राणघातमें होता तो उन्हे अलगसे कहने तथा 'अतीचार' नाम

देनेकी जरूरत न रहती । अतीचार अभिसन्धिकृत-ब्रतोंकी बाह्य सीमाएँ हैं ।

अर्हसाप्तुद्रतके अतिचार

छेदन-बन्धन-पीडनमतिभारारोपणं व्यतीचाराः ।

आहारवारणाऽपि च स्थूलवधाद्युपरतेः पंच ॥८॥५४॥

‘छेदन—करण-नासिकादि शरीरके अवयवोंका परहितविरोधिनी दृष्टिसे छेदना-भेदना—, बन्धन—रस्सी जजीर तथा दूसरे किसी प्रति-बन्धादिके द्वारा शरीर और वचनपर यथेष्ट-गति-निरोधक ग्रनुचित रोक-शाम लगाना—, पीडन—दण्ड-चावुक वेंत आदिके ग्रनुचित अभिधात-द्वारा शरीरको पीडा पहुँचाना तथा गाली आदि कटुक वचनोंके द्वारा किसीके मनको दुखाना—, अतिभारारोपण—किसी पर उसकी शक्ति-से अथवा न्याय-नीतिसे अधिक कार्यभार, करभार, दण्डभार तथा बोझा लादना—, और आहार-वारणा—अपने आश्रित प्राणियोंके ग्रन्त-पानादिका निरोध करना, उन्हे जानबूझकर शक्ति होते यथा समय और यथापरिमाण भोजन न देना—; ये पांच स्थूलवध-विरमणके—अर्हसाप्तुद्रतके—अतीचार हैं—सीमोल्लंघन अथवा दोष हैं ।’

व्याख्या—यहों जिस समय सीमोल्लंघन अथवा दोषके लिये ‘व्यतीचार’ शब्दका प्रयोग किया है उसीके लिये ग्रन्थमें आगे क्रमशः व्यतिक्रम, व्यतीपात, विक्षेप, अतिक्रमण, अत्याश, व्यतीत, अत्यय, अतिगम, व्यतिलंघन और अतिचार शब्दोंका प्रयोग किया गया है*, और इसलिए इन सब शब्दोंको एकार्थक समझना चाहिए ।

* देखो, कारिका न० ५६, ५८, ६२.६३, ७३, ८१, ९६, १०५, ११०, १२६ ।

सत्याग्नुब्रत-लक्षण

स्थूलमलीकं न वदति न परान्वादयति सत्यमपि विपदे ।

यचद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावाद-वैरमण्यम् ॥६॥५४॥

‘(संकल्पपूर्वक अथवा स्वेच्छासे) स्थूल अलीकको—मोटे भूठको—जो स्वयं न बोलना और न दूसरोंसे बुलवाना है, तथा जो सत्य विपदाका निमित्त वने उसे भी जो स्वयं न बोलना और न दूसरोंसे बुलवाना है, उसे सन्तज्जन—आप्त पुरुष तथा गणघर-देवादिक—‘स्थूलमृषावाद-वैरमण्य’—सत्याग्नुब्रत—कहते हैं।’

व्याख्या—यहाँ स्थूल अलीक अथवा मोटा भूठ क्या ? यह कुछ बतलाया नहीं—मात्र उसके न बोलने तथा न बुलवानेकी बात कही है, और इसलिये लोकव्यवहारमें जिसे मोटा भूठ समझा जाता हो उसीका यहाँ ग्रहण अभीष्ट जान पड़ता है। और वह ऐसा ही हो सकता है जैसा कि शपथ साक्षीके रूपमें कङ्गसम खाकर या हलफ उठाकर जानते-बूझते अन्यथा (वास्त-विकलाके विरुद्ध) कथन करना, पंच या जज (न्यायाधीश) आदि के पदपर प्रतिष्ठित होकर अन्यथा कहना-कहलाना या निर्णय देना, धर्मोपदेष्टा बनकर अन्यथा उपदेश देना और सच बोलने-का आशंकासन देकर या विश्वास दिलाकर भूठ बोलना (अन्यथा कथन करना)। साथ ही ऐसा भूठ बोलना भी जो किसीकी विपदा (संकट वा महाहानि) का कारण हो; क्योंकि विपदाके कारण सत्यका भी जब इस ब्रतके लिए निषेध किया गया है तब वैसे असत्य बोलनेका तो स्वतः ही निषेध होजाता है और वह भी स्थूलमृषावादमें गर्भित है। और इसलिये अज्ञानवाके वश (अज्ञानकारी) या असावधानी (सूक्ष्मप्रमाण) के वश जो बात बिना चाहे ही अन्यथा कही जाय या मुँहसे निकल जाय उसका स्थूल-मपावादमें ग्रहण नहीं है; क्योंकि अहिंसाग्नुब्रतके लक्षणमें

आए हुए 'संकल्पात्' पढ़की अनुवृत्ति यहाँ भी है जैसाकि पहले उसकी व्याख्यामें बतलाया जा चुका है। इसी तरह ऐसे साधारण असत्यकी भी इसमें परिगणना नहीं है जो किसीके ध्यानको विशेषरूपसे आकृष्ट न कर सके अथवा जिससे किसीकी कोई विशेष हानि न होती हो।

इसके सिवाय बोलने-बुलानेमें मुखसे बोलना-बुलाना ही नहीं बल्कि लेखनीसे बोलना-बुलाना अर्थात् लिखना-लिखाना भी शामिल है।

यहाँ ऐसे सत्यको भी असत्यमें परिगणित किया है जो किसीकी विपद्धाका कारण हो, यह एक खास बात है और इससे यह साफ सूचित होता है कि अहिंसाकी सर्वत्र प्रधानता है, अहिंसाब्रत इस ब्रतका भी आत्मा है और उसकी अनुवृत्ति उत्तरवर्ती ब्रतोंमें बराबर चली गई है।

सत्याणुव्रतके अतिचार

परिवाद-रहोभ्याख्या पैशून्यं कूटलेखकरणं च ।

न्यासाऽपहारिता च व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्य ॥१०॥५६॥

'परिवाद—निन्दा-गाली-गलौच, रहोभ्याख्या—गुह्य (गोपनीय) का प्रकाशन, पैशून्य—पिशूनव्यवहार-चुगली, तथा कूटलेखकरण—मायाचारप्रधान लिखावट-द्वारा जालसाजी करना अर्थात् दूसरोको प्रकारान्तरसे अन्यथा विश्वास करानेके लिए दूसरोके नामसे नई दस्तावेज या लिखावट तैयार करना, किसीके हस्ताक्षर बनाना, पुरानी लिखावटमें मिलावट अथवा काट-छाँट करना या किसी प्राचीन ग्रन्थमेंसे कोई वाक्य इस तरहसे निकाल देना या उसमें बढ़ा देना जिससे वह अपने वर्तमान रूपमें प्राचीन कृति या अमुक व्यक्तिविशेषकी कृति समझी जाय—और न्यासापहारिता—धरोहरका प्रकारान्तरसे अपहरण अर्थात् ऐसा वाक्य-व्यवहार जिससे प्रकटरूपमें असत्य न बोलते हुए भी दूसरेकी धरोहरका

पूर्ण अथवा आशिक रूपमें अपहरण होता हो ; ये सब सत्यागुब्रतके अतिचार हैं।

व्याख्या—जिन पाँच अतिचारोंका यहाँ उल्लेख है उनमें ‘परिवाद’ और ‘पैशून्य’ नामके दो अतिचार ऐसे हैं जिनके स्थान पर तत्त्वार्थसूत्रमें क्रमशः मिथ्योपदेश[†] और ‘साकारमन्त्रभेद’ ये दो नाम दिये हैं। ये नाम यद्यपि उक्त अतिचारोंके पर्याय नाम नहीं हैं बल्कि आचार्योंके पारस्परिक शासनभेदके सूचक दूसरे ही अतिचार हैं, फिर भी टीकाकार प्रभाचन्द्रने परिवादकी ‘मिथ्योपदेश’ के रूपमें और पैशून्यकी ‘साकारमन्त्रभेद’ के रूपमें व्याख्या की है और व्याख्याके साथ ये नाम भी स्पष्ट रूपसे दे दिये हैं। यह चिन्तनीय है। क्योंकि परिवादका प्रसिद्ध अर्थ निन्दा-गाहा-अपवाद (Blame, abuse) जैसा है और पैशून्य शब्द चुगली (Backbitting) जैसे अर्थमें प्रयुक्त होता है। सोम-देवसूरिने इस ब्रतके अतिचारोंका सूचक जो श्लोक दिया है वह इस प्रकार है—

“मन्त्रभेदः परिवादः पैशून्यं कूटलेखनम् ।

मुधा साक्षिपदोक्तिश्च सत्यस्यैते विघातकाः ॥”

[†] परिवादो मिथ्योपदेशोऽभ्युदयनिःश्रेयसाथेषु क्रियाविशेषेष्वन्यस्यान्यथाप्रवर्तनमित्यर्थः । पैशून्य अगविकार-भ्रू-विक्षेपादिभिः पराभिग्राय ज्ञात्वा असूयादिना तत्प्रकटन साकारमन्त्रभेद इत्यर्थः ।

* परिवादस्तु निन्दाया वीणावादनवस्तुनि (हेमचन्द्र.)

अवर्णाक्षेपनिवादि-परीवादापवादवत् उपक्रोक्षो जुगुप्सा-च कुत्सा निन्दा च गर्हणे ॥ (अमरः)

परि सर्वतो दोषोल्लेखन वादः कथन अपवादः । (शब्दकल्पद्रुमः)

परिवादः 1 Blame, censure, detraction, abuse, 2 Scandal
(V. S Apte)

इसमें मन्त्रभेद और पैशून्यको दो अलग अलग अतिचारोंके रूपमें उल्लेखित किया है, जिससे यह साफ़ जाना जाता है कि दोनों एक नहीं हैं। ऐसी ही स्थिति परि (री) वादकी मिथ्यो-पदेशके साथ समझनी चाहिये। पं० आशाधरजीने, जिन्होंने परिवाद और पैशून्यको छोड़कर मिथ्योपदेश तथा मन्त्रभेदको अतिचार रूपमें ग्रहण किया है, अपने सागारधर्माभृतमें इस श्लोकको उद्धृत करते हुए इसे 'अतिचारान्तरवचन' सूचित किया है, इससे भी परिवाद और पैशून्य नामके अतिचार मिथ्योप-देशादिसे भिन्न जाने जाते हैं और वे आचार्य समन्तभद्रके शासन-से सम्बन्ध रखते हैं। शेष तीन अतिचार दोनों ग्रन्थोंमें समान हैं।

अचौयशुग्रत-लक्षण

निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टम् ।
न हरति यज्ञ च दच्चे तदकृश-चौर्यादुपारमणम् ॥११॥५७॥

'बिना दिये हुए पर-द्रव्यको, चाहे वह धरा-ढका हो, पड़ा-गिरा हो अथवा अन्य किसी अवस्थाको प्राप्त हो, जो (सकल्पपूर्वक अथवा स्वेच्छासे) स्वयं न हरना (अनीतिपूर्वक ग्रहण न करना) और न (अनधिकृतरूपसे) दूसरोंको देना है उसे स्थूल-चौर्यविरति—अचौर्य-शुग्रत—कहते हैं।'

व्याख्या—यहाँ 'परस्व' और उसका मुख्य विशेषण 'अविसृष्टं' तथा 'हरति' कियापद्ये ये तीनों खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं। जिसका स्वामी अपनेसे भिन्न कोई दूसरा हो उस धन-धान्यादि पदार्थको 'परस्व' कहते हैं, पर-धन और पर-द्रव्य भी उसीके दूसरे नाम हैं। जो पदार्थ अपने तत्कालीन स्वामीके द्वारा अथवा उसकी इच्छा, आज्ञा या अनुमतिसे दिया गया न हो वह, 'अविसृष्ट' कहलाता है, 'अदत्त' भी उसीका नामान्तर है और उसमें

व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकारके पदार्थ शामिल है। 'हरति' क्रियापद, जिससे हरना फलित होता है, अनीतिपूर्वक-ग्रहणका सूचक है। उसीकी दृष्टिसे अगला क्रियापद 'दत्ते' अनधिकृत रूपसे देनेका वाचक हो जाता है। और इसलिए जो पदार्थ अस्वामिक हो अथवा ग्रहणादिके समय जिसका कोई प्रकट स्वामी मौजूद या संभाव्य न हो और जिसके ग्रहणादिमे उसके स्वामीकी स्पष्ट इच्छा तथा आङ्गा वाधक न हो उसके ग्रहणादिका यहाँ निषेध नहीं है। साथ ही, जो धन-सम्पत्ति विना दिये ही किसी-को उत्तराधिकारके रूपसे प्राप्त होती है उसके ग्रहणादिका भी इस ब्रतके ब्रतीके लिये निषेध नहीं है। इसी तरह जो अङ्गात-स्वामिका धन-सम्पत्ति अपनी मिलकियतके मकानादिके भीतर भूगर्भादिसे प्राप्त हो उसके भी ग्रहणादिका इस ब्रतके ब्रतीके लिये निषेध नहीं है, वह उस मकानादिका मालिक होनेके साथ-साथ तत्सम्बद्धा सम्पत्तिका भी प्रायः मालिक अथवा उत्तराधिकारी है और यह समझना चाहिए कि वह सम्पत्ति उसकी अव्यक्त अथवा गुप्त सम्पत्तिके रूपमें स्थित थी, जबतक कि इसके विरुद्ध कोई दूसरी बात स्पष्ट सिद्ध न हो जाय या इसमें वाधक न हो।

यहाँ चोरीके स्थूल-त्यागकी दृष्टिसे इतना और भी जान लेना चाहिये कि जो पदार्थ बहुत ही साधारण तथा अत्यल्प मूल्यका हो और जिसका विना दिये ग्रहण करना उसके स्वामी-को कुछ भी अखरता न हो—जैसे किसीके खेतसे हस्त-शुद्धिके लिये मिट्टीका लेना, जलाशयसे पीनेको पानी ग्रहण करना और बृंचसे दॉतनका तोड़ना—ऐसे पदार्थोंको विना दिये लेनेका त्याग इस ब्रतके ब्रतीके लिये विहित नहीं है। इसी तरह दूसरेकी जो वस्तु विना संकल्पके ही अपने ग्रहणमें आ जाय उससे इस ब्रत को वाधा नहीं पहुंचती; क्योंकि अहिंसाब्रतके लक्षणमें प्रयुक्त हुए 'संकल्पात्' पदकी अनुवृत्ति इस ब्रतके साथ भी है।

अचौर्यांशुव्रतके अतिचार

चौरप्रयोग-चौराऽर्थादान-विलोप-सद्वशसन्मिश्राः ।

हीनाधिकविनिमानं पंचाऽस्तेये व्यतीपाताः ॥१२॥५८॥

‘चौरप्रयोग—चोरको चोरीके कर्ममें स्वयं प्रयुक्त (प्रवृत्त) करना, दूसरोके द्वारा प्रयुक्त कराना तथा प्रयुक्त हुएकी प्रशंसा-अनुमोदना करना, अथवा चोरीके प्रयोगो (उपायो) को बतला कर चौर-कर्मकी प्रवृत्तिमें किसी प्रकार सहायक होना—, चौराऽर्थादान—जान दूभकर चोरीका माल लेना—, विलोप—दूसरोकी स्थावर-जगम अथवा चेतन अचेतनादिरूप सम्पत्तिको आग लगाने, वम गिराने, तेजाव छिड़काने, विष देने आदिके द्वारा नष्ट कर देना तथा राज्यके अर्थ-विषयक न्याय नियमोको भंग करना—सद्वशसन्मिश्र—अनुचित लाभ उठाने अथवा दूसरोको ठगनेकी दृष्टिसे खरीमें समान रग-रूपादिकी खोटी तथा बहु-मूल्यमें अल्पमूल्य वस्तुकी मिलावट करना और नकलीको जानदूभकर असलीके रूपमें देना—और हीनाधिकविनिमान—देने लेनेके बाट-तराजू, गज, पैमाने आदि कमती-बढ़ती रखना और उनके द्वारा कमती-बढ़ती तोल-माप करके अनुचित लाभ उठाना; ये पॉच अस्तेयके—अचौर्यांशुव्रतके—व्यतिपात हैं—अतिचार अथवा दोष हैं।’

व्याख्या—यहाँ जिन अतिचारोंका उल्लेख है उनमें चौथा ‘सद्वशसन्मिश्र’ नामका अतिचार वह है जिसके स्थान पर तत्त्वार्थसूत्रमें ‘प्रतिरूपकव्यवहार’ नाम दिया है और जिसे सर्वार्थसिद्धिकारने ‘कृत्रिम हिरण्यादिके द्वारा वंचना-पूर्वक व्यवहार’ बतलाया है। सद्वशसन्मिश्र अपने विषयमें अधिक स्पष्ट और व्यापक है। तीसरा अतिचार ‘विलोप’ है, जो तत्त्वार्थ-सूत्रमें दिये हुए ‘विस्त्र-राज्यातिक्रम’ नामक अतिचारसे बहुत कुछ भिन्न तथा अधिक विषयवाला है। विस्त्र-राज्यातिक्रमकी ज्ञान-राज्यातिक्रमिकारने नीचे लम्बमें ग्रन्थ मालम नेता

है कि 'विरुद्धं (प्रतिपक्षी) राज्यमें उचित न्यायसे अन्य प्रकार दानका ग्रहण 'विरुद्धराज्यातिक्रम' कहलाता है और उसका आशय है 'अल्पमूल्यमें मिले हुए द्रव्योंको वहाँ बहुमूल्य बनाने का प्रयत्न' ॥ । इससे अपने राज्यकी जनता उन द्रव्योंके उचित उपयोगसे बचित रह जाती है और इसलिये यह एक प्रकारका अपहरण है । विलोपमे दूसरे प्रकारका अपहरण भी शामिल है जो किसीकी सम्पत्तिको नष्ट करके प्रस्तुत किया जाता है । टीकाकार प्रभाचन्द्रने विलोपकी व्याख्या विरुद्धराज्यातिक्रम-के रूपमे दी है और साथमें विरुद्धराज्यातिक्रमका स्पष्ट नामो-ल्लेख भी कर दिया है, जब कि विलोप विरुद्ध-राज्यातिक्रमका कोई पर्यायनाम नहीं है ।

ब्रह्मचर्याऽणुव्रत-लक्षण

न तु + परदारान् गच्छति न परान् गमयति पापभीतेर्यत् ।
सा परदारनिवृत्तिः स्वदारसंतोषनामाऽपि ॥१३॥५९॥

'पापके भयसे (न कि राजादिके भयसे) पर-स्त्रियोंको—स्वदार मिल अन्य स्त्रियोंको—जो स्वर्य सेवन न करना और न दूसरोंको सेवन करना है वह 'परदारनिवृत्ति' ब्रत है, 'स्वदारसंतोष' भी उसीका नामान्तर है—दूसरे शब्दोंमें उसे स्थूल मैथुनसे विरति स्थूल-कामविरति तथा ब्रह्मचर्याणुव्रत भी कहते हैं ।

व्याख्या—यहाँ इस ब्रतके दो नाम दिये गये हैं—एक 'परदारनिवृत्ति' दूसरा 'स्वदारसंतोष' जिनमेंसे एक निषेधपरक

॥ उचितन्यायादन्येन प्रकारेण दानग्रहणमतिक्रमः । विरुद्ध राज्य विरुद्धराज्य, विरुद्धराज्येऽतिक्रमः विरुद्धराज्यातिक्रमः । तत्र ह्याल्पमूल्यलम्यानि महार्थाणिं द्रव्याशीति प्रयत्नः । —सर्वार्थसिद्धिः-

+ 'च' इति पठान्तरम् ।

दूसरा विधिपरक है। दोनोंका आशय एक है। विधिपरक 'स्वदार-संतोष' का आशय बिल्कुल स्पष्ट है और वह है अपनी स्त्रीमें ही सन्तुष्ट रहना—एक मात्र उसीके साथ काम-सेवा करना। और इसलिये परदारनिवृत्तिका भी यही आशय लेना चाहिये—अर्थात् स्वदारभिज्ञ अन्य स्त्रीके साथ कामसेवाका त्याग। इससे दोनों नामोंकी वाच्यभूत वस्तु (ब्रह्मचर्याणुव्रत) के स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं रहता और वह एक ही ठहरती है। प्रत्युत इसके, 'परदार' का अर्थ परकी (पराइ) विवाहिता या धरेजा करी हुई स्त्री करना और एक मात्र उसीका त्याग करके शेष कन्या तथा वेश्याके सेवनकी छूट रखना संगत प्रतीत नहीं होता; क्योंकि इससे दोनों नामोंके अर्थका समानाधिकरण नहीं रहता।

ब्रह्मचर्याणुव्रतके अतिचार

अन्यविवाहाऽकरणाऽनङ्गकीडा-विट्ट्व-विपुलतृष्णः ।

इत्वरिकागमनं चाऽस्मरस्य पञ्च व्यतीचाराः ॥१४॥६०॥

'अन्यविवाहाऽकरण—दूसरोका अर्थात्' अपने तथा स्वजनोसे भिन्न गैरोका विवाह सम्पन्न करनेमें पूरा योग देना—, अनङ्गकीडा—निदृष्ट कामके अगोको छोड़कर अन्य अगादिकोसे या अन्य अगादिकोमें कामकीडा करना—, विट्टपनेका व्यवहार—भण्डपनेको लिये हुए काय वचनकी कुचेष्टा—, विपुलतृष्णा—कामकी तीव्र लालसा—और इत्वरिकागमन—कुलटा व्यभिचारिणी स्वस्त्रीका सेवन—; ये स्मरके स्थूलकामविरति ग्रथवा ब्रह्मचर्याणुव्रतके—पांच अतिचार हैं।

व्याख्या—यहों 'अन्यविवाहाऽकरण', 'अनङ्गकीडा', और 'इत्वरिकागमन' ये तीन पद खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं। 'अन्यविवाहाऽकरण' पदमें 'अन्य' शब्दका अभिप्राय उन दूसरे लोगोंसे है जो अपने कुटुम्बी अथवा आश्रितजन नहीं हैं।

और 'आकरण' शब्दका आशय सब ओरसे विवाहकार्यको सम्पन्न करना अर्थात् उसमें तन-भन-धनसे पूरा योग देना है। और इसलिये अपने कुदुम्बी तथा आश्रितजनोंका विवाह करना तथा दूसरोंके विवाहमें मात्र सलाह-भशवरा अथवा सम्मतिका देना इस ब्रतके लिये दोषरूप अथवा बाधक नहीं हैं। 'अनङ्ग-कीड़ा' पदके द्वारा उन अंगोंसे तथा उन अंगोंमें काम-कीड़ा करनेका निषेध किया है जो मानवोंसे कामसेवा अथवा मैथुन-सेवनके लिये विहित नहीं हैं, और इससे हस्तमैशुनादिक-जैसे सभी अप्राकृतिक मैथुन दोषरूप ठहरते हैं। 'इत्वरिकागमन' पदमें 'इत्वरिका' शब्द उस स्वस्त्रीका वाचक है जो बादको कुलदा अथवा व्यभिचारिणी होगई हो—परस्त्रीका वाचक वह नहीं है; क्योंकि परस्त्री-गमनका ल्याग तो मूलब्रतमें ही आ गया है तब अतिचारोंमें उसके पुनः ल्यागका विधान कुछ अर्थ नहीं रखता।

अपरिग्रहाऽणुब्रत-लक्षण

धन-धान्यादि-ग्रन्थं परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता ।
परिमितपरिग्रहः स्यादिच्छापरिमाण-नामाऽपि ॥१४॥६१॥

'धन-धान्यादि' परिग्रहको परिमित करके—धन-धान्यादिरूप दस प्रकारके वाहा परिग्रहोंका सत्या-सीमानिर्धारणात्मक परिमाण करके—जो उस परिमाणसे अधिक परिग्रहोंमें वांछाकी निवृत्ति है उसका नाम 'परिमितपरिग्रह' है, 'इच्छापरिमाण' भी उसीका नामान्तर है—दूसरे शब्दोंमें उसे 'स्थूल-मूच्छार्विरति', 'परिग्रहपरिमाणव्रत' और 'अपरिग्रहाऽणुब्रत' भी कहते हैं।

व्याख्या—यहाँ जिस धन-धान्यादि परिग्रहके परिमाणका विधान है वह वाहा परिग्रह है और उसके दस भेद हैं, जैसा कि 'परिग्रहत्याग' नामकी दसवीं प्रतिमाके स्वरूपकथनमें प्रयुक्त हुए,

‘ब्रह्मेषु दशसु वस्तुषु’ इन पदोंसे जाना जाता है। वे दस प्रकारके परिग्रह क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, शयनासन, यान, कुप्य और भाण्डाँ हैं। क्षेत्रमें सब प्रकारकी भूमि, पर्वत और नदी नाले शामिल हैं। वास्तुमें सब प्रकारके मन्दिर, मकान, दुकान और भवनादिक दाखिल हैं। धनमें सोना-चॉदी, मोती, रत्न, जवाहरात और उनसे बने आभूपण तथा रूपया-पैसादि सब परिग्रहीत हैं। धान्यमें शालि, गेहूँ, चना, मटर, मूँग, उड्ढ आदि खेतीकी सब पैदावार अन्तर्भूत है। द्विपदमें सभी दासी-दास, नौकर-चाकर, स्त्री-पुत्रादि दो पैरवाले जीवों-का तथा चतुष्पदमें हाथी, घोड़ा, बैल, भैसा, ऊँट, गदहा, गाय, बकरी आदि चार पैरों वाले जन्तुओंका ग्रहण है। शयनासनमें सोने और बैठनेके सब प्रकारके उपकरणोंका समावेश है; जैसे खाट, पलंग, चटाई, पीढ़ा, तख्त, सिंहासन, कुर्सी आदिक। यानमें डोली, पालकी, गाड़ी, रथ, नौका, जहाज, मंटरकार और हवाईजहाज आदिका अन्तर्भव है। कुप्यमें सब प्रकारके सूती, ऊनी, रेशमी आदि वस्त्र अन्तर्निहित हैं तथा भाण्डमें लोहा, तांवा, पीतल, कांसी आदि धातु-उपधातुओंके, मिट्टी-पत्थर-कांचके और काष्ठादिकके बने हुए सभी प्रकारके बर्तन, उपकरण, औजार, हथियार तथा खिलौने संग्रहीत हैं। इन सब परिग्रहोंका अपनी शक्ति परिस्थिति और आवश्यकताके अनुसार परिमाण करके उस प्रमाणसे बाहर जो दूसरे बहुतसे बाह्य परिग्रह हैं उन्हें ग्रहण न करना ही नहीं बल्कि उनमें इच्छा तकका जो त्याग है वही परिमित-परिग्रह कहलाता है और इसीसे उसका दूसरा नाम ‘इच्छापरिमाण’ भी रखता गया है।

† “क्षेत्रं वास्तु धन धान्य, द्विपदं च चतुष्पदम् ।

शय्यासनं च यानं च कुप्य-भाण्डमितिव्यम् ॥”

अपरिग्रहज्ञुब्रतके अतिचार

अतिवाहनाऽतिसंग्रह-विस्मय-लोभाऽतिभारवहनानि ।

परिमितपरिग्रहस्य च विज्ञेषाः पञ्च लक्ष्यन्ते ॥१६॥६२॥

‘परिमितपरिग्रह (परिग्रहपरिमाण) ब्रतके भी पाँच अतिचार निर्दिष्ट किये जाते हैं और वे हैं— १ अतिवाहन—शषिक लाभ उठानेकी हाइमे अधिक लाभाना, जोतना, इस्तैमाल करना अथवा काम लेना—, २ अतिसंग्रह—विशिष्ट लाभकी आशासे अधिक काल तक धन-धात्यादिका संग्रह रखना—, ३ अतिविस्मय—ध्यापारादिकमें दूसरोके अधिक लाभको देखकर विपाद करना अर्थात् जलना-कुड़ना—, ४ अतिलोभ—विशिष्ट लाभ होते हुए भी और अधिक लाभकी लालसा रखना—, और ५ अतिभारवाहन—लोभके बश किसी पर शक्तिसे अथवा न्याय-नीतिसे अधिक भार लादना—; ये परिग्रहपरिमाण ब्रत अथवा अपरिग्रहज्ञुब्रतके पाँच अतिचार हैं।

व्याख्या—परिग्रहपरिमाणब्रत लेनेके समय संस्कारित दृष्टिमें चेतन-अचेतन पदार्थोंसे लाभ उठानेके लिये उनके इस्तैमाल (उपयोग) आदिका जो माध्यम होता है उससे अधिकका ग्रहण अथवा न्याय-नीतिका उल्लंघन करके अधिक ग्रहण ही यहाँ ‘अति’ शब्दका वाच्यार्थ है।

अग्नुब्रत-पालन-फल

पञ्चाग्नुब्रतनिधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम् ।

यत्राऽवधिरप्तगुणाः दिव्यशरीरं च लभ्यन्ते ॥१७॥६२॥

‘निरतिचाररूपसे पालन किये गये (उक्त श्रहिंसादि) पाँच अग्नुब्रत निधिस्थरूप हैं और वे उस सुरलोकको फलते हैं—प्रदान करते हैं—जहाँ पर (स्वतः स्वभावसे) अवधिज्ञान, (शणिमादि) आठगुण और दिव्य शरीर ग्राप होते हैं।

व्याख्या—यहाँ 'अवधिः' पदके द्वारा जिस अवधिज्ञानका उल्लेख है वह भवप्रत्यय अवधिज्ञान है, जो देवलोकमें भवथारण अर्थात् जन्म लेनेके साथ ही उत्पन्न होता है तथा उस भवकी स्थिति-पर्यन्त रहता है और जिसके द्वारा देश-कालादिकी अवधि-विशेषके भीतर रूपी पदार्थोंका एकदेश साक्षात् (देशप्रत्यक्ष) ज्ञान होता है । यह अवधिज्ञान 'सर्वावधिः' तथा 'परमावधिः' न होकर 'देशावधिः' कहलाता है और अपने विषयमें निर्भान्त होता है । 'अष्टगुणः' पदके द्वारा जिन आठ गुणोंका उल्लेख किया गया है वे है—१ अणिमा, २ महिमा, ३ लघिमा, ४ प्राप्ति, ५ प्राकाम्य ६ ईशित्व, ७ वशित्व, और ८ कामरूपित्व । आगमानुसार 'अणिमा' गुण उस शक्तिका नाम है जिसमें बड़ेसे बड़ा शरीर भी अगुरुपमें परिणित किया जा सके । 'महिमा' गुण उस शक्तिका नाम है जिससे छोटेसे छोटा अगुरुप शरीर भी मेरुप्रमाण जितना अथवा उससे भी बड़ा किया जा सके । लघिमा गुण उस शक्तिका नाम है जिससे मेरु जैसे भारी शरीरको भी बायुसे अधिक हलका अथवा इतना हलका किया जा सके कि वह मकड़ी जालेके तन्तुओंपर निर्वाध रूपसे गति कर सके । 'प्राप्ति' गुण उस शक्तिविशेषको कहते हैं जिससे दूरस्थ मेरु-पर्वतादिके शिखरों तथा चन्द्र-सूर्योंके विम्बोंको हाथकी अँगुलियोंसे छुआ जा सके । 'प्राकाम्य' गुण वह शक्ति है जिससे जलमें गमन पृथ्वीपर गमनकी तरह और पृथ्वीपर गमन जलमें गमनके समान उन्मज्जन-निमज्जन करता हुआ हो सके । 'ईशित्व' गुण उस शक्तिका नाम है जिससे सर्व संसारी जीवों तथा प्राम नगरादिकों को भोगने-उपयोगमें लानेकी सामर्थ्य प्राप्त हो अथवा सबकी प्रभुता घटित हो सके । 'वशित्व' गुण उस शक्तिको कहते हैं जिससे प्रायः सर्व संसारी जीवोंका वशीकरण किया जा सके । 'कामरूपित्व' गुण उस शक्तिका नाम है जिससे विकिया-द्वारा

अनेक प्रकारके इच्छितरूप शुगपत् धारण किये जा सके । और 'दिव्यशरीर' पदसे उस प्रकारके शरीरका अभिप्राय है जो सम कुधातु तथा मल-मूत्रादिसे युक्त औदारिक न होकर वैक्रियक होता है और अद्वितीय शोभासे सम्पन्न रहता है ।

अहिंसादिके पालनेमें प्रसिद्ध

* मातंगो धनदेवश्च वारिपेणस्ततः परः † ।

नीलीं जयश्च सम्प्राप्ताः पूजाऽतिशयमुच्चमम् ॥१८॥६४॥

धनश्री-सत्यघोषौ च तापसाऽरक्षकावपि ।

उपाख्येयास्तथाश्मश्रुनवनीतो यथाक्रमम् ॥१९॥६५॥

'मातंग (चाण्डाल), धनदेव (सेठ), तदन्तर वारिपेण (राज-कुमार), नीली (वरिणीपुत्री) और जय (राजा), उत्तम पूजा-तिशयको प्राप्त हुए ।'

'धनश्री (सेठनी) और सत्यघोष (पुरोहित), तापस और आरक्षक (फोट्पाल) तथा श्मश्रुनवनीत (मूँछोंमें लगे धीसे व्यापार करनेका अभिलापी); ये यथाक्रम उपाख्येय हैं—उन्हे क्रमशः उपाख्यान (परम्परा कथा) का विपय बनाना चाहिए ।'

व्याख्या—इन श्लोकोकी शब्दरच्चना परसे यद्यपि यह स्पष्ट मालूम नहीं होता कि मातंगादिकने किस विषयमें उत्तम पूजाति-शयको प्राप्त किया और धनश्री आदिको किस विषयमें उपाख्यानका विपय बनाना चाहिए; फिर भी इन व्यक्तियोंकी कथाएँ अहिंसा-हिंसादिके विषयमें सुप्रसिद्ध हैं और अनेक ग्रन्थोंमें पाई जाती हैं अतः उन्हें यहाँ उदाहृत नहीं किया गया है ।

* इन दोनो श्लोकोकी स्थिति आदिके सम्बन्धमें विशेष विचार तथा उद्धापोहको जाननेके लिये ग्रन्थकी प्रस्तावनाको देखना चाहिये ।

† 'पर' इति पाठान्तरम् ।

आष्ट मूलगुण

मध्य-मांस-मधु-त्यागैः सहाऽणुव्रत-पंचकम् ।

अष्टौ मूलगुणानाहुर्गृहिणां श्रमणोत्तमाः ॥२०॥६६॥

इति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्य-विरचिते समीचीनधर्मशास्त्रे

रत्नकरण्डाऽपरनाम्नि उपासकाध्ययने अणुव्रतवर्णनं

नाम तृतीयमध्ययनम् ॥ २ ॥

‘ श्रमणोत्तम—श्रीजिनेन्द्रदेव—मध्यत्याग, मांस-त्याग और मधुत्यागके साथ पांच अणुव्रतोंको (सद्) गृहस्थोंके आठ मूल-गुण बताते हैं ।—और इससे अन्य दिग्भ्रतादिक जो गुण हैं वे सब उत्तरगुण हैं, यह साफ कलित होता है ।’

व्याख्या—यहाँ ‘गृहिणां’ पद यद्यपि सामान्यरूपसे बिना किसी विशेषणके प्रयुक्त हुआ है । फिर भी प्रकरणकी दृष्टिसे वह उन सद्गृहस्थोंका वाचक हैं जो ब्रती-श्रावक होते हैं—अब्रती गृहस्थोंसे उसका प्रयोजन नहीं है । जैनधर्ममें जिस प्रकार महाब्रती मुनियोंके लिए मूलगुणों और उत्तरगुणोंका विधान किया गया है उसी प्रकार अणुव्रती श्रावकोंके लिये भी मूलोत्तरगुणोंका विधान है । मूलगुणोंसे अभिप्राय उन ब्रत-नियमादिकसे है जिनका अनुष्ठान सबसे पहले किया जाता है और जिनके अनुष्ठानपर ही उत्तर गुणोंका अथवा दूसरे ब्रत-नियमादिका अनुष्ठान अवलम्बित होता है । दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि जिस प्रकार मूलके होते ही बृक्षके शाला-पत्र-पुष्प-फलादिका उद्भव हो सकता है उसी प्रकार मूल गुणोंका आचरण होते ही उत्तर गुणोंका आचरण यथेष्ट बन सकता है । श्रावकोंके वे मूलगुण आठ हैं, जिनमें—पाँच तो वे अणुव्रत हैं जिनका स्वरूपादि इससे पहले निर्दिष्ट हो चुका है और तीन गुण मध्य, मांस तथा मधुके त्यागरूपमें हैं । मध्य, जिसके त्यागका यहाँ विधान है, वह नशीली वस्तु जो मन्त्रज्यकी ब्रह्मिको भ्रष्ट करके उसे उन्मत्त अथवा मारी

असावधान बनाती है—चाहे वह पिष्ठोदक गुड़ और घातकी आदि पदार्थोंको गला-सङ्कार रसरूपमें तथ्यार की गई हो और या भांग-धूरादिके द्वारा खाने-पीनेके किसी भी रूपमें प्रस्तुत हो; क्योंकि मद्यत्यागमें ग्रन्थकारकी दृष्टि प्रभाद-परिहरण की है, जैसाकि इसी ग्रन्थकी अगली एक कारिकामें प्रयुक्त हुए ‘प्रभाद-परिहतये मध्यं च वर्जनीय’ इस वाक्यसे जाना जाता है। मास उस विकृत पदार्थका नाम है जो द्वीन्द्रियादि त्रसजीवोंके रस-रक्तादिमिश्रित कलेवरसे निष्पन्न होता है और जिसमें निरन्तर त्रसजीवोंका उत्पाद बना रहता है—चाहे वह पदार्थ आर्द्ध हो शुष्क हो या द्रवरूपमें उपस्थित हो। उसके त्यागमें त्रसहिंसा-की दृष्टि संनिहित है। और मधु, जिसका त्याग यहाँ विहित है, वह पदार्थ है जिसे मधुमक्खियाँ पुष्पोंसे लाकर अपने छुत्तोंमें संचय करती हैं और जो बादमें प्रायः छुत्तोंको तोड़-मरोड़ तथा निचोड़कर मनुष्योंके खानेके लिये प्रस्तुत किया जाता है और जिसके इस प्रस्तुतीकरणमें मधुमक्खियोंको भारी बाधा पहुँचती है, उनका तथा उनके अण्डे-बच्चोंका रसादिक भी निचुड़ कर उसमें शामिल हो जाता है और इस तरह जो एक धृणित पदार्थ बन जाता है। ‘क्लौद्र’ संज्ञा भी उसे प्रायः इस प्रक्रियाकी दृष्टिसे ही प्राप्त है। इसके त्यागमें भी त्रसहिंसाके परिहारकी दृष्टि संनिहित है; जैसा कि अगली उक्त कारिकामें प्रयुक्त हुए ‘त्रसहति-परिहरणार्थं पिण्ठितं क्लौद्रं च वर्जनीय’ इस वाक्यसे जाना जाता है।

यहाँ पर एक बात खास तौरसे जान लेनेकी है और वह है अष्टमूलगुणोंमें पंच अगुच्चर्तोंका निर्देश; क्योंकि अमृतचन्द्र, सोमदेव और देवसेन जैसे कितने ही उत्तरवर्ती आचार्यों तथा कविराजमल्लादि जैसे विद्वानोंने अपने-अपने ग्रन्थोंक्षेत्रमें पञ्चाण्ण-

क्षेत्रो, पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, यशस्तिलक, भावसग्रह (प्रा०) और पंचाध्यावी तथा लाटी सहिता ।

ब्रतोंके स्थानपर पंच उदुम्बरफलोंका निर्देश किया है। जिनमें बड़ी, पीपल, पिलखन आदि के फल शामिल हैं। कहाँ पंचाणुब्रत और कहाँ पंच उदुम्बर फलोंका त्याग ! दोनोंमें जमीन-आस्पान-कासा अन्तर है। वस्तुतः विचार किया जाय तो उदुम्बरफलोंका त्याग मांसके त्यागमें ही आ जाता है; क्योंकि इन फलोंमें चलते-फिरते त्रस जीवोंका समूह साक्षात् भी दिखलाई देता है, इनके भक्षणसे मांसभक्षणका स्पष्ट दोष लगता है, इसीसे इनके भक्षणका निषेध किया जाता है। और इसलिए जो मांस-भक्षणके त्यागी हैं वे प्रायः कभी इनका सेवन नहीं करते। ऐसी हालत में—मांसत्याग नामका एक मूलगुण होते हुए भी—पंच उदुम्बर-फलोंके त्यागको, जिनमें परस्पर ऐसा कोई विशेष भेद भी नहीं है, पांच अलग अलग मूलगुण करार देना और साथ ही पंचाणुब्रतोंको मूलगुणोंसे निकाल देना एक बड़ी ही विलक्षण बात मालूम होती है। इस प्रकारका परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं होता। यह परिवर्तन कुछ विशेष अर्थ रखता है। इसके द्वारा मूलगुणोंका विषय बहुत ही हल्का किया गया है और इस तरह उन्हें अधिक व्यापक बनाकर उसके क्षेत्रकी सीमाओंको बढ़ाया गया है। बात असलमें यह मालूम होती है कि मूल और उत्तर गुणोंका विधान ब्रतियोंके वास्ते था। अहिंसादिक पंचब्रतोंका, जो सर्वदेश (पूर्णतया) पालन करते हैं वे भग्नाब्रती, मुनि अथवा यति आदि कहलाते हैं और जो उनका एकदेश (स्थूल-रूपसे) पालन करते हैं उन्हें देशब्रति, आवक अथवा देशयति कहा जाता है।

जब भग्नाब्रतियोंके २८ मूलगुणोंमें अहिंसादिक पंचब्रतोंका वर्णन किया गया है तब देशब्रतियोंके मूलगुणोंमें पंचाणुब्रतोंका विधान होना स्वाभाविक ही है और इसलिये स्वामी समन्तभद्रने पंच अणुब्रतोंको लिए हुए आवकोंके अष्टमूलगुणोंका जो प्रति-

पादन किया है वह युक्तियुक्त ही प्रतीत होता है। परन्तु वादमें ऐसा जान पड़ता है कि जैन गृहस्थोंको परस्परके इस व्यवहारमें कि 'आप श्रावक हैं' और 'आप श्रावक नहीं हैं' कुछ भारी असमंजसता प्रतीत हुई है। और इस असमंजसताको दूर करनेके लिए अथवा देशकालकी परिस्थितियोंके अनुसार सभी जैनियोंको एक ही श्रावकीय मण्डेके तले लाने आदिके लिए जैन आचार्योंको इस बातकी ज़रूरत पड़ी है कि मूलगुणोंमें कुछ फेर-फार किया जाय और ऐसे मूलगुण स्थिर किये जायं जो ब्रतियों और अब्रतियों दोनोंके लिए साधारण हों। वे मूलगुण मध्य, मांस और मधुके त्याग रूप तीन हो सकते थे; परन्तु चूंकि पहलेसे मूलगुणोंकी संख्या आठ रुद्ध थी, इसलिये उस संख्याको ज्यों-का-त्यों कायम रखनेके लिये उक्त तीन मूलगुणोंमें पञ्चोदुम्बर फलोंके त्यागकी योजना की गई है और इस तरह इन सर्वसाधारण मूलगुणोंकी सूषिट हुई जान पड़ती है। ये मूलगुण ब्रतियों और अब्रतियों दोनोंके लिये साधारण हैं, इसका स्पष्टीकरण कवि-राजमल्हके पंचाध्यायी तथा लाटीसंहिता ग्रन्थोंके निम्न पद्धसे भले प्रकार हो जाता है:—

तत्र मूलगुणाश्चायौ यृहिणां ब्रतधारिणाम् ।

क्वचिदत्रितिनां यस्मात् सर्वसाधारणा इमे ॥

परन्तु यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि समन्तभद्र-द्वारा प्रतिपादित मूलगुणोंका व्यवहार अब्रतियोंके लिये नहीं हो सकता, वे ब्रतियोंको ही लक्ष्य करके लिखे गये हैं; यही दोनोंमें परस्पर भेद है। अस्तु; इस प्रकार सर्वसाधारण मूलगुणोंकी सूषिट हो जाने पर, यद्यपि, इन गुणोंके धारक अब्रती भी श्रावकों तथा देशब्रतियोंमें परिणाशित होते हैं—सोमदेवने, यशस्तिलकमे, उन्हें साफ तौरसे 'देशयति' लिखा है—तो भी वास्तवमें उन्हे 'नामके ही' श्रावक अथवा देशयति समझना चाहिये; जैसाकि पंचाध्यायी-

के निम्न पद्यसे प्रकट है, जो लाटीसंहितामें भी पाया जाता है और जिसमें यह भी बतलाया गया है कि जो गृहस्थ इन आठोंका त्यागी नहीं वह नामका भी श्रावक नहीं:—

‘ मद्यमांसमधुत्यागी त्यजोदुम्बरपंचकः ।
नामतः श्रावकः ख्यातो नान्यथापि तथा गृही ॥

असल श्रावक तो वे ही हैं जो पंच अणुब्रतोंका पालन करते हैं। और इस सब कथनकी पुष्टि शिवकोटि आचार्यकी ‘रत्न-माला’ के निम्न वाक्यसे भी होती है, जिसमें पंच-अणुब्रतोंके पालन-सहित मद्य, मांस और मधुके त्यागको ‘अष्टमूलगुण’ लिखा है और साथ ही यह बतलाया है कि पंच-उदुम्बरवाले जो अष्टमूलगुण हैं वे अर्भकों—आलकों, मूर्खों, छोटों अथवा कम-जोरोंके लिए हैं। और इससे उनका साफ तथा खास सम्बन्ध अब्रतियोंसे जान पड़ता है—

मद्य-मांस-मधु-त्याग-संयुक्ताऽणुब्रतानि नुः ।
अष्टौ मूलगुणाः पंचोदुम्बराश्चाभ्येष्यपि ॥१६॥

इन समन्तभद्र-प्रतिपादित मूलगुणोंमें श्रीजिनसेन और अमितगति जैसे आचार्योंने भी, अपने-अपने प्रतिपाद्योंके अनु-रेधवश, थोड़ा-बहुत भेद उत्पन्न किया है, जिसका विशेष वर्णन और विवेचन ‘जैनाचार्योंका शासन भेद’ नामक ग्रन्थसे जाना जा सकता है।

इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र
अपरनाम रत्नकरण-उपासकाध्ययनमें अणुब्रतोंका
वर्णन करनेवाला तीसरा अध्ययन समाप्त हुआ ॥३॥

चतुर्थ अध्ययन

गुणव्रतोके नाम और इस सज्जाकी सार्थकता

दिग्ब्रतमनर्थदण्डव्रतं च भोगोपभोगपरिमाणम् ।

अनुबृंहणाद्गुणानामाख्यान्ति गुणव्रतान्यार्याः ॥१॥६७॥

‘आर्यजन—तीर्थंकर-गणवरादिक उत्तमपुरुष—दिग्ब्रत, अनर्थदण्डव्रत और भोगोपभोगपरिमाण (व्रत) को ‘गुणव्रत’ कहते हैं; क्योंकि ये गुणोंका अनुबृंहण करते हैं—नूर्वोक्त आठ मूलगुणोंकी वृद्धि करते हुए उनमें उत्कर्षता लाते हैं।’

व्याख्या—यहाँ ‘गुणव्रतानि’ पदमें प्रयुक्त हुआ ‘गुण’ शब्द गुणोंका (शक्तिके अंशोंका) और गौणका वाचक नहीं है, बल्कि गुणकार अथवा वृद्धिका वाचक है, इसी बातको हेतुरूपमें प्रयुक्त हुए ‘अनुबृंहनात्’ पदके द्वारा सूचित किया गया है।

दिग्ब्रत-लक्षण

दिग्वलयं परिगणितं कृत्वाऽतोऽहं वहिर्न यास्यामि ।

इति संकल्पो दिग्ब्रतमामृत्यणुपाप-विनिवृत्यै ॥२॥६८॥

‘दिग्वलयको—दशो दिशाओंको—मर्यादित करके जो सूक्ष्म पापकी निवृत्तिके अर्थ मरण-पर्यन्तके लिये यह संकल्प करना है कि ‘मैं दिशाओंकी इस मर्यादोसे बाहर नहीं जाऊँगा’ उसको दिशाओंसे विरतिरूप ‘दिग्ब्रत’ कहते हैं।’

व्याख्या—जिस दिग्वलयको मर्यादित करनेकी बात यहाँ कही गई है वह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ऐसे चार दिशाओं तथा अग्नि, नैऋत, वायव्य, ईशान ऐसे चार विदिशाओं और—ऊर्ध्व दिशा एवं अधोदिशाको मिलाकर दृश दिशाओंके रूपमें

है, जिनकी मर्यादाओंका कुछ सूचन अगली कारिकामें किया गया है। यहाँ पर इतना और जान लेना चाहिये कि यह मर्यादी-करण किसी अल्पकालकी मर्यादाके लिये नहीं होता, बल्कि यावज्जीवन अथवा मरणपर्यन्तके लिये होता है, इसीसे कारिकामें 'आमृति' पदका प्रयोग किया गया है। और इसका उद्देश्य है अवधिके बाहर स्थित क्षेत्रके सम्बन्धमें अगुपापकी विनिवृत्ति अर्थात् स्थूलपापकी ही नहीं बल्कि सूक्ष्म-पापकी भी निवृत्ति। और यह तभी हो सकती है जब उस मर्यादा-बाह्य क्षेत्रमें मनसे वचनसे तथा कायसे गमन नहीं किया जायगा। और इसलिये संकल्प अथवा प्रतिज्ञामें स्थित 'वहिन्न यास्यामि' वाक्य शरीरकी हृषिसे ही बाहर न जानेका नहीं बल्कि वचन और मनके द्वारा भी बाहर न जानेका सूचक है, तभी सूक्ष्म-पापकी विनिवृत्ति बन सकती है।

दिग्ब्रतकी मर्यादाएँ

मकराकर-सरिदटवी-गिरि-जनपद-योजनानि मर्यादाः ।

प्राहुर्दिशां दशानां ग्रतिसंहारे ग्रसिद्धानि ॥३॥६६॥

'दशां दिशाओंके प्रतिसंहारमें—उनके मर्यादीकरणरूप दिग्ब्रत-के ग्रहण करनेमें—प्रसिद्ध समुद्र, नदी, अटवी (वन), पर्वत, देश-नगर और योजनोंकी गणना, ये मर्यादाये कही जाती है।'

व्याख्या—दिग्ब्रतका संकल्प करते-कराते समय उसमे इन अथवा इन-जैसी दूसरी लोकप्रसिद्ध मर्यादाओंमेंसे किसी न किसीका स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिये।

‘दिग्ब्रतोसे अगुप्रतोको महाव्रतत्व

अवधेवंहिरण्यपापां-प्रतिविरतेदिंग्ब्रतानि धारयताम् ।

पंचमहाव्रतपरिणामणुव्रतानि प्रपञ्चन्ते ॥४॥७०॥

† 'अगुपाप' इति पाठान्तरम् ।

‘दिशाओंके ब्रतोंको धारण करनेवालोंके अणुब्रत, मर्यादाके बाहर सूहम-पापोंकी निवृत्ति हो जानेके कारण, पंच महाब्रतोंकी परिणतिको—उतने अशोमें महाब्रतोंजैसी अवस्थाको—प्राप्त होते हैं।’

व्याख्या—जब दिग्ब्रतोंका धारण-पालन करने परं अणुब्रत मंहाब्रतोंकी परिणतिको प्राप्त होते हैं तब ‘दिग्ब्रत गुणब्रत हैं’ यह बात सहजमें ही स्पष्ट हो जाती है और इसका एक मात्र आधार मर्यादित हेत्रके बाहर सूहम पापसे भी विरक्तिका होना है।

महाब्रतत्वके योग्य परिणाम

प्रत्याख्यान-तनुत्वान्मन्दतराश्चरणमोह-परिणामाः ।

सत्वेन दुरवधारा महाब्रताय प्रकल्प्यन्ते ॥५॥७१॥

‘प्रत्याख्यानके कृश होनेसे—प्रत्याख्यानावरणरूप द्रव्य-क्रोध-मान-माया-लोभ नामक कर्मोंका मन्द उदय होनेके कारण—चारित्रमोह-के परिणाम—क्रोध-मान-माया-लोभके भाव—बहुत मन्द होजाते हैं, (यहाँ तक कि) अपने अस्तित्वसे दुरवधार हो जाते हैं—सहजमें लक्षित नहीं किये जा सकते—वे परिणाम महाब्रतके लिये प्रकल्पित किये जाते हैं—उन्हें एक प्रकार महाब्रत कहा जाता है।’

व्याख्या—यहाँ ‘प्रत्याख्यान’ शब्द नामका एकदेश होनेसे ‘प्रत्याख्यानावरण’ नामका उसी तरह वाचक है जिस तरह कि ‘राम’ शब्द ‘रामचन्द्र’ नामके व्यक्तिविशेषका वाचक होता है। हिंसादिकसे विरक्तिरूप संयमका नाम प्रत्याख्यान है। इस प्रत्याख्यानको जो आवृत्त करते हैं—नहीं होने देते—वे द्रव्य क्रोध-मान-माया और लोभके रूपमें चार कर्म-प्रकृतियों हैं, जिन्हें ‘प्रत्याख्यानावरण’ कहा जाता है। इन चारों कर्मप्रकृतियोंका उदय जब अतिमन्द होता है तो चारित्रमोहके परिणाम भी अतीव मन्द हो जाते हैं अर्थात् क्रोध-मान-माया-लोभके भाव इतने अँधिक तीख हो जाते हैं कि उनका अस्तित्व सहजमें ही मालूम नहीं पड़ता। चारित्रमोहके ये ही मन्दतर परिणाम महाब्रतत्वको

प्राप्त होते हैं। यहाँ चारित्रमोहके परिणामोंका ‘सत्तेन दुरवधारः’ विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस बातको सूचित करता है, कि जहाँ क्रोधादिकषयें साफ, तौरसे परिलक्षित या भभकती हुई, नजार, आती हों वहाँ महाब्रतोंकी कल्पनातक भी नहीं की जा सकती—भले ही वे व्यक्ति बाह्यमें मुनिपदके धारक-क्षयों न हों।

महाब्रत-लक्षण

पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचःकायः ।

कृत-कारिताऽनुमोदैस्त्यागस्तु महाब्रतं महतांम् ॥६॥७२॥

‘हिंसादिकपांच पापोंका—पांपोपार्जनके कारणोंको—मनसे, वचनसे, कायसे, कृत-द्वारा, कारित-द्वारा और अनुमोदन-द्वारा जो त्याग है—अर्थात् नव श्रेकारसे हिंसादिक पापोंके न करनेका जो हठ संकल्प है—उसका नाम ‘महाब्रत’ है और वह महासमाधोंके प्रोयः प्रमत्तसयतादि-गुणस्थानवर्त्ति-विशिष्ट-आत्माश्रोके—होता है।’

व्याख्या—यहाँ पापोंके साथमें ‘स्थूल’-जैसा कोई विशेषण नहीं लगाया गया, और इसलिये यहाँ स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकारके सभी पापोंका पूर्णरूपसे त्याग विवरित है। हिंसादि पाँचों पापोंका मन-वचन-कायसे कृत कारित और अनुमोदनाके रूपमें जो यह त्याग है वही महाब्रत है—पंच महाब्रतोंका समूह है—और उसको धारण-पालन करनेवाले महान् आत्मा होते हैं। अपरिग्रह-महाब्रतमें बाह्य और अभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहोंका त्याग होता है। अभ्यन्तर परिग्रह चौदह प्रकारके हैं, जिनमें राग-द्वेष-मोह-काम-क्रोध-मान-माया-लोभ तथा भयादिक शामिल हैं। इन सब-अन्तरंग-परिग्रहोंका पूर्णतः त्याग १२वें गुणस्थानमें जाकर होता है, जहाँ कि मोहनीय-कर्म अत्यन्त नीण होकर आत्मासे अलग हो जाता है—उसका अस्तित्व ही वहाँ शेष नहीं रहता; क्योंकि ये सब परिग्रह मोहनीय-कर्मके ही,

परिकर परिवार अथवा अंग हैं। ऐसी स्थितिमें महाब्रतोंकी पूर्णता भी १२वें गुणस्थानमें जाकर ही होती है। उससे पूर्वके छठे आदि गुणस्थानवर्तियोंको जो महाब्रती कहा जाता है वह पूर्व-कारिकानुवर्णित इस दृष्टिको लक्ष्यमें लेकर ही जान पड़ता है कि वहाँ चारित्रमोहके परिणाम ‘सत्वेन दुरवधार’ होते हैं।

दिग्ब्रतके अतिचार

ऊर्ज्वाऽधस्ताच्चिर्यग्व्यतिपात-क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम् ।

विस्मरणं दिग्विरतेरत्याशाः पञ्च मन्यन्ते ॥७॥७३॥

‘(अज्ञान या प्रमादसे) ऊपरकी दिशा-मर्यादाका उल्लंघन, नीचेकी दिशामर्यादाका उल्लंघन, दिशाओं-विदिशाओंकी मर्यादा-का उल्लंघन, क्षेत्रवृद्धि—क्षेत्रकी मर्यादाको बढ़ा लेना—तथा की हुई मर्यादाओंको भूल जाना; ये दिग्ब्रतके पाँच अतिचार माने जाते हैं।’

व्याख्या—यहाँ दिशाओंकी मर्यादाका उल्लंघन और क्षेत्र-वृद्धिकी जो बात कही गई है वह जान-बूझकर की जानेवाली नहीं बल्कि अज्ञान तथा प्रमादसे होनेवाली है; क्योंकि जानबूझकर किये जानेसे तो ब्रत भंग होता है—अतिचारकी तब बात ही नहीं रहती।

अनर्थदण्डब्रत-लक्षण

अभ्यंतरं दिग्वधेरपार्थकेभ्यः सपाप्योगेभ्यः ।

विरमणमनर्थदण्डब्रतं विदुर्ब्रतधराऽग्रण्यः ॥८॥७४॥

‘दिशाओंकी मर्यादाके भीतर निष्प्रयोजन पापयोगोंसे—पापमय मन, वचन, कायकी प्रवृत्तियोंसे—जो विरक्त होना है उसे ब्रतधारियोंमें अग्रणी—तीर्थकरादिक देव—‘अनर्थदण्डब्रत’ कहते हैं।

व्याख्या—यहाँ पापयोगका—अपार्थक (निष्प्रयोजन) विशेषण खास तौरसे ध्यान देनेके योग्य हैं और इस बातको सूचित

करता है कि मन-वचन-कायकी जो पापप्रवृत्ति स्थूलत्यागके अनु-स्तुप अपने किसी प्रयोजनकी सिद्धिके लिये की जाती है उसका यहाँ प्रहण नहीं है, यहाँ उस पापप्रवृत्तिका ही प्रहण है जो निर्धक होती है, जिसे लोकमे 'गुनाह बेलज्जत' भी कहते हैं और जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं सधता, केवल पाप ही पाप पल्ले पड़ता है। पापयोगका यह 'अपार्थक' विशेषण अनर्थ-दण्डके उन सभी भेदोंके साथ सम्बद्ध है जिनका उल्लेख अगली कारिकाओं में किया गया है।

अनर्थदण्डके भेद

पापोपदेश-हिंसादानाऽपध्यान-दुःश्रुतीः पञ्च ।

प्राहुः प्रमादचर्यामनर्थदण्डानदण्डधराः ॥६॥७५॥

'पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति (भीर) प्रमादचर्या, इनको अदण्डधर—मन-वचन-कायके अशुभ व्यापारको न धरनेवाले गणधरादिकदेव—पांच अनर्थदण्ड बतलाते हैं—इनसे विरक्त होनेके कारण अनर्थदण्ड ब्रतके पांच भेद कहे जाते हैं।

व्याख्या—यहाँ इस कारिकामें अनर्थदण्डोंके सिर्फ पांच नाम दिये हैं, इनसे विरक्त होनेका नाम पूर्व-कारिकाके अनुसार ब्रत है और इसलिए विषय-भेदसे अनर्थदण्डब्रतके भी पांच भेद हो जाते हैं। इन अनर्थदण्डोंके स्वरूपका क्रमशः वर्णन ग्रन्थकार-महोदय स्वर्यं ग्रन्थमें आगे कर रहे हैं।

पापोपदेश-नक्षण

तिर्यक्कलेश-वणिज्या-हिंसाऽरम्भ-प्रलंभनादीनाम् ।

कथा-प्रसंग-प्रसवःः स्मर्तव्यः पापउपदेशः ॥१०॥७६॥

'तिर्यक्कलेशके वणिज्यकी तथा कलेशात्मक-वणिज्यकी या

* 'प्रसवः कथाप्रसंगः' इति पाठान्तरम् ।

तिर्यक्त्रोंके क्लेशकी नथा क्रय-विक्रयादिरूप वाणिज्यकी अथवा तिर्यक्त्रोंके लिये जो क्लेशरूप हो ऐसे वाणिज्यकी, हिंसाकी— प्राणियोंके वधकी—, आरम्भकी—कृष्णादिरूप सावधाकर्मोंकी—प्रल-स्पनकी—प्रबचना-ठगीकी—, और 'आदि' शब्दसे मनुष्यक्लेशादि-विषयोंकी कथाओंके (व्यर्थ) प्रसंग छेड़नेको 'पापोपदेश'—पापा-त्मक उपदेश—नामका अनर्थदृढ़ जानना चाहिये।'

व्याख्या—यहाँ जिस प्रकारकी कथाओंके प्रसंग छेड़नेकी बात कही गई है वह यदि सत्य घटनाओंके प्रतिपादनादिरूप ऐतिहासिक दृष्टिको लिए हुए हो, जैसा कि चरित-पुराणादिरूप प्रथमानुयोगके कथानकोंमें कहीं-कहीं पाई जाती है, तो उसे व्यर्थ-अपार्थक या निरर्थक नहीं कह सकते, और इसलिये वह इस अन-र्थदण्डब्रतकी सीमाके बाहर है। यहाँ जिस पापोपदेशके लक्षण-का निर्देश किया गया है उसके दो एक नमूने इस प्रकार हैं—

१. 'अमुक देशमें दासी-दास बहुत सुलभ है उन्हें अमुक देशमें ले जाकर बेचनेसे भारी अर्थ-लाभ होता है,' इस प्रकारके आशयको लिये हुए जो कथा-प्रसंग है वह 'क्लेश-वणिज्य' रूप पापोपदेश है।

२. 'अमुक देशसे गाय-मैंस-बैलादिको लेकर दूसरे देशमें उनका व्यापार करनेसे बहुत धनकी प्राप्ति होती है' इस आशयके अभिव्यञ्जक कथाप्रसंगको 'तिर्यक् वणिज्यात्मक-पापोपदेश' समझना चाहिये।

३. शिकारियों तथा चिढ़ीमारों आदिके सामने ऐसी कथा करना जिससे उन्हें यह मालूम हो कि 'अमुक देश या जंगलमें मृग-शूकरादिक तथा नाना प्रकारके पक्षी बहुत हैं,' यह 'हिंसा-कथा' के रूपमें पापोपदेश नामक अनर्थदृढ़ है।

हिंसादान-न्तक्षण

परशु-कृपाण-खनित्र-ज्वलनायुध-शृङ्गि-शृङ्गलादीनाम् ।

वधहेतुनां दानं हिंसादानं ब्रुवन्ति बुधाः ॥ ११ ॥ ७७ ॥

‘फरसा, तलवार, गेती, कुदाली, अग्नि, आयुध (कुरी-कटारी-लाठी-तीर आदि हथियार) विष, सांकल इत्यादिक वधके कारणोंका—हिंसाके उपकरणोंका—जो (निरर्थक) दान है उसे ज्ञानीजन—गणघरादिक मुनि—‘हिंसादान’ नामका अनर्थदण्ड कहते हैं ।

व्याख्या—यहाँ हिंसाके जिन उपकरणोंका उल्लेख है उनका दान यदि निरर्थक नहीं है—एक गृहस्थ अपनी आरम्भजा तथा विरोधजा हिंसाकी सिद्धिके लिये उन्हें किसीको देता है—तो वह इस ब्रतकी कोटिसे निकल जाता है—क्योंकि अनर्थदण्डके लक्षण में पापयोगका जो अपार्थक (निरर्थक) विशेषण दिया गया है उसकी यहाँ भी अनुवृत्ति है, वह ‘दान’ पदके पूर्वमे अध्याहत (गुप्त) रूपसे स्थित है । इसी तरह यदि कोई गृहस्थ हिंसाके ये उपकरण अपने किसी पड़ोसी या इष्ट-मित्रादिको इसलिये मांगे देता है कि उसने भी अपनी आवश्यकताके समय उनसे वैसे उपकरणोंको माँग कर लिया है और आगे भी उसके लेनेकी सम्भावना है तो ऐसी हालतमे उसका वह देना निरर्थक या निष्प्रयोजन नहीं कहा जा सकता और इसलिये वह भी इस ब्रतका ब्रती होते हुए ब्रतकी कोटिसे निकल जाता है—उसमे भी यह ब्रत बाधा नहीं ढालता । जहाँ इन हिंसोपकरणोंके देनेमें कोई प्रयोजन-विशेष नहीं है वहीं यह ब्रत बाधा ढालता है ।

अपध्यान-न्तक्षण

वध-बन्ध-च्छेदादेद्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादेः ।

आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदाः ॥१२॥७८॥

‘द्वेषभावसे किसीको मारने-पीटने, बांधने या उसके अंग-च्छेदनादिका—तथा किसीकी हार (पराजय) का—और रागभावसे परस्त्री आदिका—दूसरोकी पल्ली-पुत्र-घन-बान्धादिका—तथा किसीकी जीत (जय) का—जो निरन्तर चिन्तन है—कैसे उनका सम्पादन-विनाश-विग्रह, अपहरण अथवा सम्प्रापण हो, ऐसा जो व्यर्थका मानसिक व्यापार है—उसे जिन-शासनमे निष्णात कुशलबुद्धि आचार्य अथवा गणेशरादिकदेव ‘अपध्यान’ नामका अनर्थदण्डन्त बतलाते हैं।’

व्याख्या—यहाँ ‘द्वेषात्’ और ‘रागात्’ ये दोनों पद खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं, जो कि अपने अपने विषयकी दृष्टिको स्पष्ट करनेके लिये प्रयुक्त हुए हैं। ‘द्वेषात्’ पदका सम्बन्ध वध-बन्ध-छेदादिकसे है, जिसमे किसीकी हार (पराजय) भी शामिल है; और ‘रागात्’ पदका सम्बन्ध परस्त्री आदिकसे है, जिसमें किसीकी जीत (जय) भी शामिल है। वध-बन्ध-च्छेदादिका चिन्तन यदि द्वेषभावसे न होकर सुधार तथा उपकारादिकी दृष्टि-से हो और परस्त्री आदिका चिन्तन कामादि-विषयक अशुभ रागसे सम्बन्ध न रखकर यदि किसी दूसरी ही सद्दृष्टिको लिये हुए हों तो वह चिन्तन अपध्यानकी कोटिसे निकल जाता है। अपध्यानके लिये द्वेषभाव तथा अशुभरागमेसे किसीका भी होना आवश्यक है।

दुःश्रुति-लक्षण

आरम्भ-संग-साहस-मिथ्यात्व-द्वेष-राग-मद-मदनैः ।

चेतःकलुषयतां श्रुतिरवधीनां दुःश्रुतिर्मवति ॥१३॥ ७९ ॥

‘(व्यर्थके) आरम्भ (झट्टादिसावद्यकर्म) परिग्रह (घन-बान्धादिकी इच्छा), साहस (शक्ति तथा नीतिका विचार न करके एक दम किये जानेवाले भारी असत्कर्म), मिथ्यात्व (एकान्तादिरूप अतत्वशङ्खान)

द्वेष, राग, मद और मदन (रति-काम) के प्रतिपादनादि-द्वारा चित्तको कलुषित-मलिन करनेवाले—कोष-मान-माया-लोभादिसे अभिभूत अथवा आक्रान्त बनानेवाले—शास्त्रोंका सुनना ‘दुःश्रुति’ नामका अनर्थदण्ड है ।

व्याख्या—जो शास्त्र व्यर्थके आरम्भ-परिमिहादिके प्रोत्तेजन-द्वारा चित्तको कलुषित करनेवाले हैं उनका सुनना-पढ़ना निरर्थक है; क्योंकि चित्तका कलुषित होना प्रकट रूपमें कोई हिंसादि कार्य न करते हुए भी स्वयं पाप-बन्धका कारण है । इसीसे ऐसे शास्त्रों-के सुननेको, जिसमें पढ़ना भी शामिल है, अनर्थदण्डमें परिगणित किया गया है । और इसलिये अनर्थदण्डब्रतके ब्रतीको ऐसे शास्त्रोंके व्यर्थ श्रवणादिकसे दूर रहना चाहिये । हाँ, गुण-दोषका परीक्षक कोई समर्थ पुरुष ऐसे ग्रन्थोंको उनका यथार्थ परिचय तथा हृदय मालूम करने और दूसरोंको उनके विषयकी समुचित चेतावनी देनेके लिये यदि सुनता या पढ़ता है तो वह इस ब्रतका ब्रती होनेपर भी दोषका भागी नहीं होता । वह अपने चित्तको कलुषित न होने देनेकी भी क्षमता रखता है ।

प्रमादचर्या-लक्षण

चिति-सलिल-दहन-पवनारम्भं विफलं वनस्पतिच्छेदं ।

सरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभावन्ते ॥१४॥८०॥

‘पृथ्वी, जल, अग्नि तथा पवनके (व्यर्थ) आरम्भको—विना ही प्रयोजय पृथ्वीके खोदने-कुरेदनेको, जलके उछालने-छिड़कने तथा पीटने-पटकनेको, अग्निके जलाने-बुझानेको, पवनके पक्षे आदिसे उत्पन्न करने ताडने-रोकनेको—व्यर्थके वनस्पतिच्छेदको, और व्यर्थके पर्यटन-पर्यटनको—विना प्रयोजन स्वयं घूमने-फिरने तथा दूसरोंके घुमाने-फिरानेको—‘प्रमादचर्या’ नामका अनर्थदण्ड कहते हैं ।’

व्याख्या—यहाँ प्रकटस्तपमें आरम्भादिका जो ‘विफल’ विशेषण दिया गया है वह उसी ‘निरर्थक’ अर्थका दोतक है जिसके लिये अनर्थदण्डके लक्षण-प्रतिपादक पद्म (७४) में ‘अपार्थक’ शब्दका प्रयोग किया गया है और जो पिछले दुन्दु पद्मोंमें अध्याहत रूपसे चला आता है। इन पद्ममें वह ‘अन्तदीपक’ के रूपमें स्थित है और पिछले विवक्षित पद्मोंपर भी अपना प्रकाश ढाल रहा है। साथ ही प्रस्तुत पद्ममें इस बातको स्पष्ट कर रहा है कि उक्त आरम्भ, वनस्तिच्छेद तथा मरण-मारण (पर्यटन-पर्यटन) जैसे कार्य विदि सार्थक है—जैसा कि गृहस्थाश्रमकी आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिये प्रायः किये जाते हैं—नो ये इस ब्रतके ब्रतीके लिये दोपहर नहीं हैं।

अनर्थदण्डब्रतके प्रतिचार

कंदपूर्वं मौख्यमतिप्रसाधनं पञ्च ।

असमीच्य चाऽधिकरणं व्यतीतयोऽनर्थदण्डकृद्विरतेः॥५॥११

‘कन्दपूर्व—काम-विषयक रागकी प्रबलताने प्रदूष-मिश्रित (तैनी छट्ठे को लिये हुए) भण्ड (अशिष्ट) यनन योनना—, कौत्सुक्य—हृसी-छट्ठे और भण्ड यचनको नाथमें लिये हुए कामकी कुचेष्टा यनना, मौख्य—दीठनेकी प्रधानताको निये हुए बृह दोनना—दायार करना—, अतिप्रसाधन—भोगोपभोगकी नामनामा ग्रायन्त्रात्में अधिक चुटा लेना—और असमीच्याऽधिकरण—प्रयोजनका विषय न करके कार्यको धर्मिकरूपमें कर दानना—; ये पांच अनर्थदण्डब्रत-के अतिचार हैं।’

व्याख्या—यहाँ ‘अतिप्रसाधन’ नामका जो अतिचार है वह उत्त्वार्थसूत्रमें वर्णित ‘उपभोग-परिभोगानर्थक्य’ नामक अतिचार-के समकक्ष है और उसका संविप्र पर्याय-नाम है।

भोगोपभोगपरिमाणव्रत-लक्षण

अद्वार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिमाणम् ।

अर्थवतामप्यबधौ राग-रतीनां तनुकृतये ॥१६॥८२॥

‘रागोद्रेकसे होनेवाली विषयोंमें आसक्तियोंको कृश करने-घटानेके लिये प्रयोजनीय होते हुए भी इन्द्रिय-विषयोंकी जो अवधिके अन्तर्गत—परिग्रहपरिमाणव्रत और दिग्वतमें प्रहरण की हुई अवधियोंके भीतर—परिगणना करना है—काल मर्यादाको लिये हुए सेव्याजसेव्यरूपसे उनकी सख्याका निर्धारित करना है—उसे भोगो-पभोग-परिमाण’ नामका गुणव्रत कहते हैं ।

व्याख्या—यहाँ ‘अद्वार्थाना’ पदके द्वारा परिग्रहीत इन्द्रिय-विषयोंका अभिप्राय स्पर्शन, रसना, ध्वाण, चल्छु और ओत्र इन पाँचों इन्द्रियोंके विषयमूल सभी पदार्थोंसे है, जो असंख्य तथा अनन्त है । वे सब दो भागोंमें बेटे हुए हैं—एक ‘भोगरूप’ और दूसरा ‘उपभोगरूप’, जिन दोनोंका स्वरूप अगली कारिका-में बतलाया गया है । इन दोनों प्रकारके पदार्थोंमेंसे जिस जिस प्रकारके जितने जितने पदार्थोंको इस ब्रतका ब्रती अपने भोगो-पभोगके लिये रखता है वे सेव्य रूपमें परिगणित होते हैं, शेष सब पदार्थ उसके लिये असेव्य होजाते हैं; और इस तरह इस ब्रतका ब्रती अपने अहिंसादि मूलरुणोंमें बहुत बड़ी वृद्धि करनेमें समर्थ हो जाता है । उसकी यह परिगणना रागभावोंको घटाने तथा इन्द्रियविषयोंमें आसक्तिको कम करनेके उद्देश्यसे की जाती है । यह उद्देश्य खास तौरसे ध्यानमें रखने योग्य है । जो लोग इस उद्देश्यको लक्ष्यमें न रखकर लोकदिखावा, गतानुगतिकता, पूजा-प्रतिष्ठा, ख्याति, लाभ आदि किसी दूसरी ही हाइसे सेव्य-रूपमें पदार्थोंकी परिगणना करते हैं वे इस ब्रतकी कोटिमें नहीं आते ।

यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि इन्द्रियोंके विपर्यभूत पदार्थोंकी यह परिगणना उन पदार्थोंमें सम्बन्ध नहीं रखती जो परिग्रहपरिमाणवन् और दिग्ब्रतकी द्वी मीमांशोंमें बाहर स्थित है—वे पदार्थ तो उन वर्तोंके द्वारा पहले ही एक प्रकारसे ल्यात्य तथा अमेव्य हो जाते हैं। अन. उन वर्तोंमें सीमाओंके भीतर स्थित पदार्थोंमें सुख पदार्थोंको अपने भोगोपभोगके लिये चुन लेना ही यहाँ विवक्षित है—भले ही वे दिग्ब्रतमें प्रहण की हुई चेत्र-मर्यादाके बाहर उपक्रम पुण लें। इनी वातको बतलानेके लिये कारिकामें 'अवधी' पदशा प्रयोग किया गया है।

भोगोपभोग-नक्षण

भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्त्व्यः ।
उपभोगोऽशन-वसनग्रभृतिः पाञ्चेन्द्रियोविषयः ॥७॥८३॥

• जो पांचेन्द्रियविषय—पांचों इन्द्रियोंमें रिमोगा भी भोग पदार्थ—एक बार भोगने पर ल्यात्य हो जाता है—पुनः उन्हाँ सेवन नहीं किया जाता—वह 'भोग' है; जैसे अशनादिक—भोदन-पान-विनेपनादिक। और जो पांचेन्द्रिय विषय एक बार भोगने पर पुनः (बार-बार) भोगनेके योग्य रहता है—फिर-रिमोगे उपशा गैरन किया जाता है—उसे 'उपभोग' कहते हैं; जैसे वसनादिक—गन, आभरण, दोभा-भजापटवा सामान, रिमोगाके फौ. लागनां रिमाद आदिक।'

व्याख्या—यहाँ कारिकामें भोग नदा उपभोगका लक्षण देकर नमूनेके तीर पर दोनोंका एक-एक उद्भाहरण दे दिया गया है, शेषका संप्रह 'प्रभृति' शब्दके द्वारा किया गया है जो इन्द्रादि

† 'पञ्चेन्द्रियोविषयः' इति पाठान्तरम् ।

अर्थका वाचक है। साथ ही ‘पाँचेन्द्रियविषय’ विशेषण देकर यह भी स्पष्ट किया गया है कि वह भोग या उपभोग किसी एक ही इन्द्रियका विषय नहीं है बल्कि पाँचों ही इन्द्रियोंके विषयोंसे सम्बन्ध रखता है—सभी इन्द्रियोंके विषय यथासाध्य भोग-उपभोगोंमें परिगृहीत है।

मधु-मासादिके त्यागकी दृष्टि

त्रसहति-परिहरणार्थं द्वौद्रं पिशितं प्रमाद-परिहृतये ।

मद्यं च वर्जनीयं जिनरचरणौ शरणमुपयातैः ॥१८॥८४॥

‘जिन्होंने जिन-चरणोंको शरणलूपमें (अपाय-परिरक्षक-रूपमें) प्राप्त किया है—जो जिनेन्द्रियोंके उपासक बने हैं—उनके द्वारा त्रस-जीवोंकी हिंसा टालनेके लिये ‘मधु’ और ‘मांस’ तथा प्रमादको —चित्तकी असावधानता-अविवेकताको—दूर करनेके लिये मद्य-मदिरादिक मादक पदार्थ—वर्जनीय हैं—अर्थात् ये तीनो दूषित पदार्थ भोगेप्रभोगके परिमाणमें आहा नहीं हैं, आवकोके लिए सर्वथा ‘त्याज्य हैं।’

व्याख्या—यहाँ ‘त्रसहतिपरिहरणार्थं’ पदके द्वारा मांस तथा मधुके त्यागकी और ‘प्रमादपरिहृतये’ पदके द्वारा मद्यके त्यागकी दृष्टिको स्पष्ट किया गया है। अर्थात् त्रसहिंसाके त्यागकी दृष्टि से मांस तथा मधुका त्याग विवक्षित है और प्रमादके परिहारकी दृष्टिसे मद्यका परिहार अपेक्षित है, ऐसा धोषित किया गया है। और इसलिए जहाँ विवक्षित दृष्टि चरितार्थ नहीं होती वहाँ विवक्षित त्याग भी नहीं बनता। इन पदार्थोंके स्वरूप एवं त्यागादि-विषयका कुछ विशेष कथन एवं विवेचन अष्टमूल-गुण-विषयक-कारिका (६६) की व्याख्यामें आगया है “अतः उसको फिरसे यहाँ देनेकी जरूरत नहीं है।

दृमरे ल्याज्य पशार्थ

अल्पफल-वहुचिदातान्मूलकमार्दीणि शृङ्खलेणगणि ।

नवनीत-निम्ब-कुमुमं केतकमित्येवमवहेयम् ॥१६॥८५॥

‘अल्पफल और वह विधातके मारण (प्रशास्त्र) मूल—
मूली आदिक—तथा आर्द्धटृष्णव्र आदि—गर्जन इत्यत्र विषाक्ता
अदरकादिक, नवनीत—(पर्यावर्ण वाहना) भस्त्रान, नीमां फूल,
केतकीके फूल, ये सब और उनी प्राचीरकी दृमरी यन्त्रों भी
(जिनेन्द्रदेवके उपासकांमें नियं) ल्याज्य हैं—एवं आदांगोऽप्तोऽप्त-
भौंगकी गेनी सब वस्तुओंका ल्याज ही पर देना पात्रियं—गर्जनां चर्मे वा
जरूरत नहीं—जिनके गेवनने जिह्वायने नहिं एवं शैक्षिक रूप से
बहुत कम मिलता है किन्तु वह शौद्ध ल्याज्य जीवों यन्त्र चाल तो
पापमत्य अधिक होकर परन्तुका गिरष्ट जाना है पर दुष्प्रसादांश वा
जाती है ।

व्याख्या—यहाँ ‘मूलक’ पद गृलमाद्रका शोनरु है और उसमें
मूली-गाजर-शलजमादिक तथा दृमरी यनस्यनिवॉरी जैसे भी
शामिल हैं । ‘शम्बवेराणि’ पदमें श्रद्धरके निया हण्डा (हल्दी),
सराल, शबरकन्द, जर्मीकन्दादिक वे दृमरे शृङ्खल भी शामिल हैं तो
अपने अंगपर शृङ्खलकी तरहका कुछ उभार लिये हुए हैं हीं हैं और
उपलक्षणसे उसमें ऐसे कल्दोंका भी ग्रहण प्रा जाता है जो शृङ्ख-
की तरहका कोई उभार अपने अंगपर लिये हुए न हों, किन्तु
अनन्तकाव—अनन्त जीवोंके आश्रयभूत हों । हम पड़ नग
‘मूलक’ पदके भव्यमें प्रयुक्त हुआ ‘आर्द्धीण’ पद यहाँ अपना दग्ध
महत्व रखता है और अपने अभिल्पनं दोनों ही पदोंसे अनुप्रा-
णित करता है । उसका प्रर्थ आसनीर पर नीनि, हरे, रम्भरे,
शशुष्क-हृष्पमें लिया जाना है; परन्तु अप्यार्थनी जटिले एवं यहाँ
सचित्त (Living) नगा अप्रासुक प्रर्थका वाचन है । दीनां प्रभा-

चन्द्राचार्यने इस पदका अर्थ जो 'अपवानि' दिया है वह भी इसी अर्थकी दृष्टिको लिये हुए है; क्योंकि जो कन्द-मूल अग्नि आदिके द्वारा पके या अन्य प्रकारसे जीवशूल्य नहीं होते वे सचित्त तथा अप्राप्युक्त होते हैं। प्राप्युक्त कन्द-मूलादिक द्रव्य वे कहे जाते हैं जो सूखे होते हैं, अग्न्यादिकमें पके या सूख तपे होते हैं, खटाई तथा लावण्यसे मिले होते हैं अथवा यन्नादिसे छिन्न-मिन्न किये होते हैं; जैसा कि इस विषयकी निस्त्र प्राचीन प्रसिद्ध गाथासे प्रकट है:—

“सुवक्रं पक्रं तत्तं अंबिल-लवणे रु मिसियं दव्यं ।

जं जंतेण य छिण्णं तं सव्वं फासुयं भरियं ॥”

और 'प्राप्युक्तस्य भक्षणे नो पापः'—प्राप्युक्त पदार्थके खानेमें कोई पाप नहीं—, इस उक्तिके अनुसार वे ही कन्द-मूल त्याज्य हैं जो प्राप्युक्त तथा अचित नहीं हैं और उन्हींका त्याग यहाँ 'आद्वारिण' पदके द्वारा विवक्षित है। नवनीत (मक्त्वन) में अपनी उत्पत्तिसे अन्तर्मुहूर्तके बाद ही सम्मूर्च्छन जीवोंका उत्पाद होता है अतः इस काल-मर्यादाके बाहरका नवनीत ही यहाँ त्याज्य-कोटिमें स्थित है—इससे पूर्वका नहीं; क्योंकि जब उसमें जीव ही नहीं तब उसके भक्षणमें बहुधातकी बात तो दूर रही अल्पधातकी बात भी नहीं बनती। नीमके फूल अनन्तकाय और केतकीके फूल बहु-जन्मुओंके योनिस्थान होते हैं। इसीसे वे त्याज्य-कोटिमें स्थित हैं।

यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि 'अल्पफल-बहुविघातात्' पदके द्वारा त्यागके हेतुका निर्देश किया गया है, जिसके 'अल्पफल' और 'बहुविघात' ये दो अङ्ग हैं। यदि ये दोनों अङ्ग एक साथ न हों तो विवक्षित-त्याग चरितार्थ नहीं होगा; जैसे बहुफल अल्पघात, बहुफल बहुघात और अल्पफल अल्प-घातकी हालतोंमें। इसी तरह प्राप्युक्त अवस्थामें जहाँ कोई घात ही न बनता हो वहाँ भी यह त्याग-चरितार्थ नहीं होगा।

प्रनिष्ठादिपदार्थोंके त्यागका विधान
यदनिष्टं तद्वत्येद्यचाऽनुपसेव्यमेतदपि जग्नात् ।

अभिसन्धिकृताविरतिविषयाद्योग्याद्वत्रतं भवनि ॥२॥८६॥

‘(श्रावकोंको नाहिये कि दे) भोगोपभोगका जो पदार्थ प्रनिष्ट हो—शरीरमें वाया उत्पन्न गर्नेके कारण किमी गमय घानो प्रज्ञति अनुशूल न हो अथवा अन्य किमी प्रकारमें घर्नेहो रनिष्ट न हो—हानिकर हो—उसे विरति-निवृत्तिका विषय बनाएं प्रथमं द्वारा और जो अनुपमेव्य हो—प्रनिष्ट न होते हुए भी गार्हा हो, देव-गाड़-समाज-सम्प्रदाय आदिकी मर्यादाके बाहर हो अथवा नेत्यामेत्यां तीनों दूसरी हाइने सेवन करनेके योग्य न हो—उसको भी छोड़ देना चाहिये। (क्योंकि) योग्य विषयसे भी संकल्पपूर्वक जो विरति होती है तां ‘व्रत’ कहलाती है—व्रत-नारियके फनबो फननी है।’

व्याख्या—संकल्पपूर्वक त्याग न करके जो यो ही प्रनिष्ट नथा अनुपसेव्य पदार्थोंका सेवन नहीं किया जाना, उस न्यागमे ग्रन-फलकी कोई सम्प्राप्ति नहीं होती—व्रत-फलकी सम्प्राप्तिके लिये संकल्पपूर्वक अथवा प्रतिक्षाके माथ त्यागकी उम्मत है, उसके द्वारा उनका वह न सेवन सहजमें ही व्रत-फलके फलता है। इसीसे आचार्यमहोदयने यहो भोगोपभोगपरिमाणके अवगतपर श्रावकोंको अनिष्टादिन-विषयोंके त्यागका परामर्श किया है। अनुप-सेव्यमें देश, राष्ट्र, समाज, सम्प्रदाय आदिकी हाइनेके वितरनी ही वस्तुओंका समावेश हो सकता है। उदाहरणके तौर पर स्त्रियोंदा ऐसे अति महीन एवं भीने यस्तोंका पठनना जिनमें उनके गुल अंग तक स्पष्ट दिखाई पड़ते हों भारतीय मन्त्रान्तरी हाइमें गर्हित हैं और इसलिये वे अनुपसेव्य हैं।

यम-नियम-लक्षण

नियमः यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोगसहारात् ।

नियमो परिमितकालो यावज्जीव यमो ग्रियते ॥२१॥८७॥

‘भोगोपभोगका परिमाण दो प्रकारका होनेसे नियम और यम ये दो भेद व्यवस्थित हुए हैं। जो परिमाण परिमित कालके लिए प्रहरण किया जाता है उसे ‘नियम’ कहते हैं और जो जीवन-पर्यन्तके लिये धारण किया जाता है वह ‘यम’ कहलाता है।’

व्याख्या—यहाँ ‘यम’ तथा ‘नियम’ का अच्छा सुस्पष्ट लक्षण निर्दिष्ट हुआ है। यम-नियमका सम्बन्ध एकमात्र भोगोपभोग परिमाणब्रतसे ही नहीं है किन्तु दूसरे ब्रतोंसे भी उनका सम्बन्ध है और इसीलिये यह व्यापक लक्षण सर्वत्र घटित होता है।

नियमके व्यवस्थित रूपका समूचन
 भोजन-वाहन-शयन-स्नान-पवित्राङ्ग-राग-कुसुमेषु ।
 ताम्बूल-वसन-भूषण-मन्मथ-संगीत-गीतेषु ॥ २२ ॥ ८८ ॥
 अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथर्तुर्यनं वा ।
 इति काल-परिच्छिक्ष्या प्रत्याख्यानं भवेत्तियमः ॥२३॥८९॥

‘भोज्य पदार्थों, सवारीकी चीजों, शयनके साधनों, स्नानके प्रकारों, शरीरमे रागवर्धक केसर-चन्दनादिके विलेपनों तथा मिस्सी-अंजनादिके प्रयोगों, फूलोंके उपयोगों, ताम्बूल-वगेकी वस्तुओं, वस्त्राभूषणके प्रकारो, काम-क्रीडाओं, संगीतों—नृत्य-वादित्रयुक्त गायनो—और गीत मात्रोंमे जो आज अमुक समय तक दिनको, रात्रिको, पक्ष भरके लिये, एक महीने तक, द्विमास अथवा ऋतुविशेष-पर्यन्त, दक्षिणायन, उत्तरायन अथवा छह-मास-पर्यन्त, इत्यादि रूपसे कालकी भर्यादा करके त्यागका जो विधान है वह ‘नियम’ कहलाता है।

व्याख्या—यहाँ भोग तथा उपभोगमें आनंदाली सामग्रीका अच्छा वर्गीकरण किया गया है और साथ ही कालकी मर्यादाओं का भी सुन्दर निरैश है। इन दोनोंसे ब्रतको व्यवनियत करनेमें वही सुविधा हो जाती है। इस ब्रतका श्रती अपनी मुविधा एवं आवश्यकताके अनुसार भोगोपभोगके पदार्थोंका और भी विशेष वर्गीकरण तथा कालकी मर्यादाका घली-घटा आदिके स्वप्नमें निर्धारण कर सकता है। यहाँ व्यापकहृषिसे स्थूल रूपमें भोगोपभोगके विषयभूत पदार्थोंका वर्गीकरण तथा उनके मंत्रनारी कालमर्यादाओंका संसूचन किया गया है।

। भोगोपभोग परिमाणद्रव्यके अतिचार

विषयविषेषोऽनुपेक्षाऽनुस्मृतिरतिलौल्यमतितृपानुभवौ ।

भोगोपभोगपरिमा०-व्यतिक्रमाः पञ्च ऋग्यन्ते ॥ ६० ॥

इति श्रीस्वामिसमन्तभडाचार्य-शिरचिते समीचीन-धर्मशास्त्रे
रत्नकरण्डाऽपरताम्नि उपासकाऽध्ययने-गुणज्ञन-

वर्णनं नाम चनुशमध्ययनम् ॥ ४ ॥

‘विषयरूपी विषसे उपेक्षाका न होना—हन्त्रिय-विषयोंरो मेदन कर नेने पर भी ग्रालिगानादि-स्वप्नमें उनमें धारणिता भाष बना रहना—अनुस्मृति—भोगे हुए विषयोंका दार-न्यार स्मरण करना—, अतिलौल्य-वत्तमानविषयोंमें अतिनालभा रहना—, अतितृपा—भावो भगतों अतिगृद्धताके भाष शाफादा करना—, अत्यनुभव—नियमादिर भोगोपभोगोंको भोगते हुए भी अत्यानक्षिगे भोगना; ये भोगोपभोगपरिमाण-ब्रतके पाँचअतिचार कहे जाते हैं।’

व्याख्या—यहाँ भोगोपभोग परिमाणद्रव्यके दो पाँच “अतिचार” दिये गये हैं जो उन अतिचारोंमें सर्वथा भिन्न हैं जो नन्यार्थमृ-

में दिये गये हैं और अपने विषयके साथ बहुत ही संगत जान पड़ते हैं। तत्त्वार्थसूत्रमें दिये गये अतिचारोंका रूप है—सचित्ताहार, सचित्त सम्बन्धाहार, सचित्त सम्मिश्राहार, अभिषवाहार, दुःपक्षाहार। ये सब एकमात्र भोजनसे सम्बन्ध रखते हैं, जब कि भोगोपभोगपरिमाणब्रतका विषय एकमात्र भोजन न होकर पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंसे सम्बन्ध रखता है और वे विषय जड़-तथा चेतन दोनों प्रकारके होते हैं। ऐसी स्थितिमें तत्त्वार्थसूत्र-गत अतिचार भोगोपभोग-परिमाणकी व्यापकहास्तिको लिए हुए न होकर किसी दूसरी ही दृष्टिसे निवद्ध हुए जान पड़ते हैं। इस सम्बन्धमें एक बात और प्रकट कर देने की है और वह यह है कि सूत्रकारने इस ब्रतको शिक्षाब्रतोंमें प्रहण किया है जबकि स्वामी समन्तभद्र इसे गुणब्रतोंमें ले रहे हैं और सूत्रकारके पूर्ववर्ती कुन्दकुन्द आचार्यने भी इसे गुणब्रतोंमें प्रहण किया है, जैसाकि चारित्तपाहुड़की निम्न गाथासे प्रकट है :—

दिसविदिसमाण पठमं अणत्थर्दङ्गस्त वज्जणं विदियं ।
भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणव्यया तिष्ठिण ॥ २५ ॥

इससे भोगोपभोगपरिमाणब्रतकी गुणब्रतोंमें गणना अति ग्राचीन सिद्ध होती है।

इस प्रकार स्वामी समन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र
अपरनाम रत्नकरण-उपासकाध्ययनमें गुणब्रतोका
वर्णन नामका चौथा अध्ययन समाप्त हुआ ॥४॥

पंचम अध्ययन

शिक्षाप्रतीको नाम

देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोपयोपवासो वा ।
वैश्यावृत्त्यं शिक्षाव्रतानि चत्वारि शिष्टानि ॥१॥६१॥

‘देशावकाशिक, सामयिक, प्रोपयोपवास तथा वैश्यावृत्त्य, ये चार शिक्षाव्रत (प्रत्यरागभणीयो-द्वारा) बनलाए गए हैं ।’

व्याख्या—शिक्षाव्रतोंके जिन चार भेदोंसे वहाँ नामोन्नेतर हैं उनमें ‘देशावकाशिक’ नाम ऐसा है जिसे नन्दार्थ-मूलकारने ‘देशविरति’ के नामसे गुणव्रतोंमें शहरण किया है । और ‘वैयावृत्त्य’ नाम ऐसा है जिसे सूक्तकारने ‘अतिथिमंविभाग’ नामने उल्लेखित किया है । वैश्यावृत्त्यमें अतिथिमंविभागकी अपेक्षा जो विशिष्टता है उसे आगे स्पष्ट किया जायगा ।

देशावकाशिकं स्यात्काल-परिच्छेदनैन देशस्य ।

प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य ॥२॥६२॥

‘(दिग्प्रत में ग्रहण किये हुए) विशाल देशस—धिनून रिंग-मर्यादाका—कालकी मर्यादाको लिए हुए जो प्रनिदिन भंडोब करना-घटाना है यह अणु-ब्रतधारी शावकोंका देशावकाशिक—देशनिवृत्तिपरा—त्रत है ।’

व्याख्या—इस व्रतमें हो वातें सास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य हैं—एक तो यह कि यह व्रत कालकी मर्यादाको लिए हुए प्रनि दिन ग्रहण किया जाता है अथवा इसमें प्रतिदिन नवायन लाया जाता है; जब कि दिग्प्रत प्रायः एक बार ग्रहण किया जाना है

और वह जीवन-पर्यन्तके लिये होता है। दूसरे यह कि दिग्ब्रतमें प्रहण किए हुए विशाल देशका—उसकी क्षेत्रावधिका—इस ब्रतमें उपसंहार (अल्पीकरण) किया जाता है और वह उपसंहार उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है—देशब्रतमें भी उपसंहारका अवकाश बना रहता है। अर्थात् पहले दिन उपसंहार करके जितने देशकी मर्यादा की गई हाँ, अगले दिन उसमें भी कमी की जा सकती है—भले ही पहले दिन प्रहण की हुई देशकी मर्यादा कुछ अधिक समयके लिये ली गई हो, अगले दिन वह समय भी कम किया जा सकता है; जबकि दिग्ब्रतमें ऐसा कुछ नहीं होता और यही सब इन दोनों ब्रतोंमें परस्पर अन्तर है।

देशावकाशिक ब्रतकी सीमाएँ

गृह-हारि-ग्रामाणां क्षेत्र-नदी-दाव-योजनानां च ।

देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धाः ॥३॥६३॥

‘गृह, हारि (रम्य उपवनादि प्रदेश), ग्राम, क्षेत्र (खेत) नदी, वन और योजन इनको तथा (चकार या उपलक्षणसे) इन्हीं जैसी दूसरी स्थान-निर्देशात्मक वस्तुओंको तपोवृद्ध मुनीश्वर (गणधरादिक पुरातनाचार्य) देशावकाशिकब्रतकी सीमाएँ—क्षेत्र-विषयक मर्यादाएँ—बतलाते हैं।’

व्याख्या—यहाँ ‘च’ शब्दके प्रयोग अथवा उपलक्षणसे जो दूसरी सीमावस्तुएँ विवक्षित हैं उनमें गली, सुहल्ला, सरोवर, पुल (Bridge) वृक्षविशेष, वस्तुविशेष, कटक, जनपद, राजधानी, पर्वत और समुद्र जैसी वस्तुएँ भी शामिल की जा सकती हैं।

देशावकाशिककी कालमर्यादाएँ

संवत्सरमृतुमयनं मास-चतुर्मास-पक्षमृक्षं च ।

देशावकाशिकस्य प्राहुः कालाऽवर्धिं प्राज्ञाः ॥४॥६४॥

‘वर्ष, ऋतु, अयन, मास, चतुर्मास, पक्ष, नक्षत्र, इन्हें तथा (चकार या उपलकणसे) इन्हीं-जैसे दूसरे दिन, रात; अर्ध-दिन-रात, घड़ी घटादि समय-निर्देशात्मक परिभाषोंको विज्ञजन (गण-घणादिक महामुनीक्षर) देशावकाशिकब्रतकी काल-विधयक मर्यादाएँ कहते हैं।’

व्याख्या—वर्ष प्रायःबारह मासका और कभी-कभी मलमास-से युक्त होने पर तेरह मासका भी होता है। ऋतुएँ प्रायःछह होती है—वर्षाऋतु, शरद, हेमन्त, शिशिर, बसन्त, ग्रीष्म और उनमें प्रत्येकका समय श्रावणसे प्रारम्भ करके दो दो मासका है। अयन-के दो भेद हैं—दक्षिणायन और उत्तरायण, जो सूर्यके दक्षिण तथा उत्तरागमनकी दृष्टिको लिये हुए हैं और इनमेंसे प्रत्येक छः मासका होता है। दक्षिणायनका प्रारम्भ प्रायः श्रावण माससे और उत्तरायणका माघमाससे होता है—संकान्तिकी दृष्टिसे भी इनका भेद किया जाता है। मास श्रावणादिक (अथवा जनवरी आदि) बारह हैं और वे प्रायः तीस-तीस दिनके होते हैं। चतुर्मास (चौमास) का प्रारम्भ श्रावणसे होता है। पक्षके कृष्ण और शुक्ल ऐसे दो भेद हैं, जिनमे से प्रत्येक प्रायः पन्द्रह दिनका होता है। नक्षत्र अश्विनी भरणी आदि अभिजित सहित आठा-ईस हैं। इनमेंसे प्रत्येकका जो उदयाऽस्तमध्यवर्ती समय है वही यहाँ कालावधिके रूपमें परिगृहीत है। इन्हीं जैसी दूसरी काल-मर्यादाएँ हैं। दिन, रात अर्ध दिनरात, घड़ी घटादि, प्रहर तथा अमिनिटादिक।

देशावकाशिक-द्वारा महाब्रत-साधन

सीमान्तानां परतः स्थूलेतर-पञ्चपाप-संत्यागात् ।
देशावकाशिकेन च महाब्रतानि प्रसाध्यन्ते ॥ ५ ॥ ६५ ॥

‘मर्यादाके बाहर स्थूल तथा सूक्ष्म पंच पार्षोंका भले प्रकार त्याग होनेसे देशावकाशिकब्रतके छारा भी महाब्रत साधे जाते हैं।’

व्याख्या—यहाँ महाब्रतोंकी जिस साधनाका उल्लेख है वह नियत समयके भीतर देशावकाशिक ब्रतकी सीमाके बाहरके द्वेष-से सम्बन्ध रखती है। उस बाहरके द्वेषमें स्थितस भी जीवोंके साथ उतने समयके लिये हिंसादि पाँचों प्रकारके पार्षोंका मन-वचन-काय और कृत-कारित-आनुभोदनाके रूपमें कोई सम्बन्ध न रखनेसे उस देशस्थ सभी प्राणियोंकी अपेक्षा अहिंसादि महाब्रतों-की प्रसाधना बनती है। और इससे यह बात फलित होती है कि इस ब्रतके ब्रतीको अपनी ब्रतमर्यादाके बाहर स्थित देशोंके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध ही न रखना चाहिए और यदि किसी कारणवश कोई सम्बन्ध रखना पड़े तो वहांके त्रस-स्थावर सभी जीवोंके साथ महाब्रती मुनिकी तरहसे आचरण करना चाहिये।

देशावकाशिक ब्रतके अतिचार

प्रेषण-शब्दाऽनयनं रूपाऽभिव्यक्ति-पुद्गलद्वेषौ ।

देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेऽत्ययाः पंच ॥ ६ ॥ ६६ ॥

‘(देशावकाशिकब्रतमें स्वीकृत देश तथा कालकी मर्यादाके बाहर स्वयं न जाकर) प्रेषणकार्य करना—व्यापारादिके लिए किसी व्यक्ति, वस्तु, पत्र या सदेशको वहाँ भेजना—, आनयन कार्य करना—सीमा-वाहु देशसे किसी व्यक्तिको बुलाना या कोई चीज अथवा पत्रादिक मंगाना, (बाहु देशमें स्थित प्राणियोंको अपने किसी प्रयोजनकी सिद्धिके लिए) शब्द सुनाना—उच्चस्वरसे बोलना, टेलीफोन या तारसे बातचीत करना अथवा लाउडस्पीकर (छवनि-प्रचारक यन्त्र) का प्रयोग करना, अपना रूप दिखाना, तथा पुद्गल द्रव्यके द्वेषण (पातनादि)-छारा कोई प्रकारका संकेत करना; ये देशावकाशिकब्रतके पाँच अतिचार हैं।’

व्याख्या—इन अतिचारोंके द्वारा दे शावकाशिकब्रतकी सीमाके बाह्यस्थित देशोंसे सम्बन्ध-विच्छेदकी बातको—उसके प्रकारोंको—स्पष्ट करते हुए अन्तिम सीमाके रूपमें निर्दिष्ट किया गया है। यदि कोई दूसरा मानव इस ब्रतके ब्रतीकी इच्छा तथा प्रेरणाके बिना ही उसकी किसी चीजको, उसके कारखानेके लेविल लगे मालको, उसके शब्दोंको (रिकार्ड रूपमें) अथवा उसके किसी चित्र या आकृति-विशेषको ब्रतसीमाके बाह्यस्थित देशको भेजता है तो उससे इस ब्रतका ब्रती किसी दोषका भागी नहीं होता। इसी तरह सीमाबाह्य स्थित देशको कोई पदार्थ यदि इस ब्रतीकी इच्छा तथा प्रेरणाके बिना ही स्वतन्त्र रूपमें वहाँसे लाया जाकर इस ब्रतीको अपनी क्षेत्रमर्यादाके भीतर प्राप्त होता है तो उससे भी ब्रतको दोष नहीं लगता। हाँ, जानबूझकर वह ऐसे चित्र-पटों, सिनेमाके पर्दों तथा चलचित्रोंको नहीं देखेगा और न ऐसे गायनों आदिके ब्राढ़कास्टों तथा रिकार्डोंको ही रेडियो आदि द्वारा सुनेगा जो उसकी क्षेत्रमर्यादासे बाहरके चेतन प्राणियोंसे सीधा सम्बन्ध रखते हों और जिससे उनके प्रति रागद्वेषकी उत्पत्ति तथा हिंसादिकी प्रवृत्तिका सम्बन्ध हो सके।

सामायिक-ब्रत-स्वरूप

आसमयमुक्ति मुक्तं पंचाऽघानामशेषभावेन ।

सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम शंसन्ति ॥७॥६७॥

‘(विवक्षित) समयकी—केशबन्धनादिरूपसे गृहीत आचारकी—मुक्तिपर्यन्त—उसे तोड़नेकी अवधि तक—जो हिंसादि पाँच पापों-का पूर्णरूपसे सर्वत्र—देशवकाशिकब्रतकी क्षेत्र-मर्यादाके भीतर और बाहर सब क्षेत्रोंकी अपेक्षा—स्थाग करना है उसका नाम आगमके जाता ‘सामयिक’ बतलाते हैं।’

व्याख्या—यहाँ जिस समयकी बात कही गई है उसका सूचनात्मक स्वरूप आगली कारिकामें दिया है । उस समय अथवा आचारविशेषकी अवधि-पर्यन्त हिंसादिक पांच पापोंका पूर्णरूपसे त्याग इस ब्रतके लिये विवक्षित है और उसमें पापोंके स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार आजाते हैं । यह त्याग चेत्रकी हृषिसे देशाव-काशिक ब्रतकी सीमाके भीतर और बाहर सारे ही चेत्रसे सम्बन्ध रखता है ।

समय-स्वरूप

मूर्खरुह-मुष्टि-वासो-बन्धं पर्यङ्कवन्धनं चाऽपि ।

स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञाः ॥ ८ ॥६८॥

‘केशबन्धन, मुष्टिबन्धन, वस्त्रबन्धन पर्यङ्कवन्धन—पशा-सनादि मांडना—और स्थान—खडे होकर कायोत्सर्ग करना—तथा उपवेशन—बैठकर कायोत्सर्ग करना या साधारण रूपसे बैठना—इनको आगमके ज्ञाता अथवा सामायिक सिद्धान्तके जानकार पुरुष (सामायिकका) समय—आचार—जानते हैं । अर्थात् यह सामायिक ब्रतके अनुष्ठानका बाह्याचार है ।’

व्याख्या—‘समय’ शब्द शपथ, आचार, सिद्धान्त, काल, नियम, अवसर आदि अनेक अर्थोंमें प्रयुक्त हुआ है * । यहाँ वह ‘आचार’ जैसे अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । इस कारिकामे जिन आचारोंका उल्लेख है उनमेंसे किसी प्रकारके आचारका अथवा ‘वा’ शब्दसे उनसे भिलते जुलते किसी दूसरे आचारका नियम लेकर जब तक उसे स्वेच्छासे या नियमानुसार छोड़ा नहीं जावे तब तकके समय (काल) के लिये पंच पापोंका जो पूर्णरूपसे—

* ‘समयः शपथे भाषासम्पदोः कालसविदोः ।

सिद्धान्ताऽचार-सकेत-नियमावसरेषु च ॥

क्रियाधिकारे निर्देशे च ।’—इति रभसः ।

मन-वचन-काय और कृत-कारित-अनुमोदनाके द्वारा—सर्वथा
त्याग है वही पूर्व कारिकामें वर्णित सामायिक शिक्षाब्रतका
लक्ष्य है।

यहाँ केशबन्धादिक रूपमें जिस आचारका उल्लेख है वह
सामायिककी कालमर्यादाके प्रकारोंका सूचक है; जैसे पद्मासन
लगाकर बैठना जब तक असह्य या आकुलताजनक न हो जाय
तब तक उसे नहीं छोड़ा जायगा और इसलिये असह्यादि होने
पर जब उसे छोड़ा जायगा तब तककी उस सामायिक ब्रतकी
कालमर्यादा हुई। इसी तरह दूसरे प्रकारोंका हाल है और ये
सब घड़ी-घण्टा आदिकी परतन्त्रतासे रहित सामायिककारकी
स्वतन्त्रताके द्योतक अतिप्राचीन प्रयोग हैं जिनकी पूरी रूपरेखा
आज बहुत कुछ अज्ञात है।

सामायिकके योग्य स्थानादि

एकान्ते सामयिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च ।

चैत्यालयेषु वाऽपि च परिचेतच्यं प्रसन्नादिया ॥६॥६६

‘वर्णोंमें, मकानोंमें तथा चैत्यालयोंमें अथवा (‘अपि’ शब्दसे) अन्य गिरि-गुहादिकोंमें जो निरुपद्रव-निराकुल एकान्त स्थान हों उसमें प्रसन्नचित्तसे स्थिर होकर सामायिकको बढ़ाना चाहिये— पञ्च पापोंके त्यागमें अधिकाधिक रूपसे दृढ़ता लाना चाहिये।’

व्याख्या—यहाँ ‘एकान्ते’ और ‘निर्व्याक्षेपे’ ये दो पद खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य हैं और वे इस बातको सूचित करते हैं कि सामायिकके लिये वन, घर या चैत्यालयादिका जो भी स्थान चुनाजाय वह जनसाधारणके आवागमनादि-सम्पर्कसे रहित अलग-थलग हो और साथ ही चीटी, छांस मच्छरादिके उपद्रवों तथा बाहरके कोलाहलों एवं शोरोंगुलसे रहित हो, जिससे सामायिकका कार्य निराकुलताके साथ सध सके—उसमें कोई प्रकारका

विज्ञेप न पड़े । एक तीसरा महत्वपूर्ण पद यहाँ और भी है और वह है 'प्रसन्नाधिया', जो इस बातको सूचित करता है कि सामायिकका यह कार्य प्रसन्नाचित्त होकर वडे उत्साहके साथ करना चाहिये—ऐसा नहीं कि गिरे मनसे मात्र नियम पूरा करनेकी हृष्टिको लेकर उसे किया जाय, उससे कोई लाभ नहीं होगा, उल्टा अनादरका दोष लगजायगा ।

सामायिककी दृढ़ताके साधन

व्यापार-वैमनस्याद्विनिवृत्यामन्तरात्मविनिवृत्या ।

सामयिकं वृद्धनीयादुपवासे चैकमुक्ते । वा ॥१०॥१०॥

'उपवास तथा एकाशनके दिन व्यापार और वैमनस्यसे विनिवृत्ति धारण कर—आरम्भादिजन्य शरीरादिकी चेष्टा और मनकी व्यग्रताको दूर करके—अन्तर्जल्पादि रूप संकल्प-विकल्पके त्याग-द्वारा सामायिकको दृढ़ करना चाहिये ।'

व्याख्या—यहाँ सामायिककी दृढ़ताके कारणोंको स्पष्ट किया गया है । सामायिकमें दृढ़ता तभी लाई जा सकती है जब काय तथा वचनका व्यापार बन्द हो, चित्तकी व्यग्रता-कलुषता मिटे और अन्तरात्मामें अनेक प्रकारके संकल्प-विकल्प उठकर जो अन्तर्जल्प होता रहता है—भीतर ही भीतर कुछ बातचीत चला करती है—वह दूर होवे । अतः इस सब साधन-सामग्रीको जुटानेका पूरा यत्न होना चाहिये । इसके लिये उपवासका दिन ज्यादा अच्छा है और दूसरे स्थानपर एक बार भोजनका दिन है ।

प्रतिदिन सामायिककी उपयोगिता

सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यम् ।

ब्रतपञ्चक-परिपूरण-कारणमवधानयुक्तेन ॥११॥१०१॥

* चैकमुक्ते न्ति पालालरम् ।

‘(न केवल उपवासादि पर्वके दिन ही, किन्तु) प्रतिदिन भी निरालसी और एकाग्रचिन्त गृहस्थ श्रावकोंको चाहिये कि वे यथाविधि सामायिकको बढ़ावें; क्योंकि यह सामायिक आहिंसादि पंचब्रतोंके परिपूरणका—उन्हे अग्नुव्रतसे महाव्रतत्व प्राप्त करनेका—कारण है ।’

व्याख्या—यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि सामायिक उपवास तथा एक मुक्तके दिन ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन भी की जाती है और करनी चाहिए; क्योंकि उससे अधूरे आहिंसादिक ब्रत पूर्णताको प्राप्त होते हैं। उसे प्रतिदिन करनेके लिये निरालस और एकाग्रचिन्त होना बहुत जरूरी है। इसकी ओर पूरा ध्यान रखना चाहिये ।

सामायिकस्थ गृहस्थ मुनिके समान

सामयिके सारम्भाः परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि ।

चेलोपसृष्टमुनिरिव गृही तदा याति यतिभावम् * १२॥१०२

‘सामायिकमे कृज्यादि आरम्भोंके साथ-साथ सम्पूर्ण वाहा-भ्यन्तर परिग्रहोंका अभाव होता है इसलिये सामायिककी अवस्थामें गृहस्थ श्रावककी दशा चेलोपसृष्ट मुनि-जैसी होती है। वह उस दिग्म्बर मुनिके समान मुनि होता है जिसको किसी भोले भाईने दयाका दुरुपयोग करके वस्त्र ओढ़ा दिया हो और वह मुनि उस वस्त्रको अपने वत और पदके बिरुद देख उपर्यां समझ रहा हो ।’

व्याख्या—यहाँ सामायिकमे सुस्थित गृहस्थकी दशा विल्कुल मुनि-जैसी है, इसे भले प्रकार स्पष्ट किया गया है और इसलिए इस ब्रतके ब्रती श्रावकोंको कितना महत्व प्राप्त है यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः श्रावकोंको इस ब्रतका यथाविधि आचरण बड़ी ही सावधानी एवं तत्परताके साथ करना चाहिये और उसके

* ‘मुनिभावं’ इति पाठारन्तरम् ।

लिए अगली कारिकाओंमें सुझाई हुई बातों पर भी पूरा ध्यान रखना चाहिये । साथ ही यह खूब समझ लेना चाहिये कि सामायिक केवल जाप जपना नहीं है—जैसा कि बहुधा समझा जाता है—, दोनोंमें अन्तर है और वह सामायिक तथा प्रतिक्रमण-पाठोंमें पाए जानेवाले सामायिकब्रतके इस लक्षणात्मक पद्धते और भी स्पष्ट हो जाता है:—

“समता सर्वभूतेषु संयमः शुभ-भावना ।
आर्त-रौद्र-परित्यागस्तस्मि सामायिकं ब्रतंम् ॥”

इसमें सामायिकब्रत उसे बतलाया गया है जिसके आचारमें सब प्राणियोपर समता-भाव हो—किसीके प्रति राग-द्वेषका वैषम्य न रहे—, इन्द्रियसंयम तथा प्राणिसंयमके रूपमें संयमका पूरा पालन हो, सदा शुभ भावनाएँ बनी रहें—अशुभ भावनाको जरा भी अवसर न मिले—और आर्त तथा रौद्र नामके दोनों स्वोटे ध्यानोंका परित्याग हो । इस आचारको लिये हुए यहि जाप जपा जाता है और विकसित आत्माओंके स्मरणोंसे अपनेको विकासोन्मुख बनाया जाता है तो वह भी सामायिकमें परिगणित है ।

सामायिक-समयका कर्त्तव्य

शीतोष्ण दंशमशकं परीषहमुपसर्गमपि च मौनधराः ।
सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरञ्जचलयोगाः ॥१३॥१०३॥

‘सामायिकको प्राप्त हुए—सामायिक मांडकर स्थित हुए—गृह-स्थोंको चाहिये कि वे (सामायिक-कालमें) सर्दी-गर्मी डांस-मच्छर आदिके रूपमें जो भी परीषह उपस्थित हो उसको, तथा जो उप-

[†] ‘मशक’ इति पाठान्तरम् ।

सर्ग आए उसको भी अचलयोग होकर—अपने मन-वचन-कार्यको ढाँचाहोल न करके—मौनपूर्वक अपने अधिकारमें करें—खुशीसे सहन करे, पीड़ाके होते हुए भी बबराहट-बैचैनी या दीनतासूचक कोई शब्द मुखसे न निकालें ।'

व्याख्या—यहाँ मौनपूर्वक सामायिकमें स्थित होकर सामायिक-कालमें आए हुए उपसर्गों तथा परीषहोको समता-भावसे सहन करते हुए जिस अचलयोग-साधनाका गृहस्थोंके लिये उपदेश है वह सब मुनियों-जैसी चर्या है और इसलिए आरम्भ तथा परिग्रहसे विरक्त ऐसे गृहस्थ साधकोंको उस समय मुनि कहना—चेलोपस्थ मुनिकी उपमा देना—उपयुक्त ही है ।

अशरणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमावसामि भवम् ।
मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके ॥१४॥१०४॥

‘सामायिकमें स्थित सभी श्रावक इस प्रकारका ध्यान करें—चिन्तन करें—कि ‘मैं चतुर्गति-भ्रमणरूपी जिस संसारमें बस रहा हूँ वह अशरण है—उसमें अपायपरिरक्षक (विनाशसे रक्षा करनेवाला) कोई नहीं है, (अशुभ-कारण-जन्य और अशुभ-कार्यका कारण होनेसे) अशुभ है, अनित्य है, दुःखरूप है और आत्मस्वरूपसे भिन्न है, तथा मोक्ष उससे विपरीत स्वरूपवाला है—वह शरणरूप, शुभरूप, नित्यरूप सुखस्वरूप और आत्मस्वरूप है ।’

व्याख्या—यहाँ सामायिकमें स्थित होकर जिस प्रकारके ध्यान-की बात कही गई है उससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि सामायिक कोरा जाप जपना नहीं है । और इसलिये अरहंतादिका नाम वा किसी मन्त्रकी जाप जपनेमें ही सामायिककी इति-श्री मान लेना बहुत बड़ी भूल है, उसे जितना भी शीघ्र हो सके दूर करना चाहिए ।

सामायिकब्रतके अतिचार

वाक्यायमानसानां दुःप्रणिधानान्यनादराऽस्मरणे ।

सामायिकस्थाऽतिगमा व्यज्यन्ते पञ्च भावेन ॥१४॥१०५॥

‘वचनका दुःप्रणिधान (दुष्ट असत् या अन्यथा प्रयोग अथवा परिणमन), कायका दुःप्रणिधान, मनका दुःप्रणिधान, अनादर (अनुत्साह) और अस्मरण (अनैकाग्रता), ये वस्तुतः अथवा परमर्थसे सामायिकब्रतके पाँच अतीचार हैं ।’

व्याख्या—सामायिकब्रतका अनुष्ठान मन-वचन-कायको ठीक वशमें रखकर वही सावधानीके साथ उत्साह तथा एकाग्रतापूर्वक किया जाता है, फिर भी दैवयोगसे क्रोधादि किसी कपायके आवेश-वश यदि मन-वचन-कायमेंसे किसीका भी खोटा अनुचित या अन्यथा प्रयोग बन जाय अथवा वैसा परिणमन हो जाय, उत्साह गिर जाय या अपने विषयमें एकाग्रता स्थिर न रह सके तो वही इस ब्रतके लिये दोषरूप हो जायगा । उदाहरणके तौर पर एक मनुष्य मौनसे सामायिकमें स्थित है, उसके सामने एक-दम कोई भयानक जन्तु सांप, बिच्छू, व्याघ्रादि आजाए और उसे देखते ही उसके मुँहसे कोई शब्द निकल पड़े, शरीरके रोंगटे लड़े हो जायें, आसन ढोल जाय, मनमें भयका संचार होने लगे और उस जन्तुके प्रति-द्वेषकी कुछ भावना जागृत हो उठे अथवा अनिष्टसंयोगज नामका आरात्ध्यान कुछ क्षणके लिये अपना आसन जमा बैठे तो यह सब उस ब्रतीके लिये दोषरूप होगा ।

प्रोषधोपवास-लक्षण

पर्वएयष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु ।

चतुरभ्यवहार्यण्णं प्रत्याख्यानं सदिच्छामिः ॥१६॥१०६॥

‘चतुर्दशी और अष्टमीके दिन चार अभ्यवहार्योंका—अन्न, पान (पेय), खाद्य और लेहरूपसे चार प्रकारके आहारोंका—जो सत्‌इच्छाओंसे—शुभ सकलोंके साथ—त्याग है—उनका सेवन न करना है—उसको ‘प्रोषधोपवास’ ब्रत जानना चाहिये।’

व्याख्या—‘पर्वणी’ शब्द यद्यपि आमतौर पर पूर्णिमाका वाचक है परन्तु वह यहाँ चतुर्दशीके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है; क्योंकि जैनान्नायकी दृष्टिसे प्रत्येक मासमें दो अष्टमी और दो चतुर्दशी ऐसे चार दिन आमतौर पर पर्वके माने जाते हैं; जैसा कि आगे प्रोषधोपवास नामक श्रावकपद (प्रतिमा) के लक्षणमें प्रयुक्त हुए ‘पर्वदिनेषु चतुर्दशीपि मासे मासे’ इन पदोंसे भी जाना जाता है। पर्वणीकों पूर्णिमा माननेपर पर्व दिन तीन ही रह जाते हैं—दों अष्टमी और एक पूर्णिमा। यहाँ ‘पर्वणी’ शब्दसे अष्टमीकी तरह दोनों पक्षोंकी दो चतुर्दशी विवक्षित है। प्रभा-चन्द्राचायने भी अपनी टीकामें ‘पर्वणी’ पदका अर्थ ‘चतुर्दश्या’ दिया है। ‘चतुरभ्यवहार्याणा’ पदका जो अर्थ अन्न, पान, खाद्य, और लेह किया गया है वह छठे श्रावकपदके लक्षणमें प्रयुक्त हुए ‘अन्नं पानं खाद्यं लेहं’ नाशनानाति यो विभावर्याम् इस वाक्य पर आधार रखता है।

यहाँ इस ब्रतके लक्षणमें एक बात खाल तौरसे व्याजमें रखने चाय्य है और वह है ‘सदिच्छाभिः’ पदका प्रयोग, जो इस बातको सूचित करता है कि यह उपवास शुभेच्छाओं अथवा सत्संकल्पों-को लेकर किया जाना चाहिये—किसी बुरी भावना, लोकदिखावा अथवा दम्भादिकके असदुद्देश्यको लेकर नहीं, जिसमें किसी पर अनुचित दबाव डालना भी शामिल है।

उपवासके दिन त्याज्य कर्म

पंचानां पपानामलंक्रियाऽरम्भ-गन्ध-पुष्पाणाम् ।

स्नानाऽङ्गन-नस्यानामुपवासे परिहृतिं कुर्यात् ॥१७॥१०७

‘उपवासके दिन हिंसादिक पांच पापोंका, अलंक्रियाका—वस्त्रालंकारोंसे शरीरकी सजाबटफा—, कृष्णादि आरम्भोंका, चन्दन इत्र फुलेल आदि गन्धद्रव्योंके लेपनादिका, पुष्पोंके (सूँघने-धारणादिरूप) सेवनका, स्नानका, आँखोंमें अखन आँजनेका और नाकमें दवाई डालकर नस्य लेने अथवा सूँघने का त्याग करना चाहिये । ’

व्याख्या—इस कारिकामें उपवासके दिन अथवा समयमें ‘क्या नहीं करना’ और अगली कारिकामें ‘क्या करना’ चाहिये इन दोनोंके द्वारा उपवासकी दृष्टि तथा उसकी चर्याको स्पष्ट किया गया है और उनसे यह साफ जाना जाता है कि प्रस्तुत उपवास धार्मिक दृष्टिको लिए हुए हैं। इसीसे इस कारिकामें पञ्च पापोंके त्यागका प्रमुख उल्लेख है, उसे पहला स्थान दिया गया है और अगली कारिकामें धर्मामृतको बड़ी उत्सुकताके साथ पीने-पिलानेकी बातको प्रधानता दी गई है। और इसलिये जो उपवास इस दृष्टिसे न किये जाकर किसी दूसरी लौकिक दृष्टि को लेकर किये जाते हैं—जैसे स्वास्थ्यके लिये लंघनादिक अथवा अपनी बातको किसी दूसरोंसे मनवानेके लिये सत्याग्रहके रूपमें प्रचलित अनशनादिक—ये इस उपवासकी कोटिमें नहीं आते ।

उपवास-दिवसका विशेष कर्तव्य

धर्मामृतं सतृष्णः श्रवणाम्यां पितृं पाययेद्वान्यान् ।

ज्ञान-ध्यानयरो वा भवतूपवसन्नतन्द्रालुः ॥१८॥१०८॥

‘उपवास करनेवालेको चाहिये कि वह उपवासके दिन निद्रा तथा आलस्यसे रहित हुआ अति उल्कण्ठाके साथ—मात्र दूसरोके अनुरोधवश नहीं—धर्मामृतको कानोंसे पीवे—धर्मके विशेषज्ञोंसे धर्म को सुने—तथा दूसरोंको—जो धर्मके स्वरूपसे अनभिज्ञ हो या धर्मकी छीक जानकारी न रखते ही उन्हे—धर्मामृत पिलावे—धर्मचर्चाया जास्त्र

सुनावे—तथा ज्ञान और ध्यानमें तत्पर होवे—शास्त्रस्वाध्याय-द्वारा ज्ञानार्जनमें मनको लगावे अथवा द्वादशानुप्रेक्षाके चिन्तनमें उपयोगको रमावे और धर्मध्यान नामके अम्यन्तर तपश्चरणमें लीन रहे । ’

व्याख्या—उपवास-दिनके विवेय कर्तव्यका निर्देश करते हुए यहाँ अमृतको पीने-पिलानेवाली बात कही गई है, जब कि उपवासमें चारों प्रकारके आहारका त्याग होनेसे उसमे पीना (पान-पेय) भी आजाता है और वह भी त्याज्य ठहरता है; परन्तु यहाँ जिस पीनेका विधान है वह मुखसे पीना नहीं है, बल्कि कानोंसे पीना है और जिस अमृतका पीना है वह दुष्घ-दधि-धृतादिके रूपमें नहीं बल्कि धर्मके रूपमें है—वही धर्म जो सन्ध-गृह्णन-ज्ञान-चारित्ररूपसे इस शास्त्रमें विवक्षित है उसे ही अमृत कहा गया है और इसलिये उस अमृतका पीना त्याज्य नहीं है। उसे तो वड़ी उत्पुक्ताके साथ पीना चाहिये और दूसरोंको भी पिलाना चाहिये। जिस वृष्णिका अन्यत्र निषेध है उसका धर्म-मृतके पीने-पिलानेमें निषेध नहीं है किन्तु विधान है, उसीका सूचक ‘सतृष्णः’ पद कारिकामें पढ़ा हुआ है जो कि उपवास करनेवालेका विशेषण है। सद्धर्म वास्तवमें सच्चा अमृत है जो जीवात्माको स्थायी सन्तुष्टि एवं शान्ति प्रदान करता हुआ उसे अमृतत्व अर्थात् सदाके लिये अमरत्व या मुक्ति प्रदान करता है।

धर्ममृतको पीने-पिलानेके अलावा यहाँ उपवासके दिन एक दूसरे खास कर्तव्यका और निर्देश किया गया है और वह है ‘ज्ञान-ध्यानमें तत्पर रहना’ अर्थात् उपवासका दिन ज्ञान और ध्यानके अभ्यासकी प्रधानताको लिए हुए विताना चाहिये—उस दिन सविशेष रूपसे स्वाध्याय तथा आत्मध्यानरूप सामायिककी साधनमें उद्यत रहना चाहिये—सामायिकका कार्य उपवास तथा एक मुक्तके दिन अच्छा बनवा है यह पहले ब्रतलाया जा चुका

है। इन सभी कर्तव्योंको ठीक पालनेके लिये निंद्रा तथा आलत्य-पर विजय प्राप्त करनेकी बड़ी जरूरत है उसीके लिये 'अतन्द्रालुः' विशेषणका प्रयोग किया गया है। अतः उस पर सदैव हृष्टे रखनी चाहिये।

ॐ चतुराहार-विंसर्जनमुपवासः प्रोषधः सकृदभुक्तिः ।

स प्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति ॥१६॥१०६॥

'चार प्रकारके आहार-त्यागका नाम उपवास है, एक बार-का भोजन 'प्रोषध' कहलाता है और उपवास करके जो आरम्भ-का आचरण करना है उसे 'प्रोषधोपवास' कहते हैं।'

व्याख्या—यहाँ 'प्रोषधोपवासः' पदका विश्लेषण करते हुए उसके 'प्रोषध' और 'उपवास' नामके दोनों अंगोंका अलग अलग लक्षण निर्दिष्ट किया गया है और फिर समूचे पदका जुदा ही लक्षण दिया है। इस लक्षण-निर्देशमें 'प्रोषध' शब्दको पूर्वपर्यायी न बतलाकर जो एक भुक्तिके अर्थमें प्रहण किया गया है वह बहुत कुछ चिन्तनीय जान पड़ता है।

ॐ इस कारिकाकी स्थिति यहाँ संदिग्ध जान पड़ती है; क्योंकि प्रोषधोपवासका लक्षण कारिका नं० १०६ में दिया जा चुका है और उसके बाद दो कारिकाओंमें उपवास-दिनके त्याज्य तथा-विवेच्यरूपे कर्तव्योंका भी निर्देश हो चुका है। तब इस कारिकाका प्रथम तो कुछ प्रसग नहीं रहता, दूसरे यह कारिका उक्त पूर्ववर्तिमी कारिकाके विरह पड़ती है, इतना ही नहीं बल्कि श्रावकके चतुर्थपदका निर्देश करनेवाली जो उत्तरवर्तिमी कारिका नं० १४० है उसके भी विरह जाती है और इस-तरह पूर्वापि-विरोधको लिये हुए है। ऐसी स्थितिमें यह ग्रन्थका अंग होनेमें भारी सन्देह उत्पन्न करती है। इस विषयके विशेष विचार एवं ऊहापोहके लिये प्रस्तावनाको देखना चाहिये।

प्रोषधोपवासके अतिचार

ग्रहण-विसर्गाऽस्तरणान्यद्वष्टमृष्टान्यनादराऽस्मरणे ।

यत्प्रोषधोपवास-व्यतिलंघन-पञ्चकं तदिदम् ॥२०॥११०॥

‘(उपवासके दिन भूख-प्याससे पीड़ित होकर शीघ्रतादिवश) जीव-जन्मुकी देख-भाल किये बिना और बिना योग्य रीतिसे माडे पौछे जो किसी चीजका ग्रहण करना—उठाना पकड़ना है—झोड़ना धरना है, आसन-विछैना करना है तथा उपवास-सम्बन्धी क्रियाओंके अनुष्ठानमें अनादर करना है और एकाग्रताका न होना अर्थवा उपवास-विधिको ठीक याद न रखना है; यह सब प्रोषधोपवासका अतिचार-पञ्चक है—इस ब्रतके पाँच अतिचारों-का रूप है।

व्याख्या—यहाँ ‘अद्वष्टमृष्टानि’ पद ‘ग्रहण-विसर्गा-अस्तरणानि’ पदका विशेषण है, उसके प्रत्येक अंगसे सम्बन्ध रखता है और उसी अर्थमें प्रयुक्त हुआ है जिसके लिये तत्त्वार्थसूत्रमें ‘अप्रत्य-वेक्षित’ और ‘अप्रमार्जित’ शब्दोंका प्रयोग हुआ है ‘अद्वष्ट’ अप्रत्यवेक्षित (चक्षुसे अनवलोकित) का और ‘अमृष्ट’ अप्रमार्जित (मूदु उपकरणसे प्रमार्जन-रहित) का वाचक है। उपवासके दिन किसी भी वस्तुके ग्रहण-त्यागादिके अवसर पर सबसे पहले यह देखनेकी जरूरत है कि उस ग्रहण-त्यागके द्वारा किसी जीव को बाधा तो नहीं पहुँचती। यदि किसी जीवको बाधा पहुँचना संभव हो तो उसे कोमल उपकरण-द्वारा उस स्थानसे अलग कर देना चाहिये। यही सावधानी रखनेकी इस ब्रतके ब्रतीकों लिये ज़रूरत है। वाकी ‘अनादर’ अनुत्साहका और ‘अस्परण’ अनै-काप्रताका वाचक है; इन दोनोंको अवसर न मिले और उपवास-का सब-कार्य उत्साह-तथा एकाग्रताके साथ सम्पन्न होता रहे, इसका यथाशक्य पूरा यत्न होना चाहिये।

वैयावृत्य-लक्षण

दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये ।

अनपेचितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन ॥२१॥११॥

व्यापचिव्यपनोदः पद्योः संचाहनं च गुण-रागात् ।

वैयावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम् ॥२२॥१२॥

‘सन्यग्दर्शनादि गुणोंके निधि गृहत्यागी तपस्वीको, बदलेमें किसी उपचार और उपकारकी अपेक्षा न रखकर, धर्मके निमित्त यथाविभव—विधिद्व्यादिकी अपनी शक्ति-सम्पत्तिके अनुरूप—जो दान देना है उसका नाम ‘वैयावृत्य’ है ।’

‘(केवल दान ही नहीं किन्तु) गुणानुरागसे संयमियोंकी आपत्तियोंको जो दूर करना है, उनके चरणोंको दबाना है तथा और भी उनका जो कुछ उपग्रह है—उपकार, साहाय्य सहयोग धर्यवा उनके अनुकूल बर्तन है—वह सब भी ‘वैयावृत्य’ कहा जाता है ।’

व्याख्या—यहाँ जिनके प्रति दानादिके व्यवहारको ‘वैयावृत्य’ कहा गया है वे प्रधानतः सन्यग्दर्शनादि गुणोंके निधिस्वरूप वे सकलसंयमी, अगृही तपस्वी हैं जो विषयवासना तथा आशान्त्रिण्याके चक्रमें न फँसकर इन्द्रिय-विषयोंकी वौछा तकके वशवतीं नहीं होते, आरम्भ तथा परिग्रहसे विरक्त रहते हैं और सदा ज्ञान-ध्यान एवं तपमें लीन रहा करते हैं; जैसा कि इसी शास्त्रकी १००ी कारिकामें दिये तपस्वीके लक्षणसे प्रकट है। और गौणतासे उनमें उन तपस्थियोंका भी समावेश है जो भले ही पूर्णतः गृहत्यागी न हों किन्तु गृहवाससे उदास रहते हों, भले ही आरम्भ-परिग्रहसे पूरे विरक्त न हों किन्तु कृषि-वाणिज्य तथा मिलोंके संचालनादि-जैसा कोई बड़ा आरम्भ तथा ऐसे महारम्भोंमें नौकरीका कार्य न करते हों और प्रायः आधश्यकताकी पूर्ति-जितना परिग्रह रखते हों। साथ ही, विषयोंमें आसक्त न होकर जो संयमके साथ सादा

जीवन व्यतीत करते हुए ज्ञानकी आराधना, शुभमार्गोंकी साधना और निःस्वार्थभावसे लोकहितकी हृषिको लिये हुए धार्मिक साहित्यकी रचनादिस्तप तपश्चर्यामें दिन-रात लीन रहते हों। इसीसे प्रभाचन्द्राचार्यने भी अपनी टीकामें 'संयगिना' पदका अर्थ 'देश-सकल-न्यतीना' करते हुए उसमें सकलसंयमी और देशसंयमी दोनों प्रकारके यतियोंका ग्रहण किया है।

इन कारिकाओंमें प्रयुक्त हुए 'धर्माय', 'अनपेक्षितोपचारोपक्रिय', 'गुणरागाद्' और 'यावानुपग्रहः' पद अपना खास महत्व रखते हैं। 'यावानुपग्रहः' पदमें दूसरा सब प्रकारका उपकार, सहयोग, साहाय्य तथा अनुकूलवर्तनादि आजाता है, जिसका इन दोनों कारिकाओंमें स्पष्ट रूपसे उल्लेख नहीं है। उदाहरणके लिये एक संयमी किसी ग्रन्थका निर्माण करना चाहता है उसके लिये आवश्यक विषयोंके ग्रन्थोंको जुटाना, ग्रन्थोंमेंसे अभिलिखित विषयोंको खोज निकालने आदिके लिए विद्वानोंकी योजना करना, प्रतिलिपि आदिके लिये लेखकों (कलाकारों) की नियुक्ति करना और ग्रन्थके लिखे जाने पर उसके प्रचारादिकी योग्य व्यवस्था करना, यह सब उस संयमीका आहार-आौपधारिके दानसे मिज्ज दूसरा उपग्रह है; जैसा कि महाराज अमोघवर्षने आचार्य वीरसेन-जिनसेनके लिये और महाराज कुमारपालने हेमचन्द्राचार्यके लिए किया था। इसी तरह दूसरे सद्गृहस्थों-द्वारा किया हुआ दूसरे विद्वानों एवं साहित्य-तपस्वियोंका अनेक प्रकारका उपग्रह है।

'धर्माय' पद दानादिकमें धार्मिकहृषिका सूचक है और इस बातको बतलाता है कि दानादिकका जो कार्य जिस संयमीके प्रति किया जाय वह उसके धर्मकी रक्षार्थ तथा उसके द्वारा अपने धर्मकी रक्षार्थ होना चाहिये—केवल अपना कोई लौकिक प्रयोजन साधने अथवा उसकी सिद्धिकी आशासे नहीं। इसी तरह 'गुणरागाद्' पद भी लौकिकहृषिका प्रतिषेधक है और इस बातको सूचित

कहता है कि वह दान तथा उपग्रह-उपकारादिका आन्य कार्य सिक्की लौकिक लाभादिकी दृष्टिको लक्ष्यमें लेकर अथवा किसीके दबाव या आदेशादिकी मज्जबूरीके बश होकर न होना चाहिये—वैसा होनेसे वह वैयावृत्त्यकी कोटिसे निकल जायगा। वैयावृत्त्यकी साधनाके लिये पात्रके गुणोंमें शुद्ध अनुरागका होना आवश्यक है। रहा ‘अनपेक्षितोपचारपक्षियं’ नामका पद, जो कि दानके विशेषणरूपमें प्रयुक्त हुआ है, इस ब्रतकी आत्मा पर और भी विशंद प्रकाश डालता है और इस बातको स्पष्ट घोषित करता है कि इस वैयावृत्त्यब्रतके ब्रती-द्वारा दानादिके रूपमें जो भी सेवाकार्य किया जाय उसके बदलेमें अपने किसी लौकिक उपकार या उपचारकी कोई अपेक्षा न रखनी चाहिये—वैसी अपेक्षा रख-कर किया गया सेवा-कार्य वैयावृत्त्यमें परिणित नहीं होगा।

यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि ग्रन्थकार-सुहेदयने चतुर्थशिक्षाब्रतको मात्र ‘अतिथिसंविभाग’ के रूपमें न रख कर उसे जो ‘वैयावृत्य’ का रूप दिया है वह अपना खास महत्व रखता है और उसमें कितनी ही ऐसी विशेषताओंका समावेश हो जाता है जिनका ग्रहण मात्र अतिथिसंविभागनामके अन्तर्गत नहीं बनता; जैसा कि इस विषयकी दूसरी लक्षणालिका कागिरिका (११२) से प्रकट है, जिसमें दानके अतिरिक्त दूसरे सब प्रकारके उपग्रह-उपकारादिको समाविष्ट किया गया है और इसी-से उसमें देवाधिदेवके उस पूजनका भी समावेश हो जाता है जो दानके कथनानन्तर इस ग्रन्थमें आगे निर्दिष्ट हुआ है और जो इस ब्रतका ‘अतिथिसंविभाग’ नामकरण करने वाले दूसरे ग्रन्थोंमें नहीं पाया जाता।

दान, दाता और पात्र
नृपुण्यैः प्रतिपचिः सप्तगुणसमाहितेन शुद्धेन ।

अप्सनारसाणामायीणमिष्यते दानस् ॥२३॥१३॥

‘(दातारके) सप्तगुणोंसे युक्त तथा (बाह्य) शुद्धिसे सम्पन्न गृहस्थके द्वारा नवपुण्यो-पुण्यकारणोंके साथ जो सूनाओं तथा आरम्भोंसे रहित सावृजनोंकी प्रतिपत्ति है—उनके प्रति आदर-सत्कार-पूर्वक आहारादिके विनियोगका व्यवहार है—वह दान माना जाता है।’

व्याख्या—जिस दानको ११३वीं कारिकामें वैयावृत्त्य वर्तलाया है उसके स्वामी, साधनों तथा पात्रोंका इस कारिकामें कुछ विशेष रूपसे निर्देश किया है। दानके स्वामी दातारके विषयमें लिखा है कि वह सप्तगुणोंसे युक्त होना चाहिये। दातारके सात गुण अद्वा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञानता, अलुब्धता, ज्ञान और शक्ति हैं, ऐसा दूसरे प्रन्थोंसे जाना जाता है क्ष। इन गुणोंसे दातारकी अन्तःशुद्धि होती है और इसलिये दूसरे ‘शुद्धेन’ पद्धसे बाह्य-शुद्धिका अभिप्राय है, जो हस्तपादादि तथा वस्त्रादिकी शुद्धि जान पड़ती है। दानके साधनों-विधिविधानोंके रूपमें जिन नव पुण्योंका—पुण्योपार्जनके हेतुओंका—यहाँ उल्लेख है वे १ प्रति-ग्रहण, २ उच्चवस्थापन, ३ पादप्रक्षालन, ४ अर्चन, ५ प्रणाम, ६ मनःशुद्धि, ७ वचनशुद्धि, ८ कायशुद्धि और एषण (भोजन) शुद्धिके नामसे अन्यत्र उल्लिखित भिलते हैं।

दानके पात्रोंके विषयमें यह खास तौरसे उल्लेख किया गया है कि वे सूनाओं तथा आरम्भोंसे रहित होने चाहिये। आरम्भोंमें सेवा, कृषि, वाणिज्यादि, शामिल हैं; जैसा कि इसी प्रन्थकी

क्ष अद्वा तुष्टिभूक्तिविज्ञानमलुब्धता भामा शक्तिः ।

यस्यैते सप्तगुणास्त दातार प्रशसनित ॥

—टीकामें प्रभाचन्द्र-द्वारा उद्घृत

† पठिगहणमुच्चठारणं पादोदकमच्चणु चं पणम च ।

मणवयणकायसुद्धी एसणसुद्धी य णवविहं पुण्य ॥

—टीकामें प्रभाचन्द्र-द्वारा उद्घृत

‘सेवा-कृषि-वाणिज्य-प्रयुक्तादारभतो व्युपारमति’ इत्यादि कारिका नं० १४४ से प्रकट है। और ‘सूना’ वधके स्थानों-ठिकानोंका नाम है और वे खंडिनी (ओखली), पेपिणी (चक्की), चुल्ली (चौका चूल्हा), उदकुम्भी (जलघटी) तथा प्रमार्जनी (बोहा-रिका) के नामसे पॉच प्रसिद्ध हैं।^१ इससे स्पष्ट है कि वे पात्र सेवा-कृषि-वाणिज्यादि कार्योंसे ही रहित न होने चाहियें बल्कि ओखली, चक्की, चूल्ही, पानी भर कर रखना तथा दुहारी देने-जैसे कामोंको करनेवाले भी न होने चाहिये। ऐसे पात्र प्रायः मुनि तथा ग्यारहवीं प्रतिमाके धारक जुल्लक-ऐलक ही सकते हैं।

अतिथि पूजा-दि-फल

गृहकर्मणापि निचितं कर्म विमार्दि खलु गृहविमुक्तानाम् ।
अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धान्ते वारि ॥२४॥११४॥

‘जैसे जल रुधिरको धो डालता है वैसे ही गृहत्यागी अतिथियों (साधुजनों) की दानानिरूपसे की गई पूजा-भक्ति भी घरके पंचसूनादि सावधान-कार्योंके द्वारा संचित एवं पुष्ट हुए पाप-कर्मको निश्चयसे दूर कर देती है।’

व्याख्या—यहाँ ‘गृहविमुक्ताना अतिथीनां’ पदोंके द्वारा वे ही गृहत्यागी साधुजन विवक्षित हैं जो पिछली कारिकाओंके अनु-सार ‘तपोवन’ हैं—तपस्थीके उस लक्षणसे युक्त हैं जिसे १० वीं कारिकामें निर्दिष्ट किया गया है, ‘गुणनिधि’ है—सम्यन्दर्शनादि गुणोंकी खान हैं—संयमी है—इन्द्रियसेयम-प्राणिसंयमसे सम्पन्न एवं कपायोंका दमन किये हुए हैं और पंचसूना तथा आरम्भसे विमुक्त हैं। ऐसे सन्तजनोंकी शुद्ध-वैयाकृति निःसन्देह गृहस्थोंके पुज्जीभूत पाप-मलको धो डालनेमें समर्थ है। प्रत्युत इसके, जो

^१ खंडिनी पेपिणी चुल्ली उदकुम्भी प्रमार्जनी।

पंचसूना गृहस्थस्य तेन भोक्त न गच्छति ॥

—टीकामें प्रभाचन्द्र-द्वारा उद्धृत

साधु इन गुणोंसे रहित है, कषायोंसे पीड़ित हैं और दम्भादिकसे गुक्त हैं उनकी वैयावृत्ति अथवा भक्ति ऐसे फलको नहीं फलती। वे तो पत्थरकी नौकाके समान होते हैं—आप हूँवते और साथमें दूसरोंको भी ले हूँवते हैं।

उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भींगो दानादुपासनात्पूजा ।

भक्तेः सुन्दररूपं स्तवनात्कीर्तिस्तपोनिधिषु ॥२५॥११५॥

‘सच्चे तपोनिधि साधुओंमें प्रणामके व्यवहारसे उच्चगोत्र की, दानके विनियोगसे इन्द्रिय-भोगकी, उपासनाकी योजनासे पूजा-अतिष्ठाकी, भक्तिके प्रयोगसे सुन्दर रूपकी और स्तुतिकी सृष्टिसे यशःकीर्तिकी सम्प्राप्ति होती है।’

व्याख्या—यहाँ ‘तपोनिधिषु’ पदके द्वारा भी उन्हीं सच्चे तपस्त्रियोंका प्रहण है जिनका उल्लेख पिछली कारिकाकी व्याख्या में किया गया है और जिनके लिये चौथी कारिकामें ‘परमार्थ’ विशेषण भी लगाया गया है। अतः इस कारिकामें वर्णित फल उन्हींके प्रणामादिसे सम्बन्ध रखता है—दूसरे तपस्त्रियोंके नहीं। नितिगतमिव वटवीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले ।

फलतिच्छायाविभवं वहुफलमिष्टं शरीरमृताम् ॥२६॥११६॥

‘सत्पात्रको दिया हुआ देहारियोंका थोड़ा भी दान, सुक्षेत्र-में घोए हुए वटवीजके समान, उन्हें समय पर (भोगोपभोगादिकी पञ्चुर सामग्रीरूप) छायाविभवको लिये हुए बहुत इष्ट फलको फलता है।’

व्याख्या—यहाँ प्रणामादि-जैसे छोटेसे भी कार्यका बहुत बड़ा फल कैसे होता है उसे बड़के बीजके उदाहरण-द्वारा सम्पष्ट करके बतलाया गया है। और इसलिए पिछली कारिकामें जिस कार्य-का जो फल निर्दिष्ट हुआ है उसमें सन्देहके लिए अवकाश नहीं। सत्पात्र-गत होने पर उन कार्योंमें वैसे ही फलकी शक्ति है।

वैयावृत्यके चार भेद

आहारौपधयोरप्युपकरणावासयोरच दानेन ।

वैयावृत्यं ब्रुवते, चतुरात्मत्वेन चतुरसाः ॥२७॥११७॥

‘आहार, औपध, उपकरण (पीछी, कमडलु. शास्त्रादि) और आवास (वस्तिकादि) इन चार प्रकारके दानोंसे वैयावृत्यको विद्वजन चार प्रकारका बतलाते हैं । अर्थात् आहारदान, औपधदान, उपकरणदान और आवासदान, ये वैयावृत्यके मुख्य चार भेद हैं ।’

व्याख्या—लोकमें यद्यपि आहारदान, औपधदान, विद्यादान और अभयदान, ऐसे चार दान अधिक प्रसिद्ध हैं; परन्तु जिन तपस्त्वयोंको मुख्यतः लक्ष्य करके यहाँ वैयावृत्यके रूपमें दानकी व्यवस्था की गई है उनके लिये ये ही चार दान उपयुक्त हैं । उपकरणदानमें शास्त्रका दान आजानेसे विद्यादान सहज ही बन जाता है और भयको वे पहलेसे ही जीते हुए होते हैं, उसमें जो कुछ कसर रहती है वह प्रायः आवासदानसे पूरी हो जाती है ।

वैयावृत्यके दृष्टान्त

*** श्रीपेण-वृपभसेने, कौण्डेशः शूकररच दृष्टान्ताः ।**

वैयावृत्यस्यैते चतुर्विंकलपस्य भन्तव्याः ॥२८॥११८॥

‘(आहारदान, औपधदान, उपकरणदान और आवासदानके भेदसे) चार विकल्परूप वैयावृत्यके (क्रमशः) श्रीपेण, वृपभसेना, कौण्डेश और शूकर ये चार दृष्टान्त जानने चाहियें ।’

व्याख्या—आहारदानमें श्रीपेणकी, औपधदानमें वृपभसेना-की, उपकरणदानमें कौण्डेशकी और आवासदानमें शूकरकी कथाएँ प्रसिद्ध हैं । ये कथाएँ अनेक ग्रन्थोंमें पाई जाती हैं, यहाँ इनके उद्घात करनेकी कुछ जरूरत नहीं समझी गई ।

* यह कारिका जिस स्थितिमें स्थित है उसका विशेष विचार एवं उहापोह प्रस्तावनामें किया जा रहा है, वहीसे उसको जानना चाहिये ।

देवपूजाका विवान

देवाधिदेवचरणे परिचरणं सर्वदुःख-निर्हरणम् ।
कामदुहि कामदाहिनि परिचिन्तयादाद्यतो नित्यम् २६॥११६

‘(वैयावृत्त्य नामक शिक्षान्त्रतका अनुष्ठान करनेवाले शावकको) देवाधिदेव (श्रीमहंन्तदेव) के चरणोमें जो कि बाढ़ित फलको देने वाले और काम (इच्छा तथा मदन) को भस्म करने वाले हैं, नित्य ही आदर-सत्कारके साथ पूजा-परिचर्याको वृद्धिगत करना चाहिये, जो कि सब दुःखोंको हरनेवाली है ।

व्याख्या—यहाँ वैयावृत्त्य नामके शिक्षान्त्रतमें देवाधिदेव श्रीअर्हन्तदेवकी नित्य पूजा-सेवाका भी समावेश किया गया है । और उसे सब दुःखोंकी हरनेवाली बतलाया गया है । उसके लिए शर्त यह है कि वह आदरके साथ (पूर्णतः भक्तिभाव-पूर्वक) चरणोमें अर्पितचित्त होकर की जानी चाहिये—ऐसा नहीं कि विना आदर-उत्साहके मात्र नियमपूर्तिके रूपमें, लोकाचारकी दृष्टिसे, मजबूरीसे अथवा आजीविकाके साधनरूपमें उसे किया जाय । तभी वह उक्त फलको फलती है ।

वैय्यावृत्यके, दानकी दृष्टिसे, जो चार भेद किये जाये हैं उनमें इस पूजा-परिचर्याका समावेश नहीं होता । दान और पूजन दो विषय ही अलग-अलग हैं—गृहस्थोंकी घडावश्यक क्रियाओंमें भी वे अलग-अलग रूपसे वर्णित हैं । इसीसे आचार्य प्रभाचन्द्रने टीकामें दानके प्रकरणको समाप्त करते हुए प्रस्तुत कारिकाके पूर्वमें जो निम्न प्रस्तावना-वाक्य दिया है उसमें यह स्पष्ट बतलाया है कि ‘वैय्यावृत्यका अनुष्ठान करते हुए जैसे चार प्रकारका दान देना चाहिये वैसे पूजाविधान भी करना चाहिये’—

“यथा वैयावृत्यं विदधता चतुर्विंशं दानं दातव्यं तथा पूजाविधान-मपि कर्तव्यमित्याह”—

अर्हत्तदेव ज्ञाया, कृपा तथा रोग-शोकादिकसे विमुक्त होते हैं—भोजनादिक नहीं लेते, इससे उनके प्रति आहारादिके दानका व्यवहार बनता भी नहीं*। और इसलिए देवाधिदेवके पूजनको दान समझना समुचित प्रतीत नहीं होता।

यहाँ पूजाके किसी रूपविशेषका निर्देश नहीं किया गया। पूजाका सर्वथा कोई एक रूप बनता भी नहीं। पूजा पूज्यके प्रति आदर-सत्काररूप प्रवृत्तिका नाम है और आदर-सत्कारको अपनी अपनी रुचि, शक्ति, भक्ति एवं परिस्थितिके अनुसार अनेक प्रकारसे व्यक्त किया जाता है, इसीसे पूजाका कोई सर्वथा एक रूप नहीं रहता। पूजाका सबसे अन्त्या एवं श्रेष्ठरूप पूज्यके अनुकूल चर्तन है—इसके गुणोंका अनुसरण है। इसीको पहला स्थान प्राप्त है।

दूसरा स्थान तदनुकूलवर्तनकी ओर लेजानेवाले स्तवनादिक-
का है, जिनके द्वारा पूज्यके पुण्यगुणोंका स्मरण करते हुए अपने-
को पापोंसे मुरक्कित रखकर पवित्र किया जाता है और इस तरह
पूज्यके साक्षात् सामने विद्यमान न होते हुए भी अपना श्रेयोमार्ग
सुलभ किया जाता है†। पूजाके ये ही दो रूप ग्रन्थकारमहोदय
स्वामी समन्तभद्रको सबसे अधिक इष्ट रहे हैं। उन्होंने अपनेको

* नाऽर्थः क्षुट्डविनाशाद्विवरसयुतेरन्नपार्नरशुच्या-
नास्यूप्टेगन्त्य-भाल्यैनं हि मृदुशयनैर्लानिनिद्राद्यभावात् ।
आतकातेरभावे तदुपशमनसद्भेषजानर्थ्यतावद्-
दीपाऽनर्थक्यवद्वा व्यपगतिभिरे हृश्यमाने समस्ते ।

—पूज्यपादाचार्य-सिद्धभक्तिः

† जैसा कि स्वयम्भूस्तोवके निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निन्द्या नाथ विवात्तवैरे ।

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः पुनाति चित्त दुरिताऽञ्जनेयः ॥५७॥

अर्हन्तोंके अनुकूल वर्तनके साँचेमें ढाला है और स्तुति-स्तवनादि-के बे बड़े ही प्रेमी थे, उसे आत्मविकासके मार्गमें सहायक समझते थे और इसी हृष्टिसे उसमें संलग्न रहा करते थे—न कि किसीकी प्रसन्नता सम्पादन करने तथा उसके द्वारा अपना कोई लौकिक कार्य साधनेके लिये । वे जल-चन्दन-अक्षतादिसे पूजा, न करते हुए भी पूजक थे, उनकी द्रव्यपूजा अपने वचन तथा काय-को अन्य व्यापारोंसे हटाकर पूज्यके प्रति प्रणामाङ्गलि तथा स्तुति-पाठादिके रूपमें एकाग्र करनेमें संनिहित थी । यही प्रायः पुरातनों—अतिप्राचीनों—द्वारा की जानेवाली ‘द्रव्यपूजा’ का उस समय रूप था; जैसा कि अभितगति आचार्यके निम्न वाक्यसे भी जाना जाता है :—

वचोविग्रह-संकोचो द्रव्यपूजा निगद्यते ।

तत्र मानस-संकोचो भावपूजा पुरातनैः ॥ —उपासकाचार

ऐसी हालतमें स्वामी समन्तभद्रने ‘परिचरण’ शब्दका जो प्रस्तुत-कारिकामें प्रयोग किया है उसका आशय अधिकांशमें अनु-कूल वर्तनके साथ-साथ देवाधिदेवके गुणस्मरणको लिये हुए उनके स्तवनका ही जान पड़ता है । साथ ही, इतना जान लेना चाहिये कि देवाधिदेवकी पूजा-सेवामें उनके शासनकी भी पूजा-सेवा सम्मिलित हैं ।

स्तुतिः स्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय स तदा ।

भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः ।

किमेव स्वाधीन्याज्जगति सुलभे श्रायसपथे

स्तुयान्त त्वा विद्वान्सततमभिपूज्य नमिजिनम् ॥ ११६ ॥

यहाँ पहले पदमें प्रयुक्त हुआ ‘पूजा’ शब्द निन्दाका प्रतिपक्षी होने से ‘स्तुति’ का बाचक है और दूसरे पदमें प्रयुक्त हुआ ‘स्तुयान्’ पद ‘अभिपूज्य’ पदके साथमें रहनेसे ‘पूजा’ अर्थका द्वौतक है ।

अहंत्पूजा-फल

क्षिर्अर्हचरणसपर्यामहानुभावं महात्मनामवदत् ।

भेकः प्रयोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे ॥३०॥१२०॥

‘राजगृह नगरमें हर्षोन्मत्त हुए मैडकने एक फूलसे अहंत्के चरणोंकी पूजाके माहात्म्यको महात्मा औंपर प्रकट किया ।’

व्याख्या—यहाँ उस मैडककी पूजा-फल-प्राप्तिका उल्लेख है जिसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण (जातिस्मरण) हो आया था और जो वीर भगवान्की पूजाके लिये लोगोंको जाता हुआ देख-सुनकर आनन्द-विभोर हो उठा था और स्वयं भी पूजाके भावसे एक पुष्पको मुखमें ठबाकर उछलता कुदकता हुआ जा रहा था कि इतनेमे राजा श्रेणिकके हाथीके पग तले आकर मर गया और पूजाके शुभ भावोंसे मरकर देवलोकमें उत्पन्न हुआ था तथा अपनी उस पूजा-भावनाको चरितार्थ करनेके लिये तुरन्त ही मुंकुटमे मैडक-चिन्ह धारण कर श्रीवीर भगवान्के समवसरणमें पहुँचा था और जिसकी इस पूजा-फल-प्राप्तिकी बातको जानकर वडे वडे महात्मा प्रभावित हुए थे ।

वैयाकृत्यके अतिचार

हरित-पिधान-निधाने ह्यनादराऽस्मरणमत्सरत्वानि ।

वैयाकृत्यस्यैते व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते ॥३१॥१२१॥

इति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्य-विरचिते समीचीनधर्मशास्त्रे

रत्नकरण्डाऽपरनाम्नि उपासकाभ्ययने शिक्षान्नतवर्णनं

नाम पंचमध्ययनम् ॥५॥

हरितपिधान—हरे (सचित्त,प्रप्रासुक) पन्न-पुष्पादिसे ढकी आहा-रादि देय वस्तु देना—, हरितपिधान—हरे (अप्रासुक-सचित्त)

* इस कार्तिकाके सम्बन्धमें भी विशेष विचार प्रस्तावनामें व्यक्त किया गया है ।

प्रादिक पर रक्खी हुई देय वस्तु देना—, अनादरत्व—दानादिकमें अनादरका भाव होना—अस्मरणत्व—दानादिकी विविमें भूलका हो जाना और भत्सरत्व—अन्य दातारों तथा पूजादिकी प्रबासाको सहन न करते हुए ईर्षामावसे दानका देना तथा पूजनादिका करना—, ये निश्चयसे वैयावृत्त्यके पाँच अतिचार (दोष) कहे जाते हैं।'

व्याख्या—यहाँ 'हरितपिधाननिधाने' पदमे प्रयुक्त हुआ 'हरित' शब्द सचित्त (सजीव) अर्थकां वाचक है—मात्र हरियाई अथवा हरे रंगके पदार्थकां वाचक वह नहीं है, और इसलिये इस पदके द्वारा जब सचित्त वस्तुसे ढके हुए तथा सचित्त वस्तुपर रक्खे हुए अचित्त पदार्थके दानको दोपरूप बतलाया है तब इससे यह स्ट जाना जाता है कि अनगार मुनियों तथा अन्य सचित्त-त्यागी संयमियोंको आहारादिके दानमे सचित्त वस्तुओंका देना निषिद्ध है, न कि अचित्त वस्तुओंका—भले ही वे संस्कार-द्वारा अचित्त क्यों न हुई हो; जैसे हरी तोरीका शाक और गन्ने यो सन्तरेका रस।

इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्तभद्रोचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र
अपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमे शिक्षाद्वात्तोका
वर्णन नामका पांचवा अध्ययन समाप्त हुआ ॥३॥

वेतन-अवेतन-कृत उपसर्ग तथा दुर्भिक्षादिको दूर करनेका यदि कोई उपाय नहीं बन सकता तो उसके निमित्तको पाकर एक मनुष्य सल्लोखनाका अधिकारी तथा पात्र है, अन्यथा—उपायके संभव और सशक्त्य होनेपर—वह उसका अधिकारी तथा पात्र नहीं है।

‘धर्मार्थ’ पढ़ दो हृष्टियोंको लिये हुए है—एक अपने स्वीकृत समीचीन धर्मकी रक्षा-पालनाकी और दूसरी आत्मीय धर्मकी यथाशक्त्य साधना-आराधनाकी। धर्मकी रक्षादिके अर्थ शरीरके त्यागकी बात सामान्यरूपसे कुछ अटपटी-सी जान पड़ती है; क्योंकि आमतौरपर ‘धर्मार्थकाममोक्षणा शरीरं साधनं मतम्’ इस वाक्यके अनुसार शरीर धर्मका साधन माना जाता है, और यह बात एक प्रकारसे ठीक ही है; परन्तु शरीर धर्मका सर्वथा अथवा अनन्यतम् साधन नहीं है, वह साधक होनेके स्थानपर कभी-कभी बाधक भी हो जाता है। जब शरीरको कायम रखने अथवा उसके अस्तित्वसे धर्मके पालनमे बाधाका पड़ना अनिवार्य हो जाता है तब धर्मकी रक्षार्थ उसका त्याग ही श्रेयस्कर होता है। यही पहली हृष्टि है जिसका यहाँ प्रधानतासे उल्लेख है। विदेशियों तथा विधर्मियोंके आक्रमणादि-द्वारा ऐसे कितने ही अवसर आते हैं जब मनुष्य शरीर रहते धर्मको छोड़नेके लिये मजबूर किया जाता है अथवा मजबूर होता है। अतः धर्मप्राण मानव ऐसे अनिवार्य उपसर्गादिका समय रहते विचारकर धर्म-भ्रष्टासे पहले ही बड़ी खुशी एवं सावधानीसे उस धर्मको साथ लिये हुए देहका त्याग करते हैं जो देहसे अधिक प्रिय होता है।

दूसरी हृष्टिके अनुसार जब मानव रोगादिकी असाध्यावस्था होते हुए या अन्य प्रकारसे मरणका होना अनिवार्य समझ लेता है तब वह शीघ्रनाके साथ धर्मकी विशेष साधना-आराधनाके लिये प्रयत्नशील होता है, किये हुए पापोंकी आंलोचना करता

कषायोंके आवेशवश कुछ नहीं किया जाता, प्रत्युत उन्हें जीता जाता है तथा चित्तकी शुद्धिको स्थिर किया जाता है और इस-लिये सल्लेखना कोई अपराध, अपघात या खुदकुशी (Suicide) नहीं है। उसका 'अन्तक्रिया' नाम इस बातको सूचित करता है कि वह जीवनके प्रायः अनितम भागमें की जाने वाली समीचीन किया है और सम्यक् चारित्रके अन्तमें उसका निर्देश होनेसे इस बातकी भी सूचना मिलती है कि वह सम्यक् चारित्रकी चूलिका-चोटीके रूपमें स्थित एक धार्मिक अनुष्ठान है। इसीसे इस क्रिया-द्वारा जो देहका त्याग होता है वह आत्म-विकासमे सहायक अहंदादि-पंचपरमेष्ठीका ध्यान करते हुए बड़े यत्नके साथ होता है; जैसा कि कारिका नं० १२८ से जाना जाता है—यों ही विष खाकर, कूपादिमें झूबकर, गोली मारकर या अन्य अस्त्र-शस्त्रादिकसे आधात पहुँचाकर सम्पन्न नहीं किया जाता।

'सत्' और 'लेखना' इन दो शब्दोंसे 'सल्लेखना' पद बना है। 'सत्' प्रशंसनीयको कहते हैं और 'लेखना' कृशीकरण-क्रिया-का नाम है। सल्लेखनाके द्वारा जिन्हें कृश अथवा कीण किया जाता है वे हैं काय और कषाय। इसीसे सल्लेखनाके काय-सल्लेखना और कषाय-सल्लेखना ऐसे दो भेद आगममें कहे जाते हैं। यहाँ अन्तःशुद्धिके रूपमें कषाय-सल्लेखनाको साथमें लिये हुए मुख्यतासे काय-सल्लेखनाका निर्देश है, जैसाकि यहाँ 'तनुविमोन्न' पदसे और आगे 'तनुत्यजेत्' (१२८) जैसे पदोंके प्रयोगके साथ आहारको क्रमशः घटानेके उल्लेखसे जाना जाता है।

इस कारिकामे 'निःप्रतीकारे' और 'धर्माय' ये दो पद खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं। 'निःप्रतीकार' विशेषण उपसर्ग, दुर्भित्ति, जरा, रोग इन चारोंके साथ—तथा चकारसे जिस दूसरे सहश कारणका ग्रहण किया जाय उसके भी साथ—सम्बद्ध है और इस बातको सूचित करता है कि अपने ऊपर आए हुए

क्रियासे पूर्वका वह तप कौनसा है जिसके फलकी वातको यहाँ उठाया गया है ? वह तप अगुब्रत-गुणब्रत और शिक्षाब्रतात्मक चारित्र है जिसके अनुष्ठानका विधान ग्रन्थमें इससे पहले किया गया है । सम्यक् चारित्रके अनुष्ठानमें जो कुछ उद्योग किया जाता और उपयोग लगाया जाता है वह सब 'तप' कहलाता है क्ष । इस तपका परलोक-सम्बन्धी यथेष्ट फल प्रायः तभी प्राप्त होता है जब समाधिपूर्वक मरण होता है; क्योंकि मरणके समय यदि धर्मानुष्ठानरूप परिणाम न होकर धर्मकी विराघना हो जाती है तो उससे दुर्गतिमें जाना पड़ता है और वहाँ उन पूर्योपार्जित शुभ-कर्मोंके फलको भोगनेका कांड़ अवसर ही नहीं मिलता— निमित्तके अभावमें वे शुभकर्म विना रस दिये ही खिर जाते हैं । एक बार दुर्गतिमें पढ़ जानेसे, अक्सर दुर्गतिकी परम्परा बन जाती है और पुनः धर्मको प्राप्त करना बड़ा ही कठिन हो जाता है । इसीसे शिवार्यजी अपनी भगवती आराधनामें लिखते हैं कि 'दशनज्ञानचारित्ररूप धर्ममें चिरकाल तक निरतिचार प्रवृत्ति करनेवाला मनुष्य भी यदि मरणके समय उस धर्मकी विराघना कर वैठता है तो वह अनन्त संसारी तक हो जाता है' :—

सुचिरमवि शिरदिवारं विहरिता णाणदंसणचरिते ।

मरणे विराघयिता अनतसंसारित्रो दिष्टो ॥१५॥

इन सब वार्ताओंसे स्पष्ट है कि अन्तसमयमें धर्मपरिणामोंकी सावधानी न रखनेसे यदि मरण विगड़ जाता है तो प्रायः सारे ही किये-कराये पर पानी फ्ल जाता है । इसीसे अन्त-समयमें परिणामोंको संभालनेके लिये बहुत बड़ी सावधानी रखनेकी

क्षे जैसा कि भगवती आराधनाकी निम्न गायासे प्रकट है :—

चरणम्भि तम्मि जो उज्जमो य आउजणा य जो होई ।

सो चेव जिरोहि तवो भणिदो असदं चरंतस्स ॥१०॥

‘आ महाप्रतों तकको धारण करता है और अपने पास कुछ ऐसे साधमर्म-जनोंकी योजना करता है जो उसे सदा धर्ममें सावधान रखें, धर्मोपदेश सुनावें और दुःख तथा कष्टके अवसरोंपर कायर न होने देवे। वह मृत्युकी प्रतीक्षामें बैठता है, उसे बुलाने-की शीघ्रता नहीं करता और न यही चाहता है कि उसका जीवन कुछ और बढ़ जाय। ये दोनों बातें उसके लिये दोषरूप होती हैं; जैसा कि आगे इस ब्रतके अतिचारोंकी कारिकामें प्रयुक्त हुए ‘जीवित-मरणाऽऽशंसे’ पद्दते जाना जाता है।

सल्लेखनाकी महत्ता एवं आवश्यकता

आगे इस सल्लेखना अथवा समाधिपूर्वक मरणकी महत्ता एवं आवश्यकताओं वतलाते हुए स्वामी समन्तभद्र लिखते हैं :—
 अन्तक्रियाधिकरणं † तपःफलं सकलदर्शिनः स्तुवते ।

तस्माद्यावद्विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम् ॥२॥१२३॥

‘(चौंकि) तपका—ग्रणन्त-गुणन्त-शिक्षान्तादिरूप तपश्चर्यका—फल अन्तक्रियाके—सल्लेखना, संन्यास अथवा समाधिपूर्वक मरणके—आधार पर अवलम्बित—समाश्रित—है ऐसा सर्वदर्शीं सर्वज्ञदेव ख्यापित करते हैं; इसलिये अपनी जितनी भी शक्ति—सामर्थ्य हो उसके अनुसार समाधिपूर्वक मरणमें—सल्लेखनाके अनुष्ठानमें प्रयत्नशील होना चाहिये।’

व्याख्या—इस कारिकाका पूर्वार्थ और उसमें भी ‘अन्तक्रियाधिकरणं तपःफलं’ यह सूत्रबाक्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें बताया है कि ‘तपका फल अन्तक्रिया (सल्लेखना) पर अपना आधार रखता है। अर्थात् अन्तक्रिया यदि सुधारित होती है—ठीक समाधिपूर्वक मरण बनता है—तो किये हुये तपका फल भी सुधारित होता है, अन्यथा उसका फल नहीं भी मिलता। अन्त-

† ‘अन्तःक्रियाधिकरण’ इति पाठान्तरम् ।

व्याख्या—इन दो कारिकाओं तथा अगली दो कारिकाओंमें भी समाधिमरणके लिये उद्यभी सल्लेखनानुष्ठातके त्यागक्रम और चर्याक्रमका निर्देश किया गया है। यहाँ वह रागद्वेषादिके त्याग-रूपमें कषायसल्लेखना करता हुआ अपने मनको शुद्ध करके प्रिय वचनों द्वारा स्वजन-परिजनोंको उनके अपराधोंके लिये क्षमा प्रदान करता है और अपने अपराधोंके लिये उनसे क्षमाकी याचना करता हुआ उसे प्राप्त करता है। साथ ही, स्वयं करे कराये तथा अपनी अनुमोदनामें आये सारे पापोंकी विना किसी छल-छिद्रके आलोचना करके पूर्ण महाब्रतोंको मरणपर्यन्तके लिये धारण करता है और इस तरह समाधिमरणकी पूरी तर्फारी करता है।

शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा ।

सत्वोत्साहमुदीर्यं च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः ॥५॥१२६॥

‘(महाब्रतोंके धारण करनेके बाद) सल्लेखनाके अनुष्ठाताको चाहिये कि वह शोक, भय, विषाद, क्लेश, कलुषता और अरति-को भी छोड़ कर तथा बल और उत्साहको उदयमें लाकर—बढ़ाकर—अमृतोपम आगम-वाक्योंके (स्मरण-शब्द-चिन्तनादि-) द्वारा चिन्तको (बराबर) प्रसन्न रखें—उसमें लेशमात्र भी अप्रसन्नता न आने देवे।’

व्याख्या—यहाँ सल्लेखना-ब्रतके उस कर्तव्यका निर्देश है जिसे महाब्रतोंके धारण करनेके बाद उसे पूर्ण प्रयत्नसे पूरा करना चाहिये और वह है चिन्तको प्रसन्न रखना। चिन्तको प्रसन्न रखने के लिये प्रथम तो शोक, भय, विषाद, क्लेश, कलुषता और अरतिके प्रसंगोंको अपनेसे दूर रखना होगा—उन्हें चिन्तमें भी स्थान देना नहीं होगा। दूसरे, सत्त्वामें स्थित अपने बल तथा

जरुरत है और इसीसे प्रस्तुत कारिकामें इस बात पर जोर दिया गया है कि जितनी भी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार समाधि-पूर्वक मरणका पूरा प्रयत्न करना चाहिये ।

इन्हीं सब बातोंको लेकर जैनसमाजमें समाधिपूर्वक मरणको विशेष महत्व प्राप्त है । उसकी नित्यकी पूजा-प्रार्थनाओं आदिमे ‘दुक्ष्वत्तश्च अम्भस्तु अम्भस्तु समाहिमरण च वोहिलाहो वि’ जैसे वाक्यों-द्वारा समाधिमरणकी वरावर भावना की जाती है और भगवती आराधना-जैसे कितने ही ग्रन्थ उस विषयकी महती चर्चाओं एवं मरण-समय-सम्बन्धी सावधानताकी प्रक्रियाओंसे भरे पड़े हैं । लोकमें भी ‘अन्त समा सो समा’ ‘अन्त मता सो मता’ और ‘अन्त भला सो भला’ जैसे वाक्योंके द्वारा इसी अन्तक्रियाके महत्वको ख्यापित किया जाता है । यह क्रिया गृहस्थ तथा मुनि दोनोंके ही लिये विहित है ।

सल्लेखना-विधि

स्नेह वैरं संगं परिग्रहं चाऽपहाय शुद्धमनाः ।

स्वजनं परिजनमयि च क्षान्त्वा क्षमयेत्प्रियैर्वचनैः ॥३॥१२४

आलोच्य सर्वमेनः कृति-कारितमनुमतं च निर्व्याजम् ।

आरोपयेन्महाब्रतमामरणस्थायि निःशेषम् ॥४॥१२५॥

(समाधिमरणका प्रयत्न करनेवाले सल्लेखनाब्रतीको चाहिये कि वह) स्नेह (प्रीति, रागभाव), वैर (द्वेषभाव), संग (सम्बन्ध, रिस्ता-नाता) और परिग्रह (घन-धान्यादि बाह्य वस्तुओंमें ममतपरिणाम) को छोड़कर शुद्धचित्त हुआ प्रियवचनोंसे स्वजनों तथा परिजनोंको (स्वयं) क्षमा करके उनसे अपनेको क्षमा करावे । और साथ ही स्वयं किये-कराये तथा अपनी अनुसोदनाको प्राप्त हुए सम्पूर्ण पापकर्मकी निश्छल-निर्दोष आलोचना करके पूर्ण महाब्रतको—पाँचो महाब्रतोंको—मरणपर्यन्तके लिये धारण करे ।

अन्तक्रियाके भवन पर कलश चढ़ानेका काम करती है। अन्त-उपवासकी बात शक्तिके ऊपर निर्भर है, यदि शक्ति न हो तो उसे न करनेसे कोई हानि नहीं।

सल्लेखनाके अतिचार

**जीवित-मरणाऽशंसे* भय-मित्रस्मृति-निदान-नामानः ।
सल्लेखनाऽतिचाराः पञ्च जिनेन्द्रैः समादिष्टाः ॥८॥२६॥**

‘जीनेकी अभिलाषा, (जल्दी) मरनेकी अभिलाषा, (लोक-पर-लोक-सम्बन्धी) भय, मित्रोंकी (उपलक्षणसे स्त्री पुत्रादिकी भी) स्मृति (याद) और भावी भोगादिकी अभिलाषारूप निदान; ये सल्लेखना ब्रतके पाँच अतिचार (दोष) जिनेन्द्रोंने—जैन तीर्थंकरोंने (प्रागममें) बतलाये हैं।’

व्याख्या—जो लोग सल्लेखनाब्रतको अंगीकार कर पाएं अपनी कुछ इच्छाओंकी पूर्तिके लिये अधिक जीना चाहते हैं या इपसर्गादिकी वेदनाओंको समझावसे सहनेमें कायर होकर जल्दी मरना चाहते हैं वे अपने सल्लेखनाब्रतको दोष लगाते हैं। इसी तरह वे भी अपने उस ब्रतको दूषित करते हैं जो किसी प्रकारके भय तथा मित्रादिका स्परणकर अपने चिन्तमें उद्घोग लाते हैं अथवा अपने इस ब्रतादिके फलरूपमें कोई प्रकारका निदान बांधते हैं। अतः सल्लेखनाके उन फलोंको प्राप्त करनेके लिये जिनका आगे निर्देश किया गया है इन पाँचों दोषोंमेंसे किसी भी दोषको अपने पास फटकने देना नहीं चाहिये।

धर्मज्ञुष्ठान-फल

**निःश्रेयसमम्युदयं निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम् ।
निष्पवति पीतधर्मा सर्वैर्दुःखैरनालीढः ॥९॥३०॥**

1. * ‘मरणाशंसा’ इति पाठान्तरम् ।

उत्साहको उद्यमें लाकर अपने भीतर वल तथा उत्साहका यथेष्ट संचार करना होगा। साथ ही ऐसा प्रसंग जोड़ना होगा, जिससे अमृतोपम शास्त्र-वचनोंका श्वरण स्मरण तथा चिन्तनादिक वरावर होता रहे; क्योंकि ये ही चित्तको प्रसन्न रखनेमें परम सहायक होते हैं।

आहारं परिहाप्य क्रमशः स्तिग्धं विवर्द्धयैत्पानम् ।

स्तिग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः ॥६॥१२७॥

खरपान-हापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या ।

पञ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत्सर्वयत्नेन ॥७॥१२८॥

‘(साथ ही समाधिमरणका इच्छुक आवक) क्रमशः आहारको—
कवलाहाररूपभोजनको—घटाकर (दुष्प्रादिरूप) स्तिग्धपानको बढ़ावे,
फिर स्तिग्धपानको भी घटाकर क्रमशः खरपानको—बुद्ध काजी
तथा उष्ण जलादिको—बढ़ावे। और इसके बाद खरपानको भी
घटाकर तथा शक्तिके अनुसार उपवास करके पञ्चनमस्कारमे—
श्रहंदादि-पञ्चपरमेष्ठिके ध्यानमें—मनको लगाता हुआ पूर्ण यत्नसे—
प्रतोके परिपालनमें पूरी सावधानी एव तत्परताके साथ-शरीरको त्यागे।’

व्याख्या—कथायसल्लेखनाके अनन्तर काय-सल्लेखनाकी
विधि—व्यवस्था करते हुए यहाँ जो आहारादिको क्रमशः घटाने
तथा स्तिग्ध-पानादिको क्रमशः बढ़ानेकी बात कही गई है वह
वडे ही अनुभूत प्रयोगको लिये हुए है। उससे कायके कृश होते
हुए भी परिमाणोंकी सावधानी बनी रहती है और देहका समाधि-
पूर्वक त्याग सुधारित हो जाता है। यहाँ पञ्चनमस्कारके स्मरण-
रूपमें पञ्चपरमेष्ठियोंका—आहन्तों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों
और साधु-सन्तोंका—ध्यान करते हुए जो पूर्ण सावधानीके साथ
देहके त्यागकी बात कही गई है वह वडे महत्व की है और इस

आज्ञा, बैल, परिजन, काम और भोगके अभावमें होनेवाले दुःखोंके अभावका सूचक है, उन्हीं सब दुःखोंका अभाव उसके स्वामीके लिये 'सर्वैदुर्खैरनालीढ़ः' इस वाक्यके द्वारा विहित एवं विवक्षित है। वह अगली कारिकामें दिये हुये जन्म-जरा-रोग और मरणके दुःखोंसे, इष्ट-वियोगादि-जन्य शोकोंसे और अपनेको तथा अपने परिवारादिको हानि पहुँचनेके भयोंसे परिमुक्त नहीं होता; जबकि निःश्रेयस-सुखके स्वामीके लिये इन सब दुःखोंकी कोई सम्भावना ही नहीं रहती और वह पूर्णतः सर्व-प्रकारके दुःखोंसे अनालीढ़ एवं अस्पृष्ट होता है। ये दोनों फल परिणामोंकी गति अथवा प्रस्तुत रागादिपरिणामिकी विशिष्टताके आश्रित हैं।

प्रस्तुत कारिकामें दोनों सुख-समुद्रोंके जो दो अलग अलग विशेषण क्रमशः 'निस्तीर' और 'दुस्तर' दिये हैं वे अपना खास महत्व रखते हैं। जो निस्तीर हैं उस निःश्रेयस सुख-समुद्रको तिर कर पार जानेकी तो कोई भावना ही नहीं बनती—वह अपनेमें पूर्ण तथा अनन्त है। दूसरा अभ्युदय-सुख-समुद्र सतीर होनेसे ससीम है। उसके पार जाकर निःश्रेयस सुखको प्राप्त करनेकी भावना जल्दी होती है; परन्तु वह इतना दुस्तर है कि चसमे पड़कर अथवा विषयमोगकी दलदलमें फँसकर निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है—विरले मनुष्य ही उसे पार कर पाते हैं।

निःश्रेयस-सुख-स्वरूप

जन्म-जरा-स्त्रय-मरणैःशोकैर्दुखैर्भयैश्च परिमुक्तम् ।

निर्वाणं शुद्धसुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यम् ॥१०॥१३॥

'जो जन्म (दिहान्तर-प्राप्ति) जरा, रोग, मरण (दिहान्तर-प्राप्ति-के लिये वर्तमान देहका त्याग), शोक, दुःख, भय और (चकार या उपलक्षणसे) राग-द्वेष-काम-क्रोधादिकसे रहित, सदा स्थिर रहनेवाला शुद्धसुख-स्वरूप निर्वाण है—सकल विभाव-भावके

‘जिसने धर्म (भ्रमत) का पान किया है—सम्यक्-दशांनि, सम्यग्-ज्ञान, सम्यक्-चारित्रिका सल्लोखना-सहित मले प्रेक्षार अनुष्ठान किया है—वह सब दुःखोंसे रहित होता हुआ उस निःश्रेयसरूप सुख-समुद्रका अनुभव करता है जिसका दीर नहीं—टट नहीं, पार नहीं और इसलिये जो अनन्त है (अनन्तकाल तक रहनेवाला है) तथा उस अभ्युदयरूप सुख-समुद्रका भी अनुभव करता है जो दुस्तर है—जिसकी त्रिरूपा, उल्लङ्घन करना कठिन है, और इसलिये जो प्राप्त करके सहजमें ही छोड़ा नहीं जा सकता।’

व्याख्या—यहाँ संल्लोखना-सहित धर्मानुष्ठानके फलका निर्देश करते हुए उसे द्विविधरूपमें निर्दिष्ट किया है—एक फल निःश्रेयस-के रूपमें है, दूसरा अभ्युदयके रूपमें। दोनोंको यद्यपि सुख-समुद्र बतलाया है परन्तु दोनों सुख-समुद्रोंमें अन्तर है और वह अन्तर अगली कारिकाओंमें दिये हुये उनके स्वरूपादिक्से भले प्रकार जाना तथा अनुभवमें लाया जा सकता है। अगली कारिकामें निःश्रेयसको ‘निर्वाण’ तथा ‘शुद्धसुख’ के रूपमें उल्लेखित किया है, साथ ही ‘निल’ भी लिखा है और इससे यह स्पष्ट है कि अभ्युदयरूप जो सुख-समुद्र है वह पारमार्थिक न होकर सांसारिक है—ऊँचेसे ऊँचे दर्जेका लौकिक सुख उसमें शामिल है—परन्तु निराकृतता-लज्जण सुखकी दृष्टिसे वह असली खालिस स्वाक्षित एवं शुद्ध सुख न होकर नकली मिलावटी पराक्रित एवं अशुद्ध सुखके रूपमें स्थित है और सदा स्थिर भी रहनेवाला नहीं है; जबकि निःश्रेयस सुख ‘सदा व्योंगका त्योंग स्थिर रहनेवाला है—उसमें विकारके हेतुका भूलतः विनाश हो जानेके कारण कभी किसी विकारकी संभावना तक नहीं है। इसीसे निःश्रेयस सुखको प्रधानता प्राप्त है और उसका कारिकामें पहले निर्देश किया गया है। अभ्युदय सुखका जो स्वरूप १३५ वीं कारिकामें दिया है उससे वह यथेष्ट पूजा, धन,

उसे एकदम उलट पलट कर देनेवाला—कोई महान् असाधारण उत्पात भी हो तब भी उनके विकियाका होना संभव नहीं है—वे बराबर अपने स्वरूपमें सदा कालके लिये स्थिर रहते हैं ।'

व्याख्या—यहाँ एक ऐसे महान् एवं असाधारण उत्पातकी कल्पना की गई है जिससे तीनलोककी सारी रचना उलट-पलट हो जाय और तीनों लोकोंको पहचाननेमें भारी भ्रम उत्पन्न होने लगे । साथ ही लिखा है कि सैकड़ों कल्पकाल बीत जाने पर ही नहीं किन्तु यदि कोई ऐसा उत्पात भी उपस्थित हो तो उसके अवसर पर भी निःश्रेयस सुखको प्राप्त हुए सिद्धोंमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा—वे अपने स्वरूपमें ज्योंके त्यों अटल और अडोल बने रहेगे । कारण इसका यही है कि उनके आत्मासे विकृत होनेका कारण सदाके लिये समूल नष्ट हो जाता है ।

निःश्रेयसमधिपचास्त्रैलोक्यशिखामणिश्रियं दधते ।

निष्किण्ठिकालिकाच्छवि-चामीकर-भासुरात्मानः ॥१३॥१३४

'जो निःश्रेयसको—निर्वाणको—प्राप्त होते हैं वे कीट और कालिमासे रहित छविवाले सुवर्णके समान देवीप्यमान आत्मा होते हुए तीन लोकके चूडामणि-जैसी शोभाको धारण करते हैं ।'

व्याख्या—जिस प्रकार खानके भीतर सुवर्ण-पाषाणमें स्थित सुवर्ण कीट और कालिमासे युक्त हुआ अपने स्वरूपको खोए हुआ-सा निस्तेज बना रहता है । जब आग्नि आदिके प्रयोग-द्वारा उसका वह सारा मल छेंटजाता है तब वह शुद्ध होकर देवीप्यमान हो उठता है । उसी प्रकार संसारमें स्थित यह जीवात्मा भी द्रव्यकर्म, भाव कर्म और नोकर्मके मलसे मलिन हुआ अपने स्वरूपको खोए हुआ असा निस्तेज बना रहता है । जब सद्ब्रतों और सल्लोखनाके अनुष्ठानादि रूप तपश्चरणकी अग्निमें उसका वह सब कर्ममल जलकर अलग हो जाता है तब वह भी अपने स्वरूपका पूर्ण लाभकर देवीप्यमान

अभावको लिये हुए वाधारहित परमनिराकुलतामय स्वाधीनं सहजानन्दरूप मोक्ष है—उसे ‘निःश्रेयस’ कहते हैं।

निःश्रेयससुखप्राप्त-सिद्धोंकी स्थिति

विद्या-दर्शन-शक्ति-स्वास्थ्य-प्रह्लाद-तृप्ति-शुद्धि-युजः ।
निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम् ॥११॥१३२

‘जो विद्या—केवलज्ञान, दर्शन—केवलदर्शन, शक्ति—अनन्तवीर्य, स्वास्थ्य—स्वात्मस्थितिरूप परमौदासीन्य (उपेक्षा), प्रह्लाद—अनन्त-सुख, तृप्ति—विषयाज्ञाकांडा, और शुद्धि—द्रव्य-भावादि-कर्ममल-रहितता, इन गुणोंसे युक्त है, साथ ही निरतिशय हैं—विद्यादि गुणोंमें हीनाधिकताके भावसे रहित हैं, और निरवधि हैं—नियत कालकी मर्यादासे शून्य हुए सदा अपने स्वरूपमें स्थिर रहनेवाले हैं, वे (ऐसे सिद्ध जीव) निःश्रेयस-सुखमें पूर्णतया निवास करते हैं।

व्याख्या—यहाँ निःश्रेयस-सुखको प्राप्त होनेवाले सिद्धोंकी अवस्था-विशेषका कुछ निर्देश किया गया है, जिससे उनके निरतिशय और निरवधि होने की बात खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य है और वह इस रहस्यको सूचित करती है कि निःश्रेयस-सुखको प्राप्त होनेवाले, सब सिद्ध ज्ञानादिगुणोंकी दृष्टिसे परस्पर समान हैं—उनमें हीनाधिकताका कोई भाव नहीं है—और वे सब ही सबा अपने गुणोंमें स्थिर रहनेवाले हैं—उनके सिद्धत्व अथवा निःश्रेयसत्वकी कोई सीमा नहीं है।

काले कल्पशतेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या ।
उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक-संभ्रान्ति-करण-पद्मः ॥१३२

‘सैकड़ों कल्पकाल बीत जाने पर भी सिद्धोंके विक्रिया नहीं देखी जाती—उनका स्वरूप कभी भी विकारभाव अथवा वैभाविक प्रसिद्धिको प्राप्त नहीं होता । यदि त्रिलोकका संभ्रान्ति-कारक—

सप्तम अध्ययन

श्रावकपदोमें गुणवृद्धिका नियम

आवक-पदानि देवैरेकादशा देशितानि येषु खलु ।
स्वगुणाः पूर्वगुणाः सह संतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धाः* ॥१॥१३६

‘श्रीतीर्थकरदेवने—भगवान् वर्द्धमानने—श्रावकोंके पद—प्रतिमारूप गुणस्थान—ग्यारह बतलाए हैं, जिनमें अपने-अपने गुणस्थानके गुण पूर्वके सम्पूर्ण गुणोंके साथ क्रम-विवृद्ध होकर रहते हैं—उत्तरवर्ती गुणस्थानोमें पूर्ववर्ती गुणस्थानोंके सभी गुणोंका होना अनिवार्य (लाजिमी) है, तभी उस पद गुणस्थान अथवा प्रतिमाके स्वरूपकी पूर्ति होती है।’

व्याख्या—जो श्रावक-श्रेणियाँ आमतौर पर ‘प्रतिमा’के नामसे उल्लेखित मिलती हैं उन्हें यहाँ ‘श्रावकपदानि’ पदके प्रयोग-द्वारा खासतौरसे ‘श्रावकपद’ के नामसे उल्लेखित किया गया है और यह पद-प्रयोग अपने विषयकी सुस्पष्टताका द्योतक है। श्रावकके इन पदोंकी आगम-विहित मूल संख्या ग्यारह है—सारे श्रावक ग्यारह दर्जोंमें विभक्त हैं। ये दर्जे गुणोंकी अपेक्षा लिये हुए हैं और इसलिये इन्हें श्रावकीय-गुणस्थान भी कहते हैं। दूसरे शब्दोमें यों कहना चाहिये कि चौदह सुप्रसिद्ध गुणस्थानोंमें श्रावकोंसे सम्बन्ध रखने वाला ‘देशसंयत’ नामका जो पाँचवां गुणस्थान है उसीके ये सब उपमेद हैं। और इसलिये ये एकमात्र

* ‘क्रमाद्वृद्धाः’ इति पाठान्तरम् ।

हो उठता है, इतना ही नहीं बल्कि त्रैलोक्य-चूडामणिकी शोभाको धारण करता है अर्थात् सर्वोत्कृष्ट पदको प्राप्त करता है।

अभ्युदय-सुख-स्वरूप

पूजार्थाऽङ्गैश्वर्यैर्बल-परिजन-काम-भोग-भूयिष्टैः ।

अतिशयित-भुवनमङ्गुतमभ्युदयं फलति सद्गर्मः॥१४॥१३५॥

इति श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्य-विरचिते समीचीन-धर्मशास्त्रे
रत्नकरण्डाऽपरनाम्नि उपासकाऽध्ययने सल्लेखना-
वर्णनं नाम षष्ठमध्ययनम् ॥ ६ ॥

‘(सल्लेखनाके अनुष्ठानसे युक्त) सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप समीचीनधर्म जिस ‘अभ्युदय’ फलको फलता है वह पूजा, धन तथा आज्ञाके ऐश्वर्य (स्वामित्व) से युक्त हुआ बल, परिजन, काम तथा भोगकी प्रचुरताके साथ लोकमें अतीव उत्कृष्ट और आश्चर्य-कारी होता है।’

व्याख्या—यहाँ समीचीन धर्मके ‘अभ्युदय’ फलका सांकेतिक रूपमें कुछ दिग्दर्शन कराया गया है। अभ्युदय फल लौकिक उत्कर्षकी बातोंको लिए हुए है, लौकिकजनोंकी प्रायः साक्षात् अनुभूतिका विषय है और इसलिये उसके विषयमें अधिक लिखने की ज़रूरत नहीं है; फिर भी ‘भूयिष्टैः’ ‘अतिशयितभुवनं’ और ‘अङ्गुतं’ पदोंके द्वारा उसके विषयमें कितनी ही सूचनाएँ कर दी गई हैं और अनेक सूचनाएँ सम्यग्दर्शनके माहात्म्य-वर्णनमें पहले आ चुकी हैं।

इस प्रकार स्वामी समन्तभद्राचार्य-विरचित समीचीन-धर्मशास्त्र-
अपरनाम-रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें ‘सल्लेखना-
वर्णन’ नामका छठा अध्ययन समाप्त हुआ ॥६॥

हुआ है—और जो तत्त्वपथकी ओर आकर्षित है—सम्यग्दर्शनादि-रूप समारंगकी अथवा तत्त्वरूप अनेकान्तरं और मार्गरूप ‘आहिमा’ दोनों के पक्षको लिए हुए है—वह ‘दर्शनिक’ नामका (प्रथमपद या प्रतिमाका धारक) श्रावक है।^१

व्याख्या—जिस सम्यग्दर्शनकी शुद्धिका यहाँ उल्लेख है वह प्रायः उसी रूपमें यहाँ विवित है जिस रूपमें उसका वर्णन इस ग्रन्थके प्रथम अध्ययनमें किया गया है और इसलिए उसकी पुनरावृत्ति करनेकी जरूरत नहीं है। पूर्व-कारिकामें यह कहा गया है कि प्रत्येक पदके गुण अपने पूर्वगुणोंको साथमें लिये रहते हैं। इस पदसे पूर्व श्रावकका कोई पद है नहीं, तब इस पदसे पूर्वके गुण कौनसे ? वे गुण चतुर्थ-गुणस्थानवर्ती ‘अब्रतसम्य-गृष्टि’ के गुण हैं, उन्होंका द्योतन करनेके लिये प्रारम्भमें ही ‘सम्यग्दर्शनशुद्धः’ इस पदका प्रयोग किया गया है। जो मनुष्य सम्यग्दर्शनसे युक्त होता है उसकी दृष्टिमें विकार न रहनेसे वह संसारको, शरीरको और भोगोंको उनके यथार्थ रूपमें देखता है और जो उन्हे यथार्थ रूपमें देखता है वही उनमें आसक्ति न रखनेके भावको अपना सकता है। उसी भावको अपनानेका यहाँ इस प्रथमपद-धारी श्रावकके लिये विधान है। उसका यह अर्थ नहीं है कि वह एक दम संसार देह तथा भोगोंसे विरक्ति धारण करके वैरागी बन जाय, बल्कि यह अर्थ है कि वह उनसे सब प्रकारका सम्पर्क रखता और उन्हे सेवन करता हुआ भी उनमें आसक्त न होवे—सदा ही अनासक्त रहनेका प्रयत्न तथा अभ्यास करता रहे। इसके लिये वह समय समय पर अनेक नियमोंको अप्रहण कर लेता है, उन बारह ब्रतोंमें से भी किसी-किसीका अथवा सबका खण्डशः अभ्यास करता है जिनका ।

^१ “तत्त्वं त्वनेकान्तमशेषरूप” (युक्त्यनुशासन)

“एकान्तदृष्टिप्रतिषेधि तत्त्वं” (स्वयम्भूस्तोत्र) —इति समन्तभद्रः

सल्लेखनाके अनुष्ठानसे सम्बन्ध नहीं रखतेहैं। सल्लेखनाका अनुष्ठान तो प्रत्येक पदमे स्थित श्रावकके लिए विहित है; जैसा कि चारित्रसारके निम्न वाक्यसे भी जाना जाता है—

“उक्तौरूपासकैर्मारणान्तिकी सल्लेखना प्रीत्या सेव्या ।”

यहाँ पर एक बात खासतौरसे ध्यानमें रखने योग्य है और वह यह कि वे पद अथवा गुणस्थान गुणोंकी क्रमविवृद्धि-को लिये हुए हैं अर्थात् एक पद अपने उस पदके गुणोंके साथमें अपने पूर्ववर्ती पद या पदोंके सभी गुणोंको साथमें लिये रहता है—ऐसा नहीं कि ‘आगे ढौङ़ पीछे चौड़’ की नीतिको अपनाते हुए पूर्ववर्ती पद या पदोंके गुणोंमें उपेक्षा धारण की जाय, वे सब उत्तरवर्ती पदके अग्रभूत होते हैं—उनके बिना उत्तरवर्ती पद अपूर्ण होता है और इसलिये पदवृद्धिके साथ आगे क़दम बढ़ाते हुए वे पूर्वगुण किसी तरह भी उपेक्षणीय नहीं होते—उनके विषयमें जो सावधानी पूर्ववर्ती पद व पदोंमें रक्खी जाती थी वही उत्तरवर्ती पद या पदोंमें भी रक्खी जानी चाहिये।

दर्शनिक-श्रावक-लक्षण

सम्यग्दर्शनशुद्धः संसार-शरीर-भोग-निविंणणः ।

पञ्चगुरु-चरण-शरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथगृह्यः ॥१२॥१३७॥

‘जो सम्यग्दर्शनसे शुद्ध है अथवा निरतिचार-सम्यग्दर्शन-का धारक है, संसारसे शरीरसे तथा भोगोंसे विरक्त है—उनमें आसक्ति नहीं रखता—पञ्चगुरुओंके चरणोंकी शरणमें प्राप्त है—अहंतादि पञ्चपरमेष्ठियोंके पदों, पद-वाक्यों अथवा शाचारोंको अपाय-परिरक्षकके रूपमें अपना आश्रयभूत समझता हुआ उनका भक्त बना

धृत इस सम्बन्धकी बातको टीकाकार प्रभाचन्द्रने अपने निम्न प्रस्ता-वना-वाक्यके द्वारा प्रयुक्त किया है—

‘साम्रात् योऽसौ सल्लेखनानुष्ठाता तस्य कर्ति प्रतिमा भवन्तीत्याशक्याह’—

रखता है। जो जिन-चरणकी शरणमें प्राप्त होता है उसके लिये मद्य-मांसादिक वर्जनीय हो जाते हैं; जैसा कि इसी ग्रन्थमें अन्यत्र (का० ८४) ‘…………मद्यं च वर्जनीयं जिनचरणौ शरण-मुपयातैः’ इस वाक्यके द्वारा व्यक्त किया गया है।

इस पदधारीके लिये प्रयुक्त हुआ ‘तत्त्वपथगृह्यः’ विशेषण और भी महत्वपूर्ण है और वह इस बातको सूचित करता है कि यह श्रावक सन्मार्गकी अथवा अनेकान्त और अहिंसा दोनोंकी पक्षको लिए हुए होता है। ये दोनों ही सन्मार्गके अथवा जिन-शासनके दो चरण हैं।

ब्रतिक-श्रावक-लक्षण

निरतिक्रमणमणुव्रत-पंचकमणि शीलसप्तकं चाऽपि ।
धारयते निःशल्यो योऽसौ ब्रतिनां भतो ब्रतिकः॥३॥१३८॥

‘जो श्रावक निःशल्य (मिथ्या, माया और निदान नामकी तीनों शल्योंसे रहित) हुआ विना अंतीचारके पांचों अणुव्रतों और साथ ही सातों शीलब्रतोंको भी धारण करता है वह ब्रतियों-गणधरादिक देवो—के द्वारा ‘ब्रतिक’ पदका धारक (द्वितीय श्रावक) माना गया है।’

व्याख्या—यहाँ ‘शीलसप्तकं’ पदके द्वारा तीन गुणव्रतों और चार शिक्षाब्रतोंका ग्रहण है—दोनों प्रकारके ब्रतोंके लिए संयुक्त एक सज्जा ‘शील’ है और ‘सप्तक’ शब्द उन ब्रतोंकी मिली-जुली संख्याका सूचक है। तत्त्वार्थसूत्रमें भी ‘ब्रत-शीलेषु पंच पंच यथाक्रमं’ इस सूत्रके द्वारा इन सातों ब्रतोंकी ‘शील’ संज्ञा दी गई है। इन सप्त शीलब्रतों और पंच अणुव्रतोंको, जिनका अंतीचार-सहित वर्णन इस ग्रन्थमें पहले किया जा चुका है, यह द्वितीय श्रावक निरतिचाररूपसे धारण-पालन करता है। इन बारह ब्रतों और उनके साठ अंतीचारोंका विशेष वर्णन इस ग्रन्थमें पहले किया

निरतिचार पालन उसे अगले पदमे करना है और इस तरह वह अपनी आन्मशक्तिको विकसित तथा स्थिर करनेका कुछ उपाय इस पदमें प्राप्त कर देता है । दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि वह नियमित रूपसे मांसादिके त्यागरूपमें मूलगुरुओंका धारण-पालन शुरू कर देता है जिनका कथन इस ग्रन्थमें पहले किया जा चुका है और यह सब 'संसार शरीर-मोग-निर्विष्णुः' और 'पञ्चनुरु-चरण-शरणः' इन दोनों पदोंके प्रयोगसे साफ ध्वनित होता है । पञ्चगुरुओंसे अहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन पाँच आगमविहित परमेष्ठियोंका अर्थात् धर्मगुरुओंका समावेश है—माता-पितादिक लौकिक गुरुओंका नहीं । 'चरण' शब्द आम-तौर पर पदों-पैरोंका वाचक है, पर शरीरके निम्न (नीचेके) अंग होते हैं, उनकी शरणमें प्राप्त होना शरण्यके ग्रति अति-विनय तथा विनम्रताके भावका द्योतक है । चरणका दूसरा प्रसिद्ध अर्थ 'आचार' भी है, जैसा कि इसी ग्रन्थके तृतीय अध्ययनमें प्रयुक्त हुए 'रागद्वेषनिवृत्यै चरणं प्रतिपद्धते साधुः' 'सकलं विकलं चरणं' और 'अणु-गुण-शिक्षा-न्रतात्मकं चरणं' इन बाक्योंके प्रयोगसे जाना जाता है । आचारमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य ऐसे पाँच प्रकारका आचार शामिल हैं । अपने अपने आचार-विशेषोंके कारण ही ये पञ्चगुरु हमारे पूज्य और शरण्य हैं अतः इन पञ्चगुरुओंके आचारको अपनाना—उसे यथाशक्ति अपने जीवनका लक्ष्य बनाना—ही वस्तुतः पञ्चगुरुओंकी शरणमें प्राप्त होना है । पदोंका आश्रय तो सदा और सर्वत्र मिलता भी नहीं, आचारका आश्रय, शरण्यके सम्मुख मौजूद न होते हुए भी, सदा और सर्वत्र लिया जा सकता है । अतः चरणके दूसरे अर्थकी दृष्टिसे पञ्चगुरुओंकी शरणमें प्राप्त होना अधिक महत्व

दसण-णाण-चरित्ते तब्दे विरियाचरम्ह पूचविहे ।

—मूलाचार ५-२

चिन्तासे विनिवृत्तिकी अवस्थामें—स्थित हुआ मन-वचन कायरूप तीनों योगोंकी शुद्धि-पूर्वक तीनों संध्याओं (पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न) के समय वन्दना-क्रिया करता है वह 'सामायिक' नामका —तृतीयप्रतिमाधारी—आवक है ।'

व्याख्या—यहाँ आगम-विहित कुछ समयाचारका सांकेतिक रूपमें उल्लेख है, जो आवर्तों, प्रणामों, कायोत्सर्गों तथा उपवेशनों आदिसे सबद्ध है, जिनकी ठीक विधिव्यवस्था विशेषज्ञोंके द्वारा ही जानी जा सकती है । श्रीप्रभानन्दाचार्यने टीकामें जो कुछ सूचित किया है उसका सार इतना ही है कि एक एक कायोत्सर्ग-के विधानमें जो 'एमो अरहंताणुं' इत्यादि सामायिक-दण्डक और 'थोस्सामि' इत्यादि स्तव-दण्डकी व्यवस्था है उन दोनोंके आदि और अन्तमें तीन तीन आवर्तोंके साथ एक एक प्रणाम किया जाता है, इस तरह बारह आवर्त और चार प्रणाम करने होते हैं । साथ ही, देववन्दनाके आदि तथा अन्तमें जो दो उप-वेशन क्रियाएँ की जाती हैं उनमें एक नमस्कार प्रारम्भकी क्रियामें और दूसरा अन्तकी क्रियामें बैठकर किया जाता है । इसे पं० आशाधरजीने मतभेदके रूपमें उल्लेखित करते हुए यह प्रकट किया है कि स्वामी समन्तभद्रादिके मतसे वन्दनाकी आदि और समाप्तिके इन दो अवसरों पर दो प्रणाम बैठ कर किये जाते हैं और इसके लिये प्रभानन्दकी टीकाका आधार व्यक्त किया है कृ॒ ।

कृ॒ 'मतान्तरमाह—मते इष्टे, के हो नती । कैः कैविचत् स्वामिसमन्त-भद्रादिभिः । कस्मान्नमनात् प्रणामनात् । किं कृत्वा ? निविश्य उप-विश्य । क्योः ? वन्दनाद्यन्तयोर्वन्दनायाः प्रारम्भे समाप्ती च । यथाहुस्तत्र भगवन्तः श्रीमत्रभेद्युदेवपादा रत्नकरण्डक-टीकायाँ 'चतुरावर्तनितयं' इत्यादिसूत्रे द्विनिषद्य इत्यस्य व्याख्याने 'देववन्दनां कुर्वता हि प्रारम्भे समाप्ती चोपविश्य प्रणामः कर्तव्य इति' ।

—अनगारधर्ममूर्त-टीका पृ० ६०८

जा चुका है, उसको फिरसे यहाँ देनेकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इतना ही समझ लेना चाहिये कि इस पद (प्रतिमा) के पूर्वमें जिन बारह ब्रतोंका सातिचार-निरतिचारादिके यथेच्छ रूपमें खण्डशः अनुष्ठान या अभ्यास चला करता है वे इस पदमें पूर्णताको प्राप्त होकर सुव्यवस्थित होते हैं।

यहाँ 'निःशल्यो' पद खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य है और इस वातको सूचित करता है कि ब्रतिकके लिये निःशल्य होना अत्यन्त आवश्यक है। जो शल्यरहित नहीं वह ब्रती नहीं—ब्रतोंके वास्तविक फलका उपभोक्ता नहीं हो सकता। तत्त्वार्थसूत्रमें भी 'निःशल्यो ब्रती' सूत्रके द्वारा ऐसा ही भाव व्यक्त किया गया है। शल्य तीन है—माया, मिथ्या और निदान। 'माया' बंचना एवं कपटाचारको कहते हैं, 'मिथ्या' दृष्टिविकार अथवा तत्त्वविषयक तत्त्व-अद्वाके अभावका नाम है और 'निदान' भावी भोगादिकी आकाशका घोरक है। ये तीनों शल्यकी तरह चुम्ने वाली नथा बाधा करने वाली चीजें हैं, इसीसे इनको 'शल्य' कहा गया है। ब्रतानुष्ठान करनेवालोंको अपने ब्रतविषयमें इन तीनोंसे ही रहित होना चाहिये; तभी उसका ब्रतानुष्ठान सार्थक हो सकता है। केवल हिंसादिकके त्यागसे ही कोई ब्रती नहीं बन सकता, यदि उसके साथ मायादि शल्ये लगी हुई हैं।

सामयिक-श्रावक-लक्षण

**चतुरावर्त-त्रितयश्चतुःप्रणामः स्थितो यथाजातः ।
सामयिको द्विनिषद्यस्त्रियोगशुद्धस्त्रिसंध्यमभिवन्दी ॥४॥१३६।**

' जो श्रावक (श्रागम-विहित समयाचारके अनुसार) तीन तीन आवर्तोंके चार बार किये जानेकी, चार प्रणामोंकी, ऊर्ध्व कायो-त्सर्गकी तथा दो निषद्याद्वारों (उपवेशनों)की व्यवस्थासे व्यवस्थित और यथाजातरूपमें—दिग्म्बरवेषमें अथवा वाह्याभ्यन्तर-परिह्रकी

कैसे किया जा सकता है ? यह एक समस्या खड़ी होती है और इस बातको माननेकी आर अधिक मुकाबल होता है कि 'आवर्त-त्रितय' पद तीन प्रदक्षिणाओंका द्योतक है, जिनमें एक मनसे, दूसरी वचनसे और तीसरी कायसे सम्बन्ध रखती है तथा तीनों मिलकर त्रियोगकी ग्रवृत्तिको पूज्यके अनुकूल बने रहनेके भावको सूचित करती हैं । अस्तु ।

'यथाजात' ॥३॥ यहाँ विचारणीय है । आम तौर पर जैन परिभाषाके अनुसार इसका अर्थ जन्म-समयकी अवस्था-जैसा नगन-दिग्म्बर होता है; परन्तु आचार्य प्रभाचन्द्रने टीकामें 'बाह्य-भ्यन्तरपरियहचिन्ताव्यावृत्तः' पदके द्वारा इसका अर्थ 'बाह्य तथा अभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहोंकी चिन्तासे विमुक्त' बतलाया है और आजकल प्रायः इसीके अनुसार व्यवहार चल रहा है । परिस्थितिवश पं० आशाधरजीने भी इसी अर्थको प्रहण किया है ।

इस सामायिक पदमें, सामायिक-शिक्षाब्रतका वह सब आचार शामिल है जो पहले इस ग्रन्थमें बतलाया गया है । वहाँ वह शीलके रूपमें है तो यहाँ उसे स्वतन्त्र ब्रतके रूपमें व्यवस्थित समझना चाहिये ।

प्रोषधाऽनशन-लक्षण

पर्वदिनेषु चतुर्ब्द्यपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुह्य ।

प्रोषध-नियम-विधायी प्रणविधिपरः प्रोषधाऽनशनः ॥१४०॥

'प्रत्येक मासके चारों ही पर्व-दिनोंमें—प्रत्येक शृण्मी-चतुर्दशीको —जो श्रावक, अपनी शक्तिको न छिपाकर, शुभ ध्यानमें रत हुआ एकाप्रताके साथ प्रोषधके नियमका विधान करता अथवा नियम-से प्रोषधोपवास धारण करता है वह 'प्रोषधोपवास' पदका धारक (चतुर्थ श्रावक) होता है ।

व्याख्या—द्वितीय 'ब्रतिक' पदमें प्रोषधोपवासका निरतिचार विधान, आ गया है तब उसीको पुनः एक अलग पद (प्रतिमा)

इस तरह यह जाना जाता है कि चारों दिशाओंमें तीन तीन आवर्तोंके साथ एक एक प्रणामकी जो प्रथा आजकल प्रचलित है वह टीकाकार प्रभाचन्द्रके मतसे स्वामिसमन्तभद्र-सम्मत नहीं है।

दोनों हाथोंको मुकलित करके—कमल-कलिकादि^४के रूपमें स्थापित करके—जो उन्हें प्रदक्षिणाके रूपमें तीन बार घुमाना है उसे आवर्तत्रितय (तीन बार आवर्त करना) कहते हैं। यह आवर्तत्रितयकर्म, जो वन्दनामुद्रामें कुहनियोंको उद्दर पर रख कर किया जाता है, मन-चचन-कायरूप तीनों योगोंके परावर्तनका सूचक है ^५ और परावर्तन योगोंकी संयतावस्थाका द्योतक शुभ व्यापार कहलाता है, ऐसा पं० आशाधरजीने प्रकट किया है । ऐसी हालतमें ‘आवर्तत्रितय’ पदका प्रयोग वन्दनीयके प्रति भक्ति-भावके चिन्हरूपमें तीन प्रदक्षिणाओंका द्योतक न होकर त्रियोग-शुद्धिका द्योतक है ऐसा फलित होता है । परन्तु ‘त्रियोगशुद्धः’ पद तो इस कारिकामें अलगसे पड़ा हुआ है, फिर दो बारा त्रियोग-शुद्धिका द्योतन कैसा ? इस प्रश्नके समाधानरूपमें कुछ विद्वानों का कहना है कि “आवर्तत्रितयमें निहित मन-चचन-काय-शुद्धि कृतिकर्मकी अपेक्षासे है और यहाँ जो त्रियोग-शुद्धः पदसे मन-चचन-कायकी शुद्धिका उल्लेख किया है वह सामायिककी अपेक्षा से है ।” परन्तु कृतिकर्म (कर्मछेदनोपाय) तो सामायिकका अंग है और उस अंगमें द्वादशावर्तसे भिन्न त्रियोगशुद्धिको अलगसे गिनाया गया है । तब ‘त्रियोगशुद्धः’ पदके वाच्यको उससे अलग

^४ कथिता द्वादशावर्ता वपुर्वचनचेतसा ।

स्तव-सामायिकाद्यन्तपरावर्तनलक्षणाः ॥ —अमितगतिः

^५ शुभयोग-परावर्तनावर्तन् द्वादशाद्यन्ते ।

साम्यस्य हि स्तवस्य च मनोङ्गीः संयतं परावर्त्यम् ॥

^६ द्विनिषष्ठेण यथाजातं द्वादशावर्तमित्यपि ।

चतुर्नृति त्रिशुद्धं च कृतिकर्म प्रयोजयेत् । —चारित्रसार

उपवासके दिन जिन कार्योंके न करनेका तथा जिन कार्योंके करनेका विधान इस ग्रन्थमें शिक्षाब्रतोंका वर्णन करते हुए किया गया है उनका वह विधि-निपेध यहाँ भी 'ग्रोपघ-निर्यम-विधायी' पदके अंतर्गत समझना चाहिये ।

सचित्तविरत-लक्षण ।

मूल-फल-शाक-शाखा-करीर-कन्द-प्रसून-बीजानि ।

नाऽऽमानि योऽति सोऽयं सचित्तविरतो दयामूर्तिः ॥१४१

'जो द्यालु (गृहस्थ) मूल, फल, शाक, शाखा (कोपल) करीर (गांठ-कैरो) कन्द, फूल और बीज, इनको कच्चे (अनग्नि-पक्व आदि अप्रामुक दणामें) नहीं खाता वह 'सचित्तविरत' पदका—पाचवी प्रतिमाका—धारक श्रावक होता है ।'

व्याख्या—यहाँ 'आमानि' और 'न अत्ति' ये दो पद खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य है । 'आमानि' पद अपक्व एवं अ-प्रासुक अर्थका द्योतक है और 'न अत्ति' पद भक्षणके निपेधका वाचक है, और इसलिये वह निपेध उन अप्रासुक (सचित्त) पदार्थोंके एकमात्र भक्षणसे सम्बन्ध रखता है—स्पर्शनादिकसे नहीं । जिनका इस कारिकार्ये उल्लेख है । वे पदार्थ वानस्पतिक है, जलादिक नहीं और उनमें कन्द-मूल भी शामिल है । इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि ग्रन्थकारमहोदय स्वामी समन्तभद्रकी दृष्टिमें यह श्रावकपद (प्रतिमा) अप्रासुक वनस्पतिके भक्षण-त्याग तक सीमित है, उसमें अप्रासुकको प्रासुक करने और प्रासुक वनस्पतिके भक्षणका निपेध नहीं है । 'श्रासुकस्य भक्षणे नो पापः' इस उक्तिके अनुसार प्रासुक (अचित्त) के भक्षणमें कोई पाप भी

† भक्षणेऽन्न सचित्तस्य नियमो न तु स्पर्जन ।

— तत्त्वहस्तादिना कृत्वा प्रासुकं चाऽन्न भोजयेत् ॥

के रूपमें यहाँ रखना क्या अर्थ रखता है ? यह एक प्रश्न है । इसका समाधान इन्ही ही है कि प्रथम तो ब्रत-प्रतिमामें ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक मासकी आष्टमी-चतुर्दशीको वह उपवास किया ही जावे—यह वहाँ कस महीनेमें अथवा किसी महीनेके किसी पर्व-दिनमें स्वेच्छासे नहीं भी किया जा सकता है; परन्तु इस पठमें स्थित होने पर, शक्तिके रहते, प्रत्येक महीनेके चारों ही पर्व-दिनोंमें नियमसे उसे करना होता है—केवल शक्ति-का यात्मविक अभाव उसके न करने अथवा अथूरे रूपसे करनेमें यहाँ आक्षमात्र कारण हो सकता है । दूसरे वहाँ (दूसरी प्रतिमामें) वह शीलके हृष्टमें—अणुव्रतोंकी रक्षिका परिविधि (वाइ) की अध्यस्थामें—स्थित है और यहाँ एक स्वतन्त्र ब्रतके हृष्टमें (स्वयं शस्यके समान रक्षणीयस्वितिमें) परिगणित है । यही दोनों स्थानों का अन्तर है ।

कवि राजमल्लजीने 'लाटीसंहिता' में अन्तरकी जो एक वार यह कही है कि दूसरी प्रतिमाये यह ब्रत सातिचार है और यहाँ निरतिचार है ('सातिचारं च तत्र स्यादश्राजतीचार-नर्जितं') वह स्वामी समन्तभद्रकी हाटिसे कुछ संगत मालूम नहीं होती; क्योंकि उन्होंने दूसरी प्रतिमामें 'निरतिकमणं' पदको अलगसे 'अणुव्रत-पंचकं' और 'शीलसप्तकं' इन दोनों पदोंके विशेषणत्वमें रखा है और उसके द्वारा अणुव्रतोंकी तरह सप्तशीलोंको भी निरतिचार बतलाया है । यदि ब्रतप्रतिमामें शीलब्रत निरतिचार नहीं है तो फिर देशावकाशिक, धैशाहूत्य और गुणव्रतोंकी भी निरतिचारता कहाँ जाकर सिद्ध होगी ?—कोई भी पद (प्रतिमा) उनके विधान को लिए हुए नहीं है । १० आशाधरजीने भी ब्रतप्रतिमामें बारह ब्रतोंको निरतिचार प्रतिशादन किया है ।

† यथा—'धारयनुत्तरसुणानसुणान्नतिको भवेत् ।'
टीका—असूणान् निरतिचारात् ।

इन्द्रियोंका जो संयम बन आता है और उससे आत्माका जो विकास सधता है उसकी तो बात ही अलग है। इसीसे इस पदके पूर्वमें बहुधा लोग अज्ञादिके त्यागरूपमें स्वरूपः इस ब्रतका अभ्यास किया करते हैं।

ब्रह्मचारि-लक्षण

मलबीजं मलयोनि गलन्मलं पूति गन्धि वीभत्सम् ।

पश्यन्नज्ञमनज्ञाद्विरमति यो ब्रह्मचारी सः ॥ ८ ॥ १४३ ॥

‘जो आवक शरीरको मलबीज—युक्तशोणितादिमलमय कारणोसे उत्पन्न हुआ—मलयोनि—मलका उत्पत्तिस्थान—, गलन्मल—मलका भरना—, पूति—दुर्गन्धयुक्त—और वीभत्स—घृणात्मक—देखता हुआ कामसे—मैथुनकर्मसे—विरक्ति धारण करता है वह ‘ब्रह्मचारी’ पद (सातवी प्रतिमा) का धारक होता है।’

व्याख्या—यहाँ कामके जिस अंगके साथ रमण करके संसारी जीव आत्म-विस्मरण किये रहते हैं उसके स्वरूपका अच्छा विश्लेषण करते हुए यह दर्शाया गया है कि वह अंग विवेकी पुरुषोंके लिए रमने योग्य कोई वस्तु नहीं—वह तो घृणा की चीज है, और इसलिये उसे इस घृणात्मक दृष्टिसे देखता हुआ जो मैथुन-कर्मसे असूचि धारण करके उस विषयमें सदा विरक्त रहता है वह ‘ब्रह्मचारी’ नामका सप्तम-प्रतिमा धारक आवक होता है। वस्तुतः कामांगको जिस दृष्टिसे देखनेका यहाँ उल्लेख है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उस दृष्टिको आत्मामें जागृत और तदनुकूल भावनाओं से भावित एवं पुष्ट करके जो ब्रह्मचारी बनता है वह ब्रह्मचर्यपदमें स्थिर रहता है, अन्यथा उसके अष्ट होनेकी संभावना बनी रहती है। इस पदका धारी स्व-परादि रूपमें किसी मी स्त्रीका कभी सेवन नहीं करता है। प्रत्युत इसके, ब्रह्ममें—शुद्धात्मामें—अपनी चर्याओं बढ़ाकर अपने नामको सार्थक करता है।

नहीं होता। आग्रासुक कैसे प्रासुक बनता अथवा किया जाता है इसका कुछ विशेष वर्णन दर्शी कारिकाकी व्याख्यामें किया जा सकता है।

रात्रिमोजनविरत-लक्षण

अन्नं पानं स्वादं । लेहं नाऽशनाति यो विभावर्याम् ।

स च रात्रिभुक्तविरतः ॥ सत्वेष्वनुकम्पमानमनाः ॥१४२॥

‘जो श्रावक रात्रिके समय अन्न—यज्ञ तथा अन्नादिनिर्मित या निर्मित भोजन-पान-जल-दुध-रसादिक, स्वाद—ग्रन्थभिन्न दूसरे गानेके पदार्थ जैसे पेड़ा, वर्फी, लौजात, पाक, मेवा, फल, मुरब्बा इत्यादी, पान, सुपारी आदि; और लेह—चटनी, शर्वत, रबड़ी आदि (इन चार प्रकारते भोज्य पदार्थों) को नहीं स्वाता है वह प्राणियोंमें द्वयाभाव रखनेवाला ‘रात्रिभुक्तविरत’ नामके छठे पदका धारक श्रावक होता है।’

व्याख्या—यहों ‘सत्वेष्वनुकम्पमानमनाः’ पदका जो प्रयोग किया गया है वह उस व्रतके अनुष्टानमें जीवों पर दयादृष्टिका निर्देशक है; और ‘सत्वेषु’ पद चंकि विना किसी विशेषणके प्रयुक्त हुआ है इसलिए उसमें अपने जीवका भी समावेश होता है। रात्रिमोजनके त्यागसे जाहों दूसरे जीवोंकी अनुकम्पा बनती है वहाँ अपनी भी अनुकम्पा सधती है—रात्रिको भोजनकी तलाश-में निकले हुए अनेकों विषैले जन्तुओंके भोजनके साथ पेटमें चले जानेसे अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होकर शरीर तथा मनकी शुद्धिको जो हानि पहुँचाते हैं उससे अपनी रक्त होती है। शेष

‡ ‘स्वाद’के स्वानपर कही कही ‘स्वाद’ पाठ मिलता है जो समुचित प्रतीत नहीं होता। टीकाकार प्रभाचन्द्रने भी ‘स्वाद’ पदका ग्रहण करके उसका अर्थ ‘भोजकादि’ किया है जिन्हे अन्नभिन्न समझना चाहिए।

* ‘रात्रिभुक्तविरतः’ इति पाठान्तरम् ।

और आचार्य वसुनन्दीने एकमात्र 'गृहारम्भ' कहकर ही छुट्टी पा ली है । ऐसी हालतमें 'प्रमुख' शब्दके डारा दूसरे किन आरम्भोंका ग्रहण यहाँ ग्रन्थकारमहोदयको विवक्षित रहा है, 'यह एक विचारणीय विषय है । हो सकता है कि उनमें शिल्प और पशुपालन-जैसे आरम्भोंका भी समावेश हो; क्योंकि कथनक्रमको देखते हुए प्रायः आजीविका-सम्बन्धी आरम्भ ही यहाँ विवक्षित जान पड़ते हैं । मिलोंके महारम्भोंका तो उनमें सहज ही समावेश हो जाता है और इसलिए वे इस ब्रतधारीके लिए सर्वथा त्याज्य ठहरते हैं ।

रही अब पंचसूनाओंकी बात, जो कि गृहस्थ-जीवनके अंग है; सूद्धमहाद्विष्टसे यद्यपि उनका समावेश आरम्भोंमें हो जाता है परन्तु इसी ग्रन्थमें वैयाकृत्यका वर्णन करते हुए 'अपसूनाऽऽरम्भाणामार्याणामिष्टते दानं' वाक्यमें प्रयुक्त हुए 'अपसूनारम्भाणां' पदमें सूनाओंको आरम्भोंसे पृथक् रूपमें ग्रहण किया है और इससे यह बात स्पष्ट जानी जाती है कि स्थूलद्विष्टसे सूनाओंका आरम्भोंमें समावेश नहीं है । तब यहाँ विवक्षित आरम्भोंमें उनका समावेश विवक्षित है या कि नहीं, यह बात भी विचारणीय हो जाती है और इसका विचार विद्वानोंको समन्तभद्रकी द्विष्टसे ही करना चाहिये । कवि राजमल्लजीने इस प्रतिमामें अपने तथा परके लिये की जानेवाली उस क्रियाका निषेध किया है जिसमें लेशमात्र भी आरम्भ होः; परन्तु स्वयं वे ही यह भी लिखते हैं कि वह अपने वस्त्रोंको स्वयं अपने हाथोंसे प्राप्तुक जलादिके डारा धो सकता है तथा किसी साधर्मीसे धुला सकता

झ—“वहुप्रलपितेनालमात्मार्थं वा परात्मने ।

यमारम्भस्य लेशोस्ति न कुर्यात्तामपि ‘ऋग्यांम्’ ॥”—लाटीसंहिता

आरम्भविरत-लक्षण

सेवा-कृपि-वाणिज्य-प्रमुखादारम्भतो व्युपारमति ।

ग्राणातिपातहेतोर्योऽसावारम्भ-विनिवृत्तः ॥ ६ ॥ १४४ ॥

‘जो श्रावक ऐसी सेवा और वाणिज्यादिरूप आरम्भ-प्रवृत्ति-से विरक्त होता है जो प्राणपीड़ाकी हेतुभूत है वह ‘आरम्भत्यागी’ (एवं पदका अधिकारी) श्रावक है ।’

व्याख्या—यहाँ जिस आरम्भसे विरक्ति धारण करनेकी बात कही गई है उसके लिये दो विशेषण-पदोंका प्रयोग किया गया है—एक ‘सेवा-कृपि-वाणिज्य-प्रमुखात्’ और दूसरा ‘ग्राणातिपात-हेताः’ । पहले विशेषणमें आरम्भके कुछ प्रकारोंका उल्लेख है, जिनमें सेवा, कृपि और वाणिज्य ये तीन प्रकार तो स्पष्ट रूपसे उल्लेखित हैं, दूसरे और कीनसे प्रकार हैं जिनका संकेत ‘प्रमुख’ शब्दके प्रयोग-द्वारा किया गया है, यह अस्पष्ट है । टीकाकार प्रभाचन्द्रने भी उसको स्पष्ट नहीं किया । चामुण्डरायने अपने चात्रियसारमें जहाँ इस ग्रन्थका बहुत कुछ शब्दशः अनुसरण किया है वहाँ वे भी इसके स्पष्टीकरणको छोड़ गए हैं क्योंकि पंडित आशाघरजीका भी अपने सागारधर्मसूतकी टीकामें ऐसा ही हाल है । ‘अनुप्रेक्षा’ के कर्ता स्वामी कार्तिकेय और लाटी-मंहिताके कर्ता कविराजमल्ल आरम्भके प्रकार-विषयमें मौन हैं

क्षम उन्होंने इतना ही लिखा है कि—“आरम्भविनिवृत्तोऽसिमसि-कृपि-वाणिज्य-प्रमुखादारम्भत् ग्राणातिपातहेतोर्विरतो भवति ।”

यहाँ सेवाकी जगह असि-मसि-कमोंकी मूचना की गई है । शेष सब ज्योक त्यो है ।

† वे अपने ‘कृत्यादीन्’ पदकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं—
‘कृपि-मेवा-वाणिज्यादिव्यापारान्’ ।

व्याख्या—यहाँ जिन दृश प्रकारकी वाह्य वस्तुओंका सांकेतिक रूपमें उल्लेख है वे वही वाह्य परिग्रह हैं जिनका परिग्रहणुत्रत-ग्रहणके अवसर पर अपने लिये परिमाण किया गया था और जो अपने ममत्वका विषय बने हुए थे। उन्हींको यहाँ ‘परिचित-परिग्रह’ कहा गया है और उन्हींसे विरक्ति धारणका इस नवम-पद्में स्थित श्रावकके लिए विधान है। उसके लिए इतना ही करना होता है कि उन चित्तमें वसीं हुईं परिग्रहरूप वस्तुओंसे ममत्वको-मेरापनके भावको—हटाकर निर्ममत्वके अभ्यासमें लीन हुआ जाय। इसके लिए ‘स्वस्थ’ और ‘सन्तोषतत्पर’ होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक मनुष्य अपने आत्माको पहचानकर उसमें स्थित नहीं होता तब तक पर-पदार्थोंमें उसके मनका भटकाव बना रहता है। वह उन्हे अपने समझकर उनके ग्रहणकी आकंक्षाको बनाए रखता है। इसी तरह जब तक सन्तोष नहीं होता तब तक परिग्रहका त्याग करके उसे सुख नहीं मिलता और सुख न मिलनेसे वह त्याग एक प्रकारसे व्यर्थ हो जाता है।

अनुमतिविरत-लक्षण

अनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वैहिकेषु कर्मसु वा ।
नास्ति खलु यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्यः ॥१४६॥

‘जिसकी निश्चयसे आरम्भमें—कृप्यादि सावधकर्मोंमें—, परिग्रहमें—घन-वान्यादिरूप दस प्रकारके वाह्य पदार्थोंके ग्रहणादिकर्म—और लौकिक कार्योंमें—विवाहादि तथा पचमूनादि जैसे दुनियादारी-के कामोंमें—अनुमति—करने-करनेकी सलाह, अनुज्ञा, आज्ञा—नहीं होती वह रागादि-रहित-दुष्कृतिका धारक ‘अनुमतिविरत’ नामका—दशमपदस्थित—श्रावक माना गया है।’

व्याख्या—यहाँ ‘आरम्भ’ पदके द्वारा उन्हीं आरम्भोंका ग्रहण है जो प्राणातिपातके हैं और जिनके स्वयं न करनेका ब्रत

हीं; तथा क्या शुद्ध अग्नि-जलसे कूकर आदिके द्वारा वह अपना भोजन भी स्वयं प्रस्तुत नहीं कर सकता ?

दूसरा विशेषण आरम्भोंके त्यागकी हृष्टिको लिये हुए है और इस वातको वतलाता है कि सेवा-कृपि-वाणिज्यादिके रूपमें जो आरम्भ यहाँ विवक्षित हैं उनमें वे ही आरम्भ त्याज्य हैं जो प्राणघातके कारण हैं—जो किसीके प्राणघातमें कारण नहीं पड़ते वे सेवादिक आरम्भ त्याज्य नहीं है। और इससे यह स्पष्ट फलित होता है कि इन सेवादिक आरम्भोंके दो भेद हैं—एक वे जो प्राणघातमें कारण होते हैं और दूसरे वे जो प्राणघातमें कारण नहीं होते। अतः विवक्षित आरम्भोंमें विवेक करके उन्हीं आरम्भोंको यहाँ त्यागना चाहिये जो प्राणातिपातके हेतु होते हैं—शेष आरम्भ जो विवक्षित नहीं हैं तथा जो प्राणघातके हेतु नहीं उनके त्यागकी यहाँ कोई व्यात नहीं है। इस विशेषणके द्वारा ब्रानीके विवेकको भारी चुनौती दी गई है।

परिचित्तपरिग्रहविरत-लक्षण

वाहेषु दशसु वस्तुपु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः ।

स्वस्थः संतोषपरः परिचित्तपरिग्रहाद्विरतः ॥१०॥१४५॥

‘जो दृम प्रकारकी वाह वन्नुओम—धन-वान्यादि परिग्रहोम—ममत्वको छोटकर निर्ममभावमे रत रहता है, स्वात्मस्थ है—वाह पदार्थोंको अपने मानकर भटकता नहीं—और परिग्रहकी आकांक्षासे निवृत्त हुआ संतोष-वारणमे तत्पर है वह ‘परिचित्तपरिग्रहविरत’—जब औरमे नित मे दमे हुए परिग्रहोंसे विरक्त—इवें पदका अधिकारी श्रावक है।’

† “प्रकालन च धस्याणा प्रासुकेन जलादिना ।

कुर्यादा स्वस्य हस्ताभ्या कारयेद्वा सधर्मिणा ॥” —लाटीसंहिता

का धारक होता है—अधूरी छोटी चादर (शाटक) अथवा कोपीन-भान्न घारण करता है—वह 'उत्कृष्ट' नामका—याहवें पद (प्रतिमा) का धारक सबसे कुँचे बर्तोंका—प्रावक्ष होता है।'

व्याख्या—यहाँ मुनिवनको जानेकी जो बात कही गई है वह इस तथ्यको सूचित करती है कि जिस समय यह प्रन्थ बना है उस प्राचीनकालमें जैन मुनिजन वनमें रहा करते थे—चैत्य-वासादिकी कोई प्रथा प्ररम्भ नहीं हुई थी। घरसे निकलकर तथा मुनिवनमें जाकर ही इस पदके योग्य सभी ब्रतोंको ग्रहण किया जाता था—जो ब्रत पहलेसे ग्रहण किये होते थे उन्हें फिरसे दोहराया अथवा नवीनीकृत किया जाता था। ब्रत-ग्रहणकी यह सब क्रिया गुरुसमीपमें—किसीको गुरु बनाकर उसके निकट अथवा गुरुजनोंको साक्षी करके उनके सांनिध्यमें—की जाती थी। आजकल मुनिजन अनगारित्य धर्मको छोड़कर प्रायः मन्दिरों-मठों तथा गृहोंमें रहने लगे हैं अतः उनके पास वहीं जाकर उनकी साक्षीसे अथवा अहंतकी प्रतीकभूत किसी विशिष्ट जिन-प्रतिमाके सम्मुख जाकर उसकी साक्षीसे इस पदके योग्य ब्रतोंको ग्रहण करना चाहिये।

इस पदधारीके लिये 'भैव्यासनः' 'तपस्यन्' और 'चेलखण्डधरः' ये तीन विशेषण खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य हैं। पहला विशेषण उसके भोजनकी स्थितिका, दूसरा साधनाके रूपका और तीसरा बाह्य वेषका सूचक है। वेषकी हृष्टिसे वह एक वस्त्रखण्ड का धारक होता है, जिसका रूप या तो एक ऐसी छोटी चादर-जैसा होता है जिससे पूरा शरीर ढका न जा सके—सिर ढका तो पैरों आदिका नीचेका भाग खुल गया और नीचेका भाग ढका तो सिर आदिका ऊपरका भाग खुल गया—और या वह एक लंगोटीके रूपमें होता है जो कि उस वस्त्रखण्डकी चरम स्थिति है। 'भैव्य' शब्द भिक्षा और 'भिक्षा-समूह' इन दोनों ही

नवमपदको ग्रहण करते हुए लिया गया था। इस पदमें दूसरोंको उनके करने-करानेकी अनुमति आज्ञा अथवा सलाह देनेका भी निषेध है। 'परिग्रह' पदमें दसों प्रकारके सभी वाणि परिग्रह शामिल हैं और 'ऐहिकेषु कर्मसु' इन दो पदोंमें आरम्भ तथा परिग्रह-से भिन्न दूसरे (विवाहादि-जैसे) लौकिक कार्योंका समावेश है—पारलौकिक अथवा धार्मिक कार्योंका नहीं। इन लौकिक कार्योंके करने-करानेमें इस पदका धारी श्रावक जब अपनी कोई अनुमति या सलाह नहीं देता तब कहकर या आदेश देकर करानेकी तो बात ही दूर है। परन्तु पारलौकिक अथवा धार्मिक कार्योंके विषय-में उसके लिए ऐसा कोई प्रतिशन्य नहीं है—उनमें वह अनुमति दे सकता है और दूसरोंसे कहकर उन्हें करा भी सकता है।

यद्योऽइस पदधारीके लिये 'समधी' पदका प्रयोग अपना ज्ञास महत्व रखता है और इस बातको सूचित करता है कि वह दूसरोंके द्वारा इन आरम्भ-परिग्रह तथा ऐहिक कर्मोंके होने-न-होनेमें अपना समझाव रखता है। यदि यह समझाव न रखते तो उसे राग-द्वेषमें पड़ना पड़े और तब अनुमतिका न देना उसके लिये कठिन हो जाय। 'अतः समझाव उसके इस ब्रतका बहुत बड़ा रक्तक है।

उत्कृष्टश्रावक-लक्षण

गृहतो मुनिवनमित्वा गुरुपकरण्ठे ब्रतानि परिगृहा ।

॥४७॥
भैश्याशनस्तपस्यन्तुकृष्टश्चेलस्त्रण्डधरः ॥१२॥१४७॥

'जो श्रावक धरसे मुनिवनको जाकर और गुरुके निकट ब्रतों-को ग्रहण करके तपस्या करता हुआ भैश्य-भोजन करता है—मिथाद्वारा ग्रहीत भोजन लेता अथवा अनेक धरोंसे मिक्षा-भोजन लेकर अन्तके घर या एक स्थान पर बैठकर उसे साता है—और वस्त्रत्वण्ड

क्षे 'भैश्याशनः' इति पाठान्तरम् ।

‘उत्कृष्ट श्रावक’ कहना अधिक उचित और उपयुक्त समझते थे। श्रावकका यह पद जो पहलेसे एक रूपमें था समन्तभद्रसे बहुत समय बाद दो भागोंमें विभक्त हुआ पाया जाता है, जिनमेसे एकको आजकल ‘कुललक’ और दूसरे को ‘ऐलक’ कहते हैं। ऐलक-पदकी कल्पना बहुत पीछे की है : ।

श्रेयोज्ञाताकी पहचान

पापमरातिर्धर्मो वन्धुर्जीवस्य चेति निश्चन्वन् ।

समयं यदि जानीते श्रेयोज्ञाता ध्रुवां भवति ॥१३॥१४८॥

‘जीवका शत्रु पाप—मिथ्यादर्शनादिक—और वन्धु (मित्र) धर्म—सम्यग्दर्शनादिक—है, यह निश्चय करता हुआ जो समयको—भ्रागम-शास्त्रको—जानता है वह निश्चयसे श्रेष्ठ ज्ञाता अथवा श्रेय-कल्याण—का ज्ञाता होता है—आत्महितको ठीक पहचानता है।’

व्याख्या—यहाँ ग्रन्थका उपसंहार करते हुए उत्तम ज्ञाता अथवा आत्महितका ज्ञाता उसीको बतलाया है जिसका शास्त्रज्ञान इस निश्चयमें परिणत होता है कि मिथ्यादर्शनादिरूप पापकर्म ही इस जीवका शत्रु और सम्यग्दर्शनादिरूप धर्मकर्म ही इस जीवका मित्र है। फलतः जिसका शास्त्र-अध्ययन इस निश्चयमें परिणत नहीं होता वह ‘श्रेयोज्ञाता’ पदके योग्य नहीं है। और इस तरह प्रस्तुत धर्मग्रन्थके अध्ययनकी इष्टिको स्पष्ट किया गया है।

धर्मके फलका उपसंहार

येन स्वयं वीत-कलंक-विद्या-दृष्टि-क्रिया-रत्नकरण्ड-भावम् ।

नीतस्तमायाति पतीच्छ्येव सर्वार्थसिद्धिस्त्रियु विष्टपेषु ॥१४९

‡ देखो, ‘ऐलक-पद-कल्पना’ नामका वह विस्तृत निवन्ध जो अनेकान्त वर्ष १० वी की सयुक्त किरण ११-१२ में प्रकाशित हुआ है और जिसमें इस ११ वी प्रतिमाका बहुत कुछ इतिहास आगया है।

† ‘मदा’ इनि पाठान्तरम् ।

अर्थोंमें प्रयुक्त होता है क्षे प्रभाचन्द्रने अपनी टीकामें 'भिक्षाणा समूहे भैच्यं' इस निरुक्तिके द्वारा 'भिक्षासमूह' अर्थका ही प्रहण किया है और वह ठीक जान पड़ता है; क्योंकि स्वामी समन्वयद्र-को यदि 'भिक्षासमूह' अर्थ अभिमत न होता तो वे सीधा 'भिक्षा-शनः' पढ़ ही रखकर सन्तुष्ट हो जाते—उतनेसे ही उनका काम चल जाता। उसके स्थान पर 'भैच्यासनः' जैसा विलाप्त और भारी पढ़ रखने की उन-जैसे सूत्रात्मक लेखकोंको जरूरत न होती—लास कर ऐसी हालतमें जब कि छन्दादिकी विष्टिसे भी वैसा करनेकी जरूरत नहीं थी। श्रीकृष्णजुन्दाचार्यने अपने सुन्त-पाहुड़में, उत्कृष्ट श्रवकके लिंगका निर्देश करते हुए, जो उसे 'गिरन्ते भमेड एत्तो' जैसे वाक्यके द्वारा पात्र हाथमें लेकर भिक्षाके लिये भ्रमण करनेगाला लिखा है उससे भी, प्राचीन समयमें, अनेक धरांगे भिक्षा लेनेकी प्रथाका पता चलता है। भ्रामरी चृत्ति-द्वारा अनेक धरांगे भिक्षा लेनेके कारण किसीको कष्ट नहीं पहुँचता, व्यर्थके आड़स्त्रको अवभर नहीं मिलता और भोजन भी प्रायः अनुष्टिष्ठ मिल जाता है। 'तपस्यन्' पढ़े उस वाह्या-भ्यन्तर तपश्चरणका गोतक है जो कर्मांका निर्मलन करके आत्म-यिकामको सिद्ध करनेके लिये व्यथाशक्ति किया जाता है और जिसमें अनशनादि वाला तपश्चरणोंकी अपेक्षा स्वाध्याय तथा ध्यानादिक अभ्यन्तर तपोंको अधिक महत्व प्राप्त है। वाह्य तप सदा अभ्यन्तर तपकी वृद्धिके लिये किये जाते हैं।

यहाँ इस अतधारीके लिये उद्दिष्टविरत या जुल्लक-जैसा कोई नाम न देखर जो 'उत्कृष्टः' पढ़का प्रयोग किया गया है वह भी अपनी खान विशेषता रखता है और इस वातको सूचित करता है कि स्वामी समन्वयद्र अपने इस व्रतीको जुल्लकादि न कहकर

क्षे "भिक्षीव तत्त्वगृहो वा श्रण्"—वामन विवराम एट्टेकी सस्कृत-रणनिधि डिक्षणरी।

करती है, शुद्धशीलाके रूपमें उसी प्रकार मेरी रक्षा-पालना करो जिस प्रकार कि शुद्धशीला माता पुत्रकी रक्षा-पालना करती है और गुणभूपाके रूपमें उसी प्रकार मुझे पवित्र करो जिस प्रकार कि गुणभूपा कन्या कुलको पवित्र करती है—उसे कंचा उठाकर उसकी प्रतिष्ठाको बढ़ाती है।'

व्याख्या—यह पद्य अन्त्य मंगलके रूपमें है। इसमें ग्रन्थकार-महोदय स्वामी समन्तभद्रने जिस लक्ष्मीके लिए अपनेको सुखी करने आदिकी भावना की है वह कोई सांसारिक धन-दौलत नहीं है, वल्कि वह सद्दृष्टि है जो ग्रन्थमें वर्णित धर्मका मूल प्राण तथा आत्मोत्थानकी अनुपम जान है और जो सदा जिनेन्द्रदेवके चरणकमलोका—उनके आगमगत पद-वाक्योंकी शोभाका—निरीक्षण करते रहनेसे पनपती, प्रसन्नता धारण करती और विशुद्धि एवं वृद्धिको प्राप्त होती है। स्वयं शोभा-सम्पन्न होनेसे उसे यहाँ लक्ष्मीकी उपमा दी गई है। उस दृष्टि-लक्ष्मीके तीन रूप हैं—एक कामिनीका, दूसरा जननीका और तीसरा कन्याका, और ये क्रमशः सुखभूमि, शुद्धशीला तथा गुणभूषा विशेषणसे विशिष्ट हैं। कामिनीके रूपमें स्वामीजीने यहाँ अपनी उस दृष्टि-सम्पत्ति-का उल्लेख किया है जो उन्हें प्राप्त है, उनकी इच्छाओंकी पूर्ति करती रहती और उन्हें सुखी, बनाये रखती है। उसका सम्पर्क वरावर बना रहे, यह उनकी पहली भावना है। जननीके रूपमें उन्होंने अपनी उस मूलदृष्टिका उल्लेख किया है जिससे उनका रक्षण-पालन शुरूसे ही होता रहा है और उनकी शुद्ध-शीलता वृद्धिको प्राप्त हुई है। वह मूलदृष्टि आगे भी उनका रक्षण-पालन करती रहे, यह उनकी दूसरी भावना है। कन्याके रूपमें स्वामीजीने अपनी उस उत्तरवर्तिनी दृष्टिका उल्लेख किया है जो उनके विचारोंसे उत्पन्न हुई है, तत्त्वोंका गहरा मन्थन करके जिसे उन्होंने निकाला है और इसलिये जिसके बे स्वयं जनक हैं। वह

‘जिस भव्य-जीवने अपने आत्माको निर्दोषविद्या, निर्दोष-दृष्टि तथा निर्दोषक्रियारूप रत्नोंके पिटारेके भावमें परिणत किया है—अपने आत्मामें सम्यगदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्वरूप रत्नत्रय-धर्मका धारिवर्भाव किया है—उसे तीनों लोकोंमें सर्वार्थसिद्धि—धर्म-श्रद्ध-काम-भोक्षणरूप सभी प्रयोजनोंकी सिद्धिरूप स्त्री—पतिको स्वयं चरण करनेकी इच्छा रखनेवाली (स्वयवरा) कन्याकी तरह स्वयं ग्राह्य हो जाती है—उक्त सर्वार्थमिद्ध उसे अपना पति बनाती है अर्थात् वह चारों पुरुषाचार्योंका स्वामी होता है—उसका प्रायः कोई भी प्रयोजन सिद्ध हुए विना नहीं रहता।’

व्याख्या—यहाँ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र-रूप रत्नत्रयधर्मके धारीको सक्षेपमें सर्वार्थसिद्धिका स्वामी सूचित किया है, जो विना किसी विशेष प्रयासके स्वयं ही उसे ग्राह हो जाती है और इस तरह धर्मके सारे फलका उपसंहार करते हुए उसे चतुराईसे एक ही सूत्रमें गुंथ दिया है। साथही, अन्थका दूसरा नाम ‘रत्नकरण्ड’ है यह भी श्लेषालंकारके द्वारा सूचित कर दिया है।
अन्त्य-मग्न

मुख्यतु सुखभूमिः कामिनं कामिनीव

सुतमिव जननी मां शुद्धशीला भुनक्तु ।

कुलमिव गुणभूपा कन्यका संपुनीताज्-

जिन-पति-पद-पद्म-ग्रेनिरणी दृष्टिलक्ष्मीः ॥१५॥१५०॥

इति श्रीस्वामिसगन्तभद्राचार्य-विरचिते समीर्चीनधर्मशास्त्रे

रत्नकरण्डाऽपरनाम्नि उपासकाध्ययने श्रावकपद-वर्णनं

नाम सप्तमसध्ययनम् ॥७॥

‘जिनेन्द्रके पद-व्याक्यरूपी कमलोंको देखनेवाली दृष्टि-लक्ष्मी (सम्यगदर्शनसम्पत्ति) सुख-भूमिके रूपमें मुझे उसी प्रकार सुखी करे जिस भक्तार कि सुखभूमि-कामिनी ज्ञामीको सुखी

समीचीनधर्मशास्त्र-कारिकानुक्रमणी

—००००—

कारिका	पृष्ठ	कारिका	पृष्ठ
अक्षार्थानां परिसंख्यानं	१२२	आहारं परिहास्य	१६७
अज्ञानतिभिरव्याप्ति	५५	इदमेवेहशं चैव	४६
अतिवाहनातिसंग्रह-	१०३	उच्चैर्गोत्रं प्रणतेः	१५३
अद्य दिवा रजनी वा	१२८	उपसर्गे दुर्भिन्ने	१६०
अनात्मार्थ विना रागैः	४२	ऊर्ध्वाधस्तात्तिर्यग्	११५
अनुमतिरास्मे वा	१६०	एकान्ते सामयिकं	१३७
अन्त-क्रियाधिकरणं	१६३	ओजस्तेजोविद्या-	७१
अन्तं पानं खाद्य	१८५	कन्दर्प कौलुच्यं	१२१
अन्यविवाहाकरणा-	१००	कर्मपरवशो सान्ते	४८
अन्यूनमनतिरक्तं	७७	कापथे पथि दुःखानां	५०
अभ्यन्तरं दिग्वधेः	११५	काले कल्पशतेऽपि च	१७१
अमरासुरनरपतिभिः	७३	क्षितिगतमिव वटबीजं	१५३
अर्हच्चरणसपर्या-	१५८	क्षितिसलिलदहनपवना-	१२०
अल्पफलबहुविधातान्	१२५	क्षुतिपासाजरातंक-	३६
अवधेर्विहरणुपाप्रति-	११२	खरपानहापनामपि	१६७
अशरणमशुभनित्यं	१४१	गृहकर्मणापि निचिरं	१५२
अष्टगुणपुष्टितुष्टा	७२	गृहतो मुनिवनभित्वा	१६१
आपगासागरस्तान-	५७	गृहमेव्यनगाराणां	८०
आप्तेनोत्सन्नदोषेण	३७	गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो	६८
आप्तोपज्ञमनुल्लंघ्यं	४८	गृहद्वारिमाराणां	१३२
आरम्भसंगसाहस-	११६	गृहिणां त्रेधा तिष्ठत्यगु-	८८
आलोच्य सवभेनः	१६५	ग्रहणविसर्गास्तरणान्य-	१४७
आसमयमुक्ति मुक्तं	१३५	चुरावत्तिरयश्चतुः	१७६
आद्वारापध्यारप्तु-	१५४	चुराहारविसर्जन-	१४६

निःशंकितादि गुणोंसे विभूदित हुई दृष्टि उन्हे पवित्र करे और उनके गुरुकुलको ऊचा ढाकर उसकी प्रतिष्ठाको बढ़ानेमें समर्थ होवे, यह उनकी तीसरी भावना है। दृष्टि-लक्ष्मी अपने इन तीनों ही रूपोंमें जिनेन्द्र भगवानके चरण-कमलों अथवा उनके पद-वाक्योंकी ओर वरावर देखा करती है और उनसे अनुप्राणित होकर सदा प्रसन्न एवं विकसित हुआ करती है। अतः यह दृष्टि-लक्ष्मी सज्जी भक्तिका ही सुन्दर रूप है। सुश्रद्धामूलक इस सबी सविवेक-भक्तिसे सुखकी प्राप्ति होती है, शुद्धशीलतादि सद्गुणोंका संरक्षण-संवर्धन होता है और आत्मामें उत्तरोत्तर पवित्रता आती है। इसीसे स्वामी समन्वयभूने प्रन्थके अन्तमें उस भक्ति-देवीका वडे ही अलंकारिक रूपमें गौरवके साथ स्मरण करते हुए उसके प्रति अपनी मनोभावनाको व्यक्त किया है। अपने एक दूसरे प्रन्थ 'युक्त्यनुशासन' के अन्तमें भी उन्होंने वीर-स्तुतिको समाप्त करते हुए उस भक्तिका स्मरण किया है और 'विधेया मे भक्ति पथि भवत एवाऽपतिनिवाँ' इस वाक्यके द्वारा वीरजिनेन्द्रसे यह प्रार्थना अथवा भावना की है कि 'आप अपने ही मार्गमें, जिसको जोड़का हूमरा कोई निर्वाध मार्ग नहीं, मेरी भक्तिको सविशेषरूपसे चरितार्थ करो—आपके मार्गकी असोधता और उससे अभिमन फलकी सिद्धिको देखकर मेरा अनुराग (भक्ति-भाव) उसके प्रति उत्तरोत्तर वडे, जिससे मैं भी उसी मार्गकी पूर्णतः आराधना-साधना करता हुआ कर्मशब्दाओंको सेनाको जीतनेमें समर्थ होऊँ और निश्चेयस (मोक्ष) पदको प्राप्त करके सफल मनारथ हो सकूँ ।

इस प्रकार श्रीस्वामिसमन्वयदाचार्य-विरचित समोचीन-धर्मशास्त्र

अपरनाम रत्नकरण्ड-उपासकाध्ययनमें शावकपद-

वर्णन नामका सप्तम अध्ययन समाप्त हुआ ॥७॥

कारिका	पृष्ठ	कारिका	पृष्ठ
भुक्त्वा परिहातव्यो	१२३	श्रद्धानं परमार्थाना-	३२
भोजनवाहनशयन-	१२८	आवकपदानि देवैः	१७४
मकराकरसरिदटवी	११२	श्रीषेणवृषभसेने	१५४
मद्यमांसमधुत्यागैः	१०६	श्वापि देवोऽपि देव.श्वा	६५
मलबीजं मलयोन्नि	१८६	सकलं विकलं चरणं	८६
मातंगो धनदेवश्च	१०५	सप्रन्थारम्भाहिंसानां	५६
मूर्खस्त्वान्विष्टवासो	१३६	सदूद्धिष्ठानवृत्तानि	२५
मूलफलशाकशास्त्रा-	१८४	सम्यग्दर्शनशुद्धः	१७५
मौहतिमिरापहरणे	८२	सम्यग्दर्शनशुद्धा	६६
यद्विष्टं तद्वत्येत्	१२७	सम्यग्दर्शनसम्पन्न-	६४
यदि पापनिरोधोऽन्य-	६३	सामयिके सारम्भाः	१३६
येन स्वयं वीतकलंकविद्या.	१६४	सामयिकं प्रतिदिवसं	१३८
रागद्वेषनिवृत्तिहिंसादि-	८४	सीमान्तानां परतः	१३९
लोकालोकविभक्तेः	७६	सुखयतु सुखमूभिः	१४५
वध्यवन्धच्छेदादेः	११८	सेवाकृषिवाणिज्य-	१८७
वरोपलिप्सयाशावान्	५८	संकल्पात्मकारित-	६०
वाक्कायमानसानां	१४२	संवत्सरमृतुरयनं	१३८
विद्यादर्शनशक्ति-	१७१	स्थूलमलीकं न वदति	६३
विद्यावृत्तस्य संभूतिः	६७	स्नेहं वैरं संगं	१६५
विषयविषयोऽनुपेक्षा	१२६	स्मरेन थोऽन्यान्त्येति	६२
विषयशावशावशातीतो	४५	स्वभावतोऽशुद्धौ काये	४८
व्यापत्तिव्यपनोदः	१४८	स्वयूथ्यान्त्रिति सद्भाव-	५४
व्यापारवैमनस्याद्	१३८	स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य	५१
शिवमजरमरुजमन्त्रय-	७४	हरितपिधाननिधाने	१५८
शीतोष्णदशमशक्तं	१४०	हिंसानृतचौर्येभ्यो	८८
शोकं भयमवसादं	१६६		

कारिका	पृष्ठ	कारिका	पृष्ठ
चौप्रयोगचौरार्था-	६८	नवपुण्यैः प्रतिपत्तिः	१५०
छेदनवन्धनपीडन-	६८	न सम्बन्धत्वसमं किञ्चिन्	६८
जन्मजरामयमरणैः	१७०	नाऽङ्गहीनमल छेत्तुं	५६
जीवाजीवसुतत्त्वे	८९	नियमो यमश्च विहितौ	१२८
जीवितमरणाशसे	१६८	निरतिक्रमणसुग्रहत-	१७८
ज्ञानं पूजां कुल जाति	६१	निहितं वा पतितं वा	६६
ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो	५६	निःश्रेयसमधिपन्नाः	१७२
तायदख्षनचौरोऽन्ते	५६	निःश्रेयनमम्बुद्यं	१६८
तिर्यक्क्लेशवाणिज्ञा-	११६	परमेष्ठी परंज्योतिः	४०
व्रसहतिपरिहरणार्थं	१८४	परमुकुपाणस्वनित्र-	११८
दर्शनान्वचरणाद्वापि	५२	परिवादरहोम्यास्या	६४
दर्शनं ज्ञानचारित्रान्	८६	पर्वत्यप्टन्यां च	१४२
दानं वैयाद्यत्त्वं	१४८	पर्वदिनेषु चतुर्पूर्वपि	१८२
दिग्बलत्वं परिगणितं	१११	पापमरानिर्धनों	१६४
दिग्ब्रतमनवर्ददण्डवतं च	१११	पापोपदेशाहित्या-	११६
देवाधिदेवचरणे	१५५	पूजाय जिश्वर्यवल-	१७३
देवेन्द्रचक्रमहिमान-	७५	पंचाऽनुग्रहतनिधयो	१०३
देशायामि समीचनं	१४	पंचानां पापानामलंक्रिया	१४३
देशावकाशिकं वा	१३१	पंचानां पापानां हिंसादीनां ११४	
देशावकाशिकं स्यान्	१३१	प्रत्याख्यानतनुत्वात्	११३
धनवान्नादिग्रन्थं	१०१	प्रयमानुयोगमर्थाल्घनं	५८
धनश्रीसत्यघोपां च	१०५	प्राणातिपातवितय-	८८
* धर्मामृतं महृषणः	१४४	प्रैपणशब्दानश्चर्त	१३४
न तु परदारान गच्छति	६६	वाह्येषु दशनु वस्तुयु	१८८
नमः श्रीवद्विमानाय	२	भयाशास्त्रहोमाच्च	६५
नवनिधिसमद्वय-	७२		

